सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
(एम एस एम ई)
के
विविध आयाम

आज़ादी का अमृत महोत्सव

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra

कार्पोरेशन Corporation

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) के विविध आयाम

संपादक
नवल किशोर दीक्षित

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra
कार्पोरेशन Corporation
केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पाइंट, मुंबई - 400 021

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मानव संसाधन विभाग
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 021
फोन : 022 22896517

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) के विविध आयाम

(आंतरिक परिचालन हेतु)

संरक्षक

➢ **राजकिरण रै जी.**
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मार्गदर्शन

➢ **गोपाल सिंह गुसाईं**
कार्यपालक निदेशक

➢ **मानस रंजन बिस्वाल**
कार्यपालक निदेशक

➢ **नितेश रंजन**
कार्यपालक निदेशक

➢ **रजनीश कर्नाटक**
कार्यपालक निदेशक

संपादकीय सलाहकार

➢ **चन्द्र मोहन मिनोचा**
मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

➢ **लाल सिंह**
मुख्य महाप्रबंधक (एम एस एम ई)

➢ **ज्ञान रंजन सारंगी**
महाप्रबंधक (एम एस एम ई)

➢ **मनोज कुमार**
महाप्रबंधक (लघु कार्पोरेट)

➢ **संजय नारायण**
महाप्रबंधक

संपादक

➢ **नवल किशोर दीक्षित**
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

संपादन सहयोग

➢ **रामजीत सिंह**
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

➢ **पंकज कुमार**
वरिष्ठ प्रबंधक (एमएसएमई)

मुद्रक :

प्रथम संस्करण: नवंबर, 2021

उचिथ ग्राफिक प्रिंटर्स प्रा. लि.
फोन 022-40336400

इस पुस्तक में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार संबंधित लेखकों के हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन की उनसे सहमति आवश्यक नहीं है. स्त्रोत का उल्लेख करने पर, इस पुस्तक में प्रकाशित आलेखों को पूर्णतया या आंशिक तौर पर उद्धृत किए जाने पर, बैंक को कोई आपत्ति नहीं होगी.

राजकिरण रै जी.
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

प्रिय साथियो,

किसी भी संस्था की गृह पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें उस संस्था की योजनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती हैं. हमें इस बात की प्रसन्नता है कि विभिन्न बैंकिंग विधाओं पर हिन्दी में सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में हमारा बैंक सदैव अग्रणी रहा है. इसी क्रम में इस वर्ष बैंक द्वारा सम-सामयिक विषय 'एमएसएमई के विविध आयाम' नामक पुस्तक का प्रकाशन एक सराहनीय पहल है. इस पुस्तक के माध्यम से एमएसएमई पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है.

हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. यह सभी के लिए समान विकास के अवसर एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक इंजन की तरह कार्य करता है. सभी बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाएं एमएसएमई के महत्व को जानती हैं. आज के परिवर्तनशील दौर में बैंकिंग में एमएसएमई क्षेत्र के ज्ञान एवं विकास को प्रसारित करने के लिए उचित प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक ज्ञान होने के साथ-साथ इसके सैद्धांतिक ज्ञान का होना भी अत्यावश्यक है. इस उद्देश्य की पूर्ति में हमारी यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

एमएसएमई के क्षेत्र में बेहतर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में हमारा बैंक सदैव अग्रणी रहा है. एसोचैम द्वारा आयोजित समारोह में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा हमारे बैंक को दिया गया बेस्ट एमएसएमई बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र बैंक) पुरस्कार इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत सरकार की एमएसएमई को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक हमारे पाठकों एवं स्टाफ सदस्यों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी. मैं इस पुस्तक के संपादक मण्डल एवं इसमें योगदान करने वाले सभी स्टाफ सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने विभिन्न लेखों के माध्यम से एमएसएमई के प्रत्येक पहलू एवं उसकी बारीकियों के प्रचार-प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हमें विश्वास है कि हिन्दी पुस्तक प्रकाशन का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

राजकिरण रै जी

(राजकिरण रै जी.)

गोपाल सिंह गुसाईं
कार्यपालक निदेशक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

प्रिय साथियो,

प्रतिवर्ष बैंकिंग जगत से संबंधित महत्वपूर्ण, सामयिक एवं समीचीन विषयों पर ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी जानकारियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक द्वारा विभिन्न विषयों पर हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता रहा है. इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में 'एमएसएमई के विविध आयाम' नामक इस पुस्तक के प्रकाशन से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है.

आज की निरंतर परिवर्तनशील एवं चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है. कृषि के बाद यही एकमात्र ऐसा उद्योग है जो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है. एमएसएमई क्षेत्र पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सक्रिय एवं गतिशील रूप में उभरा है, जिसने लाखों लोगों को न सिर्फ रोजगार प्रदान किया है अपितु उद्यमी बनने का भी अवसर दिया है. इस प्रकार यह कहना सार्थक होगा कि देश को सबल, सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने में एमएसएमई का उल्लेखनीय योगदान है.

इस प्रकार एमएसएमई के विविध पहलुओं और प्रावधानों से संबद्ध पुस्तक का हिन्दी में प्रकाशन बैंकिंग जगत के लिए अत्यंत उपयोगी है. बैंक के शताब्दी वर्ष पर इस महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशन से मैं अति प्रसन्न हूँ तथा इस अनुकरणीय कार्य के लिए बैंक के उन सभी स्टाफ सदस्यों की प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने एमएसएमई पर लेख लिखे. मेरा मानना है कि इसके व्यापक प्रचार-प्रसार से न केवल एमएसएमई के प्रति हमारे स्टाफ सदस्यों की जागरूकता बढ़ेगी, अपितु इसके माध्यम से ग्राहक सेवा का स्तर भी बढ़ेगा.

मुझे पूर्ण विश्वास है कि एमएसएमई से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रस्तुत जानकारी पाठकों तथा स्टाफ सदस्यों के लिए उपयोगी व ज्ञानप्रद सिद्ध होगी. इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए मैं इसमें योगदान करने वाले सभी रचनाकारों तथा संपादक मण्डल को बधाई व धन्यवाद देता हूँ.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(गोपाल सिंह गुसाईं)

मानस रंजन बिस्वाल
कार्यपालक निदेशक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

प्रिय साथियो,

अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हिन्दी भाषा के माध्यम से विविध बैंकिंग विषयों की जानकारी उपलब्ध कराने के क्रम में हमारे बैंक द्वारा इस वर्ष अति महत्वपूर्ण विषय 'एमएसएमई' पर 'एमएसएमई के विविध आयाम' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है. एमएसएमई से हम सभी भलीभांति परिचित हैं, तथापि, मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में निहित लेख व अन्य सामग्री एमएसएमई को और बेहतर ढंग से समझने में पाठकों के लिए मददगार सिद्ध होगी.

हम सभी जानते हैं कि एमएसएमई बैंकिंग व्यवस्था का अभिन्न अंग है तथा किसी भी देश की आर्थिक सुदृढ़ता में एमएसएमई का विशेष योगदान है. एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजीगत लागत पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपितु ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करते हैं. हमें इस बात की खुशी है कि हमारा बैंक एमएमएसई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है तथा इसके लिए हमें विभिन्न स्तरों से सराहना मिल रही है.

इस महत्वपूर्ण विषय पर हिन्दी में स्तरीय सामग्री उपलब्ध कराना निसंदेह एक उल्लेखनीय कार्य है. मुझे आशा है कि राजभाषा और बैंकिंग के इस समागम को पाठकगण रुचिकर, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक पाएंगे. मैं इस पुस्तक में रचनात्मक योगदान देने वाले अपने बैंक के सभी रचनाकारों, राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग तथा एमएसएमई विभाग की सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को मूर्त रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मुझे उम्मीद है कि हमारे बैंक का यह रचनात्मक प्रयास भविष्य में भी जारी रहेगा तथा इस पुस्तक को भी अन्य पुस्तकों की तरह पाठकों का स्नेह प्राप्त होगा.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

मानस बिस्वाल

(मानस रंजन बिस्वाल)

नितेश रंजन
कार्यपालक निदेशक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

प्रिय साथियो,

हमारे बैंक में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्ययोजना के साथ-साथ कुछ ऐसे नवोन्मेषी व प्रगतिशील कार्य किए जाते हैं, जो अन्य समकक्ष बैंकों से हमें अलग करता है. इसी क्रम में 'एमएसएमई के विविध आयाम' पुस्तक का प्रकाशन भी एक ऐसी ही कड़ी है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में विरले ही मिलती है.

सम्पूर्ण विश्व में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विकास के इंजन के रूप में देखा जाता है. एमएसएमई क्षेत्र किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता हेतु महत्वपूर्ण होते हैं. आर्थिक गतिविधियों को सुचारु बनाने तथा देश में गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण एमएसएमई क्षेत्र भारत जैसे विकासशील देश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ दशकों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र एक अत्यंत गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है. बड़े उद्योगों की तुलना में एमएसएमई क्षेत्र न केवल अपेक्षाकृत कम पूंजी में ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, वरन ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वर्तमान समय में इस क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 12.88% से ज्यादा है, परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र ने आज देश भर में 11.09 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए अवसर प्रदान किया है. आज भारत के कुल निर्यात का लगभग 48.10% योगदान एमएसएमई सेक्टर द्वारा किया जा रहा है, जो भारतीय जीडीपी का लगभग 30.27% है. आपको पता ही होगा कि इसी क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी के दौर में देश को मंदी के चक्रव्यूह में फँसने से बचाया था. समग्र रूप से देखा जाय तो यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में मेरुदंड की भूमिका निभा रहा है.

इस पुस्तक में एमएसएमई नीतियों, सीजीटीएमएसई, सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम व ऋण सहायता आदि योजनाओं की विस्तृत जानकारी संकलित है, जो आप सब के लिए अत्यंत ही उपयोगी है. कुशल बैंकिंग सेवाओं द्वारा इस क्षेत्र को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में देश में सकारात्मकता का संचार करती है. मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इस पुस्तक में संकलित लेखों के माध्यम से अपना ज्ञानार्जन करते हुए एक उत्कृष्ट बैंकर बनने की राह पर अग्रसर होंगे तथा बैंक के कारोबार को अगले स्तर पर ले जाएंगे. मैं उन सभी स्टाफ़ सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के लिए शोधपूर्ण, व्यावहारिक व उत्कृष्ट लेख लिखे हैं और प्रकाशन में अपना योगदान दिया है.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(**नितेश रंजन**)

रजनीश कर्नाटक
कार्यपालक निदेशक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

प्रिय साथियो,

बैंक द्वारा हिंदी पुस्तक प्रकाशन श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर ''एमएसएमई के विविध आयाम'' पुस्तक के प्रकाशन से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है. पुस्तक में प्रतिभावान स्टाफ सदस्यों के लेखों के माध्यम से एमएसएमई की विभिन्न जानकारियों को समाहित किया गया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है.

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र का विशिष्ट योगदान है. इस वैश्विक प्रतिस्पर्धी दौर में अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने में इस क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश के निरंतर विकास हेतु एमएसएमई क्षेत्र ने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. एक सम्पन्न लघु उद्योग क्षेत्र हमारे राष्ट्रपिता का स्वप्न था. आज समय और पृष्ठभूमि भले ही बदल चुकी हो, परंतु महात्मा गांधी जी की मूल भावना आज भी उतनी ही सार्थक है. हमारा बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण विकास और ग्रामीण लोगों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीतियों को बढ़ावा देने में भी सक्रिय रूप से कार्यरत रहा है. हमारे देश में एमएसएमई के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं. हमारा बैंक इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है और इस पुस्तक का प्रकाशन भी इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है.

मुझे इस बात की खुशी है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हमारा बैंक एमएसएमई को और सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है और इस उपलक्ष्य में बैंक द्वारा अनेक ऋण शिविरों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक बैंक में एमएसएमई के कार्यान्वयन और भावी कार्य-योजना को सार्थक बनाने में सहायक सिद्ध होगी तथा पाठकगणों के लिए ज्ञानवर्धक, रोचक एवं उपयोगी साबित होगी. मैं इस पुस्तक के प्रकाशन से जुड़े सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल के इस सराहनीय योगदान के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हिन्दी पुस्तक प्रकाशन की यह उत्तम श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(रजनीश कर्नाटक)

चन्द्र मोहन मिनोचा
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

प्रिय साथियो,

हमारे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि प्रतिवर्ष हम बैंकिंग के विभिन्न विषयों को लेकर हिन्दी में पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं. इन पुस्तकों में प्रकाशित सभी लेख अपने स्टाफ सदस्यों द्वारा ही लिखे जा रहे हैं. इन प्रकाशनों का उद्देश्य स्टाफ सदस्यों में लेखन क्षमता को प्रोत्साहित करते हुए, उनका बैंकिंग ज्ञान पाठकों तक पहुंचाना है. इन पुस्तकों से बैंकिंग के महत्वपूर्ण विषयों पर हिन्दी में सामग्री की उपलब्धि के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भी वृद्धि हो रही है.

हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है. एमएसएमई जहां एक ओर बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आय और धन का सम्यक वितरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में भी सहायक होते हैं, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में मदद मिलती है.

हमारे देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ही है. देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और रोजगार सृजन की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. रोजगार सृजन, सकल घरेलू उत्पाद व निर्यात जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष योगदान को देखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का अंश 50% तक करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे- विशेष ऋण योजनाएँ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वर्गीकरण, आसान शर्तों और कम ब्याज दरों पर ऋणों की उपलब्धता, एनपीए मानकों में रियायत आदि.

इस वर्ष 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम' जैसे सामयिक विषय पर हिन्दी में पुस्तक के प्रकाशन का निर्णय अत्यंत ही सराहनीय है. बैंक और देश की प्रगति में ऐसे प्रयासों से मदद मिलेगी. संपादक मण्डल और इस प्रकाशन से जुड़े सभी स्टाफ सदस्यों को इस प्रयास में सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएँ एवं बधाइयां.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

चं. मो. मिनोचा

(चन्द्र मोहन मिनोचा)

लाल सिंह
मुख्य महाप्रबंधक (एमएसएमई)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

प्रिय साथियो,

इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि बैंक द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली हिंदी पुस्तक 'विविध आयाम' की श्रृंखला में इस वर्ष एमएसएमई विषय चुना गया है. एमएसएमई के विविध आयाम पुस्तक का प्रकाशन न सिर्फ़ समीचीन बल्कि वर्तमान संदर्भ में अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जिस दौर से आज हमारी अर्थव्यवस्था गुज़र रही है, उसमें हमें सिर्फ़ एक बैंकर ही नहीं, बल्कि एक सजग नागरिक के रूप में भी एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए.

देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण की रीढ़ एमएसएमई क्षेत्र है. एमएसएमई से जुड़े कारोबारी ही कार्पोरेट एवं उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी होते हैं. उत्पादन व वितरण श्रृंखला को सुचारु रुप से बनाए रखने के लिये इस कड़ी का मज़बूत रहना अपरिहार्य है. अनवरत व निपुण बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सम्पूर्ण ऊर्जा मिलती है. इस पुस्तक में सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों को ऋण सहायता से संबंधित विस्तृत सूचनाएँ व दिग्गज बैंकरों के अनुभवों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है. इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में समाहित सूचनाएँ, सभी स्तरों पर बैंकरों को देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के योगदान, एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीयन हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को गंभीरता से समझने तथा प्राप्त ऋण प्रस्तावों पर सरलता व शीघ्रता से निर्णय लेने में भी मदद करेंगी.

प्रस्तुत पुस्तक में एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं पर अलग-अलग अनुभवी लेखकों द्वारा विस्तारपूर्वक लिखा गया है. एमएसएमई से जुड़े कार्यपालकों ने भी अपने लेखों के माध्यम से इस पुस्तक का मूल्यवर्धन किया है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक न सिर्फ़ क्रेडिट से जुड़े अधिकारियों बल्कि अन्य स्टाफ सदस्यों के लिये भी महत्त्वपूर्ण साबित होगी. मैं इस पुस्तक के प्रकाशन से जुड़ी पूरी टीम को धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(लाल सिंह)

नवल किशोर दीक्षित
संपादक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

संपादक की कलम से

प्रिय साथियो,

प्राचीनकाल से उद्यमशीलता हम भारतीयों का स्वभाव रही है. पूरे देश में फैली इन छोटी-छोटी इकाइयों से हमारी अधिकांश आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं, बड़े उद्योगों पर हमारी निर्भरता बहुत ही कम हुआ करती थी. स्वतंत्रता के पश्चात, आर्थिक वृद्धि के लिए देश ने अपनी औद्योगिक नीति का विस्तार करते हुए कुछ दशकों में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया. इन भारी उद्योगों की अपनी सीमाएं हैं और इसी कारण सरकार का ध्यान सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों की ओर गया. देश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 में एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की गई. आज एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई है, जिसमें नवाचार एवं नवोन्मेष की असीम संभावनाएं हैं. देश के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में इस क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान है. इसके साथ ही विनिर्माण/व्यापार/सेवा के क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है. स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं. बैंक के वित्तपोषण में एमएसएमई को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है, जितना कि कृषि और खुदरा को.

हमारा उच्च प्रबंधन बैंक के कारोबार वृद्धि के साथ, अपने कार्मिकों के ज्ञान-वर्धन, उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और हिन्दी के प्रचार-प्रसार को भी उतना ही महत्व देता है. इसी वजह से हमें पिछले 11 वर्षों से बैंकिंग के विविध विषयों पर, स्टाफ सदस्यों के सहयोग से हिन्दी में पुस्तकें प्रकाशित करने की अनुमति दी जा रही है. इसी क्रम में, समय की मांग को देखते हुए, इस वर्ष एमएसएमई विषय को लेकर विविध आयाम पुस्तक प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की गई है.

हमारे उच्च प्रबंधन ने जिस विश्वास से हमें यह ज़िम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के बिना यह कार्य संभव ही नहीं हो सकता था. किसी भी रचना या कृति को तभी सफल माना जा सकता है जबकि उसे सुधी पाठकगण मिलें. हमें शृंखला के प्रारंभ से ही पाठकों का भरपूर स्नेह प्राप्त होता रहा है. आप सभी पाठकों के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ.

किसी भी पुस्तक का अस्तित्व लेखकों के बिना संभव नहीं है. हमसे जुड़े हुए उन सभी लेखकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी व्यस्ततम बैंकिंग दिनचर्या के बाद भी, उच्च प्रबंधन के आह्वान पर इस पुस्तक के लिए अपने गुणवत्तापूर्ण आलेख हम तक समय सीमा में पहुंचाये.

एमएसएमई विभाग के कार्यपालकों एवं उनकी टीम को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस पुस्तक हेतु प्राप्त आलेखों के मूल्यांकन व इसके मूल्यवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया है. अंत में, मैं अपनी राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग की संपूर्ण टीम को बधाई एवं धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके सहयोग से इस पुस्तक को समय पर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर सका. मैं आशा करता हूँ कि राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग की मेरी टीम का यह प्रयास आप सब लोग उपयोगी पाएंगे. इस संबंध में आपके मूल्यवान सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी.

आपका,

(नवल किशोर दीक्षित)
संपादक

अनुक्रम

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

क्र	विषय का नाम	लेखक का नाम	पृष्ठ सं.
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम-2006	संजय नारायण	01
2	एमएसएमई के विकास में सरल (SARAL) की भूमिका	राकेश कुमार सिंह	12
3	यूनियन बैंक में एमएसएमई के बढ़ते कदम - एक समग्र स्थिति	नेहा संघवी	18
4	एमएसएमई- लघु उद्योगों के लिए सरकार का वेब पोर्टल क्या है?	पंकज कुमार	25
5	एमएसएमई ऋण के क्षेत्र में psbloansin59minutes.com की भूमिका	विशाल तानाजी यादव	31
6	एमएसएमई की परिभाषा एवं भारत में एमएसएमई का महत्व	अनुज कुमार सिंह	36
7	यूनियन बैंक की एमएसएमई योजनाएं	सिबिल प्रधान एवं श्वेता सिंह	43
8	एमएसएमई को वित्तपोषण - ध्यान देने योग्य बातें एवं एनपीए की वसूली	सजिया	56
9	एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान	प्रदीप सिंह	61
10	एमएसएमई ऋण की सम्पूर्ण प्रक्रिया	तुषार श्रीवास्तव	69
11	एमएसएमई - सम्पूर्ण विकास की कुंजी	रूचि यादव एवं सुभाष चन्द्र	74
12	एमएसएमई उत्पाद का विपणन	देवेश बाजपेई	81
13	एम एस एम ई ऋण में धोखाधड़ी एवं रोकने के उपाय	शशिकांत तिवारी	85
14	एमएसएमई ऋण - समुचित सावधानी	बैजू मण्डल एवं अपूर्वा सिंह	90
15	स्टैंड - अप इंडिया - एमएसएमई का सशक्त आधार	निधि सोनी	96
16	क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज का एमएसएमई ऋण में योगदान	नितिन गोसावी	100
17	संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजना (एटीयूएफएस) एवं एमएसएमई में इसका योगदान	बी पी शर्मा	105
18	यूनियन ट्रेड जीएसटी योजना एवं एमएसएमई के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता	बी एम सैनी	113

क्र	विषय का नाम	लेखक का नाम	पृष्ठ सं.
19	यूनियन एमएसएमई सुविधा योजना - कैसे एमएसएमई ऋण में सहायक	नवीन गुप्ता	117
20	स्टार्ट अप इंडिया - एमएसएमई का अविभाज्य अंग	कुन्दन सिन्हा	121
21	एमएसएमई उद्योग आधार पंजीकरण	संदीप गुप्ता	128
22	यूनियन मुद्रा - सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में कितना सहायक	सुनील दत्त	134
23	भारत में विमुद्रीकरण का एमएसएमई पर प्रभाव	गुनानन्द गामी	144
24	भारत में महिला, पिछड़े वर्ग एवं ग्रामीण विकास में एमएसएमई का योगदान	सौरभ आनंद	147
25	भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनौतियां एवं मुद्दे	धनंजय गंधे	152
26	एमएसएमई - महत्व, वृद्धि, संभावनाएं एवं पहल	हिमांशु सारंगी	157
27	एमएसएमई के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न डिजिटल पहल - (उद्योग आधार मेमोरंडम, एमएसएमई समाधान पोर्टल, एमएसएमई संबंध पोर्टल, एमएसएमई संपर्क पोर्टल)	सुनील प्रकाश पाल	165
28	मेक इन इंडिया संभावनाएं एवं चुनौतियाँ - एमएसएमई के परिप्रेक्ष्य में	सोनम कुमारी एवं डॉ विजय कुमार पाण्डेय	172
29	विपणन सहायता और तकनीकी उन्नयन	दीपक गुप्ता एवं दीपक कुमार	178
30	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के तहत कार्य प्रयोजन	कालीचरण दास	186
31	एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख नियोजनात्मक योजनाएँ एवं अपने बैंक द्वारा अपनायी गई योजनाएँ	विनय जायसवाल	193
32	उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता योजना	पी सी पाणिग्राही	200
33	खादी ग्राम उद्योग क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम एवं उसका विकास	दलजीत सिंह	204
34	बैंक ऋण एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी समस्या - एक मिथ्य	संजीव कुमार	209

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम-2006

संजय नारायण
महाप्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

हाल के वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का प्रख्यापन एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है जिसमें सरकार ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' विनियमित किया है; जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (सूलमउ) के संवर्धन एवं विकास को सरल एवं सुविधाजनक बनाना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है. 02 अक्तूबर, 2006 से लागू हुए इस अधिनियम ने इस क्षेत्र की दीर्घावधि मांग को पूरा कर दिया. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषाओं को कानूनी मजबूती प्रदान करने के अलावा इस अधिनियम में इन उद्यमों के विलंबित भुगतान से संबंधित दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम-2006 (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ दिशानिर्देश और उसके आंतरिक दिशानिर्देश)

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया है जिसे 16 जून, 2006 को अधिसूचित किया गया था. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधिनियम के साथ, सेवा क्षेत्र को एमएसएमई की परिभाषा से अलग किया गया है.

मध्यम उद्यमों के दायरे का विस्तार

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 ने विनिर्माण, उत्पादन और सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को संशोधित किया है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त परिवर्तनों को अधिसूचित किया है, जो अधिनियम के अनुसार एमएसएमई की परिभाषा के साथ-साथ बैंक द्वारा ऋण के उद्देश्य से अपनाया गया है.

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के माध्यम से महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत किए गए हैं:

I. शब्द ''उद्योग (Industries)'' को ''उद्यम (Enterprises)'' से बदल दिया गया है.

II. शब्द ''Tiny'' को ''माइक्रो (Micro)'' द्वारा बदल दिया गया है.

III. सेवाक्षेत्र (Service Sector) को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के दायरे में लाया गया है.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अक्सर एमएसएमई के रूप में संक्षिप्त होते हैं, जो छोटे आकार के व्यावसायिक उद्यम होते हैं जिन्हें उनके निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

ए. विनिर्माण उद्यम

बी. सेवा उद्यम

ए. विनिर्माण उद्यम:

विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है:

उद्यम	**माल के निर्माण या उत्पादन, प्रसंस्करण या संरक्षण में लगे उद्यम (प्लांट और मशीनरी में निवेश)**
सूक्ष्म उद्यम	रुपए 25 लाख (पच्चीस लाख) रुपये से अधिक नहीं.
लघु उद्यम	रुपए 25 लाख (पच्चीस लाख) से अधिक लेकिन रुपये 5 करोड़ (पांच करोड़) से अधिक नहीं.
मध्यम उद्यम	रुपए 5 करोड़ (रुपए पाँच करोड़) से अधिक लेकिन रुपये 10 करोड़ (रुपए दस करोड़) से अधिक नहीं.

बी. सेवा उद्यम:

सेवा उद्यमों को उपकरण में निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है:

उद्यम	**सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगे उद्यम (उपकरण में उद्यम निवेश)**
सूक्ष्म उद्यम	रुपए 10 लाख (रुपए दस लाख) रुपये से अधिक नहीं.
लघु उद्यम	रुपए 10 लाख (रुपए दस लाख) से अधिक लेकिन रुपये 2 करोड़ (रुपए दो करोड़) से अधिक नहीं.
मध्यम उद्यम	रुपए 2 करोड़ (रुपए दो करोड़) से अधिक लेकिन रुपये 2 करोड़ (रुपए दो करोड़) से अधिक नहीं.

वर्तमान में कोरोना वायरस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला है. हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि चीन और दुनिया के अन्य देशों में कोविड-19 के प्रकोप से वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी, व्यापार, सप्लाई चैन का व्यवधान, वस्तुओं और लोजिस्टिक्स सहित अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.

एमएसएमई की परिभाषा 23 अगस्त, 2019 की भारत सरकार की घोषणा के अनुसार और यूके सिन्हा की सिफारिश के अनुसार भी परिवर्तन के अधीन है. एमडी / सीईओ से विशिष्ट अनुमोदन के बाद वैधानिक / विनियामक दिशानिर्देशों की प्राप्ति के बाद विषय में एमएसएमई परिभाषा और संबंधित मामलों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे.

सरकार ने फरवरी 2018 में एमएसएमई का नया टर्नओवर आधारित वर्गीकरण दिया है. इस नए वर्गीकरण के अनुसार, एमएसएमई को व्यावसायिक कारोबार की अवधि में वर्गीकृत किया गया है. इस लेख में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर उद्यमों के वर्गीकरण, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश की गणना, वार्षिक टर्नओवर की गणना, ताजा और मौजूदा पंजीकरण और पंजीकरण में पुनर्वर्गीकरण की बात कही गई है

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण (एमएसएमई)
2. संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश के निर्धारण का तरीका
3. वार्षिक कारोबार की गणना का तरीका
4. संशोधित एमएसएमई पंजीकरण प्रक्रिया
5. निर्धारित समय सीमा के भीतर मौजूदा उद्यमों का अनिवार्य पंजीकरण
6. ऊपर की ओर/नीचे परिवर्तन पर पुनर्वर्गीकरण

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण (एमएसएमई)

क्र सं	उद्यम की प्रकृति	संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश (रुपये में)	वार्षिक टर्नओवर (रुपये में)
1	माइक्रो एंटरप्राइज	≤ 1 करोड़	≤ 5 करोड़
2	लघु उद्यम	≤ 10 करोड़	≤ 50 करोड़
3	मीडियम एंटरप्राइज	≤ 50 करोड़	≤ 250 करोड़

- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच अंतर अब किया गया है, एक ही सीमा दोनों के लिए लागू है कि क्या यह विनिर्माण उद्यम या सेवा उद्यम है.

- व्यापार उद्यम चाहे इसके निवेश और वार्षिक कारोबार पर ध्यान दे रहे हैं, जो एमएसएमई वर्गीकरण के दायरे से बाहर हैं.

1. विनिर्माण उद्यमों के मामले में, संयंत्र और मशीनरी में निवेश मूल लागत भूमि और भवन को छोड़कर मूल लागत और निर्माण और लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट वस्तुएं अधिसूचना संख्या. S.O. 1722 (ई) दिनांक 5 अक्तूबर, 2006 के संलग्न अनुबंध के रूप में हैं.

2. सेवा उद्यमों के मामले में, उपकरण में निवेश भूमि और भवन और फर्नीचर, फिटिंग और अन्य वस्तुओं को छोड़कर मूल लागत है जो सीधे सेवा से संबंधित नहीं है या जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित किया जा सकता है.

3. एमएसएमई कार्यालय ज्ञापन मंत्रालय के संदर्भ में, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम के रूप में एक उद्यम के वर्गीकरण के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश का पता लगाने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों पर भरोसा किया जा सकता है:

   (i) संयंत्र और मशीनरी की खरीद के चालान की एक प्रति;या

   (ii) संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए सकल ब्लॉक जैसा कि लेखा परीक्षित खातों में दिखाया गया है;या

   (iii) संयंत्र और मशीनरी की खरीद मूल्य के बारे में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र.

4. इसके अलावा, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में एक उद्यम के वर्गीकरण के उद्देश्य से संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए, संयंत्र और मशीनरी के खरीद मूल्य की गणना की जानी है न कि बही मूल्य (खरीद मूल्य को मूल्यह्रास से घटाकर) की.

5. उपरोक्त प्रावधान के लिए प्रभावी तिथि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 से लागू होगी, जो 16 जून, 2006 को लागू हुई.

संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश के निर्धारण का तरीका

(1) संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पहले से दायर आयकर रिटर्न (आईटीआर) से किया जाएगा.

नए उद्यम के मामले में जहां कोई आईटीआर उपलब्ध नहीं है, निवेश का मूल्य वित्तीय वर्ष के अंत तक स्व-घोषणा के आधार पर लिया जाएगा जिसमें आईटीआर दाखिल किया जाता है. इसके अलावा निवेश वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर होगा.

(2) उद्यम के संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों का मूल्य आयकर नियमों, 1962 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(3) एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण । से उप-धारा में निर्दिष्ट कुछ मदों की लागत को संयंत्र और मशीनरी में निवेश की राशि की गणना से बाहर रखा जाएगा.

एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप-धारा (1) के लिए स्पष्टीकरण ''संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि संयंत्र और मशीनरी में निवेश की गणना में, प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान और विकास, औद्योगिक सुरक्षा उपकरणों और अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली ऐसी अन्य मदों की लागत को बाहर रखा जाएगा''

वार्षिक कारोबार की गणना का तरीका

(1) कारोबार की गणना करते समय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के निर्यात को बाहर रखा जाएगा.

(2) किसी उद्यम के लिए टर्नओवर और निर्यात कारोबार की गणना आयकर अधिनियम या केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम के अनुसार की जाएगी.

संशोधित एमएसएमई पंजीकरण प्रक्रिया

(1) पंजीकरण उद्यम पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. एमएसएमई के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. पंजीकरण के लिए मालिक/प्रबंध भागीदार/कर्ता/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार नंबर आवश्यक होगा.

(2) किसी कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव सोसायटी या सोसायटी या ट्रस्ट के मामले में संगठन या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपने आधार नंबर के साथ अपना जीएसटीआईएन और पैन उपलब्ध कराएंगे.

(3) किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

(4) पंजीकरण पर एक ई-प्रमाण पत्र यानी उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र स्थायी पहचान संख्या के साथ प्रदान किया जाएगा जिसे उद्यम पंजीकरण संख्या के रूप में जाना जाएगा.

(5) एक उद्यम एक पंजीकरण केवल तब तक जब तक कि सभी गतिविधियों का उल्लेख एक पंजीकरण में नहीं किया जा सकता है.

(6) एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 27 के तहत कोई भी चूक या गलत बयानी दंड के लिए उत्तरदायी होगी.

5. निर्धारित समय सीमा के भीतर मौजूदा उद्यमों का अनिवार्य नए पंजीकरण 30 जून, 2020 से पहले पंजीकृत मौजूदा उद्यम, उनका पंजीकरण केवल मार्च, 2021 के 31 वें दिन तक ही मान्य होगा.

30 जून, 2020 तक पंजीकृत सभी उद्यमों को इस अधिसूचना के अनुसार पुन वर्गीकृत किया जाएगा.

ईएम-पार्ट-2 या यूएएम के तहत पंजीकृत सभी मौजूदा उद्यमों को जुलाई, 2020 के पहले दिन या उसके बाद उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पुनः पंजीकरण करना होगा, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले वे एमएसएमई के रूप में अस्तित्व में रहना बंद कर देंगे.

6. ऊपर की ओर/नीचे परिवर्तन पर पुनर्वर्गीकरण उद्यम पंजीकरण संख्या वाला उद्यम स्व-घोषणा के आधार पर अपनी जानकारी को आवश्यक रूप से अपडेट करेगा. उद्यम का वर्गीकरण तदनुसार बदल सकता है.

निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रासंगिक जानकारी को अद्यतन करने में विफलता के मामले में, उद्यम अपनी स्थिति खोने के लिए उत्तरदायी होगा.

वर्गीकरण एवं वृद्धि परिवर्तन के मामले में, एक उद्यम पंजीकरण के वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति तक अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखेगा.

नीचे परिवर्तन के मामले में वर्ष के बाद वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से ही बदले हुए दर्जे का लाभ जिसमें इस तरह का परिवर्तन हुआ था.

सरकार ने फरवरी 2018 में एमएसएमई का नया टर्नओवर आधारित वर्गीकरण दिया है. इस नए वर्गीकरण के अनुसार, एमएसएमई को व्यावसायिक कारोबार की अवधि में वर्गीकृत किया गया है. यह संयंत्र और मशीनों में किए गए निवेश के आधार पर पिछले वर्गीकरण के स्थान पर है यदि वे विनिर्माण क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए उपकरणों में निवेश कर रहे हैं. नए वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों सहित सभी प्रकार के एमएसएमई के लिए एक ही टर्नओवर आधारित मापदंड लागू किया गया है.

यद्यपि एमएसएमई के संवर्धन और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन केंद्र ने इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 2006 में एक अधिनियम पारित किया है और एक मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) भी बनाया है. यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम था जिसे 2006 में अधिसूचित किया गया था जिसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के त्रिस्तरीय को परिभाषित किया था और निवेश सीमा निर्धारित की थी. नए टर्नओवर मापदंड जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) और एमएसएमई को अलग करने के अन्य प्रारूपों के साथ बेहतर सूट करेंगे.

एमएसएमई का नया टर्नओवर आधारित वर्गीकरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 तदनुसार संशोधित किया जाएगा ताकि वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों को परिभाषित किया जा सके और वार्षिक कारोबार के संदर्भ में सेवाएं प्रदान की जा सकें:

- एक सूक्ष्म उद्यम को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाएगा जहां वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- एक छोटे उद्यम को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाएगा जहां वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 75 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- एक मध्यम उद्यम को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाएगा जहां वार्षिक कारोबार 75 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार अधिसूचना के अनुसार, टर्नओवर सीमाओं को अलग-अलग कर सकती है, जो एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट सीमाओं से तीन बार अधिक नहीं होगी.

तालिका: एमएसएमई का वर्गीकरण

एमएसएमई का वर्गीकरण	नया वर्गीकरण (वार्षिक कारोबार)	पिछला वर्गीकरण - संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा (रुपये में)
सूक्ष्म	5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	25 लाख से कम
लघु	5 करोड़ से 75 करोड़ रुपये के बीच	25 लाख से 5 करोड़
मध्यम	75 से 250 करोड़ रुपये	5 करोड़ से 10 करोड़

पिछले वर्गीकरण के तहत सेवा क्षेत्र के लिए एक अलग पद्धति अपनाई गई थी. अब वर्गीकरण माल एमएसएमई के समान बनाया गया था क्योंकि सामान्य टर्नओवर आधारित मानदंड सेवा क्षेत्र पर भी लागू किया गया था.

एमएसएमई (एमएसएमई)- प्राथमिक क्षेत्र उधार(भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश और उसके आंतरिक दिशा निर्देश)

1. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण बैंक का एक चुना हुआ क्षेत्र बना रहेगा. बैंक समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) या क्रेडिट समतुल्य राशि के ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर की कुल हिस्सेदारी के 40% से अधिक करने का प्रयास करेगा, जो भी पिछले वर्ष के अंत में अधिक है. इसके अलावा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत माइक्रो एंटरप्राइजेज को ऋण देने के लिए उप-लक्ष्य, एएनबीसी का 7.5% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर की समतुल्य राशि है, जो भी पिछले वर्ष के अंत में अधिक है.

2. विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए

2.1 बैंक ऋण निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किए जाने के पात्र हैं:

2.1:1 विनिर्माण उद्यम:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग के लिए माल के निर्माण या उत्पादन में लगे हुए हैं और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाते हैं. विनिर्माण उद्यम संयंत्र और मशीनरी में मूलनिवेश के संदर्भ में परिभाषित किए गए हैं. (यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रेडिट एक्सपोज़र के आकार के बावजूद एमएसएमई (एमएसएमई) के अंतर्गत सभी योग्य विनिर्माण उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा)

2.1:2 सेवा उद्यम:

एमएसएमई के लिए सभी बैंक ऋण, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत उपकरणों में निवेश के रूप में परिभाषित सेवाओं को प्रदान करने में लगे हुए हैं, बिना किसी क्रेडिट कैप के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अर्हता प्राप्त करेंगे.

2.1.3 खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र (KVI)

KVI क्षेत्र की इकाइयों के सभी ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत सूक्ष्म उद्यमों के लिए निर्धारित 7.5 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे.

2.1.4 एमएसएमई को अन्य वित्त:

2.1.5 कारीगरों, गाँव और कुटीर उद्योगों के आउटपुट के आदानों और विपणन में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता के लिए शामिल संस्थाओं को ऋण.

2.1.6 विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में उत्पादकों के सहकारी समितियों को ऋण.

2.1.7 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए एमएफआई को स्वीकृत ऋण.

2.1.8 सामान्य क्रेडिट कार्ड (आर्टिसियन क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड और बुनकर कार्ड आदि सहित) और अस्तित्व में रहने वाले तथा गैर-कृषि उद्यमशीलता क्रेडिट व्यक्तियों के लिए खानपान के तहत बकाया क्रेडिट.

2.1.9 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 8 अप्रैल, 2015 के बाद ओवरड्राफ्ट को बढ़ाकर ₹ 5,000/- तक किया गया है, बशर्ते कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए उधारकर्ता की घरेलू वार्षिक आय ₹ 1,00,000/- से अधिक न हो और ₹ 1,60,000/- से अधिक न हो गैर-ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये ओवरड्राफ्ट माइक्रो एंटरप्राइजेज को ऋण देने के लिए लक्ष्य की उपलब्धि के रूप में योग्य होंगे.

डिजिटल इंडिया मिशन -

- मोदी के प्लान में डिजिटल इंडिया भी शामिल है. इस मिशन के जरिए एमएसएमई मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को आइसीटी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है.
- इस प्लान के जरिए भारत को अगले पांच सालों में डिजिटल हब के तौर पर विकसित होना है. इस मिशन के तहत हर छोटी- बड़ी चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद होगी. इस मिशन के तहत न सिर्फ शासन और प्रशासन की गतिविधियां, सेवाएं बल्कि कारोबार इत्यादि भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित होनी हैं. इनमें गांव-शहरों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है.
- कारोबारी माहौल को बेहतर करने के लिए डिजिटल मिशन के तहत मैन्यूफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और खरीदारों को भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है.
- फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुई इंटरनेट डॉट ओआरजी सम्मेलन में कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से बिजनेस प्रोफेशनल्स को बहुत ही आसानी हो जाएगी. खासतौर से कम्यूनिकेशन जो महत्वपूर्ण कड़ी है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से बेहतर परिणाम दे सकेगा.

निर्यात योगदान

- एमएसएमई को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने पर सरकार का जोर है. खासतौर से डेवलपमेंट, इनोवेशन और वैश्विक तकनीकी को स्वीकार करने की बात हो रही है.
- एमएसएमई को ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए ग्लोबल मार्केट एक्सेस देने की भी कोशिश की जा रही है.
- इसके अलावा निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी सरकार काम कर रही है.

पब्लिक प्रॉक्यूरमेंट पॉलिसी

- डिफेंस और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में सप्लाई को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है.
- इसके तहत पब्लिक और डिफेंस सेक्टर की खरीदारी में कम से कम 25 फीसदी एमएसएमई से खरीदने की बात है.
- बड़े भारतीय और विदेशी खरीदारों को इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने पर भी जोर है.
- इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेटिव और इन्वेस्टमेंट के अलावा बड़े कॉर्पोरेट्स से सहयोग करने की दिशा में भी काम चल रहा है.
- बड़े कॉर्पोरेट्स वेंडर डेवलपमेंट के तहत ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई को जोड़ें. उन्हें रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, और वैश्विक तकनीकी मुहैया कराएं.

एमएसएमई के लिए कुछ खास कदम -

इंफ्रास्ट्रक्चर

इसके तहत एमएसएमई के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के क्लस्टर्स और बिजनेस केंद्रों को पीपीपी मॉडल से विकसित करने की बात है.

इससे एमएसएमई को हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिलेगी. साथ ही बीटूबी एक्सेस के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सपोर्ट भी हासिल हो सकेगा.

रेग्यूलेटरी

एमएसएमई के लिए एक विंडो अपनाने और एक वार्षिक रिटर्न की बात हो रही है. इसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में छूट की भी बात है.

स्किल इंडिया

सरकार का ध्यान एमएसएमई में स्किल डेवलपमेंट पर भी है. आने वाले समय में कुशल श्रमिकों और कुशल लोगों की बड़ी जरूरत होगी. कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं. भारत में बड़ी संख्या में अभी युवा वर्ग हैं जिसे दक्ष किये जाने की जरूरत है. यदि स्किल इंडिया प्रोग्राम को पूरा कर लिया जाए तो भारत में एमएसएमई को आगे बढ़ने में काफी मदद मिल सकती है. अभी एमएसएमई सेक्टर में रोजगार की भी काफी संभावनाएं हैं.

देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापार क्षेत्र यानी एमएसएमई सेक्टर बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है. सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस साल इस सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में करीब 37 प्रतिशत का योगदान है. बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार भी एमएसएमई ने ही दिया है. देश में 633 लाख के करीब एमएसएमई हैं, जिनमें 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है. इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश की एक बड़ी जनसंख्या को यह क्षेत्र रोजगार मुहैया करा रहा है.

अत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापार क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है.

एमएसएमई के विकास में सरल (SARAL) की भूमिका

राकेश कुमार सिंह
मुख्य प्रबंधक
एमएसएमई विभाग, केंद्रीय कार्यालय

1. परिचय

सरल (ऋण का व्यवस्थित मूल्यांकन एवं निर्धारण) एक सुदृढ़ ऋण व्यवस्था हेतु प्रशिक्षित तथा अनुभवी अधिकारियों से सुसज्जित ऋण प्रसंस्करण तथा अर्जन केंद्र है. वर्तमान प्रारूप में सरल कुछ ऋण सीमा के ऊपर प्रसंस्करण तथा विपणन का कार्य करता है. वर्तमान में सरल 125 क्षेत्रों में से 94 क्षेत्र (59 सरल तथा 35 सरल लाइट) में परिचालित है.

2. संक्षिप्त इतिहास

हमारे बैंक में साल 2008 में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई तथा निम्नलिखित उद्देश्य के साथ सरल की परिसंकल्पना प्रस्तावित की.

ए. केंद्रित विक्रय तथा विपणन के जरिये एमएसएमई ऋण प्रवाह को गतिशील करना.

बी. संशोधित टीएटी तथा ऋण मूल्यांकन में एकरूपता के जरिये ग्राहक सेवा को बढ़ाना.

सी. एमएसएमई ऋण प्रस्ताव के परीक्षण और प्रसंस्करण के लिये ऋण मूल्यांकन तथा विशेषज्ञता बढ़ाना.

डी. कुशल निगरानी के द्वारा एनपीए को कम करना.

सरल की संरचना और कार्य प्रवाह का समय-समय पर अध्ययन किया गया तथा जरुरत के मुताबिक फिर से तैयार किया गया. सितंबर 2017 में बाजार की गतिशीलता के साथ-साथ टीएटी में सुधार करने और ग्राहक सेवा को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए, हमारे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने सरल के वर्तमान प्रारूप की समीक्षा सहित

विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रिया परिवर्तनों का मूल्यांकन और आकलन करने के लिए महाप्रबंधकों / विभागीय प्रमुखों की एक कोर समिति गठित करने का निर्देश दिया. सरल की संरचना और वितरण तंत्र की बेहतरी की चर्चा विभिन्न मंचों, जैसे कि उच्च प्रबंधन समिति, शिखर सम्मेलन और परियोजना उत्कर्ष संचालन समिति की बैठकों में भी हुई. मुख्य समिति में सरल की कार्यप्रणाली पर मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर चर्चा की गई थी:

ए. सरल का कार्यक्षेत्र.

बी सरल को भेजे जाने वाले ऋण प्रस्ताव की सीमा.

सी. लीड जनरेशन: एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर की उपयोगिता / लीड सोर्सिंग के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ गठजोड़.

डी. गतिविधियाँ: शाखाओं में वितरण और निगरानी के साथ सरल में प्रलेखन के लिए स्वीकृति

ई. सरल से निकलने वाले प्रस्तावों को बिना उनके अवलोकन/अनुशंसा के लिए मध्यस्थ स्तर पर संदर्भित किये, संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी को सीधे प्रस्तुत करना.

एफ. अन्य संबंधित मुद्दे, जैसे अन्य क्षेत्रों में सरल की संख्या बढ़ाना.

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कोर कमेटी में विचार-विमर्श और एमएसएमई विभाग की सिफारिश के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी ने मौजूदा 90 सरल का पुनरुत्थान और जिन क्षेत्रों में जहाँ काफी एमएसएमई पोर्टफोलियो और संभावनाएं हों, नए पुनरुत्थानित सरल खोलने की मंजूरी दी. तत्पश्चात अन्य क्षेत्रों में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र की अवधारणा को लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई, जहां एमएसएमई पोर्टफोलियो तुलनात्मक रूप से कम है और तदनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 10 क्षेत्रों और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 3 और क्षेत्रों में सरल लाइट खोला गया. 31 मार्च, 2020 को आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन के बाद गठित हुए 125 क्षेत्रों में से 59 क्षेत्रों में सरल की आवश्यकता महसूस की गई तथा बाकी के 35 क्षेत्रों में सरल / सरल लाइट वित्त वर्ष 2020-21 के चौथी तिमाही में खोले गए.

3 संरचनात्मक सेट-अप

सरल / सरल लाइट में अधिकारियों की निम्न पदानुक्रम में तैनाती है:

ए. सरल प्रमुख: सरल तथा सरल लाइट का नेतृत्व क्रमशः सहायक महाप्रबंधक तथा मुख्य प्रबंधक द्वारा किया जाना है.

बी. वर्क सेल मैनेजर / सेकंड इन कमांड : सरल में स्केल IV ऑफिसर और सरल लाइट में स्केल- III / II अधिकारी.

सी. को-ऑर्डिनेटर: सरल में स्केल IV / III / II के रैंक का अधिकारी और सरल लाइट में स्केल III / II / I के रैंक का अधिकारी.

डी. प्रसंस्करण अधिकारी: स्केल III / II / I रैंक के अधिकारी

ई. रिलेशनशिप मैनेजर: स्केल III / II / I के अधिकारी

एफ. तकनीकी अधिकारी की तैनाती

4. सरल / सरल लाइट का स्कॉप

सरल को 0.50 करोड़ रुपये से ऊपर के प्रस्ताव जुटाना है यथा सरल को अधिग्रहण केंद्र के रूप में भी काम करना चाहिए. एक रिलेशनशिप प्रबंधक को सरल में इस उद्देश्य के लिए तैनात किया जाएगा. ऋण प्रस्ताव को एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद ग्राहक की सहूलियत के अनुसार किसी शाखा में भेजा जाएगा.

सरल और मिड कॉरपोरेट शाखाओं और आईएफबी वाले क्षेत्र में:

सरल 50 लाख रुपए के ऊपर के क्रेडिट प्रस्तावों (नई / वृद्धि / समीक्षा / नवीनीकरण), पुनर्गठन / संशोधन / तदर्थ सहित, शाखा प्रत्यायोजन के बावजूद इनका प्रसंस्करण करेगी. स्मॉल कार्पोरेट शाखा सिर्फ अपने शाखा का 50 करोड़ रुपये से ऊपर 100 करोड़ रुपये तक के क्रेडिट प्रस्तावों (नई / वृद्धि / समीक्षा / नवीनीकरण), पुनर्गठन / संशोधन / तदर्थ सहित का प्रसंस्करण करेगा. रुपए 100 करोड़ से रुपए 250 करोड़ तक के प्रस्ताव मिड कॉर्पोरेट शाखा में तथा औद्योगिक वित्त शाखा में सिर्फ अपने शाखा का 150 करोड़ रूपए के ऊपर के क्रेडिट प्रस्तावों (नई / वृद्धि / समीक्षा / नवीनीकरण), पुनर्गठन / संशोधन / तदर्थ सहित.

सरल और मिड कॉरपोरेट शाखाओं (MCB) वाले क्षेत्र में:

सरल 50 लाख रुपये के ऊपर के क्रेडिट प्रस्तावों (नई / वृद्धि / समीक्षा / नवीनीकरण), पुनर्गठन / संशोधन / तदर्थ सहित, शाखा प्रत्यायोजन के बावजूद का प्रसंस्करण करेगा. मिड कार्पोरेट शाखा 50 करोड़ रुपये से ऊपर के क्रेडिट प्रस्तावों (नई / वृद्धि / समीक्षा / नवीनीकरण), पुनर्गठन / संशोधन / तदर्थ सहित का प्रसंस्करण सिर्फ अपने शाखा के लिए करेगी.

सरल और आईएफबी (IFB) वाले क्षेत्र में:

सरल 50 लाख रुपये के ऊपर के क्रेडिट प्रस्तावों (नई / वृद्धि / समीक्षा /

नवीनीकरण), पुनर्गठन / संशोधन / तदर्थ सहित, शाखा प्रत्यायोजन की अपेक्षा किये बिना प्रसंस्करण करेगा. औद्योगिक वित्त शाखा सिर्फ अपने शाखा का 150 करोड़ रुपये के ऊपर के क्रेडिट प्रस्तावों (नई / वृद्धि / समीक्षा / नवीनीकरण), पुनर्गठन / संशोधन / तदर्थ सहित का प्रसंस्करण करेगा.

क्षेत्र जहाँ कोई सरल / एमसीबी (MCB) / आईएफबी (IFB) नहीं है:

शाखा में शाखा प्रत्यायोजन तक तथा उसके ऊपर के ऋण प्रस्ताव का प्रवाह प्रत्यायोजन शक्ति के हिसाब से शाखा से क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय से अंचल कार्यालय, अंचल कार्यालय से केंद्रीय कार्यालय तक होगा.

नोटः हालांकि, निम्नलिखित प्रस्ताव सरल के दायरे से बाहर होंगेः खुदरा, कृषि, कर्मचारी, एसओडी-एफडीआर/डीआरआईसी (SOD-FDR/DRIC).

सरल कृषि क्षेत्र के तहत, निम्नलिखित ऋण प्रस्ताव (बिंदु सं.1 में दी गई उच्चतम सीमा के अधीन) का प्रसंस्करण करेगाः खाद्य और कृषि प्रसंस्करण, निर्माण और भंडारण सुविधा का संचालन, कोल्ड स्टोरेज, एमएफआई, बीज उत्पादन, जैव कीटनाशक, जैव उर्वरक, वर्मी कम्पोस्ट उद्योग, फ्लोरीकल्चर, पोल्ट्री और डेयरी.

5. सरल / सरल लाइट की कार्यप्रणाली

शाखा का मूल कार्यः

लीड का जनरेशन, केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन, चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेजों का संग्रह / संकलन (बाद में अलग-अलग प्रश्नों से बचने के लिए, सरल के लिए सिफारिश या उल्लिखित समय-सीमा (चेकलिस्ट के अनुसार) के भीतर दस्तावेजों का पूरा सेट प्रस्तुत करने का प्रयास करना (हालांकि, निर्धारित कार्यकारी सारांश प्रारूप में डेटा की प्रस्तुति सरल द्वारा की जाएगी).

अनिवार्य रूप से शाखा द्वारा ऋण आवेदन और चेकलिस्ट के रूप में दस्तावेजों की सूची प्राप्त होने पर ग्राहकों को पावती प्रदान करना है. बैंकों के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्व-अनुमोदन निरीक्षण हालांकि, शाखा और सरल द्वारा इकाई का पूर्व-अनुमोदित संयुक्त निरीक्षण (नई / संवर्द्धन) के लिए अनिवार्य है.

शाखा द्वारा बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रेडिट रिपोर्ट का संकलनः

शाखा द्वारा वित्तीय समुचित सावधानी के अलावा अन्य समुचित सावधानी बरती जानी है. (सभी आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों को सरल (चेकलिस्ट के अनुसार) पर पारित किया जाना चाहिए, जो प्रस्ताव के वित्तीय समुचित सावधानी को पूरा करेगा.

बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कानूनी, मूल्यांकन और अन्य तीसरे पक्ष की रिपोर्ट प्राप्त करना. चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेजों, बाज़ार आधारित समुचित सावधानी के साथ सरल दायरे में आने वाले प्रस्तावों को सरल को अग्रेषित करना.

दस्तावेज़ीकरण, बंधक / बैंक के प्रभार का सृजन, अनुमोदन शर्तों का अनुपालन, सीपीए, संवितरण और सभी अनुमोदन के लिए अन्य क्रेडिट प्रशासन कार्य शाखा स्तर पर किए जाएंगे.

स्टॉक स्टेटमेंट एकत्रित करना, ड्रॉइंग पावर और बीमा रिमाइंडर्स का अपडेशन शाखा में किया जाएगा. शाखा में त्रैमासिक सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा. सभी पोस्ट - संवितरण निगरानी का कार्य मौजूदा क्रेडिट निगरानी नीति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शाखा में की जाएगी.

शाखा / क्षेत्रीय कार्यालय के दायरे में आने वाले प्रस्तावों के मामले में:

शाखा सरल वाले क्षेत्रों में ₹ 0.50 करोड़ तक और सरल लाइट वाले क्षेत्रों में ₹ 0.10 करोड़ तक बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्यायोजन शक्ति का प्रयोग करेंगे. चूंकि सरल वाले क्षेत्रों में ₹ 0.50 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव और सरल लाइट वाले क्षेत्रों में ₹ 0.10 करोड़ से अधिक वाले ऋण प्रस्ताव में शाखा के प्रत्यायोजन का कोई उपयोग नहीं होगा, अतः क्रेडिट मूल्यांकन ग्रिड लागू नहीं है.

स्वतंत्र सीपीसी / सरल के बुनियादी कार्य:

सरल के दायरे के अनुसार सभी प्रस्तावों का प्रसंस्करण और अनुमोदन

यदि प्रस्ताव सरल प्रत्यायोजन से परे है, तो प्रस्ताव सरल द्वारा प्रोसेस(संसाधित) किया जाएगा और उसके बाद संबंधित प्रत्यायोजित प्राधिकारी (आरएलसीसी/ जेडएलसीसी/ केका) को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा. यदि प्रस्ताव ज़ेडएलसीसी (ZLCC) के प्रत्यायोजन के अधीन आता है, तो सूचना के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को एक प्रति के साथ निर्णय के लिए सीधे क्षेमप्रका को भेज दिया जाएगा. यदि प्रस्ताव केंद्रीय कार्यालय के प्रत्यायोजन के अधीन आता है, तो सूचना के लिए क्षेमप्रका और क्षेका को कॉपी के साथ निर्णय के लिए सीधे केंद्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा.

दस्तावेजों का संग्रह:

यदि कोई हो, तो अतिरिक्त दस्तावेजों का संग्रह सुनिश्चित करना.

निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार शेष दस्तावेजों ('लागू नहीं' के अलावा) के लिए

शाखा द्वारा समय-सीमा का उल्लेख किया जा सकता है. सरल को 7 कार्य दिवसों तक मामले में उपलब्ध दस्तावेजों के साथ प्रसंस्करण / मूल्यांकन शुरू करने हैं, अन्यथा मुख्य प्रबंधक प्रस्ताव के समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए शाखा द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के साथ प्रसंस्करण शुरू करने की अनुमति दे सकते हैं. कार्य प्रकोष्ठ प्रबंधक और समन्वयक द्वारा प्रमाणित विधिवत भरी चेकलिस्ट को रिकॉर्ड में रखा जाएगा.

प्रश्न: सरल को ग्राहक से सीधे, शाखा में कॉपी के साथ प्रश्न उठाने चाहिए. इसी तरह, उच्च प्राधिकारी द्वारा सरल से सीधे प्रश्न उठाए जाने हैं. इसके अलावा, मुख्य प्रबंधक को सरल के प्रस्ताव पर उठाए गए प्रश्नों की जाँच करनी है.

वित्तीय समुचित सावधानी: वित्तीय समुचित सावधानी (बैलेंस शीट / सीएमए के अनुसार वित्तीय / गैर-वित्तीय / आकस्मिक देयता से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण) सरल द्वारा सुनिश्चित किया जाना है.

डिफाल्टर सूची: शाखा स्तर के समुचित सावधानी के साथ-साथ सिबिल(CIBIL) रिपोर्ट / चूककर्ता सूचियाँ / CRILC / ECGC SAL सूची / सावधानी सलाह / CERSAI सत्यापन, ऋण प्रसंस्करण का एक अभिन्न अंग होगा.

स्वीकृति की सलाह: स्वीकृति पत्र सरल द्वारा तैयार किया जाना है और ग्राहक को जारी किया जाना है. मंजूरी पत्र की एक प्रति भी शाखा को भेजी जानी है. ग्राहक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेजों के सेट की सॉफ्ट कॉपी सरल द्वारा शाखा को प्रदान की जाएगी. हालांकि, शाखा ग्राहक से पावती के रूप में दस्तावेज़ीकरण (दस्तावेजों के विवरण सहित) की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी.

एमएसएमई उत्पादों के लिए विपणन: सरल को अधिग्रहण इंजन के रूप में भी कार्य करना चाहिए. एमएसएमई उत्पादों के विपणन के लिए सरल में उपयुक्त संख्या में रिलेशनशिप प्रबंधक तैनात किए जाएंगे.

यूनियन बैंक में एमएसएमई के बढ़ते कदम - एक समग्र स्थिति

नेहा संघवी
वरिष्ठ प्रबंधक
एमएसएमई विभाग, केंद्रीय कार्यालय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो रोजगार सृजन, नवाचार, निर्यात और अर्थव्यवस्था की समावेशी वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमईएस) इकाइयां चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक भारत में हैं. यह क्षेत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है और 6000 से अधिक उत्पादों - पारंपरिक से लेकर हाई-टेक वस्तुओं तक के निर्माण में लगा हुआ है. भारत सरकार की एक नई शुरूवात ''मेक इन इंडिया'' को देखते हुए, एफडीआई प्रवाह में महत्वपूर्ण उछाल के साथ, भारतीय एमएसएमई क्षेत्र वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ तेजी से विकास और एकीकरण के लिए तैयार है.

आधिकारिक अनुमान के अनुसार, देश में लगभग 63.05 मिलियन सूक्ष्म उद्योग, 3.30 लाख छोटे और लगभग 5000 मध्यम उद्यम हैं.

एमएसएमई के विकास को पहचानने और सुविधा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया है. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 को एमएसएमई क्षेत्र की उन्नति और विकास के लिए नीतिगत वातावरण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था. हाल ही में एम एस एम ई की परिभाषा को 01 जुलाई, 2020 से संशोधित किया गया है. अब निवेश मापदंड के अलावा, एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर पैरामीटर का भी उपयोग किया जा रहा है. इसके अलावा, एमएसएमई में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच कोई अंतर नहीं है.

हालांकि बदली हुई परिस्थितियों में, यह जरूरी है कि इस महत्वपूर्ण कानून का जोर बाजार की सुविधा और एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने पर केंद्रित होना चाहिए. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रगतिशील विनियमन और नए बाजार बलों के

संयोजन एमएसएमई ऋण क्षेत्र को सक्रिय करने की क्षमता रखते हैं. एक डिजिटल उधार मूल्य श्रृंखला का उद्भव एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए तेजी से बदलाव और आसान पहुंच प्रदान करेगा और नए प्रकार के जोखिम-समायोजित उधार उत्पादों को मजबूती प्रदान करने के लिए नए डेटा और क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिदम का उपयोग करेगा. यह बुनियादी ढाँचा एक पैमाने पर काम करता है, आसान पहुँच प्रदान करता है और एमएसएमई को उनकी क्षमता तक पहुँचने के लिए वित्त और कौशल प्रदान करता है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में सुधार लाने की दिशा में, भारत सरकार ने "सुधार एजेंडा" (EASE) अपनाना बैंक के लिए अनिवार्य किया है. सुधार एजेंडा का उद्देश्य "एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस - EASE" है जो मोटे तौर पर छह विषयों पर आधारित है. इनमें से एक थीम एमएसएमई को समर्पित है, जो 'एमएसएमई को आसानी से वित्त पोषण' को कवर करती है. बैंक की सभी शाखाओं / कार्यालयों / व्यावसायिक इकाइयों के काम में तालमेल बिठाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि EASE एजेंडा के अनुरूप एमएसएमई की सभी ज़रूरतें समय पर पूरी हों.

एमएसएमई को ऋण दिए जाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई पहल:

बैंक के लिए एमएसएमई को ऋण प्रदान करना हमेशा से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है. 31.03.2019 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऋण पुस्तिका में, एमएसएमई ऋण रैम पोर्टफोलियो के लिए सबसे मजबूत योगदानकर्ता है.एमएसएमई क्षेत्र में लाभ संचय, खुदरा और कृषि क्षेत्र से अधिक था.

(रुपये - करोड़ में)

मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2019	मार्च 2020	मार्च 2021
61913	63371	67174	70381	123730.60

1. एमएसएमई के लिए विशिष्ट विभाग और नीति -

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व के कारण, बैंक ने एमएसएमई व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महाप्रबंधक की अध्यक्षता में केंद्रीय कार्यालय में एमएसएमई विभाग की स्थापना की है. एमएसएमई के लिए एक आदर्श पद्धति को अपनाने के लिए और सभी एमएसएमई मामलों से निपटने के लिए एक अलग दस्तावेज 'एमएसएमई नीति' तैयार की गई है. 'एमएसएमई नीति' एक औपचारिक नीति दस्तावेज है, जिसमें एमएसएमई ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक की भूमिका और दृष्टिकोण का उल्लेख है.

2. सरल (SARAL) (केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र)

SARAL की स्थापना एमएसएमई के क्रेडिट प्रवाह में तेजी लाने के लिए और बेहतर TAT के माध्यम से ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए की गई थी. बैंक में SARAL

संरचना पहले से ही अस्तित्व में थी. हालाँकि, केवल वे प्रस्ताव जो शाखा प्रत्यायोजन से ऊपर थे, उन्हें SARAL में संसाधित किया जाता था. SARAL की संरचना और दायरे की बैंक द्वारा समीक्षा की गई है और SARAL के दायरे में संशोधन किए गए हैं. शाखाओं के प्रत्यायोजन के बावजूद, ₹ 50 लाख से अधिक के सभी क्रेडिट प्रस्तावों को SARAL में संसाधित किया जाता है. SARAL, SLCC के प्रत्यायोजित प्राधिकार के तहत प्रस्तावों की प्रक्रिया और मंजूरी प्रदान की जाती है और अपनी प्रत्यायोजित शक्ति से परे प्रस्तावों का प्रसंस्करण करके सीधे संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी (आरएलसीसी / ज़ेडएलसीसी / केंद्रीय कार्यालय के सीएसी) के पास मंजूरी के लिए भेजे जाते हैं. क्रेडिट प्रस्तावों को प्रसंस्करण और मंजूरी के साथ-साथ SARAL को बिजनेस लीड के लिए अधिग्रहण इंजन भी बनाया गया है.

सरल (SARAL) लाइट का परिचय -

मौजूदा सरल (SARALs) के अलावा, सरल लाइट मॉडल को कुछ क्षेत्रों में खोला गया है. सभी क्रेडिट प्रस्ताव (नये / संवर्द्धन / समीक्षा / नवीनीकरण) जिसमें पुनर्गठन / संशोधन / तदर्थ शामिल हैं - क्षेत्र की सभी शाखाओं के लिए शाखा प्रत्यायोजन से परे या ₹ 10 लाख से अधिक के प्रस्तावों को सरल लाइट से प्रसंस्करण किया जाना है और मंजूरी के लिए संबंधित प्रतिनिधि (SLCC - II और इसके ऊपर) अनुमोदन प्राधिकारी के लिए भेज देना है. एमएसएमई की सेवा के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में (35 SARAL लाइट्स + 59 SARALs) हैं.

3. यूनियन समृद्धि केंद्र (USK)

यूनियन और अर्ध शहरी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने हब और स्पोक मॉडल को शुरू करके RUSU (ग्रामीण और अर्ध शहरी) के लिए नया ऑपरेटिंग मॉडल लागू किया है, जहां 'हब' एक केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल और RUSU शाखाओं की मैपिंग "स्पोक" से की गई है. यूएसके RUSU क्षेत्रों में सभी रैम [RAM - रिटेल (खुदरा), एग्रीकल्चर (कृषि) और एमएसएमई] सेक्टर अग्रिमों को संसाधित कर रहे हैं. USK से लिंक किए गए आरडीओ को पूरी तरह डिजिटल प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध है, जो उधारकर्ताओं के डेटा को टैबलेट (Tablet) के माध्यम से कैप्चर करता है और फिर इसे सीधे प्रसंस्करण के लिए यूएसके में स्थानांतरित कर देता है.

4. Psbloansin59minutes

हमारे बैंक ने "www.psbloansin59minutes.com" की सदस्यता ली है. यह एक लीड जनरेशन टूल है, जो संपर्क रहित ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म की सुविधा देता है. उपर्युक्त पोर्टल सिडबी के नेतृत्व वाली पीएसबी संकाय की एक कार्यनीतिक पहल है,

जो वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में विकसित की गई है. पोर्टल ऋण प्रसंस्करण के लिए एक नया मानदंड निर्धारित कर रहा है और सिद्धांत रुप से अनुमोदन के लिए टर्नअराउंड समय को 20 - 25 दिन से 59 मिनट तक कम करता है. पोर्टल-www.psbloansin59minutes.com (मार्केट स्थल) / www.psbloansin59minutes.com/unionbank (बैंक विशिष्ट यूआरएल) जीएसटी, आयकर, बैंकों के स्टेटमेंट एनालाइज़र, सिबिल, CGTMSE, एमसीए, आदि से कई चैनलों / मल्टी डेटा पॉइंट्स के एकीकरण की परिकल्पना करता है. बाद में एक निर्दिष्ट भुगतान गेटवे, एल्गोरिथ्म (विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर) और कोर सिस्टम के माध्यम से निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन "सिद्धांत अनुमोदन" उत्पन्न करता है. पोर्टल का उपयोग अधिकतम ₹ 5 करोड़ ऋण राशि के लिए किया जा सकता है.

हमारा बैंक हमेशा इस पोर्टल के माध्यम से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों में से एक रहा है. जीएसटी और आईटी रिटर्न के बिना असंगठित क्षेत्रों से माइक्रो लीड के द्वारा मुद्रा ऋणों को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है. बैंक इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई को अपनी प्रमुख योजनाएं भी प्रदान करता है.

5. एमएसएमई ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा -

बैंक की कॉरपोरेट वेबसाइट पर ₹ 2 करोड़ तक के ऋण के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. यह पोर्टल आवेदक द्वारा वांछित ऋण की मंजूरी से संबंधित नियमित अपडेट प्राप्त करने और आवेदन को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है. (https://eremit.unionbankofindia.co.in/ubilas/lasdetails.aspx)

इसके अलावा, सीधे तौर पर प्रोसेसिंग (Straight Through Processing) और मुद्रा एप्लीकेशन जैसी सुविधाएं ''यू-मोबाइल'' ऐप पर शुरु की गई है, जिससे ऋण देने के दौरान एमएसएमई ग्राहकों को किसी भी तरह की देरी और असुविधा से बचाया जा सके.

6. ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)

TREDS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो एमएसएमई को अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को फाइनेंस (बिना सहायता के) करवाने में मदद करता है. इस प्लेटफॉर्म पर कई वित्तपोषक प्रतिस्पर्धी दर पर नीलामी प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कॉरपोरेट खरीदारों द्वारा स्वीकार किए गए चालानों पर बोली लगाते हैं. TReDS एमएसएमई को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर अपने प्राप्य को पोस्ट करने और उन्हें ऑनलाइन बोली लगाने के अनुसार प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्तपोषित करने की अनुमति देता

है. यह न केवल उन्हें सुनिश्चित वित्त तक पहुंच प्रदान करेगा, बल्कि समय पर अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कॉर्पोरेट्स पर अधिक अनुशासन भी रखेगा. रसीदों की फैक्टरिंग के उद्देश्य से एमएसएमई विक्रेता या कॉर्पोरेट खरीदार द्वारा TReDS प्लेटफॉर्म को कोई सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, जब चालान TReDS प्लेटफ़ॉर्म पर वित्तपोषित होते हैं, तो चालान से संबंधित प्राप्तियां बैंक के पक्ष में सौंपी जाती हैं. यह सरसाई के साथ भी पंजीकृत है. एमएसएमई क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिए, TReDS के माध्यम से होने वाले लेनदेन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वर्गीकृत होने के पात्र होंगे. बैंक ने तीन TReDS फिनटेक कंपनियों के साथ संचालन हेतु समझौता किया है - rxil.com, invoicemart.com और M1xchange.com.

एमएसएमई विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में एक TReDS सेल स्थापित है जो कि अब लार्ज कॉरपोरेट वर्टिकल का भाग है. हमारे बैंक ने मार्च 2018 से आरएक्सआईएल प्लेटफॉर्म पर और अगस्त 2018 से इनवॉयस मार्ट प्लेटफॉर्म पर और बाद में मार्च 2019 से एम-1 एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर बोली लगाना शुरू किया था. तीन प्लेटफार्मों के संयोजन में 31 मार्च, 2020 तक बैंक ने लगभग 1151 रुपये की राशि के लगभग 7625 चालान छूट दिए हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंकों के बीच TReDS पोर्टफोलियो में दूसरे स्थान पर है.

7. बाहरी बेंचमार्क उधार दर (EBLR)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 01.10.2019 से सभी नए फ्लोटिंग रेट पर्सनल या रिटेल ऋण (हाउसिंग, ऑटो, आदि) और सूक्ष्म एवं छोटी इकाइयों के फ़्लोटिंग रेट वाले ऋण को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने के लिए निर्देशित किया है. हमारे बैंक ने पॉलिसी दर में कटौती के प्रसारण के लिए सभी एमएसई(MSE) ऋणों के लिए लागू बैंक के ईबीएलआर(EBLR) के निर्धारण के लिए बाहरी बेंचमार्क के रूप में रेपो दर को अपनाया है. आरबीआई ने ईबीएलआर(EBLR) के लिए विभिन्न आंतरिक बेंचमार्क से जुड़े मौजूदा ऋणों के स्विचओवर की अनुमति दी है. ईबीएलआर अब 01.04.2020 से मध्यम उद्योगों पर भी लागू है. इसके साथ ही, बाह्य क्रेडिट रेटिंग के लिए सीमा ₹ 5.00 करोड़ से अधिक से बढ़ाकर ₹ 25.00 करोड़ कर दी गई है. इस संशोधन से कई एमएसएमई लाभान्वित होंगे क्योंकि बाहरी रेटिंग में एक बड़ी लागत शामिल है जो कि छोटे एमएसएमई के लिए एक अतिरिक्त बोझ है.

8. एमएसएमई के लिए विशिष्ट शाखाएँ:

बैंक ने 259 बिज़नेस बैंकिंग शाखाओं और 65 एमएसएमई फोकस्ड शाखाओं (MFB) की पहचान की है, जो एमएसएमई सेक्टर को वित्त और अन्य सेवाओं के विस्तार पर

विशेष ध्यान देती हैं और अन्य क्षेत्रों / उधारकर्ताओं को वित्त / अन्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए इन शाखाओं को परिचालित करने के लिए लचीलापन प्राप्त है. इन शाखाओं के अलावा, मध्य कॉर्पोरेट शाखाएं ₹ 20 करोड़ से अधिक और ₹ 50 करोड़ तक क्रेडिट सीमा के साथ नए एमएसएमई कनेक्शनों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी.

एमएसएमई विभाग, योजनाओं का विकास एवं अधिक ऋण देने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने तथा नई योजनाओं को शुरू करने या शाखाओं / कार्यालयों की प्रतिक्रिया के आधार पर मौजूदा योजनाओं को संशोधित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है. 01 अप्रैल, 2020 से आंध्रा बैंक और कार्पोरेशन बैंक के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अग्रणी बैंक) के समामेलन के उपरांत बैंक में कुल 18 एमएसएमई योजनाएं हैं.

i. **यूनियन एमएसएमई सुविधा -** संरचना की परवाह किए बिना ट्रेडिंग/मैन्यूफैक्चरिंग/ सर्विसिंग गतिविधि में लगे सभी एमएसएमई सेगमेंट को अपने व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक व्यापक योजना.

ii. **यूनियन अलंकार योजना -** रत्न, आभूषण और हीरा क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए ऋण देने संबंधी विशिष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं.

iii. **यूनियन ई-वे बिल सॉल्यूशन -** मौजूदा ग्राहकों के ई-वे बिल के मानक बिल और मौजूदा सीमा की उप सीमा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया. यह योजना इस प्रणाली के माध्यम से बिलों के सत्यापन पर ब्याज की एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी दर प्रदान करती है.

iv. **यूनियन स्टैंडबाई लेटर ऑफ क्रेडिट -** रसीदों आदि के विलंबित बोध से उत्पन्न होने वाले एमएसएमई के लिए अस्थायी तरलता बेमेल से निपटने के लिए मांग ऋण का प्रावधान.

v. **यूनियन प्रोफेशनल -** एक समर्पित योजना जो वकील, डॉक्टर जैसे पेशेवरों को परिसर की स्थापना/नवीनीकरण आदि के लिए ऋण जुटाने में सक्षम बनाती है.

9. नियमित क्रेडिट अभियान:

एमएसएमई पोर्टफोलियों में वृद्धि के लिए नियमित अभियान आयोजित किए जाते हैं, जिसमें विशिष्ट एमएसएमई योजनाओं का चयन किया जाता है. इस तरह के अभियानों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों और अंचल कार्यालयों को लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं.

10. क्लस्टर स्कीम:

संपूर्ण भारत में 28 उच्च विकास क्षमता वाले समूहों की पहचान की गई है, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त एमएसएमई से संबंधित पुरस्कार

बैंक को एमएसएमई के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

- फरवरी 2019 में भारत सरकार से पीएसबी रिफॉर्म एजेंडा ऑन एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE) के तहत 'उद्यमी मित्र फॉर एमएसएमई' में विजेता.
- अक्टूबर 2018 में ASSOCHAM द्वारा 'बेस्ट एसएमई ऑफरिंग' में विजेता.
- मार्च 2019 में बेंगलूरु क्लस्टर के लिए SKOCH "SME Enablement Cluster" और SARAL बेंगलूरु के लिए SKOCH "SME Enablement Branch" प्राप्त हुए हैं.
- जून 2019 में "Leadership in MSME" के लिए SKOCH अवार्ड.
- जनवरी 2020 में एसोचैम सातवें राष्ट्रीय एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 'सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक' के रूप में सम्मानित किया है.

एम एस एम ई (MSME) - लघु उद्योगों के लिए सरकार का वेब पोर्टल क्या है?

पंकज कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक
एमएसएमई विभाग, केंद्रीय कार्यालय

भारत में बिज़नेस (व्यापार या लघु उद्योग) अनौपचारिक माहौल में किया जाता है. यहाँ ज़्यादातर लोग अपने बिज़नेस को पंजीकृत भी नहीं करवाते हैं. यहाँ बिज़नेस करने की भरपूर क्षमता होने के बाद भी सर्विस (नौकरी) को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है. भारत एक युवा शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है. युवा को रोज़गार चाहिए जिससे वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके.

ऐसे में भारत में छोटे व्यापार या लघु उद्योग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है जिससे रोज़गार के अवसर पैदा हो सकें. बिज़नेस को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए भारत सरकार युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है, जो नौकरी करने की तुलना में बेहतर विकल्प साबित होगा. इससे रोज़गार के अवसर भी विकसित होंगे. इसके लिए नया बिज़नेस (व्यापार या लघु उद्योग) शुरू करने के इच्छुक लोगों को एमएसएमई (MSME) प्लेटफार्म के माध्यम से कई योजनाओं के द्वारा सहायता और लाभ प्रदान किये जा रहे हैं.

एमएसएमई (MSME)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (Micro, Small & Medium Enterprises) का लक्ष्य नई स्वदेशी प्रौद्योगिकी (तकनीक) को प्राथमिक स्तर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है. इस नई वेबसाइट को लांच करते समय केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने कहा "यह पोर्टल विशेष रूप से भारतीय एमएसएमई (MSME) को समर्पित है, हमारी लागत कम है इसलिये एनएसआईसी (NSIC) अपने वेब-स्टोर को विकसित करने में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा और प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले (दिखाने) करने के लिए अलग-अलग जगह देगा. उन्होंने इस पोर्टल के बारे में लोगों को शिक्षित करने की महत्ता को समझाया और बताया कि इस प्लेटफार्म पर बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्ट एमएसएमई (MSME) से जाएंगे.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (Micro, Small & Medium Enterprises): यह 1955 में स्थापित किया गया था. छोटी इंडस्ट्री (लघु उद्योग) और उनसे संबंधित सेवाओं को सुधार कर सरकार ने एक कम लागत वाले प्लेटफॉर्म को बनाया है, जिससे उद्योगपति सीधे अपने उपस्कर और मशीनरी ऑनलाइन सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में सक्षम होंगे. www.msmeshopping.comDeewj ecommerce platform नए व्यापारी या उद्यमी के लिए आशा की एक नई किरण है.

स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रियलिस्ट (छोटे उद्योगपति) अक्सर पूँजी की कमी, वित्त, तकनीक की कमी, लिमिटेड प्रोडक्शन की क्षमता जैसी परेशानियों का सामना करते रहते हैं, इसलिए यहाँ एमएसएमई (MSME) की भूमिका बहुत बढ़ जाती है. जैसे एमएसएमई (MSME) राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाता है वैसे ही यह स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रियलिस्ट (लघु उद्यमियों) को भी अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है.

इसका वार्षिक पंजीकरण शुल्क 5,000 रूपये है, एक बार पंजीकरण करवाने के बाद आप नीचे लिखे लाभ इस पोर्टल से उठा सकते हैं.

- ऑनलाइन पंजीकरण
- वेब स्टोर मैनेजमेंट
- स्टाइल प्रोडक्ट सेक्शन
- मल्टी प्रोडक्ट कार्ट
- ऑनलाइन पर्चेसिंग (खरीदारी) और सैलिंग (बिक्री)
- कस्टमर सपोर्ट (सहायता)
- पेमेंट गेटवे
- सिक्योरिटी फीचर्स

उपर्युक्त सारी सुविधाएँ बिना किसी अतिरिक्त व्यय के उपलब्ध हैं. जब एक बार विक्रेता सामान बेचने वाला व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट (छोटा उद्योगपति). फ्लैट वार्षिक भुगतान करके साइन अप करता है, तो वह यहाँ बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के अपने प्रोडक्ट बेच सकता है. इस प्लेटफार्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स, किताबें, कपड़े, हेल्थ प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी, मशीनरी आदि उपलब्ध होते हैं.

यह नए विक्रेता(सेलर) की कैसे मदद करता है:-

डॉ. एच. पी. कुमार जो एन एस आई सी (NSIC) के सीएमडी हैं, उन्होंने कहा "जो ऑनलाइन बिक्री में अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं, यह उन विक्रेताओं (सेलर), कारीगरों, महिलाओं, उद्योगपतियों के लिए आदर्श टूल है. एक ही छत के नीचे यानि इसी प्लेटफार्म पर प्रोडक्ट सेलिंग (बिक्री), पर्चेसिंग (खरीद), बिज़नेस डेवलपमेन्ट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेन्ट सभी

यहाँ सीख सकते हैं. इसके लिए केवल आपको ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा. एन एस आई सी आपको वेब स्टोर डेवलप करने के लिए हर तरह की मदद करेगा. आपके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए अलग-अलग जगह देगा. हम पैसे और प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल होने से बचाने के लिए कैश ऑन डिलीवरी पर अधिक ध्यान देते हैं जिससे पैसा सीधे विक्रेता(सेलर) के पास पहुंचे.

अभी तक सैकड़ों सप्लायर्स अपने हज़ारों प्रोडक्ट के साथ बोर्ड पर आ चुके हैं, अच्छी मार्केटिंग और प्रमोशन के बाद एमएसएमई (MSME) एक बढ़िया ऑप्शन बनकर सामने आया है. यह उन रिटेलर को अट्रैक्ट (आकर्षित) करेगा, जो पहले ही दूसरे ecommerce प्लेटफार्म पर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं.

इस संबंध में प्रधानमंत्री ने 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं:

- एमएसएमई को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 59 मिनट का लोन पोर्टल
- सीपीएसई को एमएसएमई से 25 प्रतिशत की खरीदारी करना अनिवार्य होगा
- कंपनी अधिनियम के तहत छोटे आर्थिक अपराधों से जुड़ी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए अध्यादेश

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे देश भर में एमएसएमई के विकास और विस्तार के साथ-साथ उन्हें सहूलियतें देने में मदद मिलेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह जिन 12 निर्णयों की घोषणा कर रहे हैं, वे एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय साबित होंगे. प्रधानमंत्री ने यह बात रेखांकित की कि एमएसएमई भारत के प्रमुख रोजगारदाताओं में से एक है. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लुधियाना की होजरी और वाराणसी की साड़ियों सहित लघु उद्योगों की गौरवशाली भारतीय परम्पराओं का स्मरण किया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधारों की सफलता को 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में भारत द्वारा लगाई गई ऊंची छलांग में देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस सूचकांक में भारत चार वर्षों में 142वें पायदान से ऊपर चढ़कर 77वें पायदान पर पहुंच गया है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की सहूलियत से जुड़े पांच महत्वपूर्ण पहलू हैं. इनमें ऋणों तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, तकनीकी उन्नयन, कारोबार में सुगमता और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भावना शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इस सेक्टर को दीपावली के उपहार के रूप में वह 12 घोषणाएं कर रहे हैं, जिनसे इन पांचों पहलुओं में से प्रत्येक का निदान निकल आएगा.

ऋणों तक पहुंच

प्रथम घोषणा के रूप में प्रधानमंत्री ने एमएसएमई को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 59 मिनट के लोन पोर्टल का शुभारंभ करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के ऋणों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि जीएसटी पोर्टल के जरिए इस पोर्टल का एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा. प्रधानमंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि 'नये भारत' में किसी को भी बार-बार बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

प्रधानमंत्री ने दूसरी घोषणा के रूप में सभी जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का उल्लेख किया. शिपमेंट से पूर्व और शिपमेंट के बाद की अवधि में ऋण लेने वाले निर्यातकों के लिए प्रधानमंत्री ने ब्याज की छूट तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की घोषणा की.

प्रधानमंत्री की तीसरी घोषणा यह थी कि पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अब आवश्यक रूप से व्यापार प्राप्तियां ई-डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) पोर्टल में शामिल किया जाए. उन्होंने कहा कि इस घोषणा में शामिल होने से उद्यमी अपनी आगामी प्राप्तियों के आधार पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे. इससे उनके नकदी चक्र की समस्याएं हल हो जाएंगी.

बाजारों तक पहुंच

प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्यमियों की बाजार तक पहुंच के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही अनेक कदम उठाए हैं. इस संदर्भ में उन्होंने चौथी घोषणा यह की कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां को अब 20 प्रतिशत की बजाय अपनी कुल खरीदारी की 25 प्रतिशत खरीदारी एमएसएमई से करने के लिए कहा गया है.

प्रधानमंत्री की पांचवीं घोषणा महिला उद्यमियों से संबंधित है. उन्होंने कहा कि एमएसएमई से की गई आवश्यक 25 प्रतिशत खरीदारी में से 3 प्रतिशत खरीदारी अब महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित की गई हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि डेढ़ लाख से अधिक आपूर्तिकर्ता अब Goverment eMartketplace(जीईएम) के साथ पंजीकृत हैं, इनमें से 40 हजार एमएसएमई हैं. उन्होंने कहा जीईएम के माध्यम से अभी तक ₹ 14,000 करोड़ से भी अधिक मूल्य का लेनदेन हुआ है. उन्होंने छठी घोषणा यह की है कि केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब आवश्यक रूप से जीईएम का हिस्सा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सभी विक्रेताओं को जीईएम से पंजीकृत कराना चाहिए.

प्रौद्योगिकी उन्नयन

प्रौद्योगिकी उन्नयन के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में स्थित टूल रूम्स अब उत्पाद डिजाइन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं. उनकी सातवीं घोषणा यह थी कि पूरे देश में 22 केंद्र बनाए जाएंगे और टूल रूम के रूप में 100 स्पोक्स स्थापित किए जाएंगे.

कारोबार में सुगमता

कारोबार की सुगमता के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी 8वीं घोषणा फार्मा कंपनियों के बारे में है. उन्होंने कहा कि फार्मा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए क्लस्टर बनाये जायेंगे. उन्होंने कहा कि इन क्लस्टर के निर्माण की लागत का 70 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि 9वीं घोषणा सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में है. उन्होंने कहा कि 9वीं घोषणा यह है कि आठ श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत रिटर्न अब साल में एक ही बार फाइल किये जायेंगे.

प्रधानमंत्री ने कहा कि 10वीं घोषणा यह है कि अब प्रतिष्ठानों का निरीक्षक द्वारा किये जाने वाला दौरा कंप्यूटर आधारित औचक आवंटन के जरिये तय किया जायेगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इकाई स्थापित करने के संबंध में उद्यमियों को दो क्लीयरेंस की जरूरत होती है- पर्यावरण क्लीयरेंस और इकाई स्थापित करने की रजामंदी. उन्होंने कहा कि 11वीं घोषणा यह है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियमों के तहत इन दोनों क्लीयरेंस को एकल अनुमति में समाविष्ट कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि रिटर्न, स्व-प्रमाणीकरण के जरिये स्वीकार किया जायेगा.

12वीं घोषणा के रूप में प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि एक अध्यादेश लाया गया है, जिसके तहत कंपनी अधिनियम के संबंध में मामूली उल्लंघनों के लिए उद्यमी को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. उन्हें आसान प्रक्रियाओं के तहत दुरुस्त कर लिया जायेगा.

एमएसएमई सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा

प्रधानमंत्री ने एमएसएमई के सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का भी उल्लेख किया है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन शुरू किया जायेगा जिससे कि उन्हें जन-धन खाता, भविष्य निधि और बीमा उपलब्ध हो.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से भारत में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने में सहायता होगी. उन्होंने कहा कि अगले 100 दिनों के दौरान इस आउटरीच कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गहन निगरानी की जायेगी.

केंद्र सरकार जल्द ही दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, फ्लिपकार्ट और अमेजन की तर्ज पर 'भारतक्राफ्ट' पोर्टल को शुरू करने जा रही है, जिससे छोटे उद्योगों को अपने उत्पाद देश भर में बेचने की सुविधा मिलेगी. इस पोर्टल के जरिए दो-तीन साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आने की उम्मीद है. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी. गडकरी ने कहा भारतक्राफ्ट पोर्टल एमएसएमई कंपनियों को बाजार उपलब्ध कराएगा और अपने उत्पादों को बेचने में मदद करेगा.

एमएसएमई को मिलेगा बढ़ावा

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 'इमर्ज' मंच पर 200वीं एमएसएमई कंपनी 'वंडर फाइबरोमेट्स' के सूचीबद्ध होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं. यह क्षेत्र वर्तमान में विनिर्माण में करीब 29 फीसदी और निर्यात में 40 फीसदी का योगदान करता है."

पांच करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी

एमएसएमई क्षेत्र में अगले पांच साल में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की क्षमता है. सरकार ने अगले पांच साल में विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के योगदान को 50 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है.

भुगतान करना बड़ी समस्या

एमएसएमई के लिए भुगतान हमेशा से एक समस्या रही है क्योंकि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों छोटी एवं मझोली कंपनियों का बकाया चुकाने में देरी करती हैं. इस पहलू का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी. सरकार एमएसएमई क्षेत्र के भुगतान में तेजी लाने के लिए कानूनी ढांचा बनाने पर विचार कर रही है. बिलों के भुगतान में देरी होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा.

गडकरी ने कहा कि सरकार एमएसएमई को निर्यात की दिशा में अधिक योगदान करने, आर्थिक वृद्धि में योगदान बढ़ाने और रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी. एमएसएमई क्षेत्र को मुख्यधारा में आने और पूंजी जुटाने के लिए एनएसई मंच का लाभ उठाने की जरूरत है.

एमएसएमई ऋण के क्षेत्र में psbloansin59minutes.com की भूमिका

विशाल तानाजी यादव
प्रबंधक
एमएसएमई विभाग, केंद्रीय कार्यालय

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने "अनुशील एवं उत्तरदायी पीएसबी के लिए सुधार कार्यसूची" प्रदान की है. कार्यसूची में से एक कार्य-सूची एमएसएमई उधारकर्ताओं को "EASE - Enhanced Access and Service Excellence" प्रदान करके एमएसएमई के ऋण सुपुर्दगी का डिजिटलाईजेशन है.

भारत सरकार ने दिनांक 25 सितंबर, 2018 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति से www.psbloansin59minutes.com पोर्टल के लॉन्च के बारे में सूचित किया है. वेब पोर्टल www.psbloansin59minutes.com (बाजार स्थान) / www.psbloansin59minutes.com/unionbank (बैंकों के विशिष्ट यूआरएल) एमएसएमई ऋण के लिए सैद्धान्तिक रुप से अनुमोदन प्रदान करने में सहायता करेगा. यह पोर्टल ऋण प्रसंस्करण में नया बेंचमार्क स्थापित करता है और यह सैद्धान्तिक रुप से अनुमोदन के समय को 20-25 दिन से घटाकर 59 मिनट कर देता है. यह पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में नामित सिडबी के नेतृत्व वाली पीएसबी सहायता संघ की एक कार्यनीतिक पहल है.

यह प्लेटफार्म विशिष्ट पेमेन्ट गेटवे और सिडबी के कोर सिस्टम में अपने पूर्व-अनुमोदन चरण में जीएसटी, आयकर, बैंक स्टेटमेंट ऐनलाईज़र, सीआईबीआईएल, सीजीटीएमएसई, एमसीए आदि जैसे बहुत से चैनलों/बहु पॉइन्ट के एकीकरण को परिकल्पित करके मौजूदा एमएसएमई को ऋण का अनुमोदन प्रदान कर सकता है. वर्तमान में पोर्टल जीएसटीएन/आयकर की तरफ से डाटा का प्रयोग करता है और अल्गोरिदम (विश्लेषण करने का सॉफ्टवेअर) के आधार पर निर्धारित मानदंड को पूरा करने के विचाराधीन "सैद्धांतिक रुप से अनुमोदन" का उत्पादन करेगा.

हमारे बैंक में प्रकिया प्रवाह:-

सूचना परिपत्र क्र.4528-2018 दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से psbloansin59minutes.com/unionbank के "usage of psbloansin59minutes.com" के रुप में लीड जनरेशन साधन जारी किया गया है. नए/मौजूदा ग्राहक www.psbloansin59minutes.com या www.psbloansin59minutes.com/unionbank पोर्टल के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और सैद्धान्तिक रुप से अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल से सैद्धान्तिक रुप से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, संपूर्ण मूल्यांकन और मंजूरी के लिए शेष दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए ग्राहक संबंधित बैंक शाखा को संपर्क कर सकता है.

उत्पाद की प्रगति, प्रक्रिया प्रवाह तथा प्लेटफार्म संबंधी विस्तृत जानकारी:-

(क) **सैद्धान्तिक रुप से ऑनलाइन अनुमोदन:** संपर्कहीन ऋण प्रक्रिया बैंक के हस्तक्षेप के बिना ऑनलाइन सैद्धान्तिक रुप से अनुमोदन प्रदान करती है. यह सिस्टम व्यक्तिगत बैंक की पॉलिसी और मापदंड के आधार पर सैद्धान्तिक रुप से अनुमोदन के लिए बनाया गया है. यह सिस्टम ऋण मूल्यांकन के सैद्धान्तिक रुप से अनुमोदन तक ग्राहकों के पूर्ण डिजिटलाइज सत्यापन (केवाईसी एवं समुचित सावधानी दोनों) की परिकल्पना करता है.

(ख) **ऋण की सीमा:** ऋण की सीमा ₹ 1.00 लाख से ₹ 500.00 लाख है, जो कि आवेदक की पात्रता के अनुसार होगी. यदि किसी व्यक्ति की पात्रता पोर्टल में दी गयी सीमा से अधिक है तो उसे उसकी पात्रता के अनुसार ऋण दिया जाएगा.

(ग) **सैद्धान्तिक रुप से अनुमोदन के लिए डाटा पॉइन्ट:** सिस्टम बहु डाटा पॉइन्ट लेता है, जो कि डिजिटल रुप से अधिप्रमाणित होते हैं. यह सिस्टम कई बहु एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) से जुड़ा होता है, जिससे तत्काल डाटा प्रसंस्करण होता है. इसमें जीएसटी वेबसाइट, आयकर वेबसाइट, बैंक स्टेटमेन्ट (संरचित प्रारुप में अपलोड की जाने वाली), बाह्य वाणिज्यिक ब्यूरो रिपोर्ट और चरणों में अंतिम रुप दिए जाने वाले बहु अन्य इनपुट डाटा से डाटा लिया जाता है.

(घ) **विश्लेषण में निम्नलिखित का समावेश होता है:**

i. यह सिस्टम ग्राहक के पुराने जीएसटी ट्रेक रिकॉर्ड का विश्लेषण करता है.

ii. यह सिस्टम आईटीआर से बहु डाटा पॉइन्ट लेता है तथा यह तुलनपत्र और आय विवरण के मुख्य डाटा पॉइन्ट को ज्ञात करने के लिए विश्लेषण करता है. इन डाटा पॉइन्ट में भावी उधारकर्ता परिचालन लाभ, कार्यशील पूँजी, निवल

मूल्य, देयताएँ, ऋण इक्विटी अनुपात, नकद प्रवाह विश्लेषण आदि का समावेश होता है.

iii. यह सिस्टम उधारकर्ता के बैंक स्टेटमेन्ट के पिछले 6 महीनों के डाटा पॉइन्ट लेता है. बहु विश्लेषण बैंक स्टेटमेन्ट से किया जाता है, जिसमें स्टेटमेन्ट की प्रमाणिकता, रसीद बनाम विक्रय (जीएसटी के अनुसार), बहिर्गमन बनाम क्रय, ईएमआई, नकारे गए चेक, बनाए रखे गए शेष आदि का समावेश होता है.

iv. यह सिस्टम वाणिज्यिक तथा व्यक्तिगत ब्यूरो रिपोर्ट की जाँच करता है. यह बकाया ऋण मूल्य, भुगतान का पिछला ब्यौरा, यदि कोई चूक हो तो, ऋण अवधि की सीमा आदि पर विचार करता है.

पात्रता निर्धारण के साथ अंतर्निहित स्कोरिंग/रेटिंग मॉडल वाले प्रस्ताव का डिजिटल मूल्यांकन:-

i. इस पोर्टल में एक अंतर्निहित स्कोरिंग मॉडल होता है जो कि बहु डाटा पॉइन्ट जैसे स्कोरिंग के लिए वित्तीय, कारोबार तथा प्रबंधन जोखिम को लेता है, जिसे अल्गोरिदम का प्रयोग करके किया जाता है.

ii. इस पोर्टल में पात्रता मॉडल अंतर्निहित है. यह प्राथमिक रुप से इस मॉडल में नकदी प्रवाह के साथ विभिन्न जोखिम मापदंड पर आधारित है. इससे मूल्य की गणना स्वयं की जाती है.

ग्राहक www.psbloansin59minutes.com या www.psbloansin59minutes.com/unionbank के पोर्टल में लॉगिन करेंगे और अपनी जानकारी भरेंगे. पोर्टल लॉगिन किए हुए ग्राहक से जीएसटी/आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध उनकी साख संबंधी जानकारी तक पहुँच के लिए उनसे अनुमति माँगेगा. ग्राहक स्वयं जीएसटीएन नेटवर्क और आयकर नेटवर्क पर नामित साख संबंधी जानकारी (बैंक/पोर्टल से इसे साझा किए बिना) की प्रविष्टि करेंगे जो कि पोर्टल को उधारदात्री संस्थाओं से बिना किसी हस्तक्षेप के एपीआई इंटरफेस के माध्यम से विभिन्न पोर्टल से ग्राहक के डाटा तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा. www.psbloansin59minutes.com पोर्टल से आवेदन करने पर, ग्राहक से ऋण के अंतिम अनुमोदन के सफल होने का विचार किए बिना एक निर्धारित राशि (₹ 1500/-+ जीएसटी लगभग पोर्टल के अनुसार परिवर्तन के अधीन है) प्रभारित की जाएगी. यदि ग्राहक बैंक के विशिष्ट यूआरएल www.psbloansin59minutes.com/unionbankmes लॉगिन करते हैं, तो ग्राहक को कोई प्रभार नहीं देना होगा. इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण प्रभार का कुछ प्रतिशत, ऋण के अनुमोदित होने पर ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा. ये प्रसंस्करण प्रभार आगे के प्रसंस्करण और अनुमोदन की स्थिति में प्रभार के बैंक की अनुसूची के अतिरिक्त होंगे.

ग्राहक पोर्टल पर आवेदन करें और पोर्टल से ओटीपी प्राप्त होने के बाद उन्हें जीएसटी वेबसाइट पर ले जाया जाएगा (जीएसटी से संबंधित जानकारी प्रदान करें)
⬇
ग्राहक को आयकर वेबसाइट पर ले जाया जाएगा. आईटीआर से संबंधित 3 वर्ष का आईटीआर रिटर्न प्रदान कीजिए. (आईटीआर 3/4/5/6 आदि)
⬇
बैंकिग प्रदान करें अर्थात चालू खाते की जानकारी या तो बैंक स्टेटमेन्ट अपने हाथों से अपलोड कर सकते हैं या नेट बैंकिग का प्रयोग कर सकते हैं.
⬇
तुलनपत्र को अपलोड करना बशर्ते तुलनपत्र को पोर्टल की माँग के अनुसार पुनर्व्यवस्थित या अनुकूल किया गया हो.
⬇
शेष ऋण संबंधित आवश्यकताओं में व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्मतिथि, पैन, निवल मालियत आदि भरें.
⬇
आपके प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए बैंक का चयन कीजिए. केवल एक ऋण प्रस्ताव ही चुना जा सकता है.
⬇
भुगतान का माध्यम चुनिए. आपके पंजीकृत मेल पर सैद्धांतिक रुप से पत्र प्राप्त करने के लिए विशिष्ट भुगतान माध्यम का चयन करके एकबारगी शुल्क का भुगतान करें.

हितबद्ध उधारकर्ता पोर्टल में से किसी पोर्टल से निर्मित सैद्धांतिक रुप से अनुमोदन के साथ संबंधित शाखा को संपर्क कर सकते हैं. इस प्रकार निर्मित सैद्धांतिक रुप से अनुमोदन ग्राहक को चयनित शाखा से संपर्क करने और औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश देंगे.

शाखाएँ www.psbloansin59minutes.com/SIDBI पोर्टल से ऋण मूल्यांकन ज्ञापन (सीएएम), बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण, आईटी पोर्टल द्वारा उत्पन्न वित्तीयन, संस्था तथा प्रवर्तक की सीआईबीआईएल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकती हैं और उनके रिकॉर्ड रख सकती हैं.

यह पोर्टल केवल बैंक से ऋण की सुविधा का लाभ उठाने के लिए सुलभकर्ता/

ऑनलाइन प्लेटफार्म के रुप में काम करता है और स्वयं पर या बैंक की तरफ से किसी ऋण की गारंटी नहीं देता है. इसके बाद परिभाषित प्रत्यायोजन के अनुसार हमारे बैंक के मौजूदा मानदंड के अनुरुप ऋण को संसाधित किया जाना चाहिए तथा रेटिंग की जानी चाहिए. एलएएस में लॉगिन करने के बाद उसके होमपेज पर एलएएस-एमएसएमई लीड में एपीआई इंटरफेस के माध्यम से ऋण भी दिखाया जाएगा.

हमारे बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार शाखाओं/कार्यालयों को ऋण प्रस्तावों का स्वतंत्र मूल्यांकन, समुचित सावधानी के साथ निर्धारण, अनुमोदन-पूर्व निरीक्षण, क्रेडिट रिपोर्ट, कोई अन्य अनुमोदन-पूर्व औपचारिकताओं का सख्ती से संचालन करना है. कीमत निर्धारण सैद्धांतिक रुप से अनुमोदन से भिन्न हो सकता है और बैंक द्वारा की गई आंतरिक रेटिंग के अनुसार लागू होगा.

वे सभी उधारकर्ता जिन्होंने पोर्टल के माध्यम से नए ऋण के लिए आवेदन किया है और पोर्टल से निर्मित सैद्धांतिक रुप से अनुमोदन पत्र प्राप्त किया है, वे हमारे बैंक के मानदंड के अनुसार अंतिम/पूर्ण मूल्यांकन के लिए शाखाओं से संपर्क करेंगे.

मंजूरी प्राधिकारी द्वारा एक बार निर्णय लिए जाने पर (मंजूर/अस्वीकार में से किसी भी स्थिति में) शाखाओं को psbloansin59minutes पोर्टल पर प्रस्ताव की स्थिति को अपडेट करना है.

साथ ही, पोर्टल के माध्यम से ऋण के नवीकरण की स्थिति में, पोर्टल पर उधारकर्ता पंजीकृत हो रहे हैं और इसकी जानकारी ईमेल पर साझा की जाती है. हमारे बैंक के मानदंड के अनुसार उधारकर्ता नवीकरण के अंतिम/पूर्ण मूल्यांकन के लिए शाखाओं से संपर्क करेंगे. शाखाओं से संपर्क करने वाले उधारकर्ता को पोर्टल पर पंजीकृत होने के बाद इसके बारे में जानकारी दी जाएगी.

हाल ही में पीएसबी पोर्टल ने मुद्रा प्रॉडक्ट लॉन्च किया है जिसके द्वारा उधारकर्ता बिना जीएसटी और आईटीआर के ऋण के लिए आवेदन कर सकता है परंतु इसकी अधिकतम सीमा ₹ 10 लाख है.

ऋण विकास का भविष्य, अनुमोदन प्रक्रिया तक बिना किसी भौतिक संपर्क के ऋण अनुमोदन और वितरण को डिजिटल रुप प्रदान करने में है, यह भारत सरकार द्वारा बैंक को उच्च गति वाले पथ पर अग्रसर करने की एक नई पहल है इसलिए पूर्ण उत्साह के साथ इसका प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए.

एमएसएमई की परिभाषा एवं भारत में एमएसएमई का महत्व

अनुज कुमार सिंह
सहायक महाप्रबंधक
सरल प्रमुख, क्षे. का., इंदौर

एमएसएमई की परिभाषा: भारत सरकार ने गजट संख्या (E) 2119.O.S.दिनांक 26.06.2020 के द्वारा एम एस एम ई की परिभाषा बदल दी है, वर्तमान में एम एस एम ई का वर्कीकरण निम्नानुसार है!

सूक्ष्म उद्योग: यह ऐसे उद्योग हैं, जिसमें संयत्र एवं मशीनरी में वास्तविक निवेश ₹1.00 करोड़ से अधिक न हो और कुल कारोबार ₹5.00 करोड़ से अधिक न हो.

लघु उद्योग : यह ऐसे उद्योग हैं, जिसमें संयत्र एवं मशीनरी में वास्तविक निवेश ₹10.00 करोड़ से अधिक न हो और कुल कारोबार ₹50.00 करोड़ से अधिक न हो.

मध्यम उद्योग- यह ऐसे उद्योग हैं, जिसमें संयत्र एवं मशीनरी में वास्तविक निवेश ₹50.00 करोड़ से अधिक न हो और कुल कारोबार ₹250.00 करोड़ से अधिक न हो.

एमएसएमई सूक्ष्म, छोटे और मध्यम इन तीनों श्रेणियों के उद्योगों में से किसी भी इंटरप्राइज के अंतर्गत आता है, एमएसएमई उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है यह सभी के लिए समान विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक इंजन की तरह कार्य करती है, एमएसएमई को व्यापार में लगने वाले छोटे - बड़े मशीनरी संयंत्र की खरीद में किए गए पूंजी निवेश के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है.

बैंकों से लाभ: सभी बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान एमएसएमई को पहचानते हैं इसलिए व्यवसाय के लिये ऋण स्वीकृति कम ब्याज दर पर आसानी से उपलब्ध हो सकती है, एमएसएमई को दिये गये ऋण पर ब्याज की दर सामान्य व्यापार की ब्याज दर की तुलना में 1-1.5 प्रतिशत कम होती है.

राज्य सरकार द्वारा छूट : ज्यादातर राज्य उन लोगों को बिजली, कर और औद्योगिक सब्सिडी प्रदान करते हैं, जिन्होंने अपने व्यापार को एमएसएमईडी अधिनियम के

अंतर्गत पंजीकृत किया है. उन्हें राज्य द्वारा विशेष रूप से बिक्री कर में छूट मिलती है.

कर लाभ : व्यवसाय के आधार पर एमएसएमई में पंजीकृत होने के बाद एक्साइज छूट योजना का लाभ ले सकते हैं, व्यवसाय के प्रारंभिक वर्ष में कुछ प्रत्यक्ष करों से भी छूट मिलती है, सरकार के द्वारा व्यवसाय को स्थापित करने में व्यापारियों को कई प्रकार की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है.

केंद्र और राज्य सरकार से अनुमोदन : एमएसएमई में पंजीकृत व्यवसाय को सरकारी लाइसेंस और प्रमाणीकरण जल्द और आसानी से मिल जाता है. कई ऐसी सरकारी निविदाएं या टेंडर हैं, जो कि भारत में लघु व्यवसाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अर्थात केवल एमएसएमई के लिए ही खुली हैं.

विश्व बैंक के अनुसार, औपचारिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कुल रोज़गार का 60 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद (राष्ट्रीय आय) का लगभग 40 प्रतिशत तक योगदान देता है. विगत पाँच दशकों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने (MSME) अपनी निरंतर प्रगति से भारत के सतत् आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ समावेशी सामाजिक आधारशिला को मज़बूत करने का कार्य किया है.

भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका-

- रोज़गार, स्वरोज़गार और उद्यमिता के माध्यम से गरीबी, भुखमरी व आर्थिक असमानता को कम करना है.
- लोगों के ज्ञान और कौशल के विकास के माध्यम से उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान देना है.
- समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे- वंचित, पिछड़े एवं दिव्यांगजनों को रोज़गार, स्वरोज़गार, उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाकर, सामाजिक-आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देना है.
- पुरुष प्रधान भारतीय समाज में यह क्षेत्र महिलाओं को विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमिता हेतु प्रेरित कर उनके सशक्तीकरण में योगदान देता है.
- एमएसएमई क्षेत्र मुख्य रूप से श्रम आधारित होने के कारण रोज़गार रहित विकास की समस्या को कम करके समावेशी विकास प्रदान करता है.
- यह क्षेत्र स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन एवं आपूर्ति के कारण आत्मनिर्भर होकर आयात प्रतिस्थापन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

- एमएसएमई बड़े उद्योगों की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उत्पादन तथा सेवाएँ प्रदान करता है. इससे ग्रीन इकोनमी को बढ़ावा मिलता है.

  वैश्वीकरण, निजीकरण एवं सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति के दौर में एमएसएमई क्षेत्र स्थानीय कला एवं संस्कृति, पर्यटन, योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य, पर्यटन, हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने की ज़िम्मेदारी मुख्य राज्य सरकारों की है. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान और भविष्य के अवसरों के मद्देनजर भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बेहतर दिशा एवं स्थिति प्रदान करने के लिये अनेक नीतिगत पहल शुरू की हैं.

इसके तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में उद्यम की अवधारणा को विस्तृत करते हुए विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया. अन्य प्रमुख योजनाएँ हैं-

1. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम और अन्य क्रेडिट सहायता योजना
2. खादी, गाँव और कॉयर उद्योगों के विकास हेतु योजनाएँ
3. प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन
4. विपणन प्रोत्साहन योजनाएँ
5. उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम
6. बुनियादी ढाँचा विकास कार्यक्रम

एमसएमई क्षेत्र उत्पादन, निर्यात और रोज़गार सृजन के मामले में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. 'मुद्रा', 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया'और 'स्किल इंडिया' इत्यादि प्रयास एमएसएमई क्षेत्र को नई दिशा की ओर बढ़ाते हैं. हम पाते हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भारतीय रक्षा खरीद नीति, 2018 के मसौदे में एमएसएमई और स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया गया है. हालाँकि अनौपचारिक व अपंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा. चौथी औद्योगिक क्रांति के तहत क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा एनालिटिक्स के साथ-साथ इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) की व्यापक उपयोगिता भारत में एमएसएमई क्षेत्र को नई दिशा देने में सहायक होगी.

देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का है अहम योगदान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय

अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है. इस क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी के समय मंदी में फंसने से बचाया था. कुल मिलाकर यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी (बैकबोन) जैसी भूमिका निभा रहा है.

आधार उद्योग योजना एमएसएमई के लिए वरदान है

देश में मौजूद सभी सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्योगों को एमएसएमई कहा जाता है. MSME को इंग्लिश में Micro, Small and Medium Enterprises कहते हैं. एमएसएमई सेक्टर के कारोबार देश की आर्थिक व्यवस्था एवं रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यापारों की देश में महत्वपूर्ण भागीदारी को देखते हुए और इस सेक्टर के कारोबारियों की सुविधा के लिए सरकार ने एक मंत्रालय का गठन किया है. जिसका नाम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय है. (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) यह मंत्रालय उद्योगों को जरूरत पड़ने पर बिजनेस लोन और अन्य तरह की सुविधा मुहैया कराता है, जैसे कि मुद्रा लोन योजना.

MSME मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में 36 मिलियन यूनिट कार्य करती हैं. इन सभी यूनिट से 80 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार सुलभ होता है. यह सेक्टर देश में 6,000 से अधिक उत्पाद जीडीपी का लगभग 8% योगदान देता है और कुल विनिर्माण उत्पादन में 45% और देश से निर्यात में 40% योगदान देता है.

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व क्या है?

भारत एक युवा देश है जिसकी 45 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 20-35 वर्ष के आयु वर्ग की है. इसमें यह सुनिश्चित करने के लिये भी यह विशाल जनशक्ति उत्पादक हो और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान दे सके, कौशल विकास का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाना चाहिए. विकास का वाहक होने के अलावा कुशल कार्यबल अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की भावना को विकसित करने में भी योगदान देता है.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित सभी मामलों के लिये भारत सरकार का प्रशासनिक मंत्रालय है. एमएसएमई मंत्रालय ऋण विपणन अवसंरचना और कौशल विकास के क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित कर एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन को सुविधाजनक बनाता है. इन स्कीमों का कार्यान्वयन इसके क्षेत्रीय संगठनों और कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे इन सभी स्कीमों का महत्वपूर्ण पक्ष कौशल, एक पूर्व अपेक्षा होती है. वर्ष 2022 तक एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 150 मिलियन कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता होने का अनुमान है.

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा एमएसएमई उद्योगों के लिये कुछ नियम बनाए गए हैं. देश में मौजूद जो भी सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित नियम, विनियम और कानून हैं तथा आवश्यकता होने पर नए कानूनों के निर्माण के लिये यह मंत्रालय सर्वोच्च निकाय या संस्था है,हर देश की आर्थिक मजबूती, उम्मीद और व्यवसाय युवा उद्यमी पर ज्यादा रहती है. भारत सरकार, छोटे-बड़े व्यापारिक संगठनों को उनके व्यापार में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए उन्हें एमएसएमई में आसानी से पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान करती है.

एमएसएमई निवेश के लिये छोटे आकार की एक संस्था है. जिसमें कुशल और अकुशल व्यापारी हो सकते हैं, जो कि बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं और ये निर्यात के क्षेत्र में योगदान, निर्माण क्षेत्र को बढ़ाना और कच्चे माल, बुनियादी सामान आपूर्ति के द्वारा बड़े उद्योगों को समर्थन प्रदान करते हैं और भारत सरकार एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत कंपनियों या व्यापार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने के लिये सब्सिडी देती है.

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश की जीडीपी का लगभग 8 फीसदी, विनिर्माण उत्पादन का 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत योगदान देते हैं. ये उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले हैं. ये उद्यमशीलता और नवीनता के लिये एक नर्सरी है. ये उद्यम देशभर में व्यापक रूप से फैले स्थानीय बाज़ारों की जरूरत को पूरा करते हैं. ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की श्रृंखला को पूरा करने के लिये उत्पादों सेवाओं की एक विविध रेंज का उत्पादन करते हैं. वर्तमान में एसएमई को एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार परिभाषित किया जाता है.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को विश्व भर में विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है. दुनिया के कई देशों ने इस क्षेत्र के विकास के संबंध और सभी सरकारी कार्यों में समन्वय की देखरेख के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में एसएमई विकास एजेंसी की स्थापना की है. भारत के मामले में भी मध्यम उद्योग स्थापना को एक अलग नियम के अंतर्गत परिभाषित किया है जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) यानि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम 2006 (जो कि 02 अक्टूबर, 2016 से लागू) हो गया है. विकास आयुक्त का कार्यालय (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल विकास एजेंसी (एमएसएमई) के रूप में कार्य करता है.

भारतीय अर्थव्यवस्था में एसएमई की भूमिका और प्रदर्शन

पिछले छह दशकों के दौरान भारतीय लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा भी है. एसएमई ने न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में भारी मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद की है और लघु एवं मध्यम उद्यम पूरक इकाइयों की तुलना में बड़े उद्योग हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में काफी योगदान देते हैं. आज इस क्षेत्र में 36 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती है. यह क्षेत्र 6,000 से अधिक उत्पादों के माध्यम से कुल विनिर्माण उत्पादन में 45% और देश के निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान देता है. एसएमई क्षेत्र के पास देशभर में औद्योगिक विकास का प्रसार करने की क्षमता होने के साथ -साथ देश में समावेशी विकास की प्रक्रिया में एक बड़ा योगदान देने की भी क्षमता है. घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण निर्यात आय, कम निवेश अवश्यकताएं, परिचालनात्मक लचीलापन, स्थान संबंधी गतिशीलता, कम गहन आयात, उचित घरेलू तकनीक विकसित करने की क्षमता, आयात प्रतिस्थापन, रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी की दशा में योगदान, घरेलू उन्मुख उद्योगों में प्रतिस्पर्धा और ज्ञान तथा प्रशिक्षण प्रदान करके निर्यात बाज़ार द्वारा नए उद्यमियों के निर्माण के माध्यम से योगदान देकर एसएमई राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं.

अपने अदम्य उत्साह और विकास की अंतर्निहित क्षमताओं के बावजूद, एसएमई भारत में कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं. जैसे -

- उत्पादन का छोटा पैमाना
- पुरानी तकनीक का इस्तेमाल
- आपूर्ति श्रंखला की अक्षमताएँ, बदली हुई घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा
- कार्यरत पूंजी की कमी
- समय पर बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से व्यापार प्राप्त नहीं होना
- अपर्याप्त कुशल कार्यशक्ति

इस तरह के मुद्दों के साथ बने रहने तथा बड़े और वैश्विक उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एसएमई अपने अभियान में नवीन दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय, आविष्कारशील, अभिनव वाले हैं, उनके पास एक मजबूत तकनीकी आधार, प्रतिस्पर्धा की भावना और खुद को पुनर्गठित करने की इच्छाशक्ति है. ये एसएमई वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए आसानी से सकल घरेलू उत्पाद में 22 प्रतिशत का योगदान दे सकते हैं. भारतीय एसएमई हमेशा औद्योगिक और संबंधित क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी, नए व्यापारिक विचारों को स्वीकार

करने और स्वचालन प्राप्त करने के लिए तैयार है.

भारत में एमएसएमई का क्या महत्व है?

- भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात में 45 % हिस्सा है, केन्द्रीय या राज्य सरकार और बैंकिंग एमएसएमई अधिनियम के तहत लाभ को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई पंजीकरण आवश्यक है.
- इसके तहत व्यापार में आपको ब्याज की कम दर, उत्पाद शुल्क में छूट, योजना कर सब्सिडी और अन्य कई तरह के लाभ उपलब्ध होंगे, यह एक वैकल्पिक पंजीकरण है, लेकिन छूट को प्राप्त करने के लिए आपको उद्योग आधार पंजीकरण कराना आवश्यक है.
- किसी भी प्रकार के उद्योग जैसे कि एकल स्वामित्व वाली, भागीदारी या अन्य प्रकार के व्यवसाय के लिए आप एमएसएमई का प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं.
- राज्य में एमएसएमई की स्थापना तथा विकास हेतु एक सहायक और सक्रिय पारिस्थिकी तंत्र बनाने के लिए बहुआयामी पहल की गई है.

स्रोत - हेमंत सिंह, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), 2016; आर्थिक समीक्षा 2018-19, भारत 2019

यूनियन बैंक की एमएसएमई योजनाएं

सिबिल प्रधान/ श्वेता सिंह
उप प्राचार्य/ प्रबंधक (राजभाषा)
स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलूरू/ क्षे. का., कोलकाता

भारत में एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग देश के जीडीपी में लगभग 8%, मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादन में लगभग 45% और निर्यात में लगभग 40% योगदान करता है. इसका ''देश की रीढ़ की हड्डी'' के रूप में उल्लेख करना गलत नहीं होगा. भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 के तहत एमएसएमई के लिए एक नई परिभाषा दी गई है और एमएसएमई क्षेत्र में योगदान और निर्भरता आने वाले दिनों में और अधिक महत्वपूर्ण होने जा रही है.

समामेलन प्रक्रिया के अनुपालन के तहत, तीनों बैंकों (एंकर बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक) की मौजूदा ऋण योजनाओं और उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए समामेलित इकाई के लिए ऋण योजनाओं को अनुकूल रूप से पुनर्निर्मित किया जाना अनिवार्य था. एमएसएमई के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाएं पूर्ण रुप से बैंक के नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए ही नहीं हैं बल्कि मौजूदा सुविधाओं के पुनर्गठन के माध्यम से संकट और प्राकृतिक आपदाओं के समय में सहायता भी प्रदान करती है.

योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

1. यूनियन अलंकार: (संदर्भ- अनुदेश परिपत्र संख्या-1913:2020 दिनांक-16.03.2020)

   यह योजना मौजूदा ग्राहकों के साथ-साथ नए ग्राहकों जो रत्न, आभूषण और हीरे के क्षेत्र में विनिर्माण, व्यापारिक गतिविधियों में लगे हैं, के लिए बनाई गई है. अन्य वित्तीय संस्थानों से सुविधाएं लेने की अनुमति अधिग्रहण की शर्तों के अधीन है. इस योजना के लिए पात्र व्यावसायिक संस्थाएँ व्यक्ति, स्वामित्व, भागीदारी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होंगी. ऋण की राशि ₹ 10.00 लाख से अधिक से लेकर अधिकतम ₹ 500 करोड़ तक भिन्न-भिन्न होती है जो बाहरी रेटिंग और समूह की अवधारणा के आधार पर होती है. डब्ल्यूसी, टीएल और बिल

डिस्काउंटिंग सुविधाओं के लिए वित्त प्राप्त किया जा सकता है. संपार्श्विक प्रतिभूति को आंतरिक रेटिंग से जोड़ा जाता है : सीआर 1 से 2 के लिए न्यूनतम 25%, सीआर 3 के लिए न्यूनतम 30%, सीआर 4 के लिए न्यूनतम 40%, सीआर 5 के लिए न्यूनतम 50% और सीआर 5 से नीचे के लिए 75% तक.

2. **यूनियन आयुष्मान प्लस:** (संदर्भ-अनुदेश परिपत्र संख्या-1921: 2020 दिनांक-.16.03.2020)

यह योजना एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीवीएस एवं एएच या एक्स-रे प्रौद्योगिकी और रेडियोलॉजी, मेडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री जैसी पैरा मेडिकल सेवाओं में डिग्री जैसी न्यूनतम योग्यता के साथ चिकित्सा विज्ञान की किसी भी शाखा में एक वर्ष के न्यूनतम कार्य अनुभव वाले 25 वर्ष से 65 वर्ष तक के आयुवर्ग के चिकित्सकों की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करती है. इस योजना के तहत आवश्यक संवैधानिक अनुमति एवं अनुमोदन वाले चिकित्सा के पेशे में कार्यरत फर्म, सोसाइटी, न्यास वित्त के लिए पात्र हैं. इसमें टीएल, डब्ल्यूसी और एलसी/बीजी आवश्यकता के आधार पर शामिल है और परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, ऋण की अधिकतम मात्रा ₹ 5.00 करोड़ और/या ₹ 20.00 करोड़ तक की उच्चतम सीमा के अधीन अधिकतम सीमा के 25% उप-सीमा के साथ ₹ 20.00 करोड़ होगी. इस योजना के तहत मूल्य निर्धारण रेटिंग से जुड़ा नहीं है. निवेश ग्रेड यानी सीआर 5 के बराबर का पता लगाने के लिए क्रेडिट रेटिंग की जानी चाहिए.

3. **यूनियन ई-वे बिल्स समाधान:** (संदर्भ-अनुदेश परिपत्र संख्या-1929:2020 दिनांक-17.03.2020)

हालाँकि योजना का संचालन अखिल भारतीय आधार होगा, अनुभव प्राप्त करने हेतु प्रारंभिक चरण में, प्रमाणीकरण के लिए इस सुविधा का उपयोग केवल मिड कॉर्पोरेट शाखाओं और आईएफ़बी में किया जाएगा. संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर सुविधा को यथोचित रूप से शाखाओं तक पहुंचाया जाएगा. अग्रिम का उद्देश्य घरेलू अवैतनिक इन्वॉइस के सापेक्ष वित्त करना है, जो ई-वे बिल संख्या के आधार पर जीएसटीएन प्रणाली के तहत पंजीकृत हैं. इन इन्वॉइस को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हार्ड कॉपी में खरीददारों द्वारा विधिवत रुप से स्वीकार किया जाना चाहिए. उद्यम की संरचना के बावजूद 2 साल से अधिक समय तक व्यापार करने वाले और हमारे बैंक से निधि आधारित डब्ल्यूसी लेने वाले सभी मौजूदा व्यावसायिक उद्यम इस योजना के तहत योग्य हैं. गैर एलसी बिलों की छूट के लिए मौजूदा डब्ल्यूसी सुविधाओं की उप सीमा के रूप में सुविधा प्रदान की जानी चाहिए. इस योजना के तहत स्वीकृत की जाने वाली कुल सीमा आकलन की गई एफ़बी डब्ल्यूसी सीमाओं के

अधीन होनी चाहिए. प्रस्तावित योजनाओं के तहत वित्त का लाभ उठाने वाले मौजूदा खातों के मामले में मौजूदा सीमाओं में से अलग उप सीमाएं तैयार की जा सकती हैं. जिन चालान को इलेक्ट्रॉनिक-वे (ई-वे) बिल संख्या का उपयोग करके मान्य किया जा सकता है और क्रेता द्वारा स्वीकार किया जाता है, केवल वे इस योजना के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे.

4. **यूनियन जनरल क्रेडिट कार्ड:** (संदर्भ-अनुदेश परिपत्र संख्या-1931: 2020 दिनांक-17.03.2020)

पूरे देश में गैर-कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता गतिविधि के लिए व्यक्तियों की सामान्य ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधारकर्ताओं को ₹ 50000.00 तक की वित्तीय आवश्यकता प्रदान की जा सकती है. योजना का उद्देश्य यूनियन जनरल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रदान किए गए गैर-कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता गतिविधि हेतु व्यक्तियों के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाना है. आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए. आवेदक कम से कम 1 वर्ष के लिए हमारे बैंक का मौजूदा ग्राहक होना चाहिए. इसमें किसी भी प्रतिभूति के लिए जोर नहीं दिया जाता है और उधारकर्ता उपभोग की जरूरतों के लिए आंशिक या संपूर्ण ऋण की सुविधा का उपयोग कर सकता है.

5. **यूनियन जीएसटी लाभ:** (संदर्भ- अनुदेश परिपत्र संख्या-1924:2020 दिनांक-16.03.2020)

यह योजना उन मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए है जिनका चालू खाता हमारे बैंक में है और नियमित आधार पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करते हैं. उधारकर्ता जीएसटी अधिनियम के तहत अपेक्षित पंजीकरण प्राप्त होना चाहिए अर्थात अनंतिम पंजीकरण फॉर्म जीएसटीरेज़-25 या अंतिम पंजीकरण फॉर्म जीएसटीरेज़-06. उधारकर्ता के पास वैध जीएसटी रिटर्न यानी जीएसटीआर-1 रेगुलर, जीएसटीआर-4 होना चाहिए. सामान्य योजना के मामले में जीएसटीआर-1 लगातार पिछले तीन महीनों के लिए दायर किया जाना चाहिए. कंपोजिशन योजना के मामले में, जीएसटीआर-4 कम से कम एक तिमाही के लिए दायर किया जाना चाहिए. इस योजना के तहत निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सीमा को ₹ 10.0 लाख से अधिक से अधिकतम ₹ 200.0 लाख तक वित्तपोषित किया जा सकता है. सीमा का उपयोग व्यापार, सेवाओं या विनिर्माण व्यवसाय के लिए किया जा सकता है. मूल्यांकन की गई कार्य सीमा की अधिकतम मात्रा अनुमानित स्वीकृत कारोबार का 30% होगी. इस योजना के तहत निर्धारित सभी सीमाएं जीएसटी इनपुट क्रेडिट योजना के तहत वित्तपोषित होने के योग्य नहीं हैं. अग्रिम को विधिवत रुप से बीमाकृत स्टॉक और या बही ऋण

द्वारा सुरक्षित किया जाएगा; न्यूनतम संपार्श्विक प्रतिभूति ऋण राशि का 100% होगी. कंपनी/फर्म के भागीदारों/साझेदारों/प्रमोटरों/प्रमोटर निदेशकों और संपार्श्विक प्रतिभूति के सभी गिरवीदारों की व्यक्तिगत गारंटी अनिवार्य है.

6. **यूनियन लिकी-प्रॉपर्टी:** (संदर्भ-अनुदेश परिपत्र संख्या-1926:2020 दिनांक-17.03.2020)

यह योजना अखिल भारतीय आधार पर है, यह कम से कम दो साल के लिए व्यावसायिक गतिविधि में लगे हुए व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के अलावा संरचना के बावजूद विनिर्माण, सेवाओं और व्यापार क्षेत्र में लगे व्यक्तियों हेतु बनी है. सभी नए और मौजूदा खातों को योजना के तहत कवर किया जा सकता है. यह सुविधा ₹ 0.10 करोड़ से ₹ 10.0 करोड़ तक की टीएल या ओडी प्रकृति की हो सकती है.

7. **यूनियन एमएसएमई सुविधा:** (संदर्भ-अनुदेश परिपत्र संख्या-1923:2020 दिनांक-16.03.2020)

इस योजना के तहत सभी मौजूदा और नई एमएसएमई इकाइयाँ संरचना को ध्यान दिये बिना अर्थात् व्यक्तिगत, प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, एलएलपी सहित साझेदारी की संस्था, लिमिटेड कंपनियाँ, सोसाइटी, ट्रस्ट, विनिर्माण/सेवाओं/व्यापारिक गतिविधियों में लगे एसोसिएशन ऋण सुविधा के पात्र हैं. योजना के तहत पात्र बने रहने के लिए खाते की क्रेडिट रेटिंग सीआर-1 से सीआर-4 के बीच होनी चाहिए. मौजूदा और नए खातों के अधिग्रहण के मामले में, उधारकर्ता/फर्म से एक वचनपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि यह इकाई भविष्य में किसी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं उठाएगी जब तक कि एनओसी को मंजूरी प्राधिकरण से प्राप्त नहीं किया जाता है. खुदरा ऋणों को छोड़कर इकाई एकमात्र बैंकिंग व्यवस्था के तहत ऋण लें, हालांकि अन्य बैंक/वित्तीय संस्थानों से चैनल वित्तपोषण के तहत ऋण सुविधाएं लेने वाले उन उधारकर्ताओं को छूट दी जा सकती है, जिनमें हमारे बैंक के पास ओईएम/लिखत वित्त/संपत्ति के सापेक्ष ऋण के साथ टाईअप की व्यवस्था नहीं है. अचल प्रतिभूतियों के स्थान पर तरल प्रतिभूतियां स्वीकार्य हैं.

इस योजना में टीएल और डब्ल्यूसी निधि आधारित और गैर निधि आधारित सुविधा दोनों का लाभ उठाया जा सकता है. कच्चे माल की खरीद के लिए गैर निधि आधारित सीमा को एमपीबीएफ के तहत शामिल किया जाना है.

एमएसई उधारकर्ता के मामले में, ₹ 5.00 करोड़ तक की सीमा का टर्नओवर विधि के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए. गैर एमएसई उधारकर्ता के मामले में, ₹ 1.00

करोड़ तक की सीमा का टर्नओवर विधि के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए. व्यापार खाते के मामले में ₹ 10.0 करोड़ तक के सीमित टीएल के साथ ₹ 10.0 लाख से अधिक से लेकर अधिकतम ₹ 50.0 लाख की न्यूनतम वित्त राशि वित्तपोषित की जा सकती है. सीमा/ऋण की समाप्ति तक पहले से मंजूर ₹ 10.00 लाख से नीचे का कोई भी एक्सपोजर जारी रखा जा सकता है. बैंक वित्त से सृजित सभी संपत्तियां बैंक के पक्ष में दृष्टिबंधक/गिरवी कब्जे में ली जाएंगी. संपार्श्विक कवरेज ऋण राशि का न्यूनतम 75% होना चाहिए.

8. **यूनियन मुद्रा :** (संदर्भ- अनुदेश 1928: 2020 दिनांक: 17.03.2020)

पेशेवरों सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में लगे सूक्ष्म उद्यम इस योजना के तहत इसके लिए पात्र होंगे. यह योजना अखिल भारत स्तर पर कार्यरत है, इसमें कृषि, व्यावसायिक इकाइयों से संबंद्ध गतिविधियों की संरचना को ध्यान में न रखते हुए शामिल किया गया है. आय उत्पन्न करने वाली छोटी गतिविधियों के लिए आवश्यकता आधारित टीएल/डब्ल्यूसी/समग्र ऋण ₹ 10.0 लाख तक की अधिकतम सीमा तक वित्तपोषित किए जा सकते हैं पंरतु उपभोग के उद्देश्य से नहीं. ऋण सुविधा को मुद्रा ऋण के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और इसे जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि ₹ 50,000.00 तक की ऋण राशि के लिए शिशु, ₹ 50,000.00 से अधिक से ₹ 5,00,000.00 तक की ऋण राशि के लिए किशोर और ₹ 5,00,000.00 से अधिक से ₹ 10,00,000.00 तक की ऋण राशि के लिए तरुण. ₹ 2,00,000.00 से ऊपर के अग्रिम क्रेडिट रेटिंग मानदंडों के अधीन हैं. बैंक वित्त से सृजित सभी संपत्तियां बैंक के पक्ष में दृष्टिबंधक/गिरवी कब्जे में ली जाएंगी. सभी उधारकर्ताओं, प्रोमोटर निदेशकों, प्रोप्राइटर, भागीदारों की व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए, किसी तीसरे पक्ष की गारंटी की अनुमति नहीं है. सभी सूक्ष्म ऋणों को सीजीटीएमएसई के तहत कवर किया जाना है और कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण और पीएमजेडीवाई में ओडी को सीजीएफ़एमयू के तहत कवर किया जाएगा. सह-ब्रांड किए गए मुद्रा कार्ड बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे जो उधारकर्ताओं को कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीले तरीके से ऋण प्राप्त करने में मदद करेंगे. शाखाएँ इस योजना के उधारकर्ता को भीम आधार भुगतान को हमेशा के लिए बढ़ावा दें.

9. **यूनियन नारी शक्ति :** (संदर्भ-अनुदेश परिपत्र नं.1917:2020 दिनांक-16.03.2020)

यह योजना निर्माण या उत्पादन, माल के प्रसंस्करण या संरक्षण या सेवाओं को प्रदान करने या व्यापार गतिविधि में लगी हुई सभी महिला स्वामित्व एवं प्रबंधित एमएसएमई के लिए अखिल भारतीय आधार पर संचालित हो रही है. सभी नए और मौजूदा खातों

को इस योजना के तहत कवर किया जा सकता है. प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी सहित भागीदारी संस्थाएं, एमएसएमई से संबंधित लिमिटेड कंपनियां इस योजना के तहत पात्र हैं. उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, नए कनेक्शन के मामले में यूबीआई-5 से नीचे नहीं होनी चाहिए और अग्रिमों के अधिग्रहण के मामले में यूबीआई-4 से कम नहीं होनी चाहिए. निधि आधारित और गैर निधि आधारित डब्ल्यूसी और या टीएल के लिए ₹ 2 लाख से ₹ 200.00 लाख तक की ऋण राशि का वित्तपोषण किया जा सकता है. ₹ 100.00 लाख तक के ऋण के लिए मार्जिन की आवश्यकता न्यूनतम 5% है और ₹ 100.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए न्यूनतम 15% है. यदि जोखिम सीजीटीएमएसई के अंतर्गत आता है तो कोई संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त नहीं की जाएगी. ऐसे मामलों में जहां जोखिम सीजीटीएमएसई के तहत कवर नहीं किया गया है, ऋण मूल्य का 25% न्यूनतम संपार्श्विक होगा जो कि बैंक को स्वीकार्य किसी भी प्रकृति का संपार्श्विक हो सकता है.

10. **यूनियन परिवहन :** (संदर्भ-अनुदेश परिपत्र नं. 1912:2020 दिनांक-16.03.2020)

यह योजना अखिल भारतीय आधार पर यूटिलिटी व्हीकल, लाइट, मीडियम, हैवी कमर्शियल व्हीकल, एलएमवी, एचसीवी, पैसेंजर बस, सेमी लग्जरी, लग्जरी बस, स्कूल बस इत्यादि के लिए परिवहन प्राधिकरण की बही में कमर्शियल व्हीकल के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और अन्य को वित्तपोषण प्रदान करती है. व्यक्ति, स्वामित्व, एलएलपी सहित भागीदारी संस्थाएँ, लिमिटेड कंपनियाँ, संस्थाएं, परिवहन व्यवसाय में लगे ट्रस्ट जैसी संरचना की सभी व्यावसायिक इकाइयों को इस विशेष योजना के तहत वित्तपोषित किया जा सकता है. आवेदक के पास व्यवसाय चलाने के लिए उचित ज्ञान/अनुभव, क्रेडिट योग्यता और संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. परियोजना लागत में वाहन की लागत, बॉडी बिल्डिंग लागत, पंजीकरण शुल्क, सड़क कर, बीमा शुल्क, टैंकर की लागत शामिल होगी. सामान की लागत को वाहन की वास्तविक लागत के अधिकतम 5% तक वित्तपोषित किया जा सकता है. टीएल के तहत अधिकतम ऋण राशि ₹ 500.00 लाख का वित्तपोषण किया जा सकता है. लागू मार्जिन परियोजना लागत का न्यूनतम 20% है. एमएसएमई ऋण के लिए सामान्य अवधि के ऋण मूल्यांकन के अनुसार ₹ 10.00 लाख से अधिक के ऋण मूल्यांकन के लिए इस योजना के लिए औसत डीएससीआर निर्धारित है.

खाते को बैंक के आंतरिक रेटिंग मॉडल के अनुसार रेट किया जाना चाहिए. केवल यूसीआर-1 से यूसीआर-5 के बीच की रेटिंग वाले खाते को वित्त प्रदान किया जाएगा. बैंक की शर्त के साथ तीसरे पक्ष के देयता सहित बैंक के नाम के साथ पृष्ठांकित

व्यापक बीमा प्राप्त की जानी चाहिए. सीजीटीएमएसई के तहत कवर नहीं होने पर ऋण की राशि का 25% न्यूनतम संपार्श्विक प्रतिभूति के रुप में प्राप्त करना होगा.

11. **यूनियन प्रोफेशनल :** (संदर्भः अनुदेश परिपत्र नं.1919:2020 दिनांक-16.03.2020)

टीएल सुविधा जरूरतमंद पेशेवरों को स्वयं के लिए उपयोग करने हेतु कार्यालय परिसर, उपकरण, फर्नीचर आदि प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाती है. ऋण राशि ग्रामीण क्षेत्रों में 10.00 लाख रुपये से मेट्रो क्षेत्रों में अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये है. यह योजना अखिल भारतीय स्तर पर चल रही है. व्यक्तियों, फर्मों, लिमिटेड देयता फर्मों, कंपनियों, स्थापित कार्यप्रणाली वाली पेशेवर सेवाओं को प्रदान करने में लगे हुए ट्रस्ट या सोसाइटी संरचना वाले प्रैक्टिसिंग सीए, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, वेलुअर्स, मैनेजमेंट/फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट वित्त के लिए पात्र हैं. मौजूदा पेशेवरों/फर्मों को आयकर के तहत कर निर्धारिती होना चाहिए और उनके संबंधित व्यावसायिक संघ, बोर्ड, निकाय आदि के साथ एक पंजीकृत सदस्य होना चाहिए. आवेदक को तीन साल के न्यूनतम अनुभव के साथ स्थापित कार्यप्रणाली का होना चाहिए और 25-65 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए.

निर्माण/खरीद की राशि की लागत पर मार्जिन की आवश्यकता 35% है और फर्नीचर और स्थिरता आदि पर मार्जिन की आवश्यकता 40% है, जहां ऋण साइट/भूमि की खरीद और कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए है, भूमि का मूल्य कुल परियोजना के 50% से अधिक नहीं हो.

किसी संपार्श्विक पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, प्राथमिक प्रतिभूति को बैंक के पास दृष्टिबंधक/हक में रखी जानी चाहिए. प्रतिभूति के सभी सह-मालिकों की व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए. ₹ 2.00 करोड़ तक के अग्रिम सीजीटीएमएसई के तहत कवर किए जा सकते हैं.

12. **यूनियन प्रोग्रेस :** (संदर्भ- अनुदेश परिपत्र नं.1925:2020 दिनांक-17.03.2020)

निर्माण और सेवा क्षेत्र में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किए गए सभी व्यावसायिक इकाइयां, संरचना को ध्यान में न रखते हुए उक्त योजना के तहत वित्तपोषित होने के लिए पात्र हैं.

नए कनेक्शन के मामले में उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग सीआर-4 और सीआर-5 से नीचे नहीं होनी चाहिए. व्यापार से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टीएल और या डब्ल्यूसी निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों के बारे में विचार किया जा सकता है, जिसमें साइबर कैफे सहित व्यवसाय/कार्यालय परिसर की खरीद/निर्माण, जनरेटर सेट, उपकरण, वाहन, अन्य अचल संपत्ति सहित मशीनरी

और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं शामिल हैं.

बैंक की ऋण देने की विधि के अनुसार सीमा का आकलन किया जाए और आवश्यकता आधारित जरुरतों को पूरा करने के लिए ₹ 2 करोड़ तक की अधिकतम सीमा को मंजूरी दी जा सकती है.

मार्जिन की आवश्यकता डब्ल्यूसी की सीमा के लिए 10% से 25% और टीएल के लिए 25% से 35% तक भिन्न-भिन्न होती है.

सीजीटीएमएसई कवरेज के तहत कवर नहीं किए गए ₹ 10.0 लाख से ऊपर की क्रेडिट सुविधा वाले खातों के लिए कुल क्रेडिट सुविधा के न्यूनतम 75% संपार्श्विक प्रतिभूति कवरेज प्राप्त की जानी है. हालाँकि, यदि भूमि और भवन के मूल्य के साथ प्राथमिक सुरक्षा कवरेज कुल क्रेडिट सुविधा का न्यूनतम 125% है तो संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए. प्रवर्तक निदेशकों, भागीदारों, ट्रस्टियों/फर्म/कंपनी के सदस्यों और संपार्श्विक प्रतिभूति के सभी गिरवीदारों की व्यक्तिगत गारंटी बिना चूक के प्राप्त की जाए.

न्यूनतम 3 साल के संतोषजनक कार्य करने वाले मौजूदा एमएसई खातों में ₹ 10.0 लाख तक की निधि आधारित डब्ल्यूसी को 3 वर्ष तक मंजूर किया जा सकता है और उधारकर्ता को एक अलग यूएलयूसीसी कार्ड जारी किया जा सकता है?

13. **यूनियन रेंट:** (संदर्भ- अनुदेश परिपत्र 1927:2020 दिनांक-17.03.2020)

छोटी से लंबी अवधि की जरूरतों या किसी भी अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण स्वीकृत किया जा सकता है. इस योजना के तहत हमारी शाखा/कार्यालय परिसर के मकान मालिकों को ऋण प्रदान किया जा सकता है, जिसमें हमारे बैंक को पट्टे पर दिए गए आवासीय फ्लैट/मकान, संपत्ति के मालिक (वाणिज्यिक/आवासीय) शामिल हैं जिन्होंने पीएसबी, पीएसयू, डाकघर और सरकारी विभागों और मालिक को ये किराए पर दिए हैं संपत्ति (वाणिज्यिक/आवासीय/आईटी पार्क/मॉल/औद्योगिक क्षेत्र में संपत्ति/एसईजेड, जिन्होंने अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों/एमएनसी/संस्थानों/निजी क्षेत्र के बैंकों आदि को ये किराए पर दिया है. पट्टे पर दी गई संपत्ति के हक के बारे में कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए. यह उधारकर्ता के स्वामित्व में होना चाहिए.

उस स्थिति में ऋण की अनुमति नहीं है, जहां पट्टादाता और पट्टेदार एक ही समूह के हैं.

भवन की अवशिष्ट आयु ऋण की अवधि से 5 वर्ष अधिक होनी चाहिए.

योजना के तहत मंजूर की जा सकने वाली प्रति पार्टी अधिकतम ऋण सीमा की

गणना बैंक को उपलब्ध शुद्ध किराए की राशि को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 120 महीने तक के लिए की जानी चाहिए, जो शेष/प्रभावी पट्टे अवधि के लिए शुद्ध किराये की आय का 75% अर्थात अग्रिम किराया कम करने के बाद सकल किराया, प्रॉपर्टी टैक्स, टीडीएस, अन्य सांविधिक बकाया राशि, संपत्ति के मूल्य का 75% या लागू ब्याज दर पर ऋण और लागू किराया प्राप्तियों से वसूले/चुकाये जा सकने वाले ऋण की निर्धारित अवधि, जो भी कम हो, के अधीन है.

जिस अवधि के लिए प्रभावी पट्टा उपलब्ध है, उसके लिए मौजूदा मानदंडों के अनुसार ऋण को मंजूर किया जाएगा. यदि उधारकर्ता को प्रभावी पट्टे की अवधि से परे की अवधि के लिए अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता होती है, तो यह माना जा सकता है कि पट्टे के तहत क्षेत्र का 75% किसी भी समय पर कब्जा कर लिया जाएगा. इसलिए 75% क्षेत्र के लिए किराये की प्राप्ति को मानदंडों के अनुसार सुरक्षित किया जा सकता है और यह ऋण के सीआरई हिस्से का निर्माण करेगा.

जमानती आधार पर ₹ 1.00 लाख तक की ऋण राशि स्वीकृत की जा सकती है. ₹ 1.00 लाख से अधिक की ऋण राशि संपत्ति को बंधक करके सुरक्षित की जाएगी, जिसके लिए किराए के सापेक्ष ऋण लिया जाता है. संपत्ति की प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक संपत्ति के बंधक की अनुमति है.

14. **यूनियन स्टैंड-अप इंडिया :** (संदर्भ- अनुदेश परिपत्र नं.1918:2020 दिनांक-16.03.2020)

योजना का उद्देश्य एससी/ एसटी और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है. ऋण लेने के पहले और ऋण की प्रक्रिया के दौरान, दोनों तरफ से सहायता देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. 18 वर्ष से अधिक आयु के एससी/एसटी/ महिला वर्ग के उधारकर्ता विनिर्माण, सेवा या व्यापारिक गतिविधि में शामिल नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तपोषित होने के पात्र हैं. गैर व्यक्तिगत उद्यमों के मामलों में कम से कम 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण हिस्सेदारी एससी, एसटी या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए.

सुविधा को टीएल, डब्ल्यूसी या समग्र ऋण के रूप में ₹ 10 लाख रुपये की सीमा से ₹ 100.00 लाख तक बढ़ाया जा सकता है.

योजना में परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी की परिकल्पना की गई है. हालाँकि, राज्य/केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को उधारकर्ता के लिए मार्जिन मनी के अधीन माना जा सकता है, जिसमें से उधारकर्ता न्यूनतम परियोजना लागत के 10% को स्वयं के अंशदान के रूप में दें. प्राथमिक सुरक्षा के

अलावा, स्टैंड-अप इंडिया के लिए ऋण को संपार्श्विक प्रतिभूति या क्रेडिट गारंटी योजना की गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है. सीसीएच सीमा के माध्यम से डब्ल्यूसी की सीमा को आमतौर पर मंजूर किया जाना चाहिए. हालांकि, ओवरड्राफ्ट सुविधा के माध्यम से 10 लाख रुपये तक की डब्ल्यूसी सीमा को मंजूरी दी जा सकती है, जो कि ऋण देने की शक्ति के प्रत्यायोजन के अधीन है.

15. **यूनियन स्टार्ट-अप:** (संदर्भ- अनुदेश परिपत्र नं. 1922:2020 दिनांक-16.03.2020)

इस योजना के तहत वित्त हेतु पात्र होने के लिए इकाई को योग्य होना चाहिए और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार्ट-अप इंडिया योजना के अनुसार संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्टार्ट-अप के रूप में प्रमाणित होना चाहिए. इकाई की संरचना निजी सीमित कंपनी, पंजीकृत भागीदारी और सीमित देयता भागीदारी या भारत सरकार के स्टार्ट-अप इंडिया योजना के तहत स्टार्ट-अप के रूप में वर्गीकरण के लिए स्वीकार्य होनी चाहिए. नए उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग ऋण नीति के अनुसार न्यूनतम प्रतिलाभ दर से नीचे नहीं होनी चाहिए. खुदरा ऋण को छोड़कर एकमात्र बैंकिंग व्यवस्था के तहत इकाई ऋण लें. इस योजना का उद्देश्य नवाचार, विकास या उत्पादों या प्रक्रिया या सेवाओं के सुधार या अगर यह रोजगार सृजन या स्टार्ट-अप इंडिया योजना के अनुसार धन सृजन की उच्च क्षमता वाला एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है तो उन्हें वित्त प्रदान करना है.

ऋण राशि न्यूनतम ₹ 10 लाख से अधिकतम ₹ 5 करोड़ तक हो सकती है.

प्रारंभिक अनुमोदन के समय टीएल और डब्ल्यूसी सीमा सहित समग्र ऋण पर विचार किया जा सकता है. डब्ल्यूसी के साथ-साथ टीएल के लिए मार्जिन की आवश्यकता न्यूनतम 20% है.

किसी संपार्श्विक प्रतिभूति पर ज़ोर नहीं दिया जाएगा.

बैंक के वित्त से सृजित सभी मूर्त आस्तियों बैंक के पक्ष में दृष्टिबंधक/गिरवी के रूप में रखी जाएगी. पर्याप्त संसाधनों वाले कंपनी/फर्म के भागीदारों/साझेदारों/प्रमोटरों/ प्रमोटर निदेशकों और संपार्श्विक प्रतिभूति के सभी गिरवीदारों की व्यक्तिगत गारंटी अनिवार्य है. यदि अनुमोदित संस्था से क्रेडिट गारंटी कवर उपलब्ध है, तो क्रेडिट गारंटी योजना की शर्तों के अनुसार कोई अन्य पार्टी की गारंटी नहीं ली जाएगी.

16. **यूनियन टर्नओवर प्लस:** (संदर्भ- परिपत्र सं. 1920:2020 दिनांक-16.03.2020)

इस योजना का उद्देश्य संरचना का ध्यान दिये बिना विनिर्माण गतिविधि या सेवा गतिविधि या व्यापारिक गतिविधि में लगे सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को

वित्तपोषित करना है. खुदरा ऋण को छोड़कर एकमात्र बैंकिंग व्यवस्था के तहत इकाई ऋण लें और नकद क्रेडिट खाते के माध्यम से संपूर्ण बिक्री टर्नओवर को ले जाया जाना है. स्वीकृत अवधि के दौरान बैंक बही के माध्यम से किया गया अनुमानित बिक्री टर्नओवर का न्यूनतम 25% डिजिटल हिस्से के रुप में रखना है. नए उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग ऋण नीति के अनुसार न्यूनतम प्रतिफल दर से नीचे नहीं होनी चाहिए.

योजना के तहत अधिकतम ₹ 5.00 करोड़ तक के निधि आधारित डब्ल्यूसी को वित्तपोषित किया जा सकता है. बैंक वित्त की गणना अनुमानित बिक्री के डिजिटल हिस्से का 30% और अनुमानित बिक्री के शेष हिस्से का 25% हिस्सा होगी. 1 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट सीमा के लिए सीएमए प्रारूप में वित्तीय डेटा पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए.

इस योजना के तहत मार्जिन की आवश्यकता 20% है. 2.00 लाख रुपये से अधिक की कुल क्रेडिट सीमा वाले अग्रिमों के संबंध में बैंक के आंतरिक स्कोरिंग/रेटिंग मॉडल के अनुसार खाते को रेट किया जाना चाहिए. नए उधारकर्ताओं की क्रेडिट स्कोरिंग/ रेटिंग ऋण नीति के अनुसार न्यूनतम प्रतिफल दर से कम नहीं होनी चाहिए. स्कोरिंग मॉडल के मामले में न्यूनतम प्रतिफल दर 60 होगी.

बैंक वित्त से सृजित सभी संपत्तियां बैंक के पक्ष में दृष्टिबंधक/गिरवी रखी जाएंगी. एमएसई क्षेत्र में इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपए तक के लोन के मामले में किसी भी तरह की संपार्श्विक लेने पर जोर नहीं देना चाहिए और लागू क्रेडिट गारंटी योजना के तहत पात्र खातों को कवर किया जाना चाहिए. हालांकि, खाता किसी भी क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर नहीं किया जा सकता है, कुल क्रेडिट सुविधा के न्यूनतम 60% की संपार्श्विक प्रतिभूति कवरेज प्राप्त की जानी है. प्रमोटर/संस्था/समूह संस्थाओं/गारंटर की व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट गारंटी ली जानी चाहिए, जैसा भी लागू हो.

17. **यूनियन एसएलसी:** (संदर्भ- अनुदेश परिपत्र संख्या 1930: 2020 दिनांक-17.03.2020)

योजना के तहत अग्रिम का उद्देश्य प्राप्तियों, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के विलंबित वसूलियों से उत्पन्न अस्थायी बेमेल और अन्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना है. इस योजना में सभी मौजूदा एमएसएमई इकाइयों को शामिल किया गया है, जिनकी सीमा ₹ 5.00 करोड़ तक है, उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग सीआर-1/यूबीआई-1 से सीआर-5/यूबीआई-5 होनी चाहिए, जो खाते एसएमए सहित मानक श्रेणी में हैं.

वित्त की मात्रा 1.25 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ निधि और गैर-निधि आधारित मौजूदा डब्ल्यूसी सीमा के अधिकतम 25% तय की गई है. मौजूदा ग्राहक

जिन्होंने एसएमई प्लस का लाभ उठाया है, वे पहले एसएमई प्लस चुकाने के बाद इस योजना के तहत एमएसएमई के लिए एसएलसी का लाभ उठा सकते हैं. रिटर्न दाखिल किए जा चुके महीनों के लिए लंबित जीएसटी की बकाया प्राप्तियों की राशि को प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र सीए से प्राप्त किया जाए.

एसएलसी के तहत सीमा निर्धारित बैंकिंग वित्त के ऊपर और अधिक होगी.

योजना के तहत मंजूरी एसएलसी की मंजूरी की तारीख से 3 महीने के लिए वैध है या अगर किस्तों में छूट का लाभ लिया गया है तो पहले संवितरण की तारीख से 12 महीने तक मंजूरी वैध है. इस योजना के तहत मांग ऋण और डब्ल्यूसीडीएल दोनों को मंजूरी दी जा सकती है. एमएसएमई मार्जिन के लिए प्रस्तावित एसएलसी शून्य होगा. हालांकि मौजूदा सीमा के लिए मार्जिन स्वीकृत शर्तों के अनुसार जारी रहेगा. यह सुनिश्चित करना है कि क्रेडिट सुविधा के सापेक्ष पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है/बनाई गई है. सीपीए पर बैंक दिशानिर्देश जहां भी लागू हों, उनका अनुपालन किया जाना चाहिए. योजना के तहत आपाती सीमा की वैधता के दौरान उधारकर्ता को कोई अतिरिक्त/तदर्थ/एसएमई प्लस नहीं दिया जाएगा.

18. स्वचालित चालान वित्तपोषण (एआईएफ):

ई-कॉरपोरेशन बैंक की चैनल फाइनेंस योजना को स्वचालित इनवॉइस फाइनेंसिंग (एआईएफ) के नाम और स्टाइल में अखिल भारतीय आधार पर चलाया जा रहा है. यह योजना निर्धारित प्रतिष्ठित निर्माताओं के विक्रेताओं और डीलरों के लिए है ताकि वे अपने बिलों/इन्वॉइस को तकनीक चालित मंच के माध्यम से अवलंब के साथ या बिना किसी अवलंब की सुविधा के समग्र तय आईआरएम/डीलर की सीमा के कुछ प्रतिशत तक लेकिन प्रत्येक प्रस्ताव की संख्या पर आधारित प्रत्येक मामले के आधार पर संपार्श्विक निर्धारित कर वित्तपोषित कर सकें.

यह एक असुरक्षित अल्पकालिक वित्त है जो 30 दिनों से लेकर 90 दिनों तक के लिए होता है. इसके तहत बैंक आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने डीलरों को दिए गए क्रेडिट गैप का वित्तपोषण करेगा और इसलिए बैंक के पक्ष में स्टॉक/माल का कोई दृष्टिबंधक नहीं किया जाता है.

इस योजना को पूरे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं/खरीदारों को जोड़कर प्राप्तियों को वित्तपोषित करने, डीलर की ओर से ओईएम और ओईएम की ओर से वेंडर को तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करने, निर्माता को अपने उत्पादों के उत्पादन और विपणन/वितरण के मुख्य क्षमता क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए, प्रौद्योगिकी प्राप्त उत्पाद प्रदान करने के

उद्देश्य से बनाया गया है. इसके अलावा लेनदारों की व्यवस्था और वसूली की निगरानी करने में शामिल समय और लागत को बचाने, डीलर को निर्माताओं से छूट/रियायत प्राप्त कराने और बेहतर दर प्रदान कर बेहतर कमाई करने के लिए बिक्री को स्थगित करने, विक्रेता एमएसएमई को सुचारू नकदी प्रवाह के साथ अपनी आपूर्ति श्रृंखला के साथ जारी रखने में सक्षम बनाने, खुदरा और एसएमई खंडों को बेहतर बनाने के लिए अल्पावधि क्रेडिट प्रदान करने और एमएसएमई और अन्य के बीजक (इन्वाइस) का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में भी यह योजना सहायता करती है.

ओईएम के साथ पिछले साल के टर्नओवर या ओईएम के साथ अनुमानित टर्नओवर, जो भी अधिक हो, पर सीमा निर्धारित की जानी है. ओईएम के लिए सीमा ₹ 5.00 करोड़ से ₹ 1000.00 करोड़ और वेंडर/डीलर के लिए यह सीमा ₹ 10 लाख से अधिकतम ₹ 50.00 करोड़ तक हो सकती है.

किसी मार्जिन की आवश्यकता नहीं है यानी बिल/हुंडी के मूल्य का 100% वित्तपोषित किया जा सकता है.

अलग-अलग बिल/इन्वाइस को देय तिथि पर चुकाना होगा, जो कि बिल/इन्वाइस की छूट की तारीख से अधिकतम 90 दिनों के साथ रियायत अवधि अधिकतम 15 दिनों की अवधि के अधीन होगा.

एमएसएमई को वित्त पोषण- ध्यान देने योग्य बातें एवं एनपीए की वसूली

शजिया आबिद
मुख्य प्रबंधक (सीएमआरडी)
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

एमएसएमई किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि और लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह आर्थिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाते हैं और इस प्रकार गरीबी को कम करने में योगदान प्रदान करते हैं. यह भारत में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है. यह क्षेत्र, राष्ट्र के विकास में सहायक रहा है, निर्यात में लाभकारी, अकुशल, नए स्नातकों और बेरोजगारों के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करता है. यह क्षेत्र उद्यमों को अधिक ऋण देने के लिए बैंकों के अवसरों का विस्तार करता है.

एमएसएमई क्या है : एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक संक्षिप्त नाम है जो एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में संयंत्र और मशीनरी एवं उपकरणों में निवेश के आधार पर परिभाषित किया गया है. अगर एमएसएमई की परिभाषा को याद करें, तो एक उद्यम जो सेवाओं को प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उपकरणों में मूल निवेश एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, और टर्नओवर रूपए 5 करोड़ से कम है. उसे सूक्ष्म उद्यम कहा जाता है और जहां उपकरणों में मूल निवेश 10.00 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन टर्नओवर रुपए 50 करोड़ से अधिक नहीं है, उसे लघु उद्यम कहा जाता है और जहां उपकरणों में मूल निवेश 50 करोड़ रूपए से अधिक है लेकिन टर्नओवर 250 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, उसे मध्यम उद्यम कहा जाता है. भारत सरकार ने गजट संख्या (E) 2119.O.S. दिनांक 26.06.2020 के द्वारा एस एस एम ई की परिभाषा बदल दी है, वर्तमान में एम एस एम ई का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

1. यह ऐसे उद्योग हैं, जिसमें संयत्र एवं मशीनरी में वास्तविक निवेश रुपए एक करोड़ से अधिक न हो और कुल कारोबार रुपए पाँच करोड़ से अधिक न हो, उन्हें सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा.

2. यह ऐसे उद्योग हैं, जिसमें संयत्र एवं मशीनरी में वास्तविक निवेश रुपए दस करोड़ से अधिक न हो और कुल कारोबार रुपए पचास करोड़ से अधिक न हो.

3. यह ऐसे उद्योग हैं, जिसमें संयत्र एवं मशीनरी में वास्तविक निवेश रुपए पचास करोड़ से अधिक न हो और कुल कारोबार रुपए 250 करोड़ से अधिक न हो, उन्हें मध्यम उद्योग कहा जाएगा.

एमएसएमई के विकास में मदद के रूप में बैंकिंग क्षेत्र: वित्त, एमएसएमई उद्यम को समय पर पूंजी और निवेश की उपलब्धता के रूप में इस क्षेत्र की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक महत्वपूर्ण शुरुआत देता है. हमारे बैंक ने आसान और सुविधाजनक उधारकर्ता के अनुकूल योजनाओं को तैयार किया है और 65 एमएसएमई केन्द्रित शाखाओं की पहचान की है. क्रेडिट गारंटी योजनाओं के तहत वे एमएसई (MSE's) जिनका ट्रैक रेकॉर्ड संतोषजनक है और मजबूत वित्तीय स्थिति है उसे 2.00 करोड़ रूपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त हो सकता है. इसके अलावा 2.00 करोड़ रूपए ऋण तक के लिए एमएसएमई के लिए सरलीकृत आम ऋण आवेदन पत्र उपलब्ध है. बैंक ने MSE उद्यमियों जिनकी ऋण आवश्यकता 1.00 करोड़ रूपए तक है, उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉड्यूल तैयार किया है. भारत सरकार ने भी स्टैंडअप मित्रा पोर्टल का अनावरण किया है https://www.standupmitra.in/ जिसे बैंकर्स और स्टैंडअप मित्रा टीम जाँच सकती है. इसके अलावा एसआईडीबीआई (SIDBI) ने भी उदयमित्रा पोर्टल https://udaymitra.in/ को बनाया है जिस पर एमएसएमई उद्यमी ऑनलाइन ऋण आवेदन जमा कर सकते हैं.

बैंक के द्वारा निकाली गयी विभिन्न प्रकार की एमएसएमई योजना जिसका वर्णन निम्नलिखित है:

योजना का नाम	सुविधा की प्रकृति	मात्रा	सीमांत	मूल्यांकन	संपार्श्विक प्रतिभूति
यूनियन ट्रेड	कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण	₹ 25.00 करोड़ w/w जिसमें से ₹10.00 करोड़ सावधि ऋण के लिए.	0 से 25%	₹2.00 करोड़. तक ऋण टर्न ओवर मेथड के अनुसार.	न्यूनतम 75%.
यूनियन ट्रेड प्लस	कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण	न्यूनतम: ₹10.00 लाख से अधिक, अधिकतम: ₹50.00 करोड़	20%	ऋण नीति मानदंडों के अनुसार.	न्यूनतम 100%.
यूनियन ट्रेड-जीएसटी	केवल कार्यशील पूंजी	न्यूनतम: ₹10.00 लाख से अधिक, अधिकतम: ₹2.00 करोड़	20%	GSTR रिटर्न में निर्दिष्ट टर्नओवर विधि के अनुसार.	न्यूनतम 100%.

योजना का नाम	सुविधा की प्रकृति	मात्रा	सीमांत	मूल्यांकन	संपार्श्विक प्रतिभूति
यूनियन हाइ प्राइड	कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण	₹1.00 करोड़ से अधिक और ₹25 करोड़ तक	20%	ऋण नीति मानदंडों के अनुसार	न्यूनतम 50%.
यूनियन प्रोग्रेस	कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण	अधिकतम: ₹1.00 करोड़	10 से 15%	ऋण नीति मानदंडों के अनुसार	₹10.00 लाख तक कोई संपार्श्विक नहीं
यूनियन नारी शक्ति	कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण	न्यूनतम: ₹2.00 लाख, अधिकतम: ₹1.00 करोड़	05 से 15%	ऋण नीति मानदंडों के अनुसार	₹10.00 लाख तक कोई संपार्श्विक नहीं
यूनियन एंटरप्राइज	कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण	न्यूनतम: ₹10.00 लाख, अधिकतम: ₹50.00 करोड़	15% से 35%	ऋण नीति मानदंडों के अनुसार	न्यूनतम 75%.
मुद्रा (पी एम एम वाइ)	कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण	अधिकतम : ₹10.00 लाख	5% से 10%	ऋण नीति मानदंडों के अनुसार	शून्य

एमएसएमई क्षेत्र में वित्त पोषण करते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं:

1. **एमएसएमई उधारकर्ता का चयन :** नए ग्राहक का चुनाव करते समय उनके ड्यू डिलिजेन्स में समुचित सावधानी बरतनी है. इसका दूसरे लेनदारों जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, आयकर विभाग, लेनदारों आदि के भुगतान की जानकारी पता करनी चाहिए, ये हमें CIBIL रिपोर्ट, CRILIC रिपोर्ट, मार्केट पूछताछ आदि से ज्ञात हो सकता है.

2. **व्यापार के वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन:** व्यापार के वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन बैंक द्वारा प्रदर्शित की गई ऋण नीति के अनुसार होना चाहिए. ऋण की मंजूरी ऋण नीति में दिये गए बेंचमार्क अनुपात (BENCHMARK RATIOS) को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए. कार्यशील पूंजी की मंजूरी देते समय व्यापार का चालू अनुपात एवं TOL/TNW अनुपात की अहम भूमिका है. इसके अलावा सावधि ऋण की मंजूरी देते समय DSCR अनुपात एवं DER अनुपात की भूमिका अहम है.

3. **नियमित रूप से एमएसएमई यूनिट का निरीक्षण:** नियमित रूप से कार्यशील पूंजी सीमा (WORKING CAPITAL LIMIT) के उधारकर्ताओं की यूनिट का निरीक्षण तिमाही स्तर पर कर लेना चाहिए और अगर कोई कमी यूनिट के स्टॉक स्थिति में नज़र आए या फिर कोई अनियमितता नज़र आए तो सक्षम अधिकारी को सही समय

पर सूचना दें. इससे उचित समय पर खाते को दबावग्रस्त आने से पहले रोकथाम की जा सकती है.

4. **संपार्श्विक प्रतिभूति का ड्यू डिलिजेन्स:** ऋण को सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति का चयन एवं उसके ड्यू डिलिजेन्स में कोई समझौता नहीं करना है. आसपास रहने वाले लोगों से संपार्श्विक प्रतिभूति की मिल्कियत की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए. ये हमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाने में काफी उपयोगी है.

5. **उधारकर्ता का मार्गदर्शन:** ऋण स्वीकृत करते समय उधारकर्ता को समझाएं कि ऋण का समय से भुगतान करने पर उनका क्रेडिट इतिहास अच्छा होता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दोबारा ऋण या फिर ऋण में वृद्धि मिल सकती है. समय-समय पर उनसे बातचीत करते रहना चाहिए ताकि अगर व्यापार स्त्रोत में गिरावट होने की संभावना नज़र आए तो खाते को दबावग्रस्त होने से पहले एक संकल्प योजना बनाई जा सके.

6. **एक अवधि MSME पुनर्गठन योजना :** आज के दौर में भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई खाता धारक के लिए एक अवधि पुनर्गठन नीति निकाली है, जिसमें 25 करोड़ रुपए तक के एक्सपोजर (Exposure) खाते को दबावग्रस्त से बाहर निकाला जा सकता है और अधिस्थगन अवधि (MORATORIUM PERIOD) देने से व्यापार को दोबारा लाभदायक बनाया जा सकता है. इसमें सीसी का अनियमित भाग या फिर डीपी में कमी का भाग WCTL के रूप में और अधिस्थगन अवधि (MORATORIUM PERIOD) का ब्याज FITL के रूप में फाइनेंस किया जा सकता है.

7. **अनुश्रवण का महत्व :** ऋण खातों का मजबूत अनुश्रवण ऋण संपत्ति को सेहतमंद रखता है. खाता संचालन की जांच फिनॉकल में करनी चाहिए और पता करना चाहिए की मंजूर किये गये ऋण का उपयोग व्यापार के लिए दी गई ज़रूरत के लिए ही उपयोग किया गया है. किसी भी तरह का धन का अपयोजन (Diversion of funds) ध्यान में आते ही सक्षम अधिकारी को तुरंत सूचित करें.

8. **उचित योजना :** योजना एक अच्छा स्त्रोत है और सही समय पर उधारकर्ताओं को सही परामर्श देकर उनके व्यापार में सहायता कर सकते हैं और उनके व्यापार के अनुसार उन्हें उचित बैंक की एमएसएमई योजना के भीतर एमएसएमई ऋण दिया जा सकता है.

इसके अतिरिक्त आज के दौर में बढ़ते हुए एनपीए बैंकों के लिए काफी चिंता का विषय है. बैंक के द्वारा दी गयी वसूली के समाधान से एनपीए में वसूली की जा सकती है. बैंक ने निम्नलिखित उपयोगी टूल्स और सुझाव बताए हैं:

1. **(OTS) एकमुश्त समझौता योजना :** बैंक द्वारा निकाली गयी एकमुश्त समझौता योजना से एनपीए वसूली में काफी सहायता मिलती है. एकमुश्त समझौता योजना में बैंक को ग्राहक से बातचीत करके एकमुश्त राशि वसूलनी होती है. इस राशि को

अधिकतम 3 माह में जमा करवा लेनी चाहिए. एकमुश्त समझौता राशि स्वीकृत होने के 3 महीने के भीतर राशि जमा करवाने पर कोई ब्याज नहीं लगता है. अगर उधारकर्ता एकमुश्त समझौता राशि को किश्तों में जमा करना चाहता है तो सक्षम प्राधिकारी एकमुश्त समझौता राशि को मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक किश्तों में तय कर सकता है. इस तरह के मामलों में कम से कम 10% अग्रिम भुगतान जमा करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए.

2. **SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही:** जिन खातों की कुल बकाया राशि 1.00 लाख रुपये या उससे अधिक है, जहां पर प्रतिभूति कृषि भूमि नहीं हैं या फिर खाते में मूल राशि 20% से अधिक है तो SARFAESI अधिनियम में कार्यवाही की जा सकती है. इसमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13(2) के अंतर्गत 60 दिन का मांग सूचना (DEMAND NOTICE) जारी किया जाता है. अगर 60 दिन के भीतर बकाया राशि जमा नहीं होती है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा सूचना (POSSESSION NOTICE) जारी किया जाता है और 7 दिन के बाद कब्जा लेकर नीलामी के द्वारा बेच दिया जाता है, जिससे एनपीए खाते का निपटान किया जाता है.

3. **DRT या CIVIL SUIT:** जिन एनपीए खातों में बकाया राशि 20.00 लाख रुपए तक है, उसमें वसूली के लिए CIVIL SUIT और रुपए 20.00 लाख से अधिक है तो DRT SUIT दायर कर सकते हैं.

4. **लोक आदालत:** जिन एनपीए खातों में बकाया राशि 20.00 लाख रुपए तक है, उसमें लोक अदालत द्वारा भी समझौता किया जा सकता है. ये छोटे-छोटे खाताधारकों के लिए काफी उपयोगी और आसान टूल है क्योंकि इसमें न ही कोर्ट फीस लगती है और न ही वकील की फीस लगती है तथा इसमें समय की भी बचत होती है. लोक अदालत के समझौता के विरुद्ध याचिका दायर नहीं की जा सकती है और ये बैंक और उधारकर्ता दोनों के लिए ही लाभदायक है.

आज के दौर में एमएसएमई क्षेत्र में बढ़ते एनपीए को देखते हुए उधारकर्ता का चयन सबसे बड़ी चुनौती है. इसके अलावा सही समय पर एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करना और ऋण खातों की नियमित रूप से अनुश्रवण करना बैंक के ऋण संपत्ति को सेहतमंद और लाभदायक बनाता है. इसके अलावा कड़ाई से एनपीए वसूली करने से बैंक के लाभ में वृद्धि होती है. यहाँ यह कहना उचित होगा कि एक स्वस्थ ऋण संपत्ति बैंक की लाभप्रदता एवं व्यापार के आकार को सुधारने में अतिरिक्त योगदान देता है और अंततः हमारे बैंक के विज़न 2020 को सफल बनाने में सहायक भी है.

एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

प्रदीप सिंह
मुख्य प्रबंधक (राभा)-सेवानिवृत्त
क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय, दिल्ली

किसी भी राष्ट्र के विकास का मानक है उसकी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना. अर्थव्यवस्था की मजबूती में कई पहलू आते हैं, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक पहलू प्रमुख हैं. राजनीतिक में राष्ट्र और नागरिकों के प्रति उसकी विकासोन्नमुख सोच का होना बेहद आवश्यक है. सरकार में स्थान रखने वाले जन प्रतिनिधियों का 'माइंड सेट' विशेष प्रभाव डालता है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की राह में काफी प्रभावशाली होता है, क्योंकि इनके द्वारा ही विकासोन्मुख नीतियों का खाका तैयार कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है. राष्ट्र में युवाओं को जहां पारंपरिक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराना है, वहीं उनको व्यवसायी या कारोबारी बनने के लिये प्रेरित कर विकास की एक नई राह की ओर ले जाने हेतु सहज नीतियां एवं योजनाएं प्रारंभ करना है.

सामाजिक पहलू के अंतर्गत राष्ट्र के नागरिकों या यूं कहें कि युवाओं के 'माइंड सेट' का समय के साथ तैयार किया जाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी जहां सरकार की नीतियों की है, वहीं यह जिम्मेदारी राष्ट्र में शिक्षा नीति की भी है. राष्ट्र के युवाओं की सोच को बदलना कि देश की प्रगति और स्वयं के विकास के लिये समय के साथ-साथ स्वयं को ढालना बहुत जरूरी है. सरकार की नीतियों में इतना दम होना चाहिए कि युवा स्वयं को उत्पादन या सेवा क्षेत्र में सुरक्षित पाने की स्थिति में आ सके.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में निहित देश हित के गुणों को देखते हुए इस दिशा में सरकार द्वारा पहल की गई और एमएसएमई का पदार्पण हुआ. 9 मई, 2007 को भारत सरकार कारोबार आबंटन नियम 1961 में संशोधन कर लघु मंत्रालय एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को एक करते हुए अति लघु, लघु एवं मध्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) का गठन किया.

एमएसएमई को यदि आप समझना चाहें तो बस यह जान लीजिए कि विधिक रूप से मान्य ऐसे समस्त कार्य जिनसे रोजगार का सृजन होता है वही उद्यम एमएसएमई हैं अर्थात

एक युवा जब किसी उद्योग को प्रारंभ करता है तो वह अपने सहयोग के लिये पात्र व्यक्तियों को भी अपने सहयोग एवं कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिये जोड़ लेता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की पहल से कई अन्य दक्ष / अदक्ष व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो जाता है. यही है एमएसएमई विचार की प्रमुख आत्मा. एमएसएमई प्रमुख दो क्षेत्रों में विभक्त है, जिसमें सेवा एवं मैन्यूफैक्चरिंग आते हैं. यदि रोजगार के स्त्रोतों की बात करें तो इन्हीं दो क्षेत्रों से देश के युवाओं को करोड़ों रोजगार के सुअवसर प्राप्त होते हैं.

किसी भी राष्ट्र में रोजगार की कमी न होना उस राष्ट्र के विकसित होने का प्रमाण है नागरिकों के सुरक्षित एवं सफल भविष्य का द्योतक भी है.

आज भी हमारे देश में पढ़-लिखकर, बड़ी-बड़ी उपाधियां प्राप्त करने के बाद भी युवाओं के मन में आम धारणा रहती है कि परंपरागत नौकरियां ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी हैं.

यदि कोई मुझसे पूछे कि परंपरागत रोजगार यथा कोई सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थान में नौकरी और उद्यमी बनने में से उत्तम क्या है तो मेरा जवाब होगा कि परंपरागत रोजगारों को प्राप्त कर मात्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र है और अपने ऐसे ही जीवन को आगे ले जाने की कोशिश है, परंतु उद्यमी के रूप में आप केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, बल्कि देश एवं देश की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए रोजगार का सृजन भी करते हैं, जो कि आज एक महान कार्य भी है.

युवाओं को उद्यमी बनाने के लिये हमें अपने घर और घर के बाहर युवाओं के लिये उद्यमी का वातावरण बनाने का परिवेश प्रदान करना होगा, शिक्षा के अंतर्गत देश के भविष्य यानि युवाओं के ह्रदय को नेतृत्व एवं आत्मविश्वास की सोच से सींचना जरूरी है. परंपरागत रोजगार जहां एक सहज एवं सीमित आय का माध्यम है, वहीं उद्यम समय और परिश्रम के उचित उपयोग से असीमित फल प्राप्त करने का साधन है, साथ ही असंख्य रोजगार सृजन कर देश में बेरोजगारी को कम करने, देश की अर्थव्यवस्था में सीधे-सीधे सकारात्मक असर डालने वाला एक नाम है.

मौजूदा सरकार ने भी एमएसएमई के विस्तार के रूप में कई नवीनतम योजनाओं को प्रारंभ किया है, जिनमें मेक इंन इंडिया, स्टार्ट अप एवं स्टैंड अप प्रमुख हैं.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में कदम रखने वाले युवाओं को सरकार से ठीक उसी प्रकार की उम्मीद होती है, जिस प्रकार से एक बच्चे को उसके पहले पहल पांव पर खड़े होने पर पिता की उंगली को पकड़ने और आगे कदम रखने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है. अर्थात हमारी शिक्षा नीति में एमएसएमई के संबंध में शिक्षा दिया जाना एवं युवाओं का 'माइंड सेट' उसके लिये तैयार करना आवश्यक है.

हमारे देश में रोजगार सृजन के लिये अनुसंधान या खोज पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता रहा है. जरूरी है कि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई पहल की जाए एवं सरकारी पोर्टल पर कार्यों, नवीनतम संकल्पनाओं की सूची एवं प्रक्रिया की जानकारियां एवं उसके लाभ की जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए तथा देश के विभिन्न युवाओं से नये-नये आयडिया आमंत्रित किये जाने चाहिए, जो एमएसएमई की श्रेणी में लाये जा सकें एवं उनसे रोजगार का सृजन किया जा सके.

एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्रों में फल उत्पादन, रसायन एवं उसके उत्पाद, धातु उत्पाद, रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, रक्षा उत्पाद, गैस एवं ईंधन उत्पाद, खाद्यान, दवा क्षेत्र, निर्यात, विनिर्माण, जैविक उत्पाद, पर्यटन क्षेत्र, थर्मल पावर, सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र, रेल, खाद्यान एवं गारमेंट उत्पाद तथा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रिकल मशीनरी उत्पाद प्रमुख हैं. इसी प्रकार से सेवा के क्षेत्र में जैसे चिकित्सा, सलाहकारी सेवाएं यथा सनदी लेखा, वकालत, खानपान व्यवस्थाएं, होटल, रेस्टोरेंट, हेयर सैलून, स्पॉ इत्यादि कार्य हैं, जहां कि रोजगार का सृजन होता है. आप इनके अवलोकन से स्वतः समझ सकते हैं कि यदि इन क्षेत्रों में बनाई गईं योजनाओं के तहत एमएसएमई को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से देश से न केवल निर्यात के आसार बढ़ेंगे, अपितु करोड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे. जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है कि किसी देश में युवाओं को शिक्षा के उपरांत कौशल या अकौशल प्रकार के रोजगार का सहजता से उपलब्ध होना, उस देश में अर्थव्यवस्था का मजबूत होना सिद्ध करता है. एमएसएमई को छोड़कर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां इतनी बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता हो या उसका देश की अर्थ व्यवस्था में इतना योगदान होता हो.

नये व्यवसायों के रूप में हमारे देश में विदेश से आये अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्वीगी, अलीबाबा, जोमैटो ऐसे कारोबार के उदाहरण हैं, जिन्होंने ऑनलाइन कारोबार से रोजगार सृजन को नई दिशा देते हुए नये आयाम भी स्थापित किए हैं. भारत में कारोबार को प्रारंभ करने वाली ये सभी कंपनियां न केवल सफलता के साथ अपना कारोबार कर रही हैं, अपितु कितने ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही हैं, जिनकी ओर कभी ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि हमारे देश में एक मध्यम वर्गीय परिवारों में परंपरागत रोजगार को उद्यम से अधिक वरीयता दी जाती है. हमारा देश भी परंपरागत रोजगार से संतुष्ट हो जाता है. हमारे देश में रोजगार सृजन हेतु कोई आरएनडी (रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट - रोजगार के नये नये क्षेत्रों की पहचान एवं विकास करना) नहीं होती है. इसका प्रमुख कारण है विद्यमान शिक्षा का स्तर जो युवाओं को परंपरागत नौकरी की ओर ले जाता है. उनकी मानसिकता को बदलते वक्त के साथ बदलने में नाकाम है, जिसके कारण वे उद्यम की ओर सोचते ही नहीं हैं, यदि सोचते भी हैं तो उन्हें असफलता का भान होने लगता है.

आप यदि ध्यान दें तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन कारोबार वाली इन कंपनियों के अंतर्गत कितने ही व्यक्तियों को रोजगार का सृजन करने की परिकल्पना जिसकी भी रही हो बेहद सुखद परिकल्पना है, जिसने देखते ही देखते मूर्तरूप प्राप्त कर लिया और कई घरों में सुख के चिरागों को प्रज्ज्वलित कर दिया.

ऐसे कारोबार या उद्यम जो देश में सफलता के साथ संचालित हों और रोजगार का सृजन भी करते हों वे देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या के निदान का आधार भी बनेंगे. ऐसे ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), निर्यात और रोजगार सृजन के मामले में भारतीय अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है.

वर्तमान सरकार का मानना है कि अगले 5 वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के माध्यम से लगभग 5 करोड़ रोजगार का सृजन किया जा सकेगा. यदि यह सत्य है तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निश्चित रूप से रोजगार सृजन के क्षेत्र में रामबाण सिद्ध हो सकता है.

अभी तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को उसके अंतर्गत संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के आधार पर परिभाषित किया जाता रहा है और अब इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार का मानना है कि इसकी परिभाषा का आधार उसकी परिभाषा के लिये वार्षिक कारोबार को आधार बनाया जाए. संभवत: इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव आए. मेरा मानना है कि देश में रोजगार के अत्यधिक सृजन के लिये एमएसएमई क्षेत्र में लगी इकाइयों द्वारा जितनी संख्या में युवाओं को रोजगार दिये गए हैं एवं उन युवाओं पर किये गये व्यय के आधार पर भी एमएसएमई की इकाईयों को विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करने के आधार पर भी परिभाषित करना चाहिए. इससे न केवल रोजगार के सुनिश्चित अवसर प्राप्त होंगे बल्कि देश की अर्थव्यवस्था तथा जीडीपी में भी बहुत सुधार होगा.

हम जानते हैं कि हमारे देश की अभी भी लगभग 70 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और ऐसे में बेरोजगारी का अधिकतम प्रभाव भी वहीं होता है. नौकरी की तलाश में ग्रामीण युवा भी शहरों की ओर आते हैं या यूं कहें कि गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं. हमें नजर आता है कि शहरों में बेराजगार युवाओं की संख्या बहुत अधिक है. शायद इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के तहत रोजगार सृजन के कार्यक्रमों में फोकस जनजातीय, ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र पर रखा गया है.

एमएसएमई की उपलब्धियों की ओर नजर दौड़ाएं तो ज्ञात होगा कि वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCIS) के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान भारत से कुल निर्यात में एमएसएमई से संबंधित उत्पादों का हिस्सा 48.10% रहा तथा वर्ष 2015-16 की

अवधि के दौरान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73 वें दौर के अनुसार, देश में असिंचित गैर-कृषि एमएसएमई में श्रमिकों की अनुमानित संख्या 11.5 करोड़ थी.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान सूक्ष्म उद्यमों में उत्पन्न अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या) क्रमशः 3.58 लाख, 3.23 लाख, 4.08 लाख, 3.87 लाख और 5.87 लाख रहा. माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था.

चाहे विकसित देश हो या विकासशील, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसमें भारत भी अछूता नहीं है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में अहम योगदान देते हैं और औद्योगिक व सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं. कढ़ाई-बुनाई, दवाई, खेत-खलिहान और खेल के मैदान तक, वस्त्र से शस्त्र तक के अनेक क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने अपनी अहम भूमिका निभाकर देश की प्रगति को गति देने का काम किया है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है. इस क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी के समय मंदी में फंसने से बचाया था अर्थात इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी है.

रोजगार, किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इसकी कमी में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है. भारत में बढ़ती जनसंख्या और प्रतिवर्ष शिक्षा पूर्ण कर रोजगार की तलाश में निकलते युवाओं की बढ़ती संख्या और दिन-प्रति-दिन परंपरागत सरकारी रोजगारों की घटती संख्या हमेशा से ही ज्वलंत विषय रहा है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर कई बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा कर सकता है और कर भी रहा है. रोजगार सृजन के लिये एमएसएमई कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है. उद्योग मंडल सीआईआई ने एक सर्वेक्षण में दावा किया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र ने पिछले चार वर्षों में 13.5 मिलियन से 14.9 मिलियन नए रोजगार सृजित किए हैं. ऐसे में यदि देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देनी है, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर को सुदृढ़ करना बहुत ही जरूरी है.

किसी देश की उन्नति का आइना है, उसकी जीडीपी जो सीधे-सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर न केवल रोजगार के क्षेत्र में, बल्कि निर्यात के क्षेत्र में भी अपनी अहम भूमिका निभाकर अपनी उपस्थिति दर्ज

करा रहा है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में रोजगार की बात करें तो देश में कुल सृजित रोजगार में 1 करोड़ 20 लाख के आसपास रोजगार लघु, सूक्ष्म और मध्यम क्षेत्र से रोजगार सृजित होता है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कुल निर्यात का 45% अकेले योगदान देता है. विनिर्माण, निर्यात और रोजगार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के योगदान को देखते हुए, अन्य क्षेत्र भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं.

पूरे विश्व में आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पर मौजूद है और भारत भी इसमें शामिल है. धनी और गरीबों के बीच के अंतर को कम करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है और उसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में कई योजनाएं भी तैयार की हैं.

देश में बनी वस्तुओं का निर्यात एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके कारण विदेशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के अंतर्गत तैयार उत्पादों को विदेशी बाजार प्राप्त होता है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों में एक नये जोश एवं उनमें क्षमताओं के विकास का कार्य करता है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से तैयार उत्पादों के सहज निर्यात एवं कम लागत पर निर्यात के लिये सरकार द्वारा योजनाएं बनाना एवं उन्हें विदेशी बाजार उपलब्ध कराने जैसा कार्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति युवाओं की रूची को बढ़ाने में बेहद कारगर सिद्ध हो सकता है.

हर उद्यमी चाहता है कि उसके द्वारा तैयार उत्पादों को देश के साथ साथ पूरी दुनिया में बाजार मिले और यह तभी संभव है, जब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर का विकास तेजी से हो और सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिये प्रोत्साहन हेतु करों में छूट, जमीनों का आबंटन, तकनीकी सहयोग, बाजार उपलब्धता, सब्सिडी इत्यादि पैकेज प्रदान करें. हालांकि यहां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बुनियादी ढांचा और नवीनतम तकनीक की कमी शामिल है. आज भी भारत में ऐसी कई छोटी कंपनियां हैं, जिनके पास मूलभूत तकनीकी सुविधाएं नहीं हैं. एक बात तो सच है कि आधुनिक बिजनेस सूचना प्रौद्योगिकी की मदद के बिना संभव नहीं है, इसलिए यदि आप छोटा बिजनेस भी चला रहे हैं तो तकनीकी मदद लेनी बहुत ही जरूरी है.

छोटे बिजनेस को प्रारंभ करने के लिये ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए. सीमित संसाधनों से ही कारोबार का प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु एक बड़ी कंपनी को संगठनात्मक संरचना के कारण प्रत्येक विभागीय कामकाज के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती ही है वहीं दूसरी ओर छोटी कंपनी को प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती. इसमें कम्पनी का स्वामी ही प्रबंधन का कार्य कर सकता है. इस तरह देखा जाए तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की संरचना बहुत ही सरल है, इसे कम पूंजी से भी प्रारंभ किया जा सकता है.

किसी भी देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर अग्रणी रोजगार सृजक होता है, इसलिए आर्थिक विकास के लिए इस क्षेत्र का विकास बहुत जरूरी है. तकनीक का जिस प्रकार आये दिन विकास हो रहा है, ऐसे में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भी तकनीक को नजरंदाज नहीं कर सकता है. इसलिए जरूरी है कि छोटे व्यापारी अपने कारोबार को नवीनतम तकनीक से जोड़ें और लागत व समय बचाकर देश के विकास में भागीदार बनें.

भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश की जीडीपी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है. वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की देश के जीडीपी में 29 प्रतिशत की हिस्सेदारी है.

भारत सरकार द्वारा लक्षित की गई 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर गौर करें तो उसमें जीडीपी में लगभग 50 प्रतिशत से उपर की हिस्सेदारी की अपेक्षा एमएसएमई क्षेत्र से की गई है, वहीं निर्यात में 50 प्रतिशत से आगे बढ़ते हुए 75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की अपेक्षा भी एमएसएमई क्षेत्र से की गई है और इस प्रकार से यदि हिस्सेदारी प्राप्त की गई तो सरकार को उसके सापेक्ष 15 करोड़ युवाओं के लिये रोजगार सृजन की आशा भी है.

एमएसएमई की महत्ता को ध्यान में रखते हुए एवं इसको युवाओं के बीच स्थापित करने एवं रोजगार के नवीन अवसरों की पहचान करने के उद्देश्य से एमएसएमई के अंतर्गत इसमें पहल एवं नये-नये उद्यमों की खोज के लिये एमएसएमई मंत्रालय ने 27-29 जून, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय एसएमई कॉन्वेंशन का आयोजन भी किया, जिसमें से भारत से 1385 उद्यमियों और विदेश के 44 देशों के प्रतिनिधि मंडलों और राजदूतों ने भाग लिया. इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर उद्यमों के विकास एवं बढ़ावा देने, कारोबार परिचर्चा एवं ट्रेड साझेदारी के लिये नवोन्मेष, विकासोन्मुख कार्यक्रमों द्वारा विदेशों में अपनाई जा रहीं श्रेष्ठ व्यवहारिकताओं एवं पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों की चर्चा की गई एवं विचारों को साझा भी किया गया.

भारत सरकार यदि एमएसएमई के लिये मस्तिष्क है तो एमएसएमई रोजगार के सृजन और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वहीं बैंक एमएसएमई क्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा आवश्यक निधि आपूर्ति कर ऊर्जा प्रदान करने का माध्यम है. यदि सरकार और बैंकों की नीतियां एमएसएमई के प्रति सरल, सहज एवं विकासोन्मुख होंगी तो निश्चित ही युवाओं में स्वयं के लिये एक रोजगार के स्थान पर रोजगार को सृजन करने का उत्साह होगा और देश की अर्थव्यवस्था स्वत: पटरी पर आ जाएगी और देश की जीडीपी का ग्राफ भी विकास को दर्शाएगा. इसके लिये सरकार को सबसे पहले शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने की पहल करनी होगी, युवाओं में निर्णय लेने एवं नेतृत्व करने की प्रवृत्ति को विकसित करना होगा उनके समक्ष उद्यमी बनने में आने वाली परेशानियों को समाप्त कर उनके दिल में पनप

रहीं असफलता की आशंकाओं को दूर करना होगा तथा युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमों के विषयों पर एक्सपोजर प्रदान करना चाहिए. वहीं बैंकों को भी एमएसएमई के विभिन्न क्षेत्रों में कदम रख रहे युवाओं को ऋणों की उदार योजनाएं प्रदान कर बढ़ावा देना चाहिए एवं चूंकि उद्यमों में बैंकों द्वारा ही निधि को ऋण के रूप में दिया जाता है. अतः ऋण की उचित समय में वापसी सुनिश्चित हो सके एवं ऋण खाता सदैव स्वस्थ रहे, इसके लिये बैंकों को न केवल ऋण के सदुपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए, अपितु समय समय पर अनुश्रवण करते हुए उद्यमी को अपेक्षित मार्गदर्शन एवं सहयोग भी देना चाहिए. हमारा बैंक भी एमएसएमई क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और उसने एमएसएमई क्षेत्रों को अपनी प्राथमिकता बनाया है. अब तक बैंक द्वारा लगभग 73 हजार करोड़ रुपये के ऋण एमएसएमई क्षेत्र में दिये हैं, जिनके माध्यम से बैंक द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से देश में रोजगार सृजन करने एवं देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है.

इस लेख के अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि एमएसएमई क्षेत्र में दिये गये ऋण, देश की अर्थव्यवस्था को जहां मजबूत बनाते हैं वहीं देश में युवाओं के समक्ष बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या का भी अचूक हल है. ये किसी देश की अर्थव्यवस्था में ठीक उसी प्रकार से उर्जा प्रवाहित करते हैं, जैसे मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं शरीर को उर्जा प्रदान करती हैं.

एमएसएमई ऋण की सम्पूर्ण प्रक्रिया

तुषार श्रीवास्तव
वरिष्ठ प्रबंधक (तकनीकी)
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद

एमएसएमई ऋण बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रहा है एवं एम एस एम ई में मैन्यूफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एवं सर्विस क्षेत्र हेतु मियादी एवं कार्यशील पूंजी के लिए मुख्यत: ऋण दिये जाते रहे हैं. इसके अतिरिक्त निर्यातकर्ताओं हेतु बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, पैकिंग क्रेडिट एवं एफडीबीपी हेतु भी एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत ऋण दिये जाते हैं. वर्तमान में फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों को भी एमएसएमई के तहत लाया गया है. वर्तमान में एमएसएमई का निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है:

संवर्ग	
सूक्ष्म उद्यम इकाइयां	**सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले उद्यम:** जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरणों में एक करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता तथा उसका टर्नओवर ₹ 5.00 करोड़ से अधिक नहीं होता.
मध्यम उद्यम इकाइयां	**लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले उद्यम:** जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरणों में दस करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता तथा उसका टर्नओवर ₹ 50.00 करोड़ से अधिक नहीं होता है.
मध्यम उद्यम इकाइयां	**मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले उद्यम:** जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरणों में पचास करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता तथा उसका टर्नओवर ₹ 250.00 करोड़ से अधिक नहीं होता.

एमएसएमई ऋण की प्रक्रिया को मुख्यत: निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. ऋणी द्वारा ऋण हेतु आवेदन
2. आवेदन पत्र एवं संबंधित दस्तावेज़ों की जांच
3. ऋण आवेदन का प्रसंस्करण
4. ऋण की स्वीकृति एवं ऋणकर्ता से दस्तावेजीकरण करना एवं ऋण का वितरण
5. बैंक के चार्ज का रजिस्ट्रेशन

उपरोक्त वर्णित प्रत्येक क्रिया बहुत ही सावधानी एवं जागरूकता पूर्वक करनी चाहिए.

1. **ऋण हेतु आवेदन-** किसी भी ऋण हेतु सबसे पहला कदम है उसके लिए उधारकर्ता द्वारा आवेदन करना जिसके लिए वर्तमान में 2 तरीके हैं:

   i) ऑन लाइन आवेदन- एमएसएमई ऋण हेतु वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन बैंक की वेबसाइट पर एवं psbloansin59minutes.com (₹1.00 से ₹500.00 लाख तक) के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है जो संबंधित बैंक एवं शाखा को अग्रसारित होता है

   ii) ऑन लाइन आवेदन - एमएसएमई वितरण हेतु वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन https://instaloan.unionbankofindia.co.in/lendperfect/lending (₹500.00 लाख तक के नए एवं पुराने ऋण ग्राहक हेतु) के माध्यम से भी दाखिल किया जा सकता है.

   iii) ऑफ लाइन आवेदन-

      (1) शाखा में संपर्क कर दाखिल किया जा सकता है.

      (2) शाखा द्वारा MSME ऋण हेतु आने वाले ग्राहक को एमएसएमई आवेदन पत्र चेक लिस्ट के साथ उपलब्ध कराया जाए एवं साथ ही उसे पूर्ण रूप से भरकर लाने हेतु कहा जाए, यदि उसे आवेदन पत्र भरने हेतु कोई सहायता चाहिए तो शाखा उसे उपलब्ध कराए.

      (3) आवेदन पत्र देने के साथ ही ऋणकर्ता को बैंक के ऋण हेतु ब्याज, प्रोसेसिंग चार्ज एवं अन्य चार्ज की जानकारी दी जानी आवश्यक है.

      (4) ऋणी द्वारा समस्त दस्तावेज़ के साथ आवेदन पत्र जमा कराये जाने पर शाखा द्वारा उसकी पावती ऋणकर्ता को दी जानी है साथ ही आवेदन को निस्तारित करने की समय सीमा की जानकारी भी देनी है.

2. **आवेदन पत्र एवं दस्तावेज़ों की जांच-**

   1. बैंक की एमएसएमई चेक लिस्ट के अनुसार सभी दस्तावेज़ लें.
   2. ऋण आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी का शाखा द्वारा ऋणी के आवास /व्यापार स्थल का निरीक्षण द्वारा भौतिक सत्यापन.
   3. ऋण किस उदेश्य हेतु लिया जा रहा है (व्यापार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र एवं लघु उद्योग, सरकार की उद्योग योजनाओं हेतु ऋण), व्यापारिक योजना, नकदी प्रवाह, लाभप्रदता, एवं खातों के लेनदेन की जांच.
   4. CIBIL/CRILC की जांच एवं ITR का सत्यापन/ कांटैक्ट पॉइंट सत्यापन, ECGC, रिजर्व बैंक डिफ़ाल्टर सूची, GST जांच, दिये गए तुलन पत्र में सीए के UDIN संख्या की जांच www.udin.icai.org. से करना.

5. मार्केट रिपोर्ट तैयार करना, न्यूनतम 3 समान क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों से पूछताछ.
6. केवाईसी दस्तावेज़ों का सत्यापन करना.
7. CGTMSE से कवर किए जाने वाले ऋण खातों में उद्योग आधार का सत्यापन.
8. यदि फ़र्म एकाँकी/ साझेदारी/ कंपनी आदि बताई गई है तो संबंधित संस्था से उसका सत्यापन करना.
9. क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करना एवं उससे संबंधित दस्तावेज़ों को संकलित करना.
10. ऋणी का एवं दी जा रही प्राथमिक/ संपार्श्विक प्रतिभूति का ड्यू डिलिजेन्स करना, CIBIL mortgage जांच एवं CERSAI जांच करना. बैंक के पैनल वकील द्वारा NEC निकलवाना, एवं बैंक के पैनल वैल्यूअर द्वारा वैल्यू लेना.

3. **ऋण आवेदन का प्रसंस्करण**

1. ऋण आवेदन का समुचित ड्यू डिलिजेन्स एवं मूल्यांकन के द्वारा आंकलन करना.
2. बैंक नियमानुसार संपार्श्विक प्रतिभूति सुनिश्चित करना (जिसमें ₹10.00 लाख तक के ऋणों में कोई संपार्श्विक प्रतिभूति न लेना, ₹200 लाख तक के ऋणों में CGTMSE कवर लेना)
3. ऋणी का एवं दी जा रही प्राथमिक/ संपार्श्विक प्रतिभूति का ड्यू डिलिजेन्स करना. बैंक के पैनल वकील द्वारा NEC निकलवाना, एवं बैंक के पैनल वैल्यूअर द्वारा वैल्यू लेना.
4. ₹ 2 करोड़ से ऊपर की प्रतिभूति होने की स्थिति में बैंक पैनल के 2 वकीलों से NEC रिपोर्ट लेनी है.
5. ₹ 5 करोड़ से ऊपर की प्रतिभूति होने की स्थिति में बैंक पैनल के 2 वैल्यूअर से रिपोर्ट लेनी है.
6. क्रेडिट रेटिंग तैयार करना.
7. रेटिंग मॉडल की निम्नानुसार रेटिंग की जा सकती है:

ट्रेडिंग	यूनियन ट्रेड –I	₹2.00 लाख के ऊपर लेकर ₹50.00 लाख तक
	यूनियन ट्रेड –II	₹50.00 लाख के ऊपर से लेकर ₹500.00 लाख
अन्य	UBI मॉडल –I	₹2.00 लाख के ऊपर से लेकर ₹10 लाख तक
	UBI मॉडल –II	₹10 लाख के ऊपर से लेकर ₹1 करोड़ तक
	UBI मॉडल –III	₹1 करोड़ के ऊपर से लेकर ₹5 करोड़ तक
CRISIL RAM मॉडल		₹500.00 लाख से ऊपर
External क्रेडिट रेटिंग		₹2500.00 लाख से ऊपर

8. ₹25.00 लाख से ऊपर की निर्माण/प्रसंस्करण इकाइयों के मामलों में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का आंकलन करना.

9. ऋणी द्वारा दिये गए प्रॉजेक्शन का आंकलन करना.

10. ऋण आवेदनकर्ता की वित्तीय आवश्यकताओं के व्यावसायिक चक्र का आंकलन तथा सामयिक एवं गैरसामयिक वित्तीय आवश्यकताओं का ऋण सीमा हेतु आंकलन करना.

11. व्यापारिक योजना के तहत दिये गए पूर्वानुमानों का वास्तविक नतीजों से तुलना.

12. तुलन पत्र तथा लाभ हानि खातों जैसे वार्षिक दस्तावेज़ों का आंकलन.

13. लेनदारों और देनदारों की जानकारी एवं तुलन पत्र से मिलान.

14. यदि ऋणी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की तृतीय पक्ष गारंटी दी जा रही हो तो संबंधित पक्ष को इसके सभी पहलुओं की जानकारी की भलीभांति चर्चा करना एवं ऋण का उत्तरदायित्व ऋणी के बराबर होने हेतु जानकारी देना एवं उसकी सहमति लेना.

15. टर्म लोन के मूल्यांकन के मामलों में DSCR अनुपात, सेंसीटिविटी आंकलन, IRR आंकलन किया जाना है.

न्यूनतम DSCR	1.20
औसत DSCR	1.50

16. कार्यशील पूंजी के मामलों में निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए:

टर्नओवर मेथड	₹5.00 करोड़ तक के एमएसएमई ऋण हेतु
	₹1.00 करोड़ तक के गैर एमएसएमई ऋण हेतु
	₹.2.00 करोड़ तक के ट्रेड वित्त पोषण हेतु
FBF मेथड	₹5.00 करोड़ से ऊपर के एमएसएमई हेतु
कैश बजट मेथड	सामयिक व्यावसायिक गतिविधियों के वित्त पोषण में
NETOWNED मेथड	NBFC वित्त पोषण हेतु

17. नई कार्यशील पूंजी के वित्त पोषण हेतु वित्तीय मापदंड

(a) चालू अनुपात -1.15 से ऊपर होना चाहिए

(b) DER - ≤ 3:1

(c) TOL/TNW ≤ 4:1

18. मार्जिन -
    (a) कार्यशील पूंजी हेतु वित्त पोषण हेतु मार्जिन 20-25% रहना है.
    (b) मियादी ऋण हेतु ऋण योजना अनुसार 10 से 35% तक हो सकता है.
19. ₹5.00 करोड़ एवं अधिक की प्लांट एवं मशीनरी की खरीद में आपूर्तिकर्ता का ड्यू डिलिजेन्स किया जाना आवश्यक है.
20. एक्सपोर्ट ऋण के मामलों में आपूर्तिकर्ता का dun&bradstreet से ड्यू डिलिजेन्स किया जाना अवश्यक है.
21. ऋण की स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना आवेदनकर्ता को लिखित में देना.

4. **ऋण की स्वीकृति एवं ऋणकर्ता से दस्तावेजीकरण करना एवं ऋण का वितरण -**
    1. ऋण के स्वीकृत होने की स्थिति में सभी नियम एवं शर्तों को लिखित में देना एवं पावती रखना.
    2. ऋण स्वीकृत करने के बाद ऋणकर्ता से कराये गए दस्तावेजीकरण के बाद प्रत्येक दस्तावेज़ की एक प्रति ऋणी को उपलब्ध कराई जाएगी.
    3. दस्तावेज़ीकरण के समय राज्य के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लिया जाना है.
    4. स्वीकृत ऋण का CPA कराया जाना एवं उसकी रिपोर्ट फ़ाइल में रखना.
    5. दस्तावेज़ों का पुनरीक्षण बैंक के नियमानुसार (₹10.00 लाख तक शाखा प्रमुख द्वारा, ₹10.00 लाख से अधिक परंतु ₹1.00 करोड़ तक के खातों का विधि अधिकारी /पैनल के वकील द्वारा)
    6. ऋण का वितरण करना.

5. **बैंक के चार्ज का रजिस्ट्रेशन -**
    1. बंधक की गई संपार्श्विक प्रतिभूति को CERSAI/ROC/Registrar Office में नियमानुसार दर्ज कराना एवं उसकी पुष्टि ऋण वितरण के पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करना.
    2. बैंक से वित्तपोषित आस्तियों का नियमानुसार बीमा कराया जाना एवं समयानुसार उसका नवीनीकरण कराया जाना है.
    3. स्टॉक का आवधिक विवरण समयानुसार लेना है.
    4. ऋण खाते का अनुश्रवण एवं समयानुसार नवीनीकरण करना.

एमएसएमई - सम्पूर्ण विकास की कुंजी

सुभाष चन्द्र,
सहायक प्रबंधक (राभा)
क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर

रुचि यादव
प्रबन्धक (क्रेडिट)
क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर

निगमन विधि की ही सुरीति से,
नियम आर्थिक वित्त जँचते हैं.
सार्वभौम प्रयोगों से ही,
व्यापकता धारण करते हैं ?

एमएसएमई उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है. यह सभी के लिए समान विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक इंजन की तरह कार्य करता है. यह निवेश की दृष्टि से छोटे आकार की एक संस्था है, जिसमें कुशल और अकुशल व्यापारी हो सकते हैं. यह बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करके एक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात में 45% हिस्सा है. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और बैंकिंग एमएसएमई अधिनियम के तहत लाभ को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई पंजीकरण आवश्यक है.

सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने और सभी के लिए नवाचार, रचनात्मकता और कार्यों को सतत रूप से बढ़ावा देने में एमएसएमई के महत्व को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिनांक 6 अप्रैल, 2017 को आयोजित अपनी 74 वीं बैठक में 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को पूरी दुनिया में समग्र विकास की धुरी के रूप में जाना जाता है. भारत में यह क्षेत्र औचित्यपूर्ण विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अग्रगामी भूमिका निभाता है. हमारे देश में एमएसएमई उद्योग कम निवेश की आवश्यकता, प्रचलनात्मक नम्यता, स्थानीय गतिशीलता, और आयात स्थानापन्न के कारण औद्योगिक अर्थव्यस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं. निर्माण की दृष्टि से एमएसएमई लगभग 39 प्रतिशत एवं देश के कुल निर्यात के अमूमन 33 प्रतिशत हिस्से का योगदान रखते हैं. इसके तहत व्यापार

में ब्याज की कम दर, उत्पाद शुल्क में छूट, योजना कर सब्सिडी और अन्य कई तरह के लाभ उपलब्ध करवाए जाते हैं. यह एक वैकल्पिक पंजीकरण है, लेकिन छूट को प्राप्त करने के लिए उद्योग आधारित पंजीकरण कराना आवश्यक है. भारत में किसी भी प्रकार के उद्योग जैसे एकल स्वामित्व वाली, भागीदारी या अन्य प्रकार के व्यवसाय के लिए एमएसएमई का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है.

एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों श्रेणियों के उद्योगों में से किसी भी इंटरप्राइज के अंतर्गत आता है. एमएसएमई को व्यापार में लगने वाले छोटे-बड़े मशीनरी संयंत्र की खरीद में किये गए पूंजी निवेश के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है. एम एस एम ई के नए नियमों के बाद विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में अंतर खत्म हो गया है अर्थात् परिभाषा में MSMEs को समान निवेश ओर टर्नओवर के आधार पर परिभाषित किया गया है. पूर्व में केवल निवेश के आधार पर उद्योगों को परिभाषित किया जाता था, लेकिन अब इसमें टर्नओवर को भी जोड़ा गया है. तीनों श्रेणी के एम एस एम ई उद्योग का वर्णन निम्नलिखित है:

1. **सूक्ष्म उद्योग:** नए नियमों के अनुसार सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत उन उद्योगों को लिया जाता है, जिसमें निवेश रूपए एक करोड़ से कम एवं टर्नओवर रूपए 5 करोड़ से कम है, उन्हें सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा.

    1.1 सूक्ष्म उद्योगों के अंतर्गत अब वह भी उद्यम आते हैं जिनमें एक करोड़ रूपए का निवेश (मशीनरी वगैरह में) और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो. यहां निवेश से मतलब यह है कि कंपनी ने मशीनरी इत्यादि में कितना निवेश किया है. यह मैन्यूफैक्चरिंग (निर्माण) और सर्विस सेक्टर (सेवा क्षेत्र) दोनों क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होता है.

2. **लघु उद्योग:** नए नियमों के अनुसार जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ रुपए से कम एवं टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है उन्हें लघु उद्योग कहा जायेगा.

    2.1 लघु उद्योगों के नए नियमों के अनुसार उन उद्योगों को लघु उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ रुपए ओर टर्नओवर 50 करोड़ रूपए तक है. यह निवेश और टर्नओवर की सीमा मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर में लागू होती है.

3. **मध्यम उद्योग:** इसी प्रकार नए नियमों के अनुसार जिन उद्योगों में निवेश 20 करोड़ रुपए से कम एवं टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है उन्हें मध्यम उद्योग कहा जायेगा.

    3.1 मध्यम उद्योगों के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिनमें 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है वह मध्यम उद्योग में आएंगे.

4. इससे पहले वित्तमंत्री ने आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान करते हुए एमएसएमई की परिभाषा बदली थी. इसके बाद 1 जून, 2020 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने उद्यमियों की मांग को पूरा करते हुए यह उपरोक्त बदलाव किये गए हैं. इन बदलावों के होने के बाद भारत में होने वाले 99 प्रतिशत उद्योग एमएसएमई के अंतर्गत आने लग जाएंगे. आधिकारिक डेटा अभी तक जारी नहीं किया गया है.

पंजीकरण की प्रक्रिया

एमएसएमई में पंजीकरण ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से किया जा सकता है.

1. **ऑफ़लाइन पंजीकरण -** सबसे पहले जिस विभाग के लिए उद्योग शुरू कर रहे हैं, उस विभाग से आवेदन पत्र लिया जाता है, जिसमें बुनियादी सूचनाएं देकर संबंधित दस्तावेजों के साथ एमएसएमई कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है. आवेदन और दस्तावेज़ जमा करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सारे दस्तावेज को प्रमाणित करवा लिया जाए तो कागजी कार्रवाई में चूक की संभावना नहीं रहती है. जिस जिले में आवेदक अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है, वहां के जिला उद्योग केंद्र में जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके बाद विभाग द्वारा आवेदन और दस्तावेजों को एमएसएमई रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा, जो विशेषज्ञ अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएंगे. सत्यापन और आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद एमएसएमई प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसे कूरियर और ईमेल के माध्यम से लाभार्थी तक पहुंचा दिया जाता है.

2. **ऑनलाइन पंजीकरण-** ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल या लिंक http://udyogaadhaar.gov.in/UA/UAM_Registration.aspx पर जाकर दिए गए निर्देशों के अनुसार आधार संख्या, मालिक का नाम इत्यादि भरने के बाद आवेदन किया जाता है. उसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त होगी, जिसे आवेदन में प्रविष्ट करना होगा और कैप्चा को आवेदन में प्रविष्ट कर इसे जमा करना होता है. जब एमएसएमई उद्योग शुरू किया जाता है तब एक अंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है जिसके बाद अंतिम एमएसएमई प्रमाणपत्र दिया जाता है. उत्पादन शुरू होने के बाद स्थायी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं.

    ए. एमएसएमई पंजीकरण में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज-

        1. पैन कार्ड की प्रतिलिपि या फोटोकॉपी
        2. आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि इनमें से कोई एक

पहचान प्रमाणपत्र के रूप में मौजूद होना आवश्यक है.

3. पासपोर्ट आकार की फोटो
4. अन्य दस्तावेज

बी. किराए की संपत्ति पर उद्योग किया जा रहा हो तो -

1. किराया समझौता का दस्तावेज
2. स्वामित्व वाली सम्पत्ति के लिए सौदे का दस्तावेज़ या संपत्ति का दस्तावेज़
3. हलफनामा अर्थात शपथपत्र
4. घोषणा दस्तावेज
5. अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)
6. साक्षी के रूप में दो व्यक्ति

भारत में प्रतिवर्ष 1.2 मिलियन छात्र स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं. कुल संख्या में 0.8 मिलियन उद्योग क्षेत्र के स्नातक हैं. विश्व में ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है, जो प्रति वर्ष इतने युवाओं को रोजगार प्रदान कर सके. एमएसएमई इन प्रतिभाशाली युवाओं और जनशक्तियों के लिए वरदान है. एमएसएमई क्षेत्र से हमारे देश के सभी क्षेत्रों जैसे कि विनिर्माण, निर्यात, सेवा और अन्य क्षेत्रों को भी लाभ मिलता है. बड़ी कंपनियाँ एमएसएमई उद्योगों से सेमी फिनिस्ड और सहायक उत्पाद खरीदती हैं, जिनके कारण उन्हें पूंजी स्वयं बनाने और उसकी देखरेख के कार्य से मुक्ति मिल जाती है. इससे न केवल अर्थव्यवस्था में रोजगार और पूंजी का निवेश होता है बल्कि इसके स्थायित्व में भी वृद्धि होती है.

वैश्विक स्तर पर एमएसएमई को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में मान्यता प्राप्त है. सकल घेरलू उत्पाद में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से छोटी कंपनियों का समग्र योगदान और मध्यम और उच्च आय वाले समूह देशों में रोजगार का स्तर निम्न रहता है. जैसे-जैसे आय बढ़ती है, अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा कम होने लगता है और इससे औपचारिक एमएसएमई क्षेत्र में वृद्धि होती है. बांग्लादेश में सभी औद्योगिक इकाइयां 90 फीसदी से अधिक रोजगार उपलब्ध करा रही हैं. एमएसएमई का वास्तविक महत्व चीन में देखा जा सकता है, जहां निर्यात में एमएसएमई का 68 फीसदी योगदान रहता है.

एमएसएमई जमीनी ग्रामोद्योग से शुरू होकर ऑटो कलपुर्जों के उत्पाद, माइक्रो-प्रोसेसर, विद्युत उपकरणों और विद्युत चिकित्सा उपकरणों तक फैला हुआ है. आमतौर पर बड़े उद्योग बड़े पैमाने पर निवेश लाते हैं, परंतु अक्सर वे कलपुर्जों और सहायक कार्यों के लिए लघु और मध्यम उद्योगों पर निर्भर होते हैं. भारत के नवरत्न और महारत्न भी एमएसएमई क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं और उन्हें बढ़ाने में भी अपना योगदान देते हैं. आंकड़े बताते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों का पिछले गत वर्षों में काफी विकास

हुआ है और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव और लाभ भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर हुआ है. एसआईआई की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 तक भारत की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान लगभग 50 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है.

घेरलू उत्पाद, महत्वपूर्ण निर्यात आय, कम निवेश आवश्यकताएं, परिचालनात्मक लचीलापन, स्थान संबंधी गतिशीलता, कम और गहन आयात, उचित घरेलू तकनीक, विकसित करने की क्षमता, आयात प्रतिस्थापन, रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी की दिशा में योगदान, घेरलू उन्मुख उद्योगों में प्रतिस्पर्धा और ज्ञान तथा प्रशिक्षण प्रदान करके निर्यात बाजार द्वारा नए उद्यमियों के निर्माण के माध्यम से योगदान देकर एमएसएमई राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अपने अदम्य उत्साह और विकास की अंतर्निहित क्षमताओं के साथ यह विकास का नया मापदंड बनकर उभरा है.

हमारी सरकार भी इस इकाई की महत्ता को समझते हुए इसके लिए उपयुक्त रक्षात्मक एवं संवर्धनात्मक नए नीतिगत उपायों को लागू कर रही है. अगर यह चीन के विकास की आधारशिला है तो भारत के लिए यह सतत एवं समावेशी विकास का माध्यम भी है. आर्थिक उदारीकरण और बाजार सुधार की प्रक्रिया से इन उद्यमों ने भारत की घरेलू एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौड़ में नई पहचान दिलाई है तथा विस्तार एवं उन्नति के नए अवसर प्रदान किए हैं.

एमएसएमई क्षेत्र पिछले पाँच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र बनकर उभरा है. यह उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर सबसे बड़े रोजगार के अवसरों को सृजित करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है.

एमएसएमई आर्थिक विकासशील देशों विशेषकर भारत में कृषि यंत्र एवं कृषि संबंधी क्षेत्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो उद्यमिता, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों का सृजन करता है. भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं -

1. रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से गरीबी, भुखमरी और आर्थिक असमानता को कम करता है.
2. लोगों के ज्ञान और कौशल विकास के माध्यम से उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अपना योगदान करता है.
3. समाज के विभिन्न वर्गों जैसे वंचित, पिछड़े एवं दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाकर सामाजिक-आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देता है.
4. पुरुष प्रधान भारतीय समाज में महिलाओं को विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमिता हेतु प्रेरित कर उनके सशक्तिकरण में योगदान करता है.

5. एमएसएमई क्षेत्र मुख्य रूप से श्रम आधारित होने के कारण बेरोजगारी की समस्या को कम करता है तथा समावेशी विकास प्रदान करता है.

6. स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन एवं आपूर्ति के कारण आत्मनिर्भर होकर आयात प्रतिस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

7. बड़े उद्योगों की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उत्पादन तथा सेवाएँ प्रदान कर ग्रीन एवं क्लीन इकोनॉमी को बढ़ावा देना तथा राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में अपना योगदान देता है.

8. यह उद्यम हमारी अर्थव्यवस्था के व्यापक रूप से फैले हुए क्षेत्रों, स्थानीय तथा वैश्विक बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं.

अंततः यह कहना उचित होगा कि एमएसएमई भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, क्षेत्रीय विकास, नवोन्मेष इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है. हमारी सरकार भी एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से आधारभूत संरचना के विकास, प्रौद्योगिकी, उन्नयन, क्रेडिट की अधिमानी पहुँच, क्षेत्र में विशिष्ट निर्माण के लिए, उत्पादों के आरक्षण के लिए नीतियों और अधिमानी खरीद नीति आदि द्वारा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के विभिन्न तरीकों से लाभान्वित कर रही है.

हालांकि, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना चुनौतीपूर्ण कार्य है फिर भी क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने तथा राष्ट्रीय आय और संपत्ति की समानता पर आधारित वितरण सुनिश्चित करने में एमएसएमई क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है जिसके कारण इसका मुनाफा बढ़ जाता है. कुछ विशेष लाभ निम्नानुसार हैं –

1. इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका होने और आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि की सम्पूर्ण कुंजी होने के कारण सरकार इसके संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है.

2. 36 मिलियन इकाईयों वाला यह क्षेत्र आज 120 मिलियन से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है. 6000 से अधिक उत्पादों के माध्यम से यह क्षेत्र कुल विनिर्माण में 45 प्रतिशत के अलावा सकल घरेलू उत्पादों में 8 प्रतिशत और देश से निर्यात में 40 प्रतिशत योगदान दे रहा है.

3. यह क्षेत्र लगातार 10 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को बनाए हुए है तथा भारत की जीडीपी में 25 प्रतिशत का योगदान दे रहा है.

अन्य महत्वपूर्ण लाभ :

1. **बैंकों से लाभ -** सभी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान एमएसएमई को पहचानते हैं इसलिए व्यवसाय के लिए ऋण की स्वीकृति कम ब्याज दर आसानी से उपलब्ध हो जाती है. एमएसएमई के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज की दर सामान्य ब्याज दर की तुलना में 1 से 1.5 प्रतिशत कम होती है.
2. **राज्य सरकार द्वारा छूट -** अधिकतर राज्य सरकारें उन लोगों को बिजली, कर और औद्योगिक सब्सिडी प्रदान करती हैं, जिन्होंने अपने व्यापार को एमएसएमई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया है. उन्हें राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में विशेष रूप से छूट मिलती है.
3. **कर लाभ -** व्यवसाय के आधार पर एमएसएमई में पंजीकृत होने के बाद एक्साईज छूट योजना का लाभ ले सकते हैं. व्यवसाय के प्रारंभिक वर्ष में कुछ प्रत्यक्ष करों से भी छूट मिलती है. व्यवसाय को स्थापित करने में व्यापारियों को सरकार से कई प्रकार की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है.
4. **केंद्र और राज्य की सरकार से अनुमोदन -** एमएसएमई में पंजीकृत व्यवसाय को सरकारी लाइसेंस और प्रमाणीकरण जल्दी और आसानी से मिल जाते हैं. कई ऐसी सरकारी निविदाएं या टेंडर हैं जो कि भारत में लघु व्यवसाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अर्थात केवल एमएसएमई के लिए ही प्रारम्भ की गयी हैं.

सूक्ष्म उद्योग विकास की उस अवधारणा के वाहक हैं, जो यह मानती है कि गरीब को मछली देने पर उसकी भूख केवल एक समय के लिए मिटती है जबकि उसे मछली पकड़ना सिखाने पर उसकी एवं उसके परिवार के लिए सतत आजीविका मिलती है.

नीतिकार भी प्रायः जानते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र किसी भी देश की आर्थिक पुनर्स्थापना के बीज स्वरूप होता है. यह उद्यम रोजगार सृजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और सम्पूर्ण रोजगार संभावना को दो तिहाई हिस्सा सृजित करते हैं. यह केवल हमारे ही नहीं बल्कि पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बराबर उन्नति के अवसर मुहैया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन दूर होता है और राष्ट्रीय आय तथा सम्पदा का समान वितरण होता है. लघु और सूक्ष्म उद्यम विश्व बाजार में अपने देश और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्हें हर प्रतिस्पर्धा में भी चिन्हित किया जाता है. यह समग्र अर्थव्यवस्था के लिए नए विचार-कार्यों के संस्थापक, नई प्रक्रियाओं के जनक एवं संवाहक तथा उपलब्ध संसाधनों के उपयोगकर्ता होते हैं.

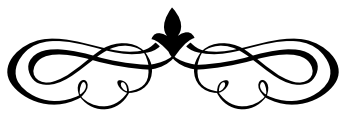

एमएसएमई उत्पाद का विपणन

देवेश बाजपेई
मुख्य प्रबंधक
क्षे. म. प्र. का., दिल्ली

सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योग देश के कारोबार और अर्थव्यवस्था की एक कड़ी है. ये उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी में 29.7% और भारतीय निर्यात में 49.66% का योगदान देते हैं तथा लगभग 15 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं. इन उद्योगों का फैलाव दूर-दराज के क्षेत्रों से लेकर महानगरों तक है और हर वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं के उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करते हैं.

देश के विकास के लिए एमएसएमई उद्योगों की महती आवश्यकता इनके विकास और संवर्धन पर निर्भर है. यह जरूरी है कि उद्योगों के विकास के लिए उनके उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहे . परंतु पल-पल बदलती दुनिया में उत्पाद और सेवाओं में सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता रहती है, जिसके लिए उद्यमिता (Entrepreneurship) और पूंजी की आवश्यकता रहती है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एमएसएमई उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए हमेशा अग्रणी रहा है. समय-समय पर बैंक ने अपने उत्पादों को ग्राहक और बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है.

वर्तमान युग में परिवर्तन बहुत ही तेजी से हो रहा है, जिसके लिए अच्छे उत्पाद के साथ विपणन कौशल का भी महत्व बढ़ता जा रहा है. पहले कहा जाता था कि ज्ञान ही शक्ति है (Knowledge is Power), परंतु इस तकनीकी समय में ज्ञान का आदान-प्रदान करना ही शक्ति है (Sharing of information is Power). इसलिए बैंक को अपने उत्पाद का विपणन करने के लिए उत्पादों की विशेषता को ग्राहकों के बीच जानकारी प्रदान करना, परंतु उससे भी अधिक जरूरी है कि बैंक के स्टाफ सदस्य भी उत्पादों की समुचित अद्यतन जानकारी रखें.

विपणन की मुख्य आवश्यकता लाभप्रदता है, हर उद्योग का उद्देश्य लाभप्रदता ही होता है. विपणन करते समय ग्राहक/ उद्योग को हमारे उत्पाद से क्या लाभ प्राप्त हो रहा है

हमें इसकी जानकारी रखनी होगी, जिससे जानकारी के बाद ग्राहक स्वत: आकर्षित हो सके.

2. ग्राहक की आवश्यकता के सापेक्ष ही उनको बैंक का उत्पाद प्रदान करना चाहिए. इसके लिए ग्राहक के व्यापार की जरूरत और व्यापार में आगे क्या संभावनाएँ हैं उनका भी ध्यान रखना होगा. चूंकि बैंक का ऋण ग्राहक के व्यापार/ उद्योग के विकास के लिए दिया जा रहा है, परंतु जो उद्योग अभी चल रहा है और उत्पाद के मांग की संभावनाएँ कम हैं तो भी बैंक को सावधान रहने की जरूरत है.

ग्राहक से वार्ता के समय हमें ग्राहक को ज्यादा सुनना चाहिए जब तक उसकी जरूरत का सही आकलन न हो जाए, जिसके उपरांत सही उत्पाद की जानकारी दी जा सके.

3. ग्राहक को बैंक का उत्पाद प्रदान करते समय समयबद्धता का भी पालन करना चाहिए. उत्पाद को सही समय पर प्रदान न कर पाने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि उक्त उत्पाद की मांग कम हो जाए या अन्य कोई व्यवधान आ जाए. बैंकिंग उत्पाद भी एक औषधि की तरह है जोकि अगर सही समय पर प्रदान नहीं की गई तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

4. यूनियन बैंक हमेशा अपने ग्राहकों के साथ एक लंबे संबंध के लिए प्रचलित है. हमें अपने ग्राहकों के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाए रखना है ताकि ग्राहक हमारे साथ जुड़ा रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम समय-समय पर ग्राहकों से मिलते रहें और उनकी समस्याओं को दूर करें तथा नवीन जरूरतों के लिए अपने उत्पाद उनको उपलब्ध करा सकें.

5. बैंक द्वारा प्रदत्त उत्पादों का विपणन करते समय हर क्षेत्र के अनुसार अलग व्यापार की संभावनाओं और वहां पर होने वाले व्यवहार को भी देखना होता है. वर्तमान विषम परिस्थितियों में उत्पाद का विपणन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को भी ध्यान में रखकर योजना बनाई जा सकती है.

- **रिवाज:** जिस भी क्षेत्र में हमें एमएसएमई के उत्पादों का विपणन करना है या लोगों को उन तक पहुंचाना है. लघु और सूक्ष्म उद्योग अधिकांशत: विशेष क्षेत्र आधारित होते हैं; जैसे कि पीतल उद्योग, कालीन, होज़री आदि. वहां पर उस क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पर ही व्यापार होता है और अधिकांश लोग उसका पालन करते हैं. विपणन करते समय अपने उत्पाद की विशेषताओं को प्रचारित करने से पूर्व हमको वहां की परम्पराओं का भी अध्ययन करना चाहिए, और उसके साथ सामंजस्य बनाकर अपने उत्पाद को क्षेत्र में प्रचारित करना चाहिए ताकि ग्राहक शीघ्र ही अपनी वित्तीय

आवश्यकताओं के लिए हमसे मदद ले सके. चूंकि विपणन का सही महत्व तभी होता है, जब उत्पाद की विशेषताएं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों. विपणन करते समय उस क्षेत्र के व्यापार से संबंधित रीति-रिवाज का सही अध्ययन कर उसका अनुप्रयोग कर हम ग्राहकों के बीच एक अच्छा स्थान बना लेते हैं, जिससे बैंक के उत्पाद का अधिकतम विपणन सहज और सुगम हो जाता है.

- **लागत:** हर उत्पाद के उत्पादन से लेकर विक्रय तक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्पाद की क्या लागत है और उसके विक्रय से क्या लाभ हो रहा है. प्रत्येक उत्पाद लाभ के लिए है, इसलिए जब भी हम एमएसएमई उत्पाद का विपणन करने जाएँ तो अपने उत्पाद की क्या ब्याज दर होती और अन्य शुल्क उन पर क्या प्रभारित होंगे. ग्राहक को उसके उत्पाद से क्या फायदा मिल रहा है, दूसरे बैंकों और एनबीएफ़सी इकाइयों के उत्पाद की क्या लागत है, इसका विशेष रूप से अध्ययन करना होगा. यदि संभव हो तो सभी का मूल्यांकन करते हुए एक चार्ट बनाना होगा कि अन्य बैंकों / एनबीएफ़सी की तुलना में हमारे बैंक से यह लाभ हो रहा है, इस चार्ट को ग्राहक से बातचीत के दौरान दिखाएं, लेकिन ध्यान रहे जब तक संभावित ग्राहक ज्यादा दबाव न डाले तो इस चार्ट को उसे न दें, केवल उसे बस दिखाएं.लागत का जितना सही मूल्यांकन करके आप जाएंगे , ग्राहक पर आपके उत्पाद और साथ में आपका सर्वोत्तम प्रभाव पड़ेगा. यदि संभव हो तो ग्राहक के व्यापार क्षेत्र की जानकारी भी रखें कि उसके व्यापार का प्रचलित Business Model क्या है, जिससे लागत के आकलन और उसके विक्रय से होने वाले लाभ का सही मूल्यांकन करेंगे और ग्राहक को होने वाले लाभ की सही तस्वीर दिखा सकेंगे.

- **सुगमता (Convenience):** प्रत्येक उत्पाद की सफलता तभी है जब वह संभावित ग्राहक को सुगमता से प्राप्त हो और उसे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. चूंकि एमएसएमई उत्पाद अन्य उत्पादों से भिन्न है, इसमें ग्राहक को समय से एवं उचित सेवा प्रदान करने पर ही लाभ है. विपणन की सही स्कीम जानने के बाद ही ग्राहक उत्पाद को लेना चाहता है तो उसको उचित फार्म प्रदान करके एवं उनको भरवाकर शाखा में जमा करना. शाखा में संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी से समन्वय बनाए रखना ताकि आवेदन का बैंक के नियमानुसार निस्तारण होता है. ग्राहक के निरंतर संपर्क में रहें, जिससे कि ग्राहक परेशान न हो. यदि आवेदन मंजूर होता है तो उसकी शर्तों सहित जानकारी ग्राहक को प्रदान करनी चाहिए. ऋण वितरण से संबंधित कार्रवाई को यथाशीघ्र पूरा संपन्न किया जाना चाहिए तथा सही समय पर ऋण वितरण हो सके.

- ऋण वितरण के पश्चात प्रत्येक माह एक बार अपने ग्राहक को उसके कार्यस्थल पर मिलना चाहिए और उससे कुछ लीड्स के बारे में अनुरोध करना चाहिए, इससे एक फायदा यह भी है कि Post Disbursement के बाद भी Due Diligence हो जाय.
- ग्राहक से उत्पाद में किसी भी प्रकार के सुधार की गुंजाइश है तो उसके सुझाव को उच्च कार्यालय को भी प्रेषित करना चाहिए.
- यदि ऋण प्रस्ताव नामंज़ूर होता है तो उस स्थिति में भी ग्राहक को विनम्रता से सूचित करना चाहिए.
- बैंकिंग उत्पाद के विपणन और वितरण में विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए. यदि किसी कारणवश ग्राहक का व्यवहार उचित नहीं है तो मौन का सहारा लेना चाहिए.
- ग्राहक की बातों को बातचीत के समय अपने पैड में जरूर नोट करना चाहिए, इससे ग्राहक पर सकारात्मक / अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जो कि बाद में उत्पाद के विपणन / विक्रय में लाभदायक सिद्ध होता है.
- ग्राहक को एक समय में दो-चार से अधिक उत्पाद की विशेषताएँ नहीं बतानी चाहिए. यह देखा गया है कि एक सामान्य व्यक्ति एक समय में केवल चार बिन्दुओं को ही ध्यान में रख सकता है.
- उत्पाद का विपणन इस प्रकार करना है कि ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और संतुष्ट ग्राहक अपने साथ अन्य ग्राहकों को लेकर आए.

"**हर उत्पाद की सफलता हमारा ध्येय है**"

बैंक द्वारा विभिन्न उत्पाद एमएसएमई उद्योगों के लिए बनाए गए हैं, जिनकी जानकारी समस्त स्टाफ सदस्यों को होनी आवश्यक है, ताकि हर स्टाफ एक सफल विपणन सदस्य की भूमिका निभा सके.

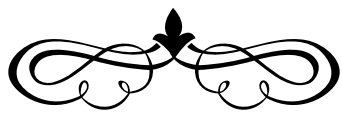

एम एस एम ई ऋण में धोखाधड़ी एवं रोकने के उपाय

शशिकांत तिवारी
मुख्य प्रबन्धक (संकाय)
एसटीसी, गुरुग्राम

धन प्राप्त करना मनुष्य की पुराने समय से प्रवत्ति रही है. धन प्राप्ति की यह लालसा तब बुरी भी नहीं थी, क्योंकि तब सिर्फ धन की प्राप्ति नहीं बल्कि धन प्राप्ति के साधन और माध्यम का भी पूरा-पूरा ख्याल रखा जाता था. प्रायः धन प्राप्ति की मंजिल सत्य के राह से होकर ही गुजरती थी. परंतु समय बदला और समय के साथ लोग भी बदले. अब मुझे चाहिए पैसे, ऐसे या वैसे! मुझे चाहिए पैसे! ये भावना प्रधान हो गई है. अब सारी निगाहें पैसे पर टिकी हैं, माध्यम का कोई महत्व नहीं रह गया है शायद! अब धन चाहिए सिर्फ धन!!! यही भावना जन्म देती है हर बैंकर के दुराः स्वप्न को! फ्राड को!!!

अब के समय में धन प्राप्ति के साधनों में सबसे सरल और प्रमुख रह गया है बैंक. जब से बैंकों की स्थापना हुई है, सामान्य व्यवसाय के साथ-साथ बैंकों के साथ एक और चीज़ चलती रही है और वह है धोखा या फ्राड. धोखेबाजों ने हर संभव वे तरीके अपनाए हैं, जिससे बैंकों को धोखे दिये जा सकें. अब बैंकों पर धोखे की ऐसी चाबुक लगी है कि हर बैंक को अब आने वाले खतरे के लिए सजग होना ही पड़ेगा और इस खतरे को रोकने के उपायों के लिए कुछ ठोस उपाय करना ही पड़ेगा, विशेष रूप से ऋण विभाग में.

पिछले पाँच साल में हुए फ्राड जिनमें संबंधित रकम रुपए एक लाख या उससे ऊपर थी, विश्लेषण पर यह पाया गया कि जब से व्यवस्थित और व्यापक प्रणाली से ऋण खातों की जांच की जा रही है, चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही में ही कई पुराने मामले जो कि दबे हुए थे, उभर कर सामने आए हैं और जिस रफ्तार से यह मामले सामने आ रहे हैं, इस बात की पूरी दुराशा है कि निकट भविष्य में ऐसे मामलों की संख्या भयावह रूप से और बढ़ेगी. नीचे दिये गए आंकड़ों से ऋण खातों और गैर ऋण खातों से संबंधित फ्राड के तुलनात्मक अध्ययन पर यह पाया गया कि ऋण खातों से संबंधित राशि का प्रतिशत बहुत ही ज्यादा है.

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	फ्राड (संख्या में)	कुल फ्राड में से ऋण से संबंधित प्रतिशत (संख्या में)	फ्राड राशि में (₹ करोड़ में)	कुल फ्राड में से ऋण से संबंधित राशि (प्रतिशत में)
01	2014-15	2251	48.52	17122	88.01
02	2015-16	2125	45.28	17368	92.88
03	2016-17	2322	45.74	20561	85.91
04	2017-18	2525	42.68	22558	54.80
05	2018-19	3606	53.02	64548	90.22
06	2019-20*	2438	55.25	110419	97.39

स्त्रोतः आर बी आई, (*2019-20 की प्रथम छमाही तक)

आर बी आई की इस रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रिपोर्टेड फ्राड (ऋण और गैर ऋण संबंधी) विगत 2000-01 से 2017-18 तक में रिपोर्टेड फ्राड का 90.6 प्रतिशत थी. साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के पहली छमाही तक कुल रिपोर्टेड फ्राड 2018-19 में रिपोर्टेड फ्राड का 97.39 प्रतिशत है. स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है की निकट समय में फ्राड रिपोर्टिंग की संख्या अविश्वसनीयरूप से बढ़ी है. यह भी साफ है कि अविश्वसनीयरूप से भले ही रिपोर्टेड ऋण से संबंधित प्रकरणों की संख्या कुल रिपोर्टेड फ्राड की संख्या का लगभग आधा है, परंतु राशि के मामले में प्रतिशत बहुत ज्यादा है.

जब सारे बैंक अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि फ्राड न होने दिया जाए तो फिर ऐसा क्यों है कि समय-समय पर फ्राड होते रहते हैं और बैंकों में यह भय का वातावरण बना हुआ है कि जाने कब किस बैंक की किस शाखा के किस खाते में फ्राड हो जाए. एम एस एम ई ऋण खातों में फ्राड रोकने के उपाय से पहले यह जानना ज्यादा आवश्यक है, फ्राड के कारणों का विश्लेषण. एक बैंकर सचेतन मन या अचेतन मन से प्रायः निम्न कार्यों को प्राथमिकता देता हैः

1) **जमा राशि संग्रहणः** अच्छा खाताधारक या अच्छी पार्टी, प्रायः बैंकर उसी को मानता है, जो बड़ी मात्रा में अपने जमा खातों में धनराशि रखता है. लेकिन जब नज़र सिर्फ लक्ष्य पर रहती है तो पैर फिसलने का खतरा ज्यादा रहता है. ऐसी स्थिति में जब यही तथाकथित बड़ी पार्टी कोई ऋण सुविधा प्रायः एम एस एम ई ऋण की मांग करती है तो प्रायः बैंकर बढ़- चढ़कर सुविधा प्रदान कर देता है. यहाँ ऋण देना गलत नहीं है, बस गलती तब हो जाती है जब यह ऋण सुविधा पार्टी के प्रभाव में आकर नियमों को शिथिल कर दी जाती है. निश्चय है जब कभी भी ऋण सुविधाएं मूल प्रक्रिया को शिथिल कर दिया जाता है, खाता खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है.

2) **लक्ष्य प्राप्ति:** बैंकों में समयानुसार लक्ष्य निर्धारण किया जाता है और फिर इस लक्ष्य को पाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाता है. यह हरसंभव प्रयास येन-केन प्रकारेण किया जाता है. उदाहरण के तौर पर सबसे प्रमुख है विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग में ऋण खातों (कैश क्रेडिट) को नामे कर जमा खातों को जमा किया जाता है और फिर एक या दो दिन बाद पुन: जमा खाते को नामे कर संबंधित ऋण खाते को जमा किया जाता है. यह प्रक्रिया निश्चय ही सामान्य बैंकिंग नहीं है परंतु सिर्फ निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस शॉर्ट कट प्रक्रिया को अपनाया जाता है. परंतु इस प्रक्रिया का नुकसान सिर्फ यहीं तक नहीं है, क्योंकि जब कभी वही पार्टी जब अपने कैशक्रेडिट खाते को नामे कर अपने चालू खाते में जमा करने को कहती है तो फिर उस स्थिति में बैंकर मना नहीं कर पाता है और फिर फ़ंड डाइवरजन की संभावना बढ़ जाती है, जो आगे चलकर फ्राड भी हो सकता है.

3) **प्रतिस्पर्धात्मकता:** प्रतिस्पर्धा अपने बैंक के अन्य शाखा से या किसी अन्य बैंक की किसी शाखा से होना सामान्य बात है. परंतु जब इसकी ललक आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है तो फिर बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाज़ी मार ले जाता है. ऋण देने की अंधाधुंध दौड़ में आज लगभग सारे बैंक शामिल हैं और ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि वह लाभार्थी भी ऋण पा जाए जो कि यथोचित न हो. यह स्थिति भी फ्राड की तरफ ले जाती है. प्रतिस्पर्धा, व्यवसाय के लिए निश्चय ही एक आवश्यक गुण है, परंतु अंधी और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तो बैंकों का ही नुकसान कराएगी.

अब आवश्यकता इस बात को जानने की है कि आखिर ये फ्राड करता कौन है! फ्राड कोई भी हो अर्थात या तो अन्य प्रकरणों में हो या फिर एम एस एम ई प्रकरणों में. फ्राड तीन स्थितियों में संभव हैं:

- सिर्फ बैंक कर्मचारियों के द्वारा
- बैंक कर्मचारी और बाहरी कारकों के संलयन द्वारा
- सिर्फ बाहरी कारकों द्वारा

प्राय: देखा गया है कि सबसे ज्यादा फ्राड्स में बैंक कर्मचारी और बाहरी कारकों की मिलीभगत रहती है. बहुतेरे प्रकरण में तो यहां तक देखा गया है कि जब कभी भी विजिलेन्स या अन्य जांच एजेंसियों ने अपनी जांच प्रक्रिया प्रारम्भ की है तो यह पहले ही मान लिया है कि इसमें दोनों अवयवों अर्थात बैंक कर्मचारी एवं बाहरी लोगों का हाथ रहा होगा. यदि इन धोखाधड़ी प्रकरण को रोकने के उपाय करना है तो ये उपाय निश्चय ही यथा शीघ्र करने होंगे अन्यथा बहुत देर हो जाने की संभावना है. फ्राड रोकने के निम्न उपायों पर अमल किया जाना श्रेयष्कर होगा :

1. **समयानुसार अनुवर्ती कार्रवाई:** ऋण खातों में निगरानी का कार्य ऋण देने के पहले से लेकर ऋण खाता बंद होने तक का है. परंतु भले ही ऋण संवितरण से पहले खातों पर पूरा ध्यान दिया जाता रहा है लेकिन समयानुसर अनुवर्ती कार्रवाई न होने कि दशा में ऋणियों का बैंक से संपर्क धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है और ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा विपरीत असर प्रतिभूतियों पर पड़ता है. कभी तो दृष्टिबंधक प्रतिभूतियाँ या तो बेच दी जाती हैं या फिर उनका मूल्य कम हो जाता है. समय रहते ऐसी स्थितियों को काबू में न लाने की स्थिति में खाता धीरे-धीरे फ्राड की तरफ जाने लगता है. अतः यहाँ यह कठोर रूप से आवश्यक है कि सभी दिए गए एम एस एम ई ऋण खातों पर समयानुसार अनुवर्ती कार्रवाई करते रहा जाए. ऐसी स्थिति में हितग्राही भी सजग रहता है, जो कि बैंकर्स के लिए सम परिस्थिति है.

2. **गतिविधियों की करीब से निगरानी :** जैसा कि ऊपर अनुवर्ती कार्रवाई की चर्चा की गई है तो साथ ही यह भी आवश्यक है कि खाते से संबंधित सभी गतिविधियों की करीब से निगरानी भी की जाए. ऋणी के उन सभी कदमों का उचित मूल्यांकन अति आवश्यक है, जिससे कि बैंकर समयानुसर उचित कार्रवाई कर सके.

3. **वास्तविक वितरण पर उचित नियंत्रण :** यहाँ यह देखना भी उचित होगा कि क्या खाते में वितरण सही तरीके से हुआ है या नहीं अर्थात वितरण उसी दर से किया गया है या नहीं जिस प्रकार प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दर्ज था. जब कोई प्रोजेक्ट को वित्तपोषित किया जाये जिसमें सावधि ऋण और कैश क्रेडिट दोनों सुविधाएं दी जानी हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ही राशि का संवितरण किया जाए. यह भी देखा जाए कि संवितरण सिर्फ प्रस्तावित मद में ही हो. यदि लघु अवधि (तत्कालीन) देयता से दीर्घावधि या गैर तात्कालिक परिसंपत्तियों का निर्माण कर लिया जाए तो यह भी क्रमशः आंतरिक और बाह्य विचलन होता है. यह स्थिति भविष्य में निश्चय ही विषम परिस्थिति उत्पन्न करेगी. यह उचित संवितरण निश्चय ही फ्राड के कारकों को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगी.

4. **प्रतिभूतियों पर नियंत्रण :** प्रतिभूतियाँ मुख्य हो या संपार्श्विक! दोनों ही स्थितियों में उनका उचित रखरखाव करने की जितनी जिम्मेवारी हितग्राही की है उतनी ही बैंकर की भी है. समयानुसार खातों की प्रतिभूतियों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए. इनके बीमा का भी समयानुसार नवीनीकरण होते रहना चाहिए. जब कैश क्रेडिट खातों में स्टॉक स्टेटमेंट लिया जाए तो यह अति आवश्यक है कि उनका विश्लेषण प्रत्येक बार किया जाए. खाते में आहरण शक्ति उपलब्ध और निरीक्षित स्टॉक के आधार पर ही करना चाहिए. काल्पनिक स्टॉक के आधार पर आहरण शक्ति उपलब्ध करने से ऋणी फ्राड करने की तरफ उन्मुख हो सकता है.

5. **शाखा निरीक्षण:** समय समय पर उच्च कार्यालयों द्वारा शाखा के औचक निरीक्षण से भी फ्राड को रोकने में मदद मिल सकती है. जब कभी भी उच्च कार्यपालक शाखा में आते हैं तो निश्चय ही शाखा के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे उच्च गुणवत्ता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं.

6. **रिटर्न रिपोर्ट्स का जमा होना:** एम-27 एवं एफ़-1 रिपोर्ट का समयानुसर जमा होना और उनकी स्क्रुटनी और फिर उसका अनुपालन होना चाहिए. साथ ही साथ समय समय पर सी एम आर डी निरीक्षण भी होते रहना चाहिए ताकि समय रहते सुधार किया जा सके.

7. **ऑडिट :** ऑडिट को भी मजबूती और बारीकी से करना होगा. यदि कुछ शाखा स्तर पर कमी रह गई हो तो उसका तुरंत निराकरण किया जा सके. अभी हाल ही में अन्य बैंकों में हुए फ्रॉड भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यदि ऑडिट का स्तर और ऊंचा रहता तो शायद ये फ्रॉड रोके जा सकते थे.

8. **कर्मचारी प्रशिक्षण:** समय समय पर बैंक की नीतियों में बदलाव होते रहते हैं. ऐसी स्थिति में प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने को अद्यतन करते रहें, परंतु शाखा में कार्य के अति दबाव में प्रत्येक कर्मचारी ऐसा नहीं कर पाता. अत: बैंक ऐसी व्यवस्था बनाए कि बैंक का प्रत्येक कर्मचारी यदि वह ऋण संविभाग में कार्य करता है तो निश्चय ही वर्ष में कम से कम एक बार एम एस एम ई ऋण का प्रशिक्षण प्राप्त करे. यदि कर्मचारी प्रशिक्षित रहेगा तो निश्चय ही फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी.

9. **फ्रॉड संबंधी सूचना का व्यापक प्रचार:** ऐसा देखा गया है कि अधिकतर फ्रॉड का तरीका एक जैसा ही होता है या यूं कहें कि उसी तरीके का दुहराव होता रहता है. अब यदि ऐसे तरीकों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तो निश्चय ही अधिकतर कर्मचारी फ्राडस्टर के तरीकों को जानकर उनसे सावधान रहेंगे.

निष्कर्ष: यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि ऋण विभाग के साथ जोखिम और हानि सदैव जुड़े रहते हैं. अब जबकि एम एस एम ई ऋण संवितरण के लिए बैंक के साथ-साथ सरकार भी जोर दे रही है और इस प्रतिस्पर्धा में ऋण खातों का फ्रॉड के रुप में प्रवृत्त हो जाना किसी भी तरह से आश्चर्य उत्पन्न नहीं करता. आवश्यकता है, हर कदम को सावधानी से रखने की और स्वयं को अद्यतन रखने की. साथ ही यह आशा की जा सकती है कि यदि उपरोक्त कदम उठाए जाएँ तो निश्चय ही एम एस एम ई ऋण में हो रहे फ्राड की उच्च दर पर नियंत्रण पाया जा सकता है.

एमएसएमई ऋण-समुचित सावधानी

श्री बैजू कुमार मण्डल / सुश्री अपूर्वा सिंह
प्रबंधक / प्रबंधक (रा.भा.)
क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी

भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है. एमएसएमई आज भारत में रोजगार के एक बड़े सृजनकर्ता के रूप में तेजी से उभर रहा है. एमएसएमई उद्योग न केवल रोजगार अपितु स्वरोजगार के अनेक अवसर प्रदान कर रहा है. केंद्र एवं राज्य सरकार कई तरह की योजनाएँ प्रारम्भ कर एमएसएमई उद्योग को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा दे रही हैं. इस क्षेत्र के इसी महत्व को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा है, साथ ही सरकार भी इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी रियायतें भी दे रही है.

एमएसएमई उद्योग का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है, क्योंकि यह उद्योग न केवल आंतरिक जरूरतों को पूरा कर रहा है, वरन निर्यात में भी अपना अनुपम योगदान दे रहा है. हमारे बैंक में भी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आकर्षक ब्याज दर पर इस क्षेत्र में ऋण प्रदान किया जाता है.

किसी भी ऋण प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए बहुत सारे दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है, जो कि हमारे बैंक के द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं. साधारणत: हम उन सभी निर्देशों को ध्यान में रखते हैं, परंतु कभी-कभी हम कुछ पहलू, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं, हमसे नज़रअंदाज़ हो जाते हैं. हम यहाँ उन्हीं सावधानियों के बारे में बता रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम भविष्य में अचानक होने वाले जोखिमों को कम कर सकते हैं.

ग्राहक का साक्षात्कार और आवेदन लेते समय :

किसी भी ऋण का प्रथम चरण आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के दौरान हमें आवेदक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का अवसर होता है जैसे कि उनका अनुभव कितना है? वर्तमान में वे क्या कर रहे हैं, उनकी वित्तीय स्थिति क्या है? उनका स्थायी निवास कहाँ हैं? आदि. चूंकि इस तरह की सारी जानकारी हमारे निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में जितना अधिक हो सके, जानकारी

प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए. खासकर उनके पारिवारिक, व्यावसायिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में, तत्पश्चात हमें उनकी ऋण संबंधी आवश्यकता और प्रस्तावित या वर्तमान व्यवसाय के वाइबिलिटी के संबंध में आकलन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए.

ऋण आवेदन पत्र हमेशा आवेदक से एक ही तरह की स्याही में भरवाना चाहिए, साथ ही उसमें अधिकतम जानकारियों को भरवाना चाहिए. कोई भी कॉलम या अनुच्छेद, यदि लागू नहीं है, तो उसमें 'लागू नहीं' लिखना चाहिए.

केवाईसी दस्तावेजों का यथासंभव ऑनलाइन सत्यापन करते हुए ई-केवाईसी को प्राथमिकता देनी चाहिए.

क्रेडिट इन्फॉर्मेशन

यह भी आवेदन का ही एक भाग है. अक्सर हम इसे लेते समय इसमें उल्लिखित सम्पत्तियों या देयताओं को सही तरीके से जांच नहीं करते, जिससे ऋण मूल्य निर्धारण (प्राइजिंग) एवं रिस्क रेटिंग प्रभावित हो सकती है. जब हम किसी एमएसएमई ऋण की रेटिंग करते हैं, तो उसमें एक पैरामीटर में आवेदक के साधन (मीन्स) के बारे में उल्लेख करना होता है. गलत साधन (मीन्स) डालने से इसकी रेटिंग अवनत (डाउनग्रेड) या उन्नत (अपग्रेड) हो सकती है. चूंकि हमारे बहुत से उत्पाद पर ब्याज उनकी रेटिंग के आधार पर लगाया जाता है, इसलिए ये हमारे बैंक के ब्याज आय को प्रभावित कर सकता है, साथ ही साथ जोखिम के स्तर का आकलन भी गलत हो सकता है.

ग्राहक से क्रेडिट इन्फॉर्मेशन लेते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि ग्राहक किसी भी चल या अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख करता है, तो हमें उसके साक्ष्य यथा संपत्ति कर रसीद (प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट) अवश्य लेने चाहिए. साथ ही यदि वो किसी अपने अन्य बैंक खातों का उल्लेख करता है, तो हमें उसके बीते हुए एक वर्ष के विवरण को जाँचना चाहिए. इससे हमें और भी कई तरह की जानकारी मिल सकती है. उदाहरणतः खातों में कितने चेक जमा हो रहे हैं या वे रिटर्न हो रहे हैं, नकदी लेनदेन ज्यादा है या टर्नओवर क्या है आदि.

यदि व्यक्तिगत आईटीआर लेते हैं तो उसका सहायक अभिकलन (सपोर्टिव कंप्यूटेशन) और व्यक्तिगत तुलन-पत्र लेकर तीनों को मिलाना चाहिए. इसके साथ-साथ हमें आईटीआर को ऑनलाइन सत्यापित करना चाहिए, क्योंकि कई बार आईटीआर फ़ाइल तो किया जाता है परंतु उसे सत्यापित नहीं किया जाता. ऐसा करने से हमें आवेदक की आय को सत्यापित करने में मदद मिलेगी.

समुचित सावधानी के क्रम में

ऋण स्वीकृति प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण यही होता है. वर्तमान समय में हमारे

पास बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन साधन उपलब्ध हैं, जिसकी सहायता से हम एक प्रभावी ड्यू डिलिजेन्स कर सकते हैं.

जैसे जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी ऋण के लिए आवेदन करती है, तो हम उस कंपनी के बारे में एमसीए पोर्टल से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, यथा कंपनी ने कहीं और से ऋण लिया है कि नहीं? उसकी अधिकृत पूंजी क्या है? प्रदत्त पूंजी (पेड अप) कितनी है? कोई वैधानिक मुक़दमेबाज़ी तो नहीं है? इसी तरह एमसीए पोर्टल से हम उस कंपनी के संचालक (डायरेक्टर) के संबंध में भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि इसके अलावा और कितने कंपनी में डायरेक्टर हैं?

यदि ऋण आवेदन पाँच करोड़ या उससे अधिक का है या आवेदक का कहीं दूसरे वित्तीय संस्थान से कोई ऋण सुविधा पाँच करोड़ रुपए या उससे अधिक की है तो हमें निश्चित रूप से सीआरआईएलआईसी (CRILIC) रिपोर्ट मांगना चाहिए, जिसके लिए हमारे बैंक ने एक ईमेल आईडी जारी किया है, वह है UBICRILC@unionbankofindia.com. यहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त हो सकती है कि आवेदक वर्तमान देयता का सही समय पर भुगतान कर रहा है या नहीं या भूतकाल में उसने कोई डिफ़ाल्ट तो नहीं किया?

दूसरा ऑनलाइन साधन है सिबिल रिपोर्ट. इसके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है. कभी-कभी हम सिबिल में उल्लिखित छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, जैसे आवेदक का पता सिबिल प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम चार पता का रिकॉर्ड रखता है. अगर वे चारो पते अलग-अलग हैं तो हमें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. कभी-कभी रिपोर्ट में कुछ ऐसे ऋण के बारे में उल्लेख होता है, जिसके बारे में आवेदक बोलता है कि वह बंद हो चुका है जबकि रिपोर्ट के अनुसार वह सक्रिय दिखता है. इस स्थिति में हमें support@cibil.com पर सिबिल की कॉपी मेल करके उस ऋण के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए.

यदि आवेदक हमारा वर्तमान ग्राहक है, तो हमें उसके अकाउंट की एचएटीओआर (HATOR) मेन्यू से जांच करना चाहिए कि उसका क्रेडिट टर्नओवर क्या है, औसत शेष क्या है, इससे हमें व्यवसाय की वर्तमान स्थिति को जानने में सहायता मिलेगी.

इन सब बातों के साथ-साथ हमें सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री, विलफुल डिफॉल्टर सूची, ईसीजीसी सतर्कता सूची आदि की जांच जरूर करनी चाहिए. इसके लिए हम यूबीआई नेट के माध्यम से सूची डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही हम सीएमआरडी पोर्टल से भी डिफॉल्टर एंटीटी एंड डायरेक्टर को सर्च कर सकते हैं.

विधिक रिपोर्ट पढ़ते समय बरतने वाली सावधानियाँ :

एमएसएमई ऋण में सिक्योरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसके आधार पर भी किसी भी ऋण को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है. किस तरह की सिक्योरिटी

हमें लेनी है या नहीं? इसके लिए बैंक की संपार्श्विक (कोलेटेरल) पॉलिसी से हमें मार्गदर्शन मिल जाता है. किसी भी संपत्ति पर वैध बंधक (वैलिड मोर्टगेज) कर सकते हैं या नहीं? इसके लिए हमें बहुत सारे तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए जब भी हम विधिक रिपोर्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि यह रिपोर्ट बैंक के द्वारा स्वीकृत प्रारूप में हो और हमारे बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हो. तदनुसार हमें यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति का स्वामित्व (ऑनरशिप) कैसा है? यथा लीज होल्ड है या फ्रीहोल्ड है, 30 वर्षों के क्रम के बारे में लिखा गया है कि नहीं? साथ ही संपत्ति का वर्गीकरण क्या है, साथ ही कानूनी रूप से सही मोर्टगेज संभव है या नहीं इस पर वकील ने क्या टिप्पणी की है. विलेख के प्रामाणिकता के बारे में क्या लिखा है.

कहीं-कहीं से इस तरह के तथ्य सामने आते हैं कि विलेख ही फर्जी होता है, अत: हमें विलेख को चेक करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए यथा पृष्ठों की गिनती करना कि कोई पृष्ठ बीच से निकला तो नहीं है, साथ ही अंतिम पृष्ठ पर पंजीयक का मुहर है या नहीं. इसके हर पृष्ठ को प्रमाणित प्रति (सर्टिफाइड कॉपी) के साथ जरूर मिलाना चाहिए. आजकल कई जगह पर लैंड का ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध होता है. जहां पर भी ये सुविधा है, वहाँ पर निश्चित ही वेब रिकॉर्ड की जांच कर, मिलान करना चाहिए कि विलेख में उल्लिखित जानकारी सही है या नहीं या उसे वेब में अपडेट किया है या नहीं?

इस तरह की सावधानी से हम संपत्ति की वैधता या स्वीकार्यता को सुनिश्चित कर सकते हैं.

मूल्यांकन रिपोर्ट:

इस रिपोर्ट को हमें विधिक रिपोर्ट के साथ पढ़ना चाहिए और सबसे पहले दोनों में जमीन का क्षेत्रफल एक तरह है या नहीं? उसकी चौहद्दी (बाउंड्री) एक तरह की है या नहीं, जमीन का वर्गीकरण, प्लान अनुमोदन एक तरह है कि नहीं, इन सभी का ध्यान रखते हुए हमें उसके मूल्य को ऑनलाइन सत्यापित करना चाहिए. संपत्ति के विक्रेयता (मार्केटिबिलिटी) पर वैल्यूअर ने क्या मत दिया है. साथ ही क्या वह प्रॉपर्टी लैंड लॉक है या नहीं? इन सबके आधार पर हम संपत्ति के मूल्यांकन के प्रभावी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं.

कानूनी अनुमति :

एमएसएमई इकाइयों के संचालन के लिए बहुत सारी कानूनी अनुमतियों की आवश्यकता होती है यथा ट्रेड लाइसेन्स, प्रदूषण विभाग की अनुमति, पावर कनेक्शन की स्वीकृति, अग्निशमन विभाग की अनुमति, भू-राजस्व प्राधिकरण (लैंड रिवेन्यू) का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) इत्यादि. जब कभी भी हमें ये सारे दस्तावेज़ प्राप्त होते हैं तो उसे हमें

नियामक विभाग जिसने जारी किया है, उसके ऑनलाइन वेबसाइट से सत्यापित अवश्य करना चाहिए. कभी-कभी ऋण आवेदन के समय आवेदक बहुत सारी अनुमति के लिए आवेदन की कॉपी हमें देते हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि व्यावसायिक गतिविधि प्रारम्भ होने के बाद मिलते हैं, जैसे अस्पताल के क्रम में अस्पताल का निर्माण होने के बाद सक्षम प्राधिकारी के निरीक्षण के बाद अनुमति प्रदान की जाती है, लेकिन जो अनुमति पहले मिलती है उसे हमें अवश्य लेना चाहिए, जैसे पावर कनेक्शन. अगर किसी यूनिट के लिए पावर कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसे संबंधित विभाग से ये स्वीकृति मिलती है कि आपको निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद कनेक्शन प्रदान की जाएगी. अगर इस तरह का कोई दस्तावेज़ जमा किया जाता है, हमें उस भुगतान की रसीद जरूर प्राप्त करनी चाहिए.

हमें आवेदक से स्वघोषणा पत्र या सीए सर्टिफिकेट जरूर लेने चाहिए कि आवेदक के नाम में कोई वैधानिक कर या वैधानिक मामला तो लंबित नहीं है..... ?

मियादी ऋण का आकलन करते हुए

मियादी ऋण के प्रस्ताव में हमें प्राप्त कोटेशन का सत्यापन ईमेल के द्वारा अवश्यंभावी रूप से करना चाहिए. साथ ही मूल्य का सत्यापन ऑनलाइन अवश्य करना चाहिए. अगर निर्माण (कंस्ट्रक्शन) की प्लानिंग है, तो अनुमानित लागत बिल्डिंग प्लान के हिसाब से है या नहीं, यदि है तो क्या उल्लिखित मूल्य बाज़ार मूल्य के बराबर है या नहीं? अगर नया निर्माण यूनिट है, तो प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) सेल्स मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता के हिसाब से है या नहीं. यूनिट जो उत्पाद बनायी जा रही है उसकी भविष्य में मांग क्या होगी? जितना वह बनाएगा क्या उस मार्केट में बिक्री हो सकती है या नहीं या अगर वह किसी दूर के मार्केट में भेज रहा है, तो उसका लाभ मार्जिन क्या होगा.

किसी भी प्रोजेक्ट में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी मार्जिन प्रोजेक्ट किया गया है वह कहाँ से आयेगा, क्या वह प्रमोटर स्वयं लाएगा? अगर हाँ तो क्या उसका आईटीआर और आय विवरण इसे सत्यापित करता है या नहीं?

क्या उस यूनिट को चलाने के लिए कुछ खास ट्रेंड प्रॉफेशनल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा या प्रमोटर को उस क्षेत्र का अनुभव है? जहां पर यूनिट लगाया जा रहा है वहाँ का मौसम वहाँ के लिए अनुकूल है या नहीं? जैसे अगर कहीं पर पेन बनाने की फैक्ट्री लगाई जा रही है और वहाँ का तापमान हमेशा अत्यधिक नीचे रहता है तो स्याही के जमने का डर होता है. अतः वहाँ पर इस तरह के यूनिट को परेशानी हो सकती है.

बैंक के द्वारा क्रिसिल इंडस्ट्री रिपोर्ट को देखने की सुविधा यूबीआई नेट के माध्यम से उपलब्ध है. हम इसके माध्यम से उस विशेष इंडस्ट्री की वर्तमान परिस्थिति के बारे में जान सकते हैं.

कैश क्रेडिट ऋण का आकलन करते हुए :

किसी भी व्यवसाय या उत्पादक इकाई के लिए कैश क्रेडिट ऋण के स्तर का आकलन करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे अगर फ़र्म का व्यवसाय चल रहा है तो उसके विक्रय के ट्रेंड का आकलन करने के लिए अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो मासिक जीएसटी रिटर्न से सेल्स को सत्यापित (वेरिफ़ाई) करते हुए प्रोजेक्टेड सेल्स का मिलान (कंपेयर) जरूर करना चाहिए.

साथ ही हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके पास स्टोरेज क्षमता कितनी है? क्या वह जिस उत्पाद का व्यवसाय करने जा रहा है, उसके स्टोरेज के लिए कुछ विशिष्ट सुविधायुक्त स्टोरेज चाहिए या नहीं? क्या वह जल्दी से खराब होने वाली वस्तु तो नहीं एवं उस उत्पाद का इंश्योरेंस कवरेज हो सकता है या नहीं?

बैलेन्स शीट चेक करते समय :

जब कभी हम किसी की बैलेन्स शीट चेक करते हैं, तो वित्तीय आंकड़ों से इतर बहुत सारी जानकारी को हम नजरंदाज कर देते हैं.

जैसे हमें ऑडिटेड बैलेन्स शीट में फॉर्म संख्या 3CB, 3CD को सावधानी से पढ़ना चाहिए. इससे हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है. जैसे आईटी विभाग में फ़र्म की स्थिति क्या है? पार्टनरशिप फ़र्म है तो उनका प्रॉफ़िट शेयर अनुपात (शेयर रेशियो) क्या है, अकाउंटिंग पैटर्न क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस आधार पर किया गया है? कर्मचारी बीमा का भुगतान कैसे और कितना हुआ है? भविष्य निधि में योगदान कितना है? फर्म या कंपनी ने कहां-कहां से असुरक्षित ऋण लिया है? इस तरह की बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है जो कि ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाती है.

संवितरण के समय

ऋण का संवितरण स्वीकृत मार्जिन के साथ वेंडर के खाते में ही करना चाहिए और सामयिक निरीक्षण के द्वारा क्रमवार कार्यों की प्रगति को देखकर अगला संवितरण करना चाहिए.

यदि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी एमएसएमई ऋण को स्वीकृत किया जाएगा तो हम भविष्य के जोखिमों को कम कर सकते हैं.

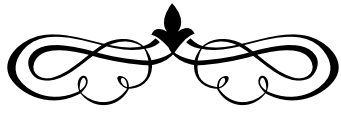

स्टैंड अप इंडिया - एम एस एम ई का सशक्त आधार

निधि सोनी
वरिष्ठ प्रबंधक (राभा), क्षे.म.प्र.का., भोपाल

एम एस एम ई (माइक्रो, स्माल, मीडियम एंटरप्राइज़) जिसे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम भी कहा जाता है. एम एस एम ई देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है. यही कारण है कि, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 2 दिसंबर, 2019 को राज्य सभा में अपने वक्तव्य में कहा कि, एम एस एम ई वास्तव में देश का ह्रदय है. एम एस एम ई देश में 11 करोड़ रोज़गार उत्पत्ति का स्त्रोत है एवं 2024 तक एम एस एम ई द्वारा अतिरिक्त 5 करोड़ रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होने का अनुमान है. 29% विकास का कारक एम एस एम ई ही है एवं देश के 49% निर्यात में एम एस एम ई का सीधा-सीधा योगदान है . भविष्य में एम एस एम ई द्वारा निर्यात में बढ़ोत्तरी एवं विकास की दर को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है, इसी उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए एवं भारतीय उद्योगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तकनीकी केन्द्रों को स्थापित करने हेतु 200 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना को मूर्त रूप दिये जाने की, सरकार द्वारा घोषणा की गयी है (स्त्रोत : 2 दिसंबर, 2019 इकनॉमिक टाइम्स).

इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि, वास्तव में एम एस एम ई आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. एम एस एम ई क्षेत्र का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस क्षेत्र में व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए कम लागत की आवश्यकता होती है, इस प्रकार यह समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने का कार्य करता है. एम एस एम ई समाज के आर्थिक सशक्तिकरण का कारक है.

इसी श्रृंखला में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति - जनजाति के लोगों के सशक्तिकरण की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है- स्टैंड अप इंडिया. 5 अप्रैल, 2016 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जमीनी स्तर पर रोज़गार एवं आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है . यही कारण है कि, इस योजना का लक्ष्य समूह महिलाएं एवं अनुसूचित जाति-जनजाति के ऐसे लोग हैं, जो उद्यमिता में अपना भाग्य आज़माने की इच्छा रखते हैं.

इसके अंतर्गत, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट / नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें निवेश, पहले से बनी हुई औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के बजाय, एकदम नयी औद्योगिक इकाइयों के लिए किया जाता है. इस परियोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति-जनजाति अथवा महिला को, बैंक द्वारा रुपए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच ऋण प्रदान किया जाता है. नई परियोजना के अंतर्गत, मुख्य रूप से, उत्पादन क्षेत्र, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र आते हैं. इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभ प्राप्त करने हेतु, हितग्राही महिलायें अथवा अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो, यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत, व्यक्ति के अलावा कंपनी, फ़र्म, एच.यू.एफ., ट्रस्ट, समिति / सोसाइटी को भी ऋण इस शर्त पर प्रदान किया जा सकता है कि कम से कम, इसमें 51% शेयर किसी महिला या अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति द्वारा धारण किया गया हो, साथ ही उधारकर्ता किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के प्रति चूककर्ता न हो.

साथ ही, ऋण की मार्जिन राशि कुल प्रोजेक्ट का न्यूनतम 25% होगी, जिसमें से कम से कम 10% ऋणकर्ता द्वारा प्रदत्त होगी एवं शेष राज्य अथवा केंद्र सरकार की सब्सिडी से प्रदत्त हो सकती है. इस हेतु ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर होती है, जोकि एमसीएलआर / ईबीएलआर + विस्तार प्रतिशत (स्प्रेड प्रतिशत) होगा (स्त्रोत : बैंक का अनुदेश परिपत्र क्र 1722-2019, दिनांक 30/09/2019). इस योजना के अंतर्गत प्रतिभूति, प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त ऋण संपार्श्विर्क प्रतिभूति (collateral security) अथवा ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत प्रत्याभूत (secured) की जा सकती है. अधिकतम 18 माह की मोराटोरियम अवधि / ऋण स्थगन अवधि, सहित 7 वर्षों में ऋण की चुकौती की जानी होती है. इस योजना के अंतर्गत, टर्म लोन या कार्यशील पूंजी सीमा (वर्किंग कैपिटल लिमिट) दी जा सकती है. कार्यशील पूंजी, सी सी लिमिट (कैश क्रेडिट) के रूप में दी जाती है, हालांकि 10 लाख रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी ऋणी को मंजूर की जाती है. कार्यशील पूंजी के आहरण के लिए ग्राहक को रुपे डेबिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है (स्त्रोत : स्टैंड अप इंडिया पोर्टल).

यह योजना वित्तीय सेवा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ फाईनेन्शियल सर्विसेज) द्वारा लायी गयी ऐसी योजना है, जिसका लाभ हितग्राही, पूरे देश में स्थित 1.25 लाख बैंक शाखाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. यह योजना 2.5 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुँचा रही है. ''स्टैंड अप इंडिया योजना'' को अधिक सुलभ, प्रभावशील और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्टैंड अप इंडिया का ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें निम्न शीर्षों के अंतर्गत महिलाओं / एस सी - एस टी के हितों के लिए जानकारी प्रदान की जाती है - हैंडहोल्डिंग सपोर्ट, क्रेडिट गारंटी, वित्तीय जानकारी संबंधित प्रचार - प्रसार. साथ ही नाबार्ड एवं सिडबी के कार्यालय स्टैंड अप इंडिया कनेक्ट सेंटर के रूप में इस योजना को प्रचारित - प्रसारित करने हेतु कार्य कर रहे हैं.

स्टैंड अप इंडिया निश्चित रूप से एम एस एम ई का **सशक्त आधार** है . एम एस एम ई निरंतर रूप से बड़े पैमाने पर रोज़गार निर्माण का कार्य करता है, भारत एक ऐसा देश है जो प्रति वर्ष 1.2 मिलियन ग्रेजुएट पैदा करने वाला राष्ट्र है, और लगभग 0.8 मिलियन युवा इंजीनियर बनते हैं, इस सुशिक्षित जनशक्ति को रोज़गार प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है, जिन्हें रोज़गार प्रदान करने में एम एस एम ई कारगर सिद्ध हो रहा है. स्टैंड अप इंडिया नए उद्यमों के माध्यम से लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर, एम एस एम ई के उद्देश्य को सफल बनाने का कार्य करता है. यह देश की एक बड़ी जनशक्ति - दलितों, आदिवासियों एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है.

एम एस एम ई लोगों में आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ **व्यावसायिक योग्यता एवं आत्मनिर्भरता बढ़ाने** में सहायता करता है. यदि कोई व्यक्ति स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत ऋण प्राप्त करता है तो उसे व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु प्रॉफेशनल परामर्श, नियमों की जानकारी एवं प्रारम्भिक दो वर्षों के लिए हर प्रकार की सहायता, परामर्श सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है. इसके साथ ही उद्योग पूरी तरह से स्थापित हो जाने के बाद भी परामर्शदाताओं द्वारा परामर्श प्रदान किया जाता है.

एम एस एम ई इंक्लूसिव ग्रोथ अथवा **समावेशी विकास** को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है. भारत में लगभग 50% सम्पत्तियों का स्वामित्व केवल 100 लोगों के पास है जो धन के असमान वितरण के कारण है. इस प्रकार समावेशी विकास एम एस एम ई के समक्ष बड़ी चुनौती है. बैंकों का राष्ट्रीयकरण ऐसे निर्धनों, जिनके पास बैंक सुविधा उपलब्ध नहीं है को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया था, किन्तु स्वतन्त्रता के बाद, आज भी लगभग 40% निर्धन बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं. स्टैंड अप इंडिया आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने का कार्य करता है. इस प्रकार उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है एवं देश में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विभाज्य को कम करने में मदद करता है. वास्तव में, ''सबका साथ, सबका विकास'' के नारे को चरितार्थ करने का काम करता है.

व्यवसाय के लिए सरल **प्रबंधन** संरचना एम एस एम ई की विशेषता है, छोटे उद्योग होने के कारण, कम मजदूरों के साथ ही सफल उद्योग संचालित किया जा सकता है. एक बड़े निगम या उद्योग में जहाँ जटिल संगठनात्मक संरचना के कारण प्रत्येक विभागीय कार्यकलाप के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, वहीं एक छोटे उद्यम को अपने प्रबंधन के लिए बाहरी विशेषज्ञ को किराये पर लेने की आवश्यकता नहीं होती है. मालिक स्वयं ही इसे प्रबंधित कर सकता है. अत: व्यवसाय के लिए लागत भी कम आती है. इसी प्रकार, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से भी, कम लागत में अधिक लाभ कमाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है.

एम एस एम ई, जिस प्रकार ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देते हैं, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत ऋण प्रदान कर, हितग्राहियों को अधिक से अधिक छोटे उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा देते हुए, ''मेक इन इंडिया'' के लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. न केवल ''मेक इन इंडिया'' बल्कि स्टैंड अप इंडिया सरकार द्वारा चलायी जा रही कई योजनाओं की लक्ष्य प्राप्ति में कारगर सिद्ध हो रहा है, वे सभी हितग्राही जो स्टैंड अप इंडिया से लाभान्वित हो रहे हैं, वे प्रधान मंत्री जन-धन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना इत्यादि के भी हितग्राही हैं.

स्टैंड अप इंडिया के व्यापक प्रचार- प्रसार के माध्यम से निश्चित ही इस योजना का अधिक से अधिक लाभ महिलाओं एवं अनुसूचित जाति - जनजाति के ऐसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जिनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही यह योजना बनायी गयी है. वास्तव में तभी इस योजना की शक्ति सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने में कारगर सिद्ध होगी.

क्रेडिट गारंटी फ़ंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का एमएसएमई ऋण में योगदान

नितिन डी गोसावी
मुख्य प्रबन्धक
ए.आर.बी., क्षे.का., अहमदाबाद

एमएसएमई क्षेत्र विश्व के कई विकसित एवं विकासशील देशों में आर्थिक विकास का एक मुख्य आधार है. यह क्षेत्र भारतवर्ष के आर्थिक विकास का इंजन भी है. देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र बड़ी मात्रा में रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है.

वर्ष 2018-2019 के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र भारत के कुल जीडीपी में 20% की सहभागिता प्रदान करता है. भारत में लगभग 6.34 करोड़ एमएसएमई विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत हैं. इनमें से 80% उद्यमों पर पुरुष तथा 20% पर महिलाओं का स्वामित्व है. कुल एमएसएमई का 51% ग्रामीण तथा 49% शहरी क्षेत्रों में व्याप्त है और यह लगभग 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार की सुविधा मुहैया करवाता है.

उपरोक्त आंकड़ों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के आर्थिक विकास में एमएसएमई इकाइयों का कितना महत्व है, लेकिन इन इकाइयों को विकसित एवं फलीभूत करने में मुख्य सहायकों में से एक है, बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ऋण सुविधाएं. किसी भी उद्यमी संस्था के सामने बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेने हेतु संपार्श्विक प्रतिभूतियां तथा तृतीय पक्ष गारंटी देने की चुनौती होती है और इसी कारण वह समय पर और पर्याप्त राशि में ऋण सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाती है. परिणामस्वरूप वह उद्यमी संस्था अपना विकास नहीं कर पाती है. संपार्श्विकों / तृतीय पक्ष गारंटी के झंझट के बिना बैंक क्रेडिट की उपलब्धता पहली पीढ़ी के उद्यमियों को अपने स्वयं के सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) की इकाई स्थापित करने के उनके सपनों को साकार करने के समर्थन का एक प्रमुख स्त्रोत होता है. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) शुरू की, ताकि क्रेडिट वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा सके और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण सुविधा प्रदान की जा सके. इस योजना को संचालित करने के लिए भारत

सरकार और सिडबी ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए वर्ष 2000 में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की.

सीजीटीएमएसई का मुख्य उद्देश्य ऋणदाताओं को परियोजना व्यवहार्यता (प्रोजेक्ट) को महत्व देना और वित्तपोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा पर पूरी तरह से ऋण सुविधा को सुरक्षित करना है. इस योजना का दूसरा उद्देश्य यह है कि ऋणदाता उधारकर्ताओं को समग्र ऋण देने का प्रयास करें, ताकि उधारकर्ता एक एजेंसी से अवधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण दोनों सुविधाएं प्राप्त करें. क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) ऋणदाता को आश्वस्त करने का प्रयास करती है कि एमएसई इकाई, जो संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधाओं का लाभ उठाती है और ऋणदाता को अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहती है तो गारंटी ट्रस्ट ऋणदाता द्वारा किए गए क्रेडिट सुविधा के 50 / 75/ 80/ 85 प्रतिशत तक नुकसान को भुगत लेती है, (makes good this loss)

सीजीटीएमएसई किसी भी पात्र संस्थानों द्वारा विस्तारित उद्यम को संपार्श्विक / तृतीय पक्ष के गारंटी के बिना ऋण सुविधा (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों ऋण) की गारंटी प्रदान करता है. इस गारंटी की अधिकतम सीमा ₹ 200 लाख है. वर्तमान में यह गारंटी कवरेज की सुविधा एनबीएफसी और लघु वित्त बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण के लिए भी लागू होता है.

इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध गारंटी कवर क्रेडिट सुविधा की स्वीकृत राशि का 50 / 75 / 80 और 85 प्रतिशत हो सकता है. ₹ 5 लाख तक के ऋण राशि वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए गारंटी कवर की सीमा 85% है. इसके अलावा ₹ 10 लाख से ₹ 100 लाख तक के खुदरा व्यापार गतिविधि के लिए गारंटी कवर की सीमा क्रेडिट सुविधा की स्वीकृत राशि का 50% है.

	गारंटी की अधिकतम सीमा जहां क्रेडिट की सुविधा है		
	₹ 5 लाख तक	**₹ 5 लाख से ₹ 50 लाख तक**	**₹ 50 लाख से ₹ 200 लाख तक**
अति लघु उद्योग	डिफ़ाल्ट की राशि का 85% (अधिकतम ₹ 4.25 लाख)	डिफ़ाल्ट की राशि का 75% (अधिकतम ₹ 37.50 लाख)	डिफ़ाल्ट की राशि का 75% (अधिकतम ₹ 150 लाख)
महिला उद्यमी/ उत्तर पूर्व में स्थित (सूक्ष्म उद्यमों को ₹ 5 लाख तक की क्रेडिट सुविधा के अतिरिक्त)	डिफ़ाल्ट की राशि का 80% (अधिकतम ₹ 40 लाख)		
अन्य सभी पात्र कर्जदारों की श्रेणी	डिफ़ाल्ट की राशि का 75% (अधिकतम ₹ 150 लाख)		
सूक्ष्म और लघु उद्यम-खुदरा व्यापार (₹ 10 लाख से ₹ 100 लाख तक)	डिफ़ाल्ट की राशि का 50% (अधिकतम ₹ 50 लाख)		

वार्षिक गारंटी शुल्क :

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक गारंटी शुल्क प्रथम वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि पर और क्रेडिट सुविधा के शेष काल के लिए बकाया राशि पर लिया जाता है. यह शुल्क अलग-अलग श्रेणी तथा क्रेडिट सुविधा की राशि के अनुसार 1% से लेकर 2% तक लागू/प्रभार्य होता है. गारंटीकृत पोर्टफोलियो में एनपीए (NPAs in Guaranteed Portfolio) तथा दावा भुगतान अनुपात (Claim Pay-out Ratio) को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम वार्षिक गारंटी शुल्क में जोड़ा जाता है.

सी.जी.टी.एम.एस.ई. ने एक नया "हाइब्रिड सुरक्षा" उत्पाद पेश किया है जो संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा कवर नहीं की गई क्रेडिट सुविधा के हिस्से के लिए गारंटी कवर की अनुमति देता है. आंशिक संपार्श्विक सुरक्षा मॉडल में, एमएलआई को क्रेडिट सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि क्रेडिट सुविधा का

शेष भाग, अधिकतम ₹ 200 लाख तक सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर किया जा सकता है. हालांकि, सीजीटीएमएसई के पास प्राथमिक सुरक्षा के साथ-साथ ऋण सुविधा के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली संपार्श्विक सुरक्षा पर पैरी-पासु (Pari-Passu) प्रभार होगा.

एम.एस.ई. क्षेत्र में सीजीटीएमएसई की भूमिका एक उत्प्रेरक की तरह है. एमएसई में विकास को गति देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाएँ अत्यधिक प्रभावी साधन हैं.

निम्नलिखित सारांशित बिंदु इसी बात का समर्थन करते हैं:

- **वित्तीय अतिरिक्तता :** सीजीएस योजनाएँ एमएसई प्रणाली की दिशा में क्रेडिट के अधिक प्रवाह से जुड़ी हैं.
- **क्रेडिट में आसानी :** सीजीटीएमएसई त्वरित ऋण अनुमोदन को सहज बनाता है जिससे एमएसई की तत्काल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में आसानी होती है.
- **गुणक प्रभाव:** यह रोजगार और आर्थिक विकास दोनों के संदर्भ में विकासशील अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण घटक, एमएसई क्षेत्र को लक्षित करता है.
- **उद्यमिता पर जोर:** यह उद्यमिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे व्यावसायिक विचारों को सामने लाया जाए.

हाल-ही में किए गए कुछ प्रमुख नीतिगत बदलाव एमएसई उद्यमों को और भी आगे बढ़ने को सम्प्रेरक बनाते हैं:

- गारंटी कवरेज की सीमा बढ़ाना : ₹ 50 लाख से अधिक के प्रस्तावों के लिए गारंटी कवरेज 50% से बढ़ाकर 75% किया गया है.
- अनुमोदित राशि के स्थान पर बकाया राशि पर शुल्क लगाना : यह बदलाव योजना को अधिक आकर्षक बनाएगा तथा अनुशासित कर्जदारों को भी प्रोत्साहित करेगा.
- पात्र कार्यकलाप के रुप में एमएसई रिटेल का समावेशन : एमएसई क्षेत्र में बड़ा हिस्सा रखने वाले रिटेल ट्रेडर्स का समावेश करना बहुत मायने रखता है.
- आंशिक संपार्श्विक प्रतिभूति की अनुमति.
- अदायगी सीमा की शुरुआत.

एमएसएमई विभाग, केंद्र सरकार के वर्ष 2018-2019 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 35,05,612 प्रस्तावों को ₹ 1.83 लाख करोड़ की गारंटी दी गई है. ट्रस्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2018 में ₹ 967.79 करोड़ के कुल 36,277 दावों का निपटान किया गया

था, जो कि उल्लेखनीय कार्य है. योजना के अंतर्गत कवर किए गए औसत ऋण का आकार भी बढ़कर ₹ 7.24 लाख (वर्ष 2018 में) हो गया है. एमएसई इकाइयों को यह सुविधा मिलने के कारण ही वे अपनी सूक्ष्म तथा लघु वर्ग से उठकर मध्यम वर्ग में और कुछ तो उससे भी बड़े वर्ग में परिवर्तित हुए हैं, यह आर्थिक विकास का सूचक ही तो है.

अंत में, प्रसिद्ध उद्योगपति धीरुभाई अंबानी का यह कथन द्रष्टव्य है, **"बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है."** उक्त वाक्य की व्यवहारिकता सही मायने में एम.एस.ई. के रूप में परिलक्षित होती है और इस एमएसएमई के बड़े सपने को साकार करने में निश्चित रूप से सीजीटीएमएसई का बड़ा योगदान है.

संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजना (एटीयूएफएस) एवं एमएसएमई में इसका योगदान

बी. पी. शर्मा
मुख्य प्रबंधक
क्षे.का., भोपाल

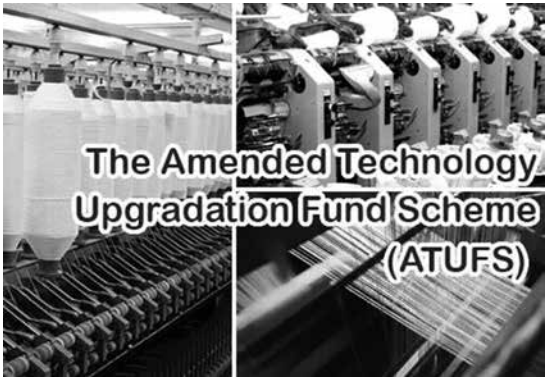

उद्देश्य :

मेक इन इंडिया की पहल के तहत कारोबार को सरल बनाने, विनिर्माण में शून्य दोष, शून्य प्रभाव, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि के लिए शासन ने संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत ऋण आधारित पूंजी निवेश अनुदान योजना प्रदान करने का निर्णय लिया है.

इस योजना से वस्त्र उद्योग में निवेश, उत्पादन, गुणवत्ता, रोजगार, निर्यात और आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन मिलेगा. योजना की क्रियान्वयन अवधि दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2022 तक है.

संशोधित एम एस एम ई नीति दिनांक 01 जुलाई, 2020 से लागू हुई है.

संवर्ग	वर्गीकरण आधार
सूक्ष्म उद्यम	प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण में निवेश रुपए एक करोड़ से अधिक न हो और टर्नओवर रुपए पाँच करोड़ से अधिक न हो.
लघु उद्यम	प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण में निवेश रुपए दस करोड़ से अधिक न हो और टर्नओवर रुपए पचास करोड़ से अधिक न हो.
मध्यम उद्यम	प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण में निवेश रुपए पचास करोड़ से अधिक न हो और टर्नओवर रुपए दो सौ पचास करोड़ से अधिक न हो.

पूंजी निवेश अनुदान हेतु पात्रता.

- बुनकर, वीविंग, निटिंग, रेशा, धागा और वस्त्र का प्रसंस्करण, तकनीकी वस्त्र परिधान, हथकरघा, रेशम, जूट उद्योग हेतु.
- विशिष्ट तकनीक की मशीन की जानकारी प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाएगी.
- मशीन निर्माता और अधिकृत विक्रेता से खरीदने पर उद्योगों की सहायता के लिए तकनीकी समिति द्वारा मशीन निर्माता की संकेतात्मक सूची सिर्फ सलाह के तौर पर उपलब्ध करायी जाएगी.
- उद्योग की सुविधा के लिए तकनीकी सलाह प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित मशीन की संकेतात्मक सूची जारी की जाएगी.
- योजना में वर्णित स्तर से कम तकनीक वाले मशीन अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे, फिर भी मशीनों एवं निर्माताओं की सूची सुझाई जाती है जो कि पूर्ण नहीं है. उद्योग अपनी पसंद की मशीन, जो वर्णित तकनीकी मानदंड के अनुसार हो, क्रय करने के लिए स्वतंत्र है. ऐसे मामले में तकनीकी समिति निर्माता और मशीन का सत्यापन कर यदि उपयुक्त पायी गयीं, तो उन्हें संकेतात्मक सूची में शामिल कर सकते हैं.
- जेआईटी अनुदान के आवेदन को तकनीकी मानदंड मिलान करने के बाद कार्रवाई करेगी, लेकिन अनुदान उपरोक्त निर्माता एवं मशीनरी को संकेतात्मक सूची में शामिल करने के बाद ही प्रदान किया जाता है.
- पुरानी मशीन सब्सिडी हेतु पात्र नहीं होगी.
- मशीन के साथ आने वाले पुर्जे, सहायक उपकरण आदि मशीन लागत के अधिकतम 20% तक सब्सिडी के पात्र होंगे.

- एक वर्ग में पात्र मशीन दूसरे वर्ग में भी पात्र हो सकती है यदि उसकी पात्रता पर कोई प्रतिबंध न हो.
- अधिग्रहण, विलय आदि को छोड़कर अनुदान योजना के अंतर्गत प्राप्त मशीन को वस्त्र आयुक्त की अनुमति के बिना खरीद तिथि से 10 वर्ष से पहले तक बेचने की अनुमति नहीं होगी.

अनुदान के मानदंड -

प्रत्येक विधिक एंटिटी (इकाई नहीं) अनुदान की पात्र होगी -

क्रम	वर्ग	पूंजी निवेश अनुदान प्रतिशत
1	परिधान, तकनीकी वस्त्र	15% अधिकतम ₹ 30 करोड़
2	नए शटल लेस लूम, प्रसंस्करण, जूट, रेशम, हथकरघा	10% अधिकतम ₹ 20 करोड़
3(ए)	समग्र इकाई / विभिन्न वर्ग - अगर परिधान, तकनीकी वस्त्र वर्ग का कुल पूंजी अनुदान परियोजना लागत के 50% प्रतिशत से अधिक हो.	15% अधिकतम ₹ 30 करोड़
3(बी)	समग्र इकाई / विभिन्न वर्ग - अगर परिधान, तकनीकी वस्त्र वर्ग का कुल पूंजी अनुदान परियोजना लागत के 50% प्रतिशत से कम हो.	10% अधिकतम ₹ 20 करोड़

यदि एंटिटी ने पूर्व में RRTUFS के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त की है, तो यह शेष अनुदान की पात्र होगी.

पूंजी निवेश अनुदान, ऋण से संबद्ध है और ऐसी इकाई हेतु, जो अधिसूचित वित्तीय संस्था से मशीन लागत का न्यूनतम 50% मियादी ऋण प्राप्त कर रही है.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदान अधिकतम सीमा के अंतर्गत है, इकाई RRTUFS एवं ATUFS के अंतर्गत अनुदान प्राप्ति के बारे में घोषणापत्र प्रस्तुत करेगी.

मशीन स्थापना और उत्पादन प्रारंभ के पश्चात् पात्र निवेश के आधार पर पूरी अनुदान राशि एक बार में प्रदान की जाएगी.

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) :

परिधान इकाइयां, जो मशीनरी की स्थापना के लिए 15% पूंजी निवेश सब्सिडी (सी आई एफ़ एस) प्राप्त कर रही हैं, को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया. इस योजना के

माध्यम से परिधान इकाइयों में पात्र मशीनों के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत ₹ 30 करोड़ की पूंजी निवेश की सब्सिडी को बढ़ाकर 50 करोड़ रूपए कर दिया गया. 10% की अतिरिक्त सब्सिडी इकाई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में उल्लिखित अनुमानित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर आधारित होगी. यह योजना एटीयूएफएस के संकल्प की तिथि दिनांक 13.1.2016 से 31.3.2019 तक लागू थी.

मियादी ऋण के लिए पूंजी निवेश अनुदान प्राप्ति के मानदंड

मियादी ऋण अधिसूचित वित्त संस्था द्वारा स्वीकृत किया जाएगा. संस्थाएं, जो RTUFS में शामिल थी, एटीयूएफ़एस में स्वतः शामिल हो जाएगी.

पूंजी निवेश अनुदान, ऋण से संबद्ध है और ऐसी इकाई हेतु जो अधिसूचित वित्तीय संस्था से मशीन लागत का न्यूनतम 50% मियादी ऋण प्राप्त कर रही है.

पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करने के लिए मियादी ऋण के मानदंड एक ही प्रयोजन हेतु एक से अधिक वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने पर अनुदान के पात्र नहीं होंगे. इस संबंध में हितग्राही को निर्धारित प्रारूप में घोषणापत्र देना होगा.

इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए स्वीकृत मियादी ऋण का पुनर्भुगतान एमएसएमई इकाई के लिए ऋण स्थगन अवधि सहित न्यूनतम 3 वर्ष और अन्य मामलों में न्यूनतम 5 वर्ष होनी चाहिए.

इकाई, जिसके लिए ऋण लिया गया है, पुनर्भुगतान अवधि के दौरान कार्यरत होनी चाहिए.

भारतीय या विदेशी बैंक से प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋण अनुदान के लिए पात्र होगा. हालांकि ऋण खाता भारतीय शाखा में संचालित होना चाहिए, जिससे अनुदान को भारतीय रुपए में अंतरित किया जा सके. भारतीय मुद्रा ऋण एवं विदेशी मुद्रा ऋण परस्पर परिवर्तनीय हैं.

ऋण की बकाया राशि एक वित्तीय संस्था से इस शर्त के साथ अंतरित की जा सकती है कि पोर्टफोलियो में कोई बदलाव न हो.

स्वीकृत तिथि

संस्था द्वारा ऋण स्वीकृति की सूचना पत्र की तिथि स्वीकृति तिथि मानी जाएगी.

यदि ऋण स्वीकृत करने वाली संस्था ने ऋण किसी दूसरी संस्था को अंतरित किया है, तो पहली संस्था द्वारा ऋण स्वीकृति की दिनांक प्रभावी होगी. कंसोर्टियम (सहायता संघ) वित्त के मामले में अंत में ऋण स्वीकृत वाले संस्था की तिथि प्रासंगिक होगी.

कंसोर्टियम के मामले में पूंजी निवेश अनुदान फर्म के विभिन्न संस्थाओं में खोले गए

खातों में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाएगा. जिन इकाइयों ने अनुदान के लिए दिनांक 12 जनवरी, 2016 से आवेदन किया था और जिन्हें पर्याप्त राशि न होने की वजह से उद्योग आधार नंबर आवंटित नहीं हो सका था, वे इस योजना के अंतर्गत सूचना के एक माह के अंदर आवेदन कर सकते हैं.

मियादी ऋण की स्वीकृति की तिथि या उसके बाद क्रय की गयी मशीन ही अनुदान की पात्र होगी.

अधिग्रहण के मामले में नयी इकाई अनुदान की पात्र होगी. यदि अधिग्रहण की अनुमति कंपनी रजिस्ट्रार या न्यायालय के आदेश द्वारा दी गयी हो और नयी इकाई ने वर्तमान इकाई के पूरे आस्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण कर लिया हो तथा बैंक द्वारा भी ऋण नयी इकाई के खातों में अंतरित कर दिए गए हों. नयी इकाई संबंधित दस्तावेज वस्त्र आयुक्त को निर्धारित प्रारूप में जमा करेगी, जिससे साफ्टवेयर में मर्ज एंटिटी की प्रविष्टि की जा सके.

उद्योग आधार नंबर बनाने की विधि :

इकाई आईटफ्स साफ्टवेयर में ई-मेल, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड का नंबर भरेगी और अन्य सूचनाएं भरने के बाद सिस्टम में एटीयूएफएस के अंतर्गत अधिसूचित वित्तीय संस्था से मियादी ऋण के लिए आवेदन करेगी.

मियादी ऋण की ऋण स्थगन सहित पुनर्भुगतान अवधि एमएसएमई वर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष व अन्य वर्गों में न्यूनतम 5 वर्ष होगी.

ऋण की राशि पात्र मशीन की लागत के न्यूनतम 50% होगी.

आवेदन में डिजिटल हस्ताक्षर या आधार नंबर आधारित ई-हस्ताक्षर होंगे. एक एटीयूएफएस संदर्भ संख्या प्राप्त होगी, जो मोबाइल नंबर और ईमेल पर सूचित की जाएगी. इकाई के आवेदन की सूचना वित्तीय संस्था को एसएमएस तथा ईमेल द्वारा प्राप्त होगी. यदि परियोजना व्यवहार्य पायी जाती है, तो वित्तीय संस्था मानदंडों के आधार पर ऋण स्वीकृति प्रदान करेगी.

वित्तीय संस्था डिजिटल हस्ताक्षर के साथ वित्तीय साफ्टवेयर में स्वीकृति पत्र अपलोड करेगी. जिसकी सूचना इकाई को ईमेल तथा एसएमएस के द्वारा मिल जाएगी. ऋण स्वीकृति के पश्चात आवेदन वस्त्र आयुक्त के इनबाक्स में जाएगा और यूआईडी प्राप्त होगी, जिसकी सूचना इकाई को ईमेल और मोबाइल पर मिल जाएगी.

ऋण आवेदन अस्वीकृत होने की सूचना इकाई को संचार माध्यम से मिल जाएगी. किसी भी तरह की शिकायत वित्तीय संस्था से ही करनी होगी और वस्त्र आयुक्त किसी भी तरह की शिकायत के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. वित्तीय संस्था को ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया

आवेदन प्राप्त होने के चार महीने के अंदर पूर्ण कर लेनी चाहिए. पाक्षिक अनुस्मारक ईमेल एवं एसएमएस द्वारा वित्तीय संस्था को भेजे जाएंगे. अनुदान के लिए आवेदन अधिसूचित वित्तीय संस्था के द्वारा ऋण स्वीकृत होने के बाद भी किया जा सकता है. ऐसे सभी मामलों में आवेदक आईटफ्स साफ्टवेयर में ऋण स्वीकृत होने के 6 माह के अंदर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है. वित्तीय संस्था साफ्टवेयर में आवेदन की जाँच करेगी या सत्यापन करेगी तथा सत्यापन करने के बाद ऋण स्वीकृति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा साफ्टवेयर में अपलोड करेगी. वित्तीय संस्था को यह प्रक्रिया आवेदन के दो माह के अंदर पूर्ण करनी होगी.

वित्तीय संस्था द्वारा सत्यापित आवेदन वस्त्र आयुक्त के इनबाक्स में पहुंचेंगे और उद्योग आधार नंबर स्वतः प्राप्त होगा, जिसकी सूचना इकाई को प्राप्त हो जाएगी. उद्योग आधार नंबर यूआईडी अनुमानित अनुदान की अस्थायी स्वीकृति है. वास्तविक अनुदान साझा निरीक्षण की प्रक्रिया के बाद ही निर्धारित होगा. वित्तीय संस्था स्तर पर यदि आवेदन सत्यापन में विफल होता है, तो इकाई द्वारा आवेदन करने का विकल्प है. किसी भी तरह की शिकायत का मामला साफ्टवेयर के द्वारा वस्त्र आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जो शिकायत प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर मामले का निपटान करेंगे.

मशीन की स्थापना :

तकनीकी मानदंडों को पूर्ण करने वाली मशीन के लिए ही अनुदान उपलब्ध रहेगा. अनुदान सिर्फ नयी मशीन के लिए होगा जो अधिकृत विक्रेता से खरीदी जाएगी.

मशीन का नाम, सीरियल नंबर और मॉडल नंबर बिल पर लिखा होना चाहिए. यूआईडी के अंतर्गत स्वीकृत मियादी ऋण स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर स्थापित मशीनें योजना में शामिल होंगी. एक वर्ष के बाद दस्तावेजी प्रमाण देने पर ही मशीन का क्रय आदेश एक वर्ष की अवधि के अंदर किया गया था, तो यह मान्य होगा. साझा निरीक्षण का अनुरोध स्वीकार किया जाएगा. अगर मशीन निर्धारित तकनीकी को पूर्ण करती है, लेकिन निर्माता संकेतात्मक सूची में नहीं है, ऐसे मामले में एक संदेश वस्त्र आयुक्त को प्राप्त होगा, जो मशीन के पात्रता की जाँच करेंगे और सूचीबद्ध या अस्वीकृत करने के लिए अगले माह की तकनीकी समिति की बैठक में प्रस्तुत करेंगे. यह प्रक्रिया 45 दिनों में पूर्ण हो जानी चाहिए. इकाई को साझा निरीक्षण का अनुरोध समय पर न भेजने के लिए पाक्षिक अनुस्मारक मेल और एसएमएस के द्वारा भेजे जाएंगे. यदि अनुरोध निर्धारित समय सीमा पर और समय सीमा विस्तार के लिए नहीं भेजा जाता तो समय सीमा समाप्त होने के बीस दिन पहले इकाई को चेतावनी संदेश प्राप्त होगा कि यदि साझा निरीक्षण अनुरोध समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह यूआईडी स्वतः निरस्त हो जाएगी और इस मामले में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

इकाई के साझा निरीक्षण के आवेदन की प्रक्रिया

मशीनरी स्थापना के पश्चात इकाई साझा निरीक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगी.

इकाई की यूआईडी से सिस्टम आवश्यक जानकारी, जैसे मशीन निर्माता कम्पनी, मॉडल, सीरियल नंबर, मशीन, सहायक उपकरण की लागत, सीमा शुल्क, खरीद तिथि,

मशीन स्थापना की तारीख, परियोजना की लागत, कर्मचारियों की संख्या, बैंक खाते का विवरण आदि जानकारी प्राप्त कर लें.

मशीन संबंधी आँकड़े साझा निरीक्षण आवेदन के समय जोड़े या हटाए जा सकते हैं.

इकाई, लोक वित्त प्रबंधन तंत्र (पीएफएमएस) पंजीयन की जानकारी भी प्रदान करेगी, जिससे साझा निरीक्षण के पश्चात् अनुदान की राशि इकाई को अंतरित की जा सकेगी.

उपरोक्त सूचना मिलने के पश्चात् प्रत्येक मशीन के लिए सिस्टम एमआईसी कोड प्रदान करेगा. यह कोड मशीन के ऊपर लिखा जाना चाहिए, जिससे साझा निरीक्षण के दौरान जाँच की जा सके.

एमआईसी कोड से मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है. आवेदक साझा निरीक्षण आवेदन में डिजिटल हस्ताक्षर करेगा. यह अनुरोध वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को जाएगा. वस्त्र आयुक्त साझा निरीक्षण टीम का गठन करेगा, जिसके सदस्य वित्तीय संस्था उद्योग और वस्त्र अनुसंधान संगठन से होंगे. वे मशीन स्थापना की प्रत्यक्ष जाँच करके पात्र अनुदान राशि की अनुशंसा करेंगे. साझा निरीक्षण टीम को आवेदन के 88 दिन के अंदर प्रत्यक्ष जांच पूर्ण करनी होगी.

साझा निरीक्षण टीम की रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय साझा निरीक्षण की रिपोर्ट उसी दिन या अगले दिन जियो टेगिंग और समय के उल्लेख के साथ फोटोग्राफ आईटफ्स साफ्टवेयर में प्रदान करेगा. क्षेत्रीय कार्यालय इंवॉइस की सत्यापित प्रति को डिजिटल हस्ताक्षर की पुष्टि के पश्चात साफ्टवेयर में अपलोड करेगा.

साझा निरीक्षण रिपोर्ट देखने के बाद इकाई अगर रिपोर्ट से असहमत है, तो 15 दिनों के अंदर आईटफ्स साफ्टवेयर के द्वारा रिपोर्ट दे सकती है, जिसका निपटान वस्त्र आयुक्त के द्वारा तीस दिनों के अंदर किया जाएगा. वस्त्र आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा साझा निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करने के 25 दिनों के अंदर अनुदान दावा स्वीकृत कर देगा. मशीन के निर्माता या अधिकृत विक्रेता का सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक है.

इकाई के खाते में अनुदान का वितरण

वस्त्र आयुक्त की स्वीकृति के पश्चात् चालान स्वतः प्राप्त होगा.

वस्त्र आयुक्त मंत्रालय को चालान प्रेषित करेंगे और मंत्रालय चालान प्राप्ति के पंद्रह कार्यदिवसों के अंदर इकाई के खाते में अनुदान राशि जारी कर देगा.

यदि इकाई ने आईटफ्स के अंतर्गत एक वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त किया है, तो अनुदान की पूरी राशि जारी की जाएगी. यदि आवेदक इकाई ने कंसोर्टियम के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया है, तो अनुदान की आनुपातिक राशि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को भेजी जाएगी.

अनुश्रवण कार्यप्रणाली

योजना का प्रबंधन द्विस्तरीय अनुश्रवण प्रणाली द्वारा होगा, जैसे कि तकनीकी सलाह एवं अनुश्रवण समिति और अंतर मंत्रालय संचालक समिति.

तकनीकी सलाह एवं अनुश्रवण समिति :

मशीन का नमूना परीक्षण वस्त्र आयुक्त एवं मंत्रालय द्वारा परियोजना अवधि में नियमित रूप से किया जाएगा जो सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग (एमएसएमई) कार्य के लिए न्यूनतम 3 वर्ष तथा अन्य वर्गों के लिए न्यूनतम पाँच वर्ष है. कार्य की अधिकता को देखते हुए मंत्रालय की स्वीकृति के बाद तृतीय पक्ष अभियांत्रिक सलाहकार को नियुक्त किया जा सकता है.

अंतर मंत्रालय संचालन समिति

इस समिति का गठन वस्त्र मंत्रालय की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालय, नीति आयोग, वित्तीय संस्था, वस्त्र उद्योग संगठन इत्यादि के प्रतिनिधियों के साथ किया जा सकता है.

आईएमएससी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के साथ मिलकर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के दिशानिर्देश को करने और अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार होगी. आईएमएससी योजना की प्रगति की छमाही आधार पर समीक्षा करेगा.

यूआईडी के निरस्तीकरण का प्रावधान :

योजना के अंतर्गत जारी यूआईडी ऐसे मामलों में निरस्त हो जाएगी, जहाँ आवेदक ने ऋण स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर मशीन स्थापना की साझा निरीक्षण के लिए सूचना न प्रेषित की हो. जब तक कि उसे वस्त्र आयुक्त की ओर से एक वर्ष के विस्तार की अनुमति न प्राप्त हुई हो, समुचित दस्तावेज का प्रमाण न दिया हो कि मशीन क्रय का आदेश समयावधि के अंदर किया गया था लेकिन उसकी स्थापना उद्यमी के नियंत्रण के बाहर परिस्थितिवश नहीं हो पाई थी.

यदि इकाई अनुदान राशि प्राप्त नहीं करना चाहती है, तो आईटफ्स साफ्टवेयर में यूआईडी को निरस्त करने का अनुरोध कर सकती हैं.

शिकायत निवारण प्रणाली :

आईटफ्स में शिकायत निवारण प्रणाली का मॉड्यूल है, जिसका निपटान वस्त्र आयुक्त के द्वारा 30 दिन के अंदर किया जाएगा.

यूनियन ट्रेड जीएसटी योजना एवं एमएसएमई के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता

बी. एम. सैनी,
मुख्य प्रबंधक, स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम

भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक करों के स्थान पर दिनांक 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था अपनायी गयी है. व्यापारिक समुदाय द्वारा संबंधित जीएसटी रिटर्न पहले से ही प्रस्तुत करना आरंभ किया जा चुका है. देश के विकास के लिए सरकार द्वारा एमएसएमई (सूक्षम, लघु एवं मध्यम उपक्रम) के उत्थान हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं को मूर्त रूप देने /सहभागिता हेतु हमारा बैंक भी प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में, कर सुधार, अनुपालन एवं डिजिटलीकरण में भारत सरकार के पहल को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई व्यापारियों की आवश्यकता आधारित कार्यशील पूंजी संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम 100% संपार्श्विक कवरेज पर निधि प्रदान करने हेतु एक योजना, यूनियन ट्रेड जीएसटी योजना, प्रायः ऐसे उद्यमियों के लिए है, जिन्होंने अपने संसाधनों से मूलभूत साधन तो जुटा लिए, जैसे जमीन, मशीनरी, टेक्नोलॉजी इत्यादि, लेकिन उनके पास कार्यशील पूंजी नहीं है. यह योजना मुख्य रूप से एमएसएमई के विकास के लिए है, इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क्र.	मापदंड	विवरण
1	पात्रता	इस योजना के अंतर्गत व्यापार/सेवाएं/विनिर्माण प्रक्रिया में लगे सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम पात्र हैं, जो निम्न शर्तें पूरी करते हैं. 1. जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2. सीए द्वारा प्रमाणित वैध जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1 मासिक या जीएसटीआर 4 तिमाही (लागू के अनुसार जीएसटीआर) जीएसटीएसआर 1 पिछले तीन महीनों से लगातार हो. जीएसटीआर 4 पिछले एक तिमाही का हो. 3. उपक्रम के पास सभी वैधानिक अनुमोदन होना चाहिए.

क्र.	मापदंड	विवरण
2	उद्देश्य	केवल कार्यशील पूंजी हेतु (केवल हमारे बैंक से ही लेनदेन करें, दूसरे बैंक में चालू खाता भी हो तो 3 माह में बंद करें)
3	ऋण की सीमा	न्यूनतम ₹ 10.00 लाख अधिकतम ₹ 200.00 लाख
4	मूल्यांकन	औसत कारोबार के आधार पर जो इस प्रकार है :
		जीएसटीआर 1 न्यूनतम 3 माह की हो जीएसटीआर 4 एक तिमाही की हो (जीएसटीआर 1या जीएसटीआर 4 को आधार लेकर एक वर्ष का टर्नओवर लिया जा सकता है) अधिकतम कार्यशील पूंजी टर्नओवर के 30% तक दी जा सकती है.
5	संपार्श्विक प्रतिभूति	100% अगर बैंक द्वारा पहले से दिये गये सावधि ऋण पर प्रतिभूति के रूप में संपार्श्विक संपत्ति है तो सावधि ऋण के 133% को छोड़कर बाकी संपत्ति को नए ऋण हेतु ले सकते हैं. मोर्टगेज ऋण की दशा में ऋण का 200% छोड़कर शेष बचता है तो नए कार्यशील पूंजी के रूप में ले सकते हैं. (खाली प्लॉट को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में नहीं लिया जाता)
6	मार्जिन	20%
7	आहरण (निकासी) क्षमता	3 महीने का स्टॉक + 90 दिन से कम उधारकर्ता को मिलाकर निकाली जाएगी.
8	प्रतिभूति	सभी प्रोत्साहक/भागीदार/ प्रोत्साहक निदेशक एवं संपार्श्विक जमानती की व्यक्तिगत जमानत होगी.
9	स्टॉक एवं उधारकर्ता विवरण प्रस्तुत करना	तिमाही आधार पर
10	बीमा	स्टॉक का 110 % एवं संपार्श्विक संपत्ति का, बैंक क्लॉज़ के साथ.
11	अन्य	सनदी लेखाकर द्वारा प्रमाणित जीएसटीआर रिटर्न की प्रति

इसे यूबीआई मॉडल 1 के अनुसार प्रोसेस करेंगे तथा रेटिंग सीआर 1 से सीआर 5 के बीच होनी चाहिए.

यदि कोई ग्राहक पहले से कार्यशील पूंजी ले रखी है तो इस योजना का लाभ ले सकता है.

भारत जैसे विकासशील देश में एमएसएमई की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है. अत: कौन-कौन से व्यावसायिक उपक्रम द्वारा एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) की श्रेणी में आते हैं, वर्तमान में उनकी श्रेणी प्लांट और मशीनरी में निवेश व कुल कारोबार के आधार पर होती है, जो इस प्रकार है :

उद्यम	श्रेणी का विवरण
सूक्ष्म	प्लांट और मशीनरी उपकरण में रुपए एक करोड़ से कम निवेश तथा कुल कारोबार रुपए पाँच करोड़ से कम हो.
लघु	प्लांट और मशीनरी उपकरण में रुपए दस करोड़ से कम निवेश तथा कुल कारोबार रुपए पचास करोड़ से कम हो.
मध्यम	प्लांट और मशीनरी उपकरण में रुपए पचास करोड़ से कम निवेश तथा कुल कारोबार रुपए दो सौ पचास करोड़ से कम हो.

यूनियन ट्रेड जीएसटी योजना की एमएसएमई क्षेत्र में उपयोगिता :

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को विश्व भर में विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है. दुनिया के कई देशों ने इस क्षेत्र के विकास के संबंध और सभी सरकारी कार्यालयों में समान रूप से देखरेख के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में एमएसई की स्थापना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने के उद्योगों और बहुराष्ट्रीय संगठनों का ही योगदान नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम पर ज्यादा निर्भर है. यह उद्योग न केवल उत्पादन रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि निर्यात में एवं विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने, कच्चे माल, और मूल सामान तैयार कर आपूर्ति करके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. देश में लगभग 6 करोड़ उद्यम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के हैं, जिसमें लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है. देश के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 37 प्रतिशत है. हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने कहा कि सरकार देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान को 50 प्रतिशत तक ले जाने की योजना बना रही है. अत: एमएसएमई की देश विकास हेतु अहम भूमिका है.

पिछले दशकों के दौरान देश में लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यन्त गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है. एमएसएमई में न केवल बड़े उद्योगों की तुलना

में अपेक्षाकृत कम पूंजी लगती है बल्कि ज्यादा रोजगार के अवसर भी प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसकी देश को आवश्यकता है. साथ ही साथ एमएसएमई बड़े उद्योगों में पूरक के रूप में भी कार्य करते हैं. यह क्षेत्र 6000 से भी अधिक उत्पादों के माध्यम से कुल विनिर्माण उत्पादन में 45% और देश के निर्यात में 40% का योगदान भी देते हैं. अपने अदम्य उत्साह और विकास की अंतर्निहित क्षमताओं के बावजूद, एमएसएमई में सबसे बड़ी समस्या कार्यरत पूंजी की है.

आज के इस तकनीकी युग में डिजिटल का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ा है. देश को डिजिटल बनाने के सहयोग में तथा अर्थव्यवस्था में अनेक करों के स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था अपनाई जा रही है. व्यापारिक समुदाय भी इसका प्रयोग कर रहा है. साथ-साथ एमएसएमई यह भी चाह रहे हैं कि बैंकिंग लेनदेन एवं विभिन्न ऋण प्रक्रियाओं में कम से कम कागजात की जरूरत हो. हमारे बैंक की यूनियन ट्रेड जीएसटी योजना इस कार्य के लिए बड़ी कारगर साबित हुई है. हमारा बैंक देश का पहला बैंक है, जो जीएसटी रिटर्न के आधार पर कार्यशील पूंजी एमएसएमई को प्रदान करता है. अतः यूनियन ट्रेड जीएसटी योजना आने वाले समय में एमएसएमई के लिए कारगर सिद्ध होगी. एमएसएमई का समय और धन बचेगा और ऋण स्वीकृत जल्दी और सही होगी तथा देश के विकास में सहायक होगी.

यूनियन एमएसएमई सुविधा योजना - कैसे एमएसएमई ऋण में सहायक

नवीन गुप्ता
सरल मुंबई (अंधेरी)
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई (अंधेरी)

देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है. रोजगार के अवसर देने, निर्यात, इनोवेशन एवं देश को विकास के मार्ग पर ले जाने में इनका बड़ा योगदान है. एमएसएमई में विनिर्माण एवं सेवा प्रदान करने वाली, दोनों इकाइयां शामिल होती हैं. एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 63.38 मिलियन एमएसएमई इकाइयां हैं. यह सेक्टर देश के विनिर्माण उत्पादन में 45% से ज्यादा तथा निर्यात में 40% से ज्यादा का योगदान करता है. देश में करीब 111 मिलियन से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं. इस सेक्टर में उत्पादनों और सेवाओं की बहुत सी वैराइटी हैं. साथ ही समय के साथ टेक्नालॉजी का उपयोग भी बढ़ा है.

एमएसएमई का यह वर्ग सभी बैंकों के लिए भी अच्छे बिजनेस का स्त्रोत है. बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण इनका व्यापार बढ़ाने में भी मदद करते हैं. इस क्षेत्र में एनपीए का स्तर भी तुलनात्मक रूप से कम होता है. हमारे बैंक में भी एमएसएमई ऋण को ऋण नीति के अनुसार थ्रस्ट एरिया में वर्गीकृत किया गया है. इसमें दिए जाने वाले ऋण प्राथमिकता प्राप्त ऋणों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं. यही कारण है कि सभी बैंक इस सेक्टर को आकर्षित करने के लिए प्रयास करते हैं. इस सेगमेंट को आकर्षित करने के लिए हमारे बैंक की तीन मुख्य स्कीम थीं.

1. यूनियन ट्रेड स्कीम
2. यूनियन ट्रेड प्लस स्कीम
3. यूनियन एंटरप्राइज़ स्कीम

आंध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक के साथ हुये समामेलन के साथ ही तीनों बैंकों में चल रही एमएसएमई की योजनाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से तथा इंडस्ट्री में चल रही बेहतर योजनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे बैंक द्वारा उपरोक्त तीनों योजनाओं के स्थान पर नयी यूनियन एमएसएमई सुविधा स्कीम प्रारंभ की गई है. यह स्कीम 01.04.2020 से

समामेलित हुए हमारे बैंक (आंध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक के साथ) में लागू है.

अपने नाम के अनुसार यह स्कीम एमएसएमई यूनिट के लिए सुविधाजनक एवं अधिक आकर्षक है. अब हम इस स्कीम की विशेषताओं को संक्षिप्त में जानते हैं. स्कीम की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं -

- संपार्श्विक प्रतिभूति की उपलब्धता के आधार पर लिंक आकर्षक ब्याज दर
- पहले से किसी अन्य अकाउंट में उपलब्ध संपार्श्विक प्रतिभूति का विस्तारीकरण
- एक करोड़ रुपए तक के लोन के लिए तिमाही आधार पर स्टॉक स्टेटमेंट की सुविधा
- टॉप अप लोन का प्रोविजन

विस्तार पूर्वक स्कीम की विशेषताएं निम्न हैं -

विवरण	**स्कीम के निर्देश**
योग्यता	1. सभी ट्रेडिंग, मैन्यूफैक्चरिंग एवं सर्विस एमएसएमई यूनिट, 2. वैयक्तिक / प्रोप्रायटर फ़र्म के केस में उम्र की सीमा 70 साल तक (70 साल से ज्यादा होने पर कानूनी वारिस की अधिकतम उम्र की सीमा 70 साल तक) 3. इंटरनल रेटिंग CR-4 तक (CR -5 अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा) 4. सोल बैंकिंग (रिटेल ऋण व चैनल फ़ाइनेंस, इक्विपमेंट फ़ाइनेंस, लोन अगेन्स्ट प्रापर्टी, व्यावसायिक वाहन जैसे अपवादों को छोड़कर), 5. चालू खाता दूसरे बैंक में रखने की अनुमति नहीं है 6. न्यूनतम सिक्योरिटी कवरेज - 75%
उद्देश्य	1. सावधि ऋण - बिजनेस स्थान को खरीदने, निर्माण या रिनोवेशन करने, या अन्य इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर या बिजनेस में काम आने वाली अन्य आस्तियां 2. कार्यशील पूंजी - बिजनेस की जरूरत के आधार पर
एसेसमेंट	कार्यशील पूंजी के लिए - एमएसई उधारकर्ता - 5 करोड़ रुपए की लिमिट तक - टर्नओवर विधि से गैर एमएसई उधारकर्ता - 1 करोड़ रुपए की लिमिट तक - टर्नओवर विधि से उपरोक्त के अतिरिक्त - एफ बी एफ विधि से सावधि ऋण - ऋण नीति के अनुसार

ऋण सीमा	न्यूनतम - ₹ 10 लाख से ऊपर अधिकतम - ₹ 50 करोड़ (ट्रेडिंग यूनिट के लिए अधिकतम सावधि ऋण - ₹ 10 करोड़)
मार्जिन	निधि आधारित कार्यशील पूंजी - 20% गैर निधि आधारित कार्यशील पूंजी - 25% सावधि ऋण- मशीनरी / उपकरण - 25% सावधि ऋण- ज़मीन एवं भवन - 35%
प्रतिभूति (सिक्योरिटी)	**<u>प्राथमिक</u>** : बैंक द्वारा वित्त पोषित आस्तियां **प्रतिभूति कवरेज** 1. न्यूनतम 75% - अचल संपत्ति या तरल संपत्ति जैसे एनएससी/ केवीपी/ एलआईसी पॉलिसी, डिपॉज़िट या अन्य सरकारी प्रतिभूति के रूप में (खाली ज़मीन अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा ही स्वीकृत) 2. पुरानी योजनाओं में चल रहे सावधि ऋण में मौजूद प्राथमिक प्रतिभूति (केवल ज़मीन एवं इमारत) के मूल्य को शेष बैलेन्स के 133% में से घटाने के बाद विस्तारित किया जा सकता है. लेकिन खुदरा ऋणों के संदर्भ में शेष बैलेन्स के 200% में से घटाने के बाद विस्तारित किया जा सकता है. 3. तरल संपत्ति के केस में संपार्श्विक प्रतिभूति की गणना करते समय 1.50 भारित किया जा सकता है (केवल ब्याज दर निर्धारण के लिए)
गारंटी	प्रतिभूति के मालिक समस्त भागीदर, उधारकर्ता पार्टनरशिप फ़र्म के केस में निदेशक एवं ट्रस्टी, कंपनी एवं ट्रस्ट के केस में
इन बिल्ट टॉप अप लोन का प्रावधान	75% प्रतिभूति कवरेज को बनाए रखते हुए निर्धारित की गयी ऋण सीमा (सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी) का 20% इन बिल्ट टॉप अप लोन की सुविधा (कुछ विशेष शर्तों के साथ), अधिकतम सीमा - ₹ 5 करोड़
निर्धारित वित्तीय अनुपात	ऋण नीति के अनुसार
स्टॉक स्टेटमेंट	₹ एक करोड़ तक - तिमाही आधार पर ₹ एक करोड़ से ऊपर - मासिक आधार पर

ब्याज दर	निम्न पर निर्भर- 1. कॉलेटरल सिक्योरिटी के अनुसार तीन स्लैब (75%-100%,100% -150% एवं 150% से ऊपर) 2. ऋण सीमा के अनुसार दो स्लैब (रुपए 25 करोड़ तक या उसके ऊपर) 3. एक्सटर्नल रेटिंग के आधार पर (रुपए 25 करोड़ से ऊपर के ऋणों के लिए)

आज के समय में व्यापार में बहुत ही प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी है. जिससे लाभ का प्रतिशत बहुत ही कम होता जा रहा है. इस स्कीम में न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध है. यह स्कीम बहुत ही प्रतिस्पर्धी स्कीम है.

इस स्कीम में न्यूनतम प्रतिभूति कवरेज (अचल संपत्ति/ तरल संपत्ति) 75% है. यह स्कीम ऐसी ग्राहकों के लिए उपयोगी है जो ज्यादा प्रतिभूति दे सकते हैं. इस स्कीम में ज्यादा प्रतिभूति कवरेज होने पर आकर्षक ब्याज दरों का लाभ लिया जा सकता है, साथ ही बैंक का रिस्क भी 100% तक कवर रहता है.

जैसा कि हम जानते हैं लघु और मध्यम व्यापारी अत्यधिक खर्च के कारण पूर्णकालिक लेखाकर नहीं रख पाते हैं. इस स्कीम में एक करोड़ की लिमिट तक तिमाही आधार पर स्टॉक स्टेटमेंट का प्रावधान है जो उनके समय और पैसे दोनों की बचत करता है.

साथियो, एमएसएमई ऋण हमारी बैंक की लाभप्रदता बढ़ाने और हमारे रिस्क को विस्तृत करने के साथ-साथ हमें क्रॉस सेलिंग के अवसर प्रदान करता है तथा एक अच्छा ऋण पोर्टफोलियो (एडवांस पोर्टफोलियो) बनाने में मदद करता है. फील्ड अथवा क्षेत्र लेवल पर भी यह देखा गया है कि बहुत से खाते फेमिली बिजनेस के होते हैं और उनका ड्यू डिलिजेंस भी आसानी से ट्रेडर्स एसोसिएशन, मर्चेंट चेंबर या उनके ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ताओं से आसानी से किया जा सकता है.

एमएसएमई के महत्व को देखते हुए इसे प्राथमिकता प्राप्त ऋणों में शामिल किया जाता है जिसके लिए आरबीआई की तरफ से अलग से दिशा निर्देश दिये गए हैं. साथ ही ऋणों की मात्रा एवं संख्या के अलग-अलग टार्गेट हैं. इन स्कीमों के माध्यम से हम न केवल एमएसएमई ऋण के लक्ष्य पूरे कर सकते हैं अपितु देश एवं समाज की प्रगति में भी मददगार साबित हो सकते हैं. इस योजना में दिये गए ऋण बैंक व ग्राहक दोनों के लिए फायदे का सौदा है.

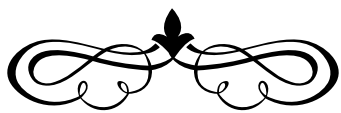

स्टार्ट अप इंडिया - एमएसएमई का अविभाज्य अंग

श्री कुन्दन सिन्हा
सरल प्रमुख
क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत

इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत पर सैकड़ों वर्षों तक राज करने वाले मुग़लों और अंग्रेजों ने अपने स्वामित्व की शुरुआत व्यापार के बहाने से की थी. भारत में जरूरत की कई वस्तुओं का आयात करना पड़ता था जिसके लिए भारत को अपने संसाधनों का स्वामित्व उन विदेशियों को देना पड़ता था. भारत के निवासियों द्वारा अपने देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग करने एवं विदेशी वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन भारत में ही करने की मुहिम के तहत "मेक इन इंडिया" की योजना चलायी गयी है. इससे व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा कम किया जा सकेगा और देश संबल बन पाएगा.

"मेक इन इंडिया" के उद्देश्य को पाने के लिए देश के भीतर उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने, उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारने एवं विदेशी उत्पाद को चुनौती देने के लिए नई इकाइयां स्थापित करने एवं तकनीकी अनुसंधान के लिए नए प्रतिष्ठान स्थापित करने की जरूरत है. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया योजना की परिकल्पना की, जिसके अंतर्गत नयी इकाई स्थापित करने के लिए एवं व्यवसाय सृजन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा. वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं देश की अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तन से यह संकेत मिल रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा के इस बढ़ते दौर में बड़े उद्योगों के लिए अपनी प्रतिस्पर्धिता बनाए रखना एवं व्यापार का वांछित स्तर हासिल करना एक बड़ी चुनौती है. ऐसे कठिन समय में बड़े उद्योगों के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं एवं उनकी व्यवहार्यता (viability) पर प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं. ऐसे में निरंतर आर्थिक विकास का सारा दारोमदार एमएसएमई पर आ चुका है, जिसे अर्थव्यवस्था की कुंजी माना जा रहा है.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र बन गया है. एमएसएमई न केवल

बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजीगत लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में भी मदद करते हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, राष्ट्रीय आय और धन का अधिक समान वितरण का आश्वासन मिलता है. एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत योगदान देते हैं.

स्टार्टअप इंडिया, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत आर्थिक तंत्र का निर्माण करना है जो स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा. इस पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य नवाचार और डिजाइन के माध्यम से स्टार्टअप को सशक्त बनाना है. इस पहल का उद्देश्य यह भी है कि भारत को नौकरी चाहने वालों का देश बनने के बजाय नौकरी का निर्माता बनना चाहिए.

स्टार्ट अप का मतलब एक ऐसी इकाई है, जो भारत में किसी भी व्यवसाय में पांच साल से पहले सम्मिलित या पंजीकृत नहीं है, जिसका वार्षिक कारोबार किसी भी वित्त वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संचालित नवाचार, विकास, तैनाती या नए उत्पादों के व्यावसायीकरण, प्रक्रियाओं या सेवाओं के लिए काम कर रहा है. स्टार्ट अप के तहत बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण एवं विकास को भी महत्व दिया गया है.

स्टार्ट-अप इंडिया स्कीम के मुख्य बिन्दु निम्न हैं :

- मोबाइल एप्लिकेशन की सहायता से सिंगल विंडो क्लीयरेंस
- व्यवसाय विकास के लिए ₹ 10,000 करोड़ का फंड
- पेटेंट पंजीकरण शुल्क में 80% की कमी
- 90-दिवसीय निकास खिड़की सुनिश्चित करने के लिए संशोधित और अधिक अनुकूल दिवालियापन कोड
- 3 साल के लिए औचक निरीक्षण से स्वतंत्रता
- 3 साल के लिए कैपिटल गेन टैक्स से मुक्ति
- 3 साल के लिए मुनाफे में कर से मुक्ति
- लाल फीताशाही को खत्म करना
- स्व-प्रमाणन अनुपालन
- अटल इनोवेशन मिशन के तहत इनोवेशन हब
- नवाचार कार्यक्रम के लिए 10 लाख बच्चों को लक्षित करने के लिए 5 लाख स्कूलों से शुरुआत

- स्टार्ट-अप और नई फर्मों को बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई योजनाएं
- उद्यमशीलता को प्रोत्साहन
- स्टार्ट-अप हब के रूप में दुनिया भर में भारत को स्थापित करना
- स्टार्टअप से आय पर कोई कर नहीं
- स्किलिंग इंडिया के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था
- MUDRA योजना के अंतर्गत आसान ऋण
- प्रकल्पित कराधान योजना
- छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स सेवा कर में छूट
- SC / ST, महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए ₹ 500 करोड़

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके देशवासियों पर निर्भर करती है. जितने ज्यादा लोग नौकरी पेशा या कामकाजी होंगे या ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था उतनी ही बड़ी एवं बेहतर होगी. भारत सरकार ने महसूस किया कि भारतीय लोगों में कठिन परिश्रम करने की क्षमता है. बहुत से लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते हैं, लेकिन वित्तीय या अन्य समान मुद्दों के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं. कई बार तकनीक की कमी या उसके ज्ञान की कमी एक बड़ा रोड़ा साबित होती है जिसके कारण लोग खुद का व्यवसाय स्थापित करने से कतराते हैं. व्यापार की विफलता के डर से लोग नए उद्योग / इकाई स्थापित करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं. इसके विपरीत वे नौकरी करके अपना भरण पोषण कर लेते हैं. अतः यह डर कई नयी तकनीकों एवं नए स्वप्नों को आकार लेने से पहले ही नष्ट कर देता है. ऐसे ही सपनों को साकार करने एवं व्यवसाय स्थापित करने की हिम्मत देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी, प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रवार कार्यक्रम के रूप में एक उपहार देने का फैसला किया है.

श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में स्वीकार किया कि भारतीयों के पास विचार और क्षमता है, सभी को थोड़ा प्रोत्साहन देने की जरूरत है. "स्टार्ट अप इंडिया" एक क्रांतिकारी योजना है, जो उन लोगों की मदद करने के लिए शुरू की गई है, जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं. इन लोगों के पास विचार और क्षमता है, इसलिए सरकार उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए समर्थन देगी कि वे अपने विचारों को लागू कर सकें और विकसित हो सकें. इस योजना की सफलता अंततः भारत को एक बेहतर अर्थव्यवस्था और एक मजबूत राष्ट्र बनाएगी. श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम नौकरी चाहने वालों के बजाय युवाओं को नौकरी निर्माता बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि किसी का

माइंड-सेट शुरुआती चरण में पैसा कमाने की ओर नहीं होना चाहिए, बल्कि अवसरों को हथियाने और इस्तेमाल करने पर होना चाहिए.

स्टार्ट अप इंडिया स्कीम को भारत सरकार ने नई इकाई स्थापित करने के लिए व्यवसायियों को आर्थिक सहायता के साथ तकनीकी सहायता देने के उद्देश्य से प्रायोजित किया है. सामान्यतया यह पाया गया है कि ज़्यादातर नई इकाइयां सूक्ष्म या लघु उद्योग के रूप में ही स्थापित होती हैं और वक़्त के साथ धीरे धीरे प्रगति करके वे बड़े उद्योग बनते हैं. किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करने में कुछ अंतर्निहित जोखिम एवं चुनौतियाँ होती हैं. इनमें से कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्न हैं:

1. पूंजी की कमी:

किसी भी सूक्ष्म या लघु उद्योग को शुरू करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, जो कि दीर्घकालिक या अल्पकालिक आस्तियों के रूप में निवेश की जाती है. अत: दीर्घकालिक पूंजी एवं कार्यशील पूंजी के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कई तरह की कठिनाइयों को झेलते हैं. उनका अस्तित्व पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है.

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की पूंजी की इसी चुनौती के समाधान के लिए भारत सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया स्कीम में निम्न आर्थिक मदद की व्यवस्था की है.

योग्य स्टार्ट-अप निम्नलिखित प्रोत्साहन के हकदार होंगे:

- **स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क प्रतिपूर्ति:** योग्य स्टार्ट-अप स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे, जिन्होंने पहले लेनदेन के लिए भूमि / कार्यालय स्थान की बिक्री / पट्टे / हस्तांतरण पर भुगतान किया था.
- **लीज रेंटल सब्सिडी:** अपने परिचालन के लिए लीज पर जगह लेने वाले योग्य स्टार्ट-अप्स को लीज रेंटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी, प्रति कर्मचारी 50 वर्गफुट के पैमाने पर, दो साल के लिए प्रति माह 15 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से प्रतिपूर्ति के आधार पर.
- **ब्याज सब्सिडी:** पात्र स्टार्ट-अप को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी (अधिकतम ₹ 2 लाख प्रति वर्ष). इस तरह की ब्याज सब्सिडी अधिकतम दो वर्षों के लिए पात्र होगी. योग्य स्टार्ट-अप ब्याज के हकदार होंगे. आवेदन करने की तारीख से या जब ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों को वास्तविक ब्याज चुकौती, अगर कोई हो, तक की सब्सिडी सहायता उनकी पसंद के आधार पर शुरू होती है. हालांकि, स्टार्ट-अप ब्याज सहायता के लिए तभी हकदार होगा, जब इस पॉलिसी के ऑपरेटिव अवधि के दौरान ब्याज चुकौती शुरू हो गई हो.

- **पेटेंट सहायता:**

  क) पात्र स्टार्ट-अप को रुपये की सीमा के लिए पेटेंट विषय प्राप्त करने की लागत का 75% की दर से सहायता प्रदान की जाएगी. घरेलू पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट ₹ 2 लाख और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट ₹ 5 लाख.

  ख) ऐसे पेटेंट प्राप्त करने के लिए सहायता की कुल मात्रा रुपये 10 लाख तक सीमित होगी. अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए ₹ 10 लाख और घरेलू पेटेंट के लिए ₹ 4 लाख.

  ग) पेटेंट अटॉर्नी और पेटेंट सेवा केंद्र को दिए जाने वाले शुल्क को कंप्यूटिंग सहायता के लिए लागत के लिए योग्य व्यय माना जाएगा.

  ड) सहायता प्रतिपूर्ति की प्रकृति में होगी.

- **बैंडविड्थ सब्सिडी:** पात्र स्टार्ट-अप को वार्षिक बैंडविड्थ शुल्क के 70% की दर से बैंडविड्थ सब्सिडी प्रदान की जाएगी. 2 साल के लिए ₹ 20000.

- **स्किल सर्टिफिकेशन ग्रांट:** योग्य स्टार्ट-अप को प्रति व्यक्ति कौशल प्रमाणपत्र के लिए ₹ 5000/- की दर से कौशल प्रमाणन अनुदान प्रदान किया जाएगा. दो साल के लिए प्रति वर्ष ₹ 1 लाख प्रति स्टार्ट-अप.

- **विपणन और उत्पाद विकास सहायता:** ₹ 1 लाख की एक जीवनकाल सहायता. प्रोटोटाइप / उत्पाद विकास और अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र स्टार्ट-अप्स को ₹1 लाख प्रदान किए जाएंगे. ₹ 1 लाख विपणन के लिए प्रदान किया जाएगा.

- **मैचिंग इक्विटी सपोर्ट:** एक योग्य स्टार्ट-अप जिसने पंजीकृत उद्यम पूंजी कोषों से इक्विटी पूंजी जुटाई है, इसके विकल्प के लिए, विभिन्न राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी का कुछ प्रतिशत (बिना किसी अतिरिक्त जांच) का लाभ प्रदान किया जाता है.

2. व्यवसाय प्रबंधन की कम जानकारी

नए व्यवसायियों को व्यवसाय प्रबंधन एवं कागजी कार्रवाई की उतनी समझ नहीं होती, जिसके कारण उन्हें व्यवसाय की लाभप्रदता एवं खर्च नियंत्रण के बारे में कम जानकारी होती है. ऐसे व्यवसायियों को प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए सरकार ने कई शैक्षणिक संस्थानों को इंकुबेटर के रूप में स्थापित किया है, जहाँ व्यवसायी को व्यवसाय प्रबंधन की जानकारी दी जाती है. इंकुबेटर वैसे संस्थान हैं जो स्थान, वित्त पोषण सहायता, सलाह, बाजार संपर्क और व्यवसाय प्रबंधन सेवाओं जैसे समर्थन सेवाओं और संसाधनों की मेजबानी के माध्यम से स्टार्ट-अप के विकास को तेज करने में लगे हुए हैं. ऐसे संस्थानों के सानिध्य में स्टार्ट अप

इकाइयां सुनियोजित तरीके से अपने व्यवसाय का प्रबंधन कर पाएंगे.

3. विपणन के लिए वित्त की कमी

स्टार्ट अप इंडिया स्कीम के तहत सरकार नयी इकाइयों को विपणन संबंधित कई प्रकार की सुविधाएं देती है. विपणन के लिए भी सरकार कई प्रकार से वित्तीय सहायता करती है, जैसे उत्पाद के विपणन के लिए ₹ 1 लाख तक की सहायता दी जाती है और सरकारी विभागों या इसके बोर्डों, निगमों या अर्ध-निकायों द्वारा बजटीय समर्थन प्राप्त करने वाली ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में, अनुबंध के मूल्य के 5% से 10%तक आउटसोर्सिंग के लिए या तो सेवा की आउटसोर्सिंग के रूप में या पात्र के रूप में काम करने के लिए प्रावधान किया जाएगा. साथ ही कई व्यवसायों में विपणन के लिए ₹ 10 लाख तक की आर्थिक मदद भी की जाती है.

4. तकनीकी क्षमता की कमी

व्यवसायों में नवीनतम तकनीक के आधार पर प्रतिस्पर्धा में इजाफा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्टार्ट अप इंडिया स्कीम के तहत नयी इकाइयों को तकनीक के उन्नयन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है एवं आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है. इंकुबेटर के माध्यम से नई तकनीक के विकास पर ज़ोर दिया जाता है जिसे इकाइयों में गुणवत्ता परीक्षण के पश्चात लागू किया जाता है. तकनीकी उन्नयन के पश्चात उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, लागत में कमी आती है एवं लाभप्रदता को बढ़ाया जा सकता है. स्कीम के तहत सरकार स्टार्ट अप को अपने कर्मचारियों के कौशल विकास या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए भी आर्थिक मदद देती है.

5. नवाचार की स्वीकार्यता पर संशय

किसी भी सूक्ष्म या लघु उद्योग की शुरुआत किसी आशावादी विचार के साथ ही होती है और ज़्यादातर व्यवसायी किसी भी स्थापित उत्पाद के व्यवसाय को प्राथमिकता देते हैं जो व्यवसाय के मांग जोखिम को कम करता है. इसके परिणामस्वरूप समाज में नए उत्पाद एवं नयी सोच को प्राथमिकता नहीं मिलती. इससे व्यवसायी जोखिम से दूर भागने लगते हैं और देश में तकनीकी विकास एवं स्वरोजगार में कमी आती है. नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पहले से कहीं अधिक तेजी के साथ विकसित हो रही है. इसने विभिन्न नए व्यवसायों जैसे ई-कॉमर्स, इंटरनेट मार्केटिंग आदि को जन्म दिया है, इसलिए, ऐसे क्षेत्रों में विकास की बहुत गुंजाइश है. चूंकि नयी इकाइयों के नवाचार वाले ज़्यादातर उत्पाद बाज़ार में पूरी तरह स्थापित नहीं होते हैं, उनकी निरंतर मांग की अपेक्षा करना या उसकी मांग का अनुमान लगाना एक बड़ी चुनौती है. आने वाली

मांग का अनुमान लगा पाना खुद व्यवसायी के लिए मुश्किल होता है, ऐसी स्थिति में बैंकों के लिए वित्तीय सहायता का आकलन करना या ऋण उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है. स्टार्ट अप इंडिया स्कीम के तहत शुरुआती खर्चों या निवेश के लिए आर्थिक मदद सरकार द्वारा उपलब्ध कराने से नयी इकाइयों को राहत मिलती है एवं नए व्यवसायी जोखिम लेने के लिए आर्थिक एवं मानसिक रूप से तैयार हो पाते हैं.

यह एक सच्चाई है कि क्रांतिकारी सोच या नई सोच कोई फसल नहीं है, जिसे उत्पादित किया जा सके. यह किसी शिक्षा, उम्र या लिंग पर निर्भर नहीं है. नयी सोच देश के किसी भी कोने और किसी भी व्यक्ति से आ सकती है. परंतु ऊपर चिन्हित कुछ जोखिमों के कारण ज्यादातर क्रांतिकारी या नई सोच पूरी तरह पनपती ही नहीं और नकारात्मकता की बेदी पर उसकी बलि चढ़ जाती है और सोच लुप्त होती जाती हैं. इसका सीधा नुकसान देश के आर्थिक और तकनीकी विकास को होता है.

ऐसी ही क्रांतिकारी और नयी सोच को संजोने और उसे व्यवसाय का रूप देने के उद्देश्य से सरकार ने स्टार्ट उप इंडिया स्कीम को शुरू किया जिसके अंतर्गत नई सोच और नए व्यवसाय के लिए सरकार उस व्यवसाय को हर संभव मदद देती है.

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अपने उत्पाद का फैसला करने के बाद दो महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. पहली चुनौती वित्तीय सहायता है, जिसके लिए नीति में दिए गए प्रोत्साहनों द्वारा सरकार सहायता करती है. दूसरी चुनौती वैसे बड़े खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करके व्यापार और बाजार की दृश्यता प्राप्त करना है, जिनके पास संसाधन तक पहुंच है, और एक विश्वसनीय रिकॉर्ड भी है. ऐसे में सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए बाज़ार जैसे सरकारी क्रय में से एक निश्चित हिस्सा स्टार्ट अप्स के लिए आरक्षित रखना, विभिन्न सरकारी वेबसाइट पर स्टार्ट अप की जानकारी देना आदि कुछ ऐसे कदम हैं, जिनसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को पहचान मिल सकती है.

चूंकि ज़्यादातर स्टार्ट अप इकाइयां सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ही होते हैं, स्टार्ट अप इंडिया स्कीम का महत्व एम एस एम ई के विकास के लिए एक अहम भूमिका लेकर आता है. नए व्यवसाय सृजन एवं स्वरोजगार सृजन के उद्देश्य से चलायी जा रही सरकार की स्टार्ट अप स्कीम एम एस एम ई की देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ती पैठ को सुधारने एवं एम एस एम ई के निरंतर विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी.

एमएसएमई उद्योग आधार पंजीकरण

संदीप गुप्ता
मुख्य प्रबंधक
क्षे. का., मेरठ

प्रस्तावना:- विगत 5 दशकों से भी अधिक समय से भारत के औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्यम अत्यंत क्रांतिकारी एवं अत्यधिक लाभकारी रूप में उभरा है. इस क्षेत्र ने न केवल वृहद रोज़गार उपलब्ध कराए हैं, अपितु बेहद कम कार्यशील पूंजी की लागत से देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण का सृजन कर स्थानीय उत्पादों, कौशल तथा आय संसाधनों की चहुँमुखी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है. इस क्षेत्र द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान का अनुमान संबंधित मंत्रालय की 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार भली भांति लगाया जा सकता है, जिसके अनुसार एमएसएमई क्षेत्र अपने लगभग 63.38 मिलियन उद्यमों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 45% का अंशदान किया है. निर्यात में लगभग 40% तथा देश की जी डी पी में 28% से अधिक का अंशदान करता है. साथ ही लगभग 111 मिलियन लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया है, जिससे यह कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा बड़ा रोज़गार सृजन कराने का क्षेत्र बन गया है. इस क्षेत्र को और अधिक सुदृढ एवं सशक्त करने हेतु सरकार ने वर्ष 2006 में एमएसएमई एक्ट लागू किया, ताकि इस क्षेत्र को औपचारिक रूप से अलग पहचान, आवश्यक संसाधन एवं सहायता इत्यादि सहज़ एवं सरल रूप से प्राप्त हो सके.

पृष्ठभूमि:- एमएसएमई एक्ट 2006 लागू होने से पहले इस क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों को औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 के अंतर्गत एस एस आई अर्थात लघु उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया था. इसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों को अपने-अपने राज्य के संबंधित जिले में स्थित जिला उद्योग केंद्र में पंजीकरण कराना होता था तथा पंजीकरण हेतु विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएँ पूर्ण करना आवश्यक था. ऐसे में ऐसी बहुत सी इकाइयां समय तथा आवश्यक समुचित ज्ञान के अभाव के कारण पंजीकरण नहीं करा पाती थीं.

एमएसएमई एक्ट 2006 लागू होने के साथ ही इस क्षेत्र का दायरा और अधिक बड़ा किया गया जिसके अंतर्गत "उद्योग" को "उद्यम" के नाम से परिभाषित किया गया, जिससे

इस क्षेत्र में न केवल विनिर्माण से जुड़ी औद्योगिक इकाइयां अपितु सेवा क्षेत्र से जुड़ी इकाइयों को भी सम्मिलित किया गया तथा इन दोनों वर्गों को व्यवसाय में उनके निवेश के अनुरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया, जिससे न केवल उद्यमों का पारदर्शी ढंग से वर्गीकरण होने से उनकी स्पष्ट पहचान बन पाई अपितु इससे विभिन्न श्रेणियों के उद्यमों को विभिन्न राजकीय योजनाओं, लाभ तथा सहायता प्राप्त करने में आसानी हुई. एमएसएमई एक्ट, 2006 लागू होने के पश्चात अक्तूबर 2006 से ई एम अर्थात Entrepreneur Memorandum – I / II लागू किया गया, जिसके अंतर्गत स्थापित नए उद्यमों को EM-I तथा पहले से विद्यमान इकाइयों को EM – II के माध्यम से पंजीकरण कराने की व्यवस्था की गई, लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत उद्यमों को पंजीकरण हेतु आवश्यक जिला उद्योग केन्द्रों की औपचारिकताओं तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन करने में बेहद कठिनाई का अनुभव किया गया: जिस पर टिप्पणी करते हुए कामथ समिति ने कुछ सुझाव प्रदान किए जिनके अनुसार:

- पंजीकरण की निर्धारित समय सीमा में अनुमानित स्वीकृति प्रदान करना जिसके साथ आवेदक स्वघोषणा पत्र प्रदान करे, जिनका सत्यापन जिला उद्योग केंद्र द्वारा बाद में किया जा सकता है.
- उद्योग हेतु भूमि आवंटन जैसी प्रक्रियाओं, जो मूलत: राज्य सरकार के अधीन कार्यान्वित होती हैं, के लिए समिति का सुझाव था कि पंजीकरण स्वीकृत करते समय राज्य सरकार अथवा जिला उद्योग केंद्र कोई भी शर्त न लगाएं.
- प्रदूषण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में उद्यम से इस संदर्भ का स्वघोषणा पत्र लिया जाए अथवा विभाग एक ऐसी सूची जारी करे, जहां प्रदूषण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया गया हो.
- पंजीकरण हेतु आसानी से प्रयोग हो सकने वाले मोबाइल एप्लिकेशन की सुविधा प्रदान की जाए.

तत्पश्चात समिति के सुझावों तथा प्रधानमंत्री के आह्वान के दृष्टिगत उद्योग आधार की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत उद्यमों को अपने आधार संख्या का उल्लेख करते हुए एक पृष्ठ के सरल फार्म को ऑनलाइन आवेदन करना है.

इस व्यवस्था में पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु निम्नानुसार दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए :-

इसी संदर्भ में नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार पहले से जारी EM-II तथा UAM की वैधता 31.03.2021 तक होगी. साथ ही 30.06.2020 तक पंजीकृत सभी उद्यमों को अनिवार्य रूप से नए पंजीकरण हेतु उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 31.03.2021 से पहले पुन:

पंजीकरण कराना अनिवार्य है. किसी भी उद्यम का एक से अधिक पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु एक पंजीकरण में उद्यम चाहे वह विनिर्माण से सम्बद्ध हों या फिर सेवा क्षेत्र से या फिर दोनों से अनगिनत गतिविधियां हो सकती हैं.

इसी के साथ जीएसटी आर तथा/या आयकर विवरण दाखिल करने से छूट प्राप्त उद्यमों जिन्हें स्व: घोषणापत्र के आधार पर उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उनकी भी वैधता 31.03.2021 तक जारी रहेगी. यथा 01.04.2021 से पैन तथा जीएसटी संख्या प्राप्त करना अनिवार्य होगा. यथा 01.07.2020 से एमएसएमई / उद्योग आधार पंजीकरण का नाम बदल कर अब ''**उद्यम पंजीकरण** '' हो गया है.

पंजीकरण हेतु, उद्यम पोर्टल पर निम्नानुसार विवरण दर्ज करना आवश्यक है:-

(किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आधार संख्या के माध्यम से पंजीकरण करना संभव है. पैन तथा जीएसटी संख्या सरकारी डाटाबेस में उपलब्ध होने के कारण स्वत: ही प्राप्त हो जाएगा)

आवेदक का विवरण :-

प्रथम नाम (यथा आधार में अंकित)	
अंतिम नाम (यथा आधार में अंकित)	
आवेदक का आधार संख्या	
मोबाइल संख्या (आधार से लिंक)	
ई मेल (सक्रिय)	
सामाजिक श्रेणी (सामान्य/ओबीसी /अनु. जाति /जनजाति)	

संस्था का विवरण :-

संस्था का नाम	
संस्था का पंजीकृत पता	
संस्था का पैन संख्या (एकल स्वामित्व वाले उद्यम के लिए प्रोप्राइटर का पैन संख्या)	
संस्था की स्थापना तिथि	
संस्था का प्रकार (प्रोप./भागीदारी /अविभाजित हिन्दू परिवार /प्राइवेट /पब्लिक कंपनी)	
संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या	
व्यवसाय/ कार्य गतिविधि का संक्षिप्त विवरण	
संस्था में निवेशित पूंजी (रुपे में)	
जी एस टी संख्या	

बैंक विवरण :-

संस्था का बैंक खाता संख्या	
बैंक का IFSC कोड	

दर्ज करें

उद्योग आधार पंजीकरण के लाभ :-

- विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ प्राप्त करने में सहायता एवं प्राथमिकता
- एमएसएमई समाधान :- विक्रय उपरांत भुगतान प्राप्ति में होने वाली देरी के निवारण हेतु प्रभावी पटल
- एमएसएमई संबंध :- विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों /विभागों इत्यादि के लिए एमएसएमई के उत्पादों की ख़रीदारी हेतु प्रभावी पटल
- एमएसएमई संपर्क :- व्यवसाय हेतु जनबल जुटाने तथा प्रशिक्षण हेतु प्रभावी पटल

- एमएसएमई मार्ट :- व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) का सहज उपलब्ध बाजार
- विक्रय इन्वाइस की, ऑनलाइन पटल के माध्यम से डिस्काउंटिंग से वित्त पोषण
- संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना बैंक ऋण
- बैंक ऋण पर अनुदान की उपलब्धता

आधार संख्या रहित पंजीकरण :-

ऐसे आवेदक या प्राधिकृत हस्ताक्षरी जिनके पास आधार संख्या उपलब्ध नहीं है और ऐसे आवेदक यदि आधार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार पंजीकरण हेतु योग्य हैं, किसी भी आधार पंजीकरण केंद्र से अपना पंजीकरण करा सकते हैं.

ऐसी स्थिति में जब तक आधार पंजीकरण हो और आधार क्रमांक जारी हो. आवेदक उद्योग आधार पंजीकरण, निम्नानुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत कर जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से करा सकता है :-

(1) यदि आवेदक ने आधार पंजीकरण हेतु आवेदन किया है तो आवेदन की जमा रसीद की प्रति या

(2) यदि आधार पंजीकरण हो चुका है, परंतु आधार संख्या का आवंटन नहीं हुआ है तो रसीद की प्रति

(3) बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, सरकार द्वारा जारी वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कर्मचारी फोटो पहचान पत्र इत्यादि में से कोई भी दस्तावेज़.

उद्योग आधार पंजीकरण - ऑनलाइन या ऑफलाइन- पूर्णत: नि:शुल्क व्यवस्था है तथा आसानी से व्यवसाय कर सकने के सरकार के प्रयासों का एक अति महत्वपूर्ण कदम है. उद्यमियों को इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लेते हुए अपने उद्यम को सतत प्रगति पथ पर अग्रसर करना चाहिए.

अनुबंध-1

भारत सरकार
सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
Government of India
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
(An ISO 9001:2008 Certified Organization)

MSME
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

उद्योग आधार — Udyog Aadhaar

	उद्यम का प्रकार	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
	विनिर्माण	क	ख	ग
	सेवा	घ	ङ	च

उद्योग आधार ज्ञापन

1	आधार संख्या				
2	उद्यमी का नाम				
3	सामाजिक श्रेणी	अनु.जाति	अनु.जनजाति	**अन्य पछड़ा वर्ग**	सामान्य
4	उद्यम का नाम				
5	संगठन का प्रकार *				
6	डाक का पता				
		जिला	राज्य		**पन**
		मोबाइल न.:		ईमेल:	
7	आरंभ करने की तारीख				
8	पूर्व पंजीकरण का ब्योरा, यदि कोई हो	एसएसआई			
		ईएम-1			
		ईएम-2			
9	**बैंक ववरण**	आईएफएससी कोड:			
		बैंक खाता:			
10	प्रमुख गति व ध	**विनिर्माण**		सेवा	
11	राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण कोड				
12	नियोजित व्यक्ति				
13	निवेश (संयंत्र मशीनरी उपकरण)				
14	जिला उद्योग केन्द्र				

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ क उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सही है। कोई सूचना जिसको सत्या पत कया जाना अपे क्षत हो उसे **संब धत प्रा धकारी के समक्ष तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।**

*(1) **स्वा मत्व**, (2) हिन्दू अ वभाजित परिवार (एचयूएफ), (3) साझेदारी, (4) सहकारी, (5) **प्राइवेट ल मटेड कम्पनी**, (6) सार्वजनिक **ल मटेड** कम्पनी, (7) स्व सहायता समूह, (8)अन्य

यूनियन मुद्रा सूक्ष्म एवं लुघ उघोग में कितना सहायक

सुनील दत्त
प्रबंधक (राभा)
क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली दक्षिण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है. इस क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी के समय मंदी में फसने से बचाया था. कुल मिलाकर यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा रोल निभा रहा है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास बिल- 2005 (जो 12 मई, 2005 को संसद में प्रस्तुत किया गया था) इस अधिनियम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के रूप में नामित किया गया है.

नई परिभाषा 21 जुलाई, 2020 के अनुसार अब 'प्लांट और मशीनरी में निवेश की जगह 'टर्नओवर' के आधार पर MSMEs वर्गीकरण किया जाएगा.

उद्यम का प्रकार	**मैन्यूफैक्चरिंग**	**सेवाएं**	**2020 का बिल सभी उद्यम (प्रस्तावित)**
	संयंत्र और मशीनरी में निवेश (₹)	**उपकरण में निवेश** (₹)	**वार्षिक टर्नओवर** (₹)
सूक्ष्म	25 लाख	10 लाख	5 करोड़
लघु	25 लाख से 5 करोड़	10 लाख से 2 करोड़	5 से 50 करोड़
मध्यम	5 से 10 करोड़	2 से 5 करोड़	50 से 250 करोड़

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 2020 में बनाई गई परिभाषा के अनुसार देखें तो ₹ 5 करोड़ तक सालाना कारोबार करने वाले उद्योग एसएमई के तहत आएंगे. यह परिभाषा सालाना टर्नओवर के आधार पर तय की गई है. इसके पहले 2006 में लघु उद्योग की परिभाषा उद्यम में इन्वेस्ट होने वाले खर्च के आधार पर तय होती थी. लघु उद्योग के लिए सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा के अतिरिक्त देखें तो वह सभी कारोबार आते हैं जिसमें

प्रोडक्ट निर्माण होता है और सर्विस यानी सेवा प्रदान किया जाता है. इसे एक उदाहरण के तहत समझते हैं - मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जिन उद्योग में जूता, चप्पल या किसी फैक्ट्री में खिलौने बनते हों उन्हें एसएमई उद्योग कहा जाता है. सर्विस सेक्टर में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ट्रेवेल एजेंसी का है. ट्रेवेल एजेंसी सर्विस सेक्टर के लिए एसएमई का उदाहरण है.

मुद्रा की भूमिका- भविष्य में युवा रोज़गार सृजन में

भारत दुनिया के उन सबसे युवा देशों में से है जहां 25 वर्ष से कम लोगों की कुल आबादी 54 प्रतिशत से अधिक है. हमारे युवाओं को इक्कीसवीं शताब्दी की नौकरियों के लिए शिक्षित और नौकरियों के लायक बनना. हमारे यहां काम करने लायक 5 प्रतिशत से भी कम लोगों को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण मिलता है जिससे वे नौकरी के लायक बन सकें और नौकरियां कर सकें. भारत की आबादी का करीब 70 प्रतिशत गांवों में रहता है जिसके कारण नौकरी करने लायक इन युवाओं की संख्या बढ़ रही है.

वर्ष 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर महोत्सव होगा. राज्यों के नेतृत्व और केंद्र सरकार के निर्देशन में टीम इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता में अन्य उद्देश्यों के अलावा युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण देना शामिल है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके. इस उद्देश्य से स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और हमें भी भारत में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए और नए उद्यमों को शुरू करने के लिए सहयोग करना चाहिए तभी हमारे युवा रोजगार ढूंढ़ने वालों से रोजगार सृजक बन सकते हैं.

हालांकि कार्पोरेट और व्यावसायिक संस्थाओं की भी भूमिका है, अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा इसकी सराहना की जानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा. कुल मिलाकर 5.77 करोड़ लघु व्यावसायिक इकाईयां हैं, जिनमें से अधिकतर एकल स्वामित्व वाली हैं जो लघु निर्माण, ट्रेडिंग या सेवा व्यवसाय चलाती हैं. इनमें से 62 प्रतिशत का स्वामित्व अनुसूचित जाति व ओबीसी के पास है. अनुसूचित जनजाति निचले स्तर के कठोर परिश्रम करने वाले उद्यमियों की ऋण तक औपचारिक पहुंच कठिन हो गई है. इस दिशा में हाल के बजट में एक प्रमुख पहल करने की घोषणा की गई है.

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाईनेंस एजेंसी बैंक की घोषणा (मुद्रा) के बजट में की गई है जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया गया है और इसमें 3,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी राशि की घोषणा की गई है. मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों का पुनर्वित्तीयन करेगा. कर्ज देते समय अनुसूचित जनजाति उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी. इन उपायों से युवाओं, शिक्षित अथवा कौशल प्राप्त श्रमिकों

का आत्मविश्वास बढ़ेगा जो पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने की आकांक्षा रखते हैं; साथ ही इसमें वर्तमान लघु उद्यमी भी शामिल हैं जो अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकेंगे.

मुद्रा के लिए परिकल्पित भूमिकाओं में शामिल बिन्दु -

1. सूक्ष्म उपक्रम वित्तपोषण व्यवसायों के लिए नीति दिशानिर्देश निर्धारित करना
2. एमएफआई इकाइयों का पंजीकरण
3. एमएफआई इकाइयों का प्रमाणन व मूल्यांकन
4. कर्जधारिता से मुक्ति पाने के लिए जिम्मेदार वित्तपोषण प्रचलनों का निर्धारण तथा उचित ग्राहक सुरक्षा सिद्धांतों और वसूली की पद्धतियां सुनिश्चित करना
5. सूक्ष्म उपक्रमों को ऋण देने वाले स्थानीय वित्तदाताओं को प्रशासित करने के लिए एक मानक नियम पत्रों के समूह का विकास
6. सभी के लिए सही प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देना
7. सूक्ष्म उपक्रमों को कर्ज देने वाले ऋण विभागों को गारंटी मुहैया कराने के लिए एक ऋण / गारंटी योजना का निर्माण एवं संचालन
8. क्षेत्र में विकास एवं प्रवर्तन गतिविधियों का समर्थन
9. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म व्यवसायों को स्थानीय ऋण आपूर्ति की एक अच्छी संरचना का सृजन

मुद्रा के उद्देश्य

1. सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और कर्जगृहिता का नियमन और सूक्ष्म वित्त प्रणाली में नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना.
2. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स, स्वसहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त एवं उधार गतिविधियों में सहयोग देना.
3. सभी एमएफआई को रजिस्टर करना और पहली बार प्रदर्शन के स्तर (परफॉर्मंस रेटिंग) और अधिमान्यता की प्रणाली शुरू करना. इससे कर्ज लेने से पहले आकलन और उस एमएफआई तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जो उनकी जरूरतों को पूरी करते हों और जिसका पुराना रिकॉर्ड सबसे ज्यादा संतोषजनक है. इससे एमएफआई में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी. इसका फायदा कर्ज लेने वालों को मिलेगा.
4. कर्ज लेने वालों को ढांचागत दिशानिर्देश उपलब्ध कराना, जिन पर अमल करते हुए व्यापार में नाकामी से बचा जा सके या समय पर उचित कदम उठाए जा सकें.

डिफॉल्ट के केस में बकाया पैसे की वसूली के लिए किसी स्वीकार्य प्रक्रिया या दिशानिर्देशों का पालन करना है, उसे बनाने में मुद्रा मदद करेगा.

5. मानकीकृत नियम पत्र तैयार करना जो भविष्य में सूक्ष्म व्यवसाय की रीढ़ बनेगा.
6. सूक्ष्म व्यवसायों को दिए जाने वाले कर्ज के लिए गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाएगा.
7. वितरित की गई पूंजी की निगरानी, कर्ज लेने और देने की प्रक्रिया में मदद के लिए उचित तकनीक मुहैया कराएगा.
8. छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को प्रभावी ढंग से छोटे कर्ज मुहैया कराने की प्रभावी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपयुक्त ढांचा तैयार करना.

मुद्रा के प्रमुख उत्पाद - मुद्रा योजना के तहत

1. शिशु: इसके दायरे में 50 हजार रुपए तक के कर्ज आते हैं.
2. किशोर: इसके दायरे में 50 हजार से 5 लाख रुपए तक के कर्ज आते हैं.
3. तरुण: इसके दायरे में 5 से 10 लाख रुपए तक के कर्ज आते हैं.

शुरुआत में कुछ ही क्षेत्रों तक योजनाएं सीमित हैं, जैसे- "जमीन परिवहन, सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं, खाद्य उत्पाद और टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर". समय के साथ नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें और ज्यादा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा. स्वामित्व साझेदारी फर्म लघु-निर्माण इकाइयों के रूप में कार्यरत, दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, ट्रांसपोर्टर, ट्रक ऑपरेटर, हॉकर, सहकारिताएं या व्यक्तियों का निकाय, खाद्य सेवा इकाइयां, मरम्मत करने वाली दुकानें, मशीन ऑपरेटर, लघु उद्योग, दस्तकार, खाद्य प्रसंस्करण करने वाले, स्वयं सहायता समूह, 10 लाख रुपये तक की वित्तीय अपेक्षा रखने वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सेवा प्रदाता आदि तथा पेशेवर व्यावसायिक इकाइयों में शामिल होंगे. भूमि, परिवहन, समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं, खाद्य उत्पाद तथा वस्त्र उत्पाद क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां जैसी योजनाएँ. अन्य क्षेत्रों/ गतिविधियों में इसी प्रकार की योजनाएं शामिल भी होंगी.

सूक्ष्म ऋण योजना

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)/ अनसूचित सहकारी बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना
- महिला उद्यमी योजना
- व्यापारियों और दुकानदारों के लिए व्यवसाय ऋण
- मिशिंग मध्य ऋण योजना

सूक्ष्म इकाइयों के लिए उपकरण वित्त ऋण जमा धारणा मुद्रा ऋण जमा अवधारणा योजना को भी अपनाएगा तथा समस्त लाभार्थी वर्गों की विकास जरूरतों के लिए योजनाएं बनाएगा. ऐसी प्रस्तावित योजनाओं/ पहलों / विशेषताओं के मुख्य प्रकार हैं-

- वित्तीय साक्षरता को समर्थन
- जमीनी स्तर के संस्थानों को समर्थन एवं संवर्द्धन
- 'लघु व्यावसयिक वित्तीय इकाइयों' के लिए संरचना का सृजन
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समन्वय
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समन्वय
- ऋण ब्यूरो के साथ काम करना
- साख निर्धारण एजेंसियों के साथ काम करना
- ऋण बढ़ोत्तरी

मुद्रा, कुछ वर्तमान कंपनियों के अनुभवों का लाभ उठाएगा जिन्होंने उद्यमियों एवं स्थानीय वित्त प्रदाताओं दोनों के लिए एक वित्त पोषण ढांचा और सही वित्त प्रणाली के निर्माण के लिए गैर कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय वर्ग की जरूरतों की पूर्ति में सफलता प्रदर्शित की है. विवेकपूर्ण मूल्य के साथ वित्त की सुविधा मुद्रा का अनोखा ग्राहक मूल्य प्रस्ताव साबित होगा. मुद्रा का गठन न केवल बैंक सुविधा विहीन लोगों को वित्त की सुविधाएं बढ़ाने में मददगार होगा बल्कि यह अनौपचारिक, सूक्ष्म लुघ उद्यम क्षेत्र को स्थानीय वित्त दाताओं के वित्त की लागत को कम करने में भी सहायक साबित होगा. इसका उद्देश्य केवल ऋण के दृष्टिकोण से आगे बढ़कर देशभर में फैले इन उपक्रमों के लिए ऋण जमा समाधान तथा एक पूर्ण वित्तीय प्रणाली प्रस्तुत करना है.

मुद्रा योजना से लाभ

- मुद्रा की संरचना स्वदेशी संकल्पना भारत के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए
- अन्तिम बिन्दु के वित्तदाताओं का समावेशन पासा पलटने वाला विचार
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्त तक पहुँच को विस्तार देने में मददगार
- कम लागत वाला वित्त
- ऋण से अधिक प्रदायगी का दृष्टिकोण
- जनव्यापी उद्यमिता विकास एवं संवृद्धि
- रोज़गार सृजन, सकल घरेलू उत्पाद में उच्चतर वृद्धि

मुद्रा की प्रक्रियाएं :

- मुद्रा के ऋण वितरण के संबंध में यह परिकल्पना की गई है कि यह बैंकों, प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं सहित अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ- साथ मूलत: गैर बैंकिंग वित्तीय-कंपनियों का माध्यम अल्प वित्त संस्थाओं से होगा.

- इसके साथ ही यह आवश्यकता भी है कि जमीनी स्तर पर ऋण वितरण के चैनलों का विकास और विस्तार किया जाए. इस परिप्रेक्ष्य में, पहले से ही बड़ी संख्या में अंतिम स्तर के वित्तपोषक विद्यमान हैं, जैसे - कंपनियाँ, ट्रस्ट, सोसायटियाँ, संघ आदि. ये छोटे व्यवसायों को अनौपचारिक वित्त प्रदान कर रहे हैं.

- हितधारकों के साथ परामर्श के फलस्वरूप यह जरूरत सामने आई है कि जमीनी स्तर पर विद्यमान इस अनौपचारिक ऋण वितरण चैनल, जिसमें लक्षित वर्ग को ऋण वितरण और वसूली की क्षमता है, को औपचारिक रूप प्रदान किया जाए और उसका लाभदायक ढंग से उपयोग किया जाए.

- इस प्रकार मुद्रा बैंक के लिए जिस वित्तपोषण संरचना की परिकल्पना की गई है, उसका यह लक्ष्य भी होगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अल्प वित्त संस्थाओं तथा गैर निगमित अल्प वित्त संस्थाओं जैसी मध्यवर्ती संस्थाओं का उपयोग करते हुए इन ''अंतिम स्तर के वित्तपोषकों'' का औपचारिक ऋण वितरण चैनल के रूप में एकीकरण किया जाए.

- ऐसे वित्तपोषकों की पहचान करना भी जरूरी है जो भारत के छोटे-छोटे कस्बों और शहरों में कार्य करते हुए स्थानीय ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है इनके क्षमता निर्माण हेतु प्रयास करना आवश्यक है ताकि समय बीतने के साथ-साथ यह अपने आकार को बढ़ा सकें. अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार कर सकें तथा अपनी निधि की लागत में भी कमी ला सकें.

- ऐसा करने से ये वित्तीयक इस क्षेत्र को ऋण प्रदायन की अपनी क्षमता को बढ़ा सकेंगे तथा निधियों की लागत को भी कम कर सकेंगे. अत: मुद्रा के सामने एक प्रमुख मुद्दा यह होगा कि वह इन वित्त पोषकों को अपने वित्तीय ढांचे में शामिल करे तथा स्थानीय बाजारों में लंबे समय से ऋण उपलब्ध कराने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करे.

- यही नहीं मुद्रा का एक प्रमुख दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि वह वित्तीय क्षेत्र में ऐसी संस्थाओं को परिपोषित करे जो पात्र उद्यमियों को बिना किसी जटिल औपचारिकताओं के सुगम तथा नवोन्मेषी तरीकों से ऋण उपलब्ध करा सके ताकि उद्यमिता की ज्योति फिर से उज्ज्वलित हो सके.

- यह बहुस्तरीय व्यवस्था / मध्यवर्तन की प्रकृति का होगा और इस माध्यम के लिए उपयुक्त ऋण वितरण संरचना विकसित करने का कार्य किया जाएगा, जिसमें अंतिम स्तर के वित्तपोषकों के पंजीकरण की व्यवस्था, उनमें उत्तरदायित्वपूर्ण ऋण वितरण और वसूली पद्धतियों का प्रसार, विभिन्न स्तरों पर ऋण वितरण की लागत में दक्षता बनाए रखना और अंतिम स्तर के ऋण वितरण को शासित करने वाली मानक प्रसंविदाओं का विकास जैसी आवश्यकताओं का समावेश होगा.
- मुद्रा द्वारा मध्यवर्तियों के सहयोग से जो ऋण वितरण प्रणाली लागू की जाएगी, उसका मेरुदण्ड होगा - प्रौद्योगिकी का लाभदायक उपयोग अंतिम स्तर पर ऋण वितरण के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी में असीम संभावनाएं हैं.
- प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म अंतिम स्तर के लिए सही प्रौद्योगिकी समाधान देने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म लागू करना होगा. ऐसे सिस्टम की आवश्यकता होगी, जो निम्नलिखित कार्य कर सके-
- गैर-औपचारिक इकाइयों का पंजीकरण
- अल्प वित्त संस्थाओं का मुद्रा बैंक के लिए लाभार्थी डाटा मध्यवर्तियों द्वारा अपलोड किया जाना, जिसमें ऋण प्रवाह तथा लाभार्थी विवरण, जैसे - क्षेत्र, गतिविधि का प्रकार, सीजनलिटी, उत्पाद का प्रकार, समुदाय आदि का समावेश हो.
- व्यवसाय / बैंकिंग प्रतिनिधि द्वारा निविष्टियों हेतु सुविधा
- निम्नलिखित से संबद्धता की सुविधा
- यूआईडी / आधार डाटाबेस / सिस्टम
- प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक खाता
- ऋण ब्यूरो
- मिक्स मार्केट जैसी संस्थाएं
- अनौपचारिक क्षेत्र को प्रौद्योगिकी प्रवाह

मुद्रा - घटक साझीदारों का पर्यवेक्षण

- वर्तमान में अल्प वित्त क्षेत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है.
- पुनर्वित्त के लिए मुद्रा के साथ साझेदारी की आशा कर रही सभी संस्थाओं को मुद्रा के पास पंजीकरण कराना होगा.

- यदि मुद्रा के साथ पंजीकृत इकाइयां किसी वर्तमान विनियामक के साथ विनियमित नहीं हैं तो मुद्रा उनके लिए विनियामक प्रसंविदा निर्धारित करेगा.
- मुद्रा के लिए विनियमन के जिन प्रावधानों की परिकल्पना की गई है, वे यथासमय मुद्रा के गठन हेतु सांविधिक अधिनियमन पर सामने आएंगे. मुद्रा की गतिविधियों के प्रयोजन के लिए सूक्ष्म इकाइयों की परिभाषा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अथवा अन्य किसी अधिनियम से संबद्ध नहीं होनी चाहिए. मुद्रा के प्रयोजन के लिए रुपये 10 लाख से कम की वित्तीय आवश्यकताओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लघु विनिर्माण इकाइयों के रूप में चल रहे पूर्ण स्वामित्व वाले साझेदारी, प्रतिष्ठान, दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, ट्रांसपोर्टर, ट्रक परिचालक, हॉकर, सहकारी संस्थाएं या व्यक्तियों का कोई निकाय, खाद्य सेवा इकाइयाँ, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालक, लघु उद्योग, कारीगर, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, स्वसहायता समूह, प्रोफेशनल्स तथा सेवा प्रदाता आदि को सूक्ष्म इकाइयां कहा जा सकता है.

मुद्रा - भावी परिदृश्य

- मुद्रा की स्थापना न केवल बैंक सुविधा से वंचितों तक वित्त की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी, अपितु अंतिम स्तर के वित्तपोषक से सूक्ष्म जिनमें से अधिकांश लुघ उद्यमों अनौपचारिक क्षेत्र में वित्त लागत कम करेगी.
- इसके अतिरिक्त, यह दृष्टिकोण केवल ऋण प्रदान करने से आगे तक जाता है और देश भर में फैले हुए इन असंख्य सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट प्लस समाधान प्रदान करता है.
- मुद्रा का भारतीय तरीका
- शीर्ष पुनर्वित्तपोषक के रूप में संरचित
- मुद्रा सूक्ष्म उद्यमों का वित्तपोषण करेगा
- मुद्रा मार्क्स और मार्केट से परे
- मुद्रा की संरचना भारतीय आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी तरीके से तैयार की गई है.
- अंतिम स्तर के वित्तपोषकों का समावेश एक नवोन्मेषी तथा पासा पलटने वाला विचार है.

'मुद्रा बैंक की भूमिका और दायित्व'

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) बैंक प्रमुखतया निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी रहेगा:

- सूक्ष्म उद्यम वित्तपोषण व्यवसाय के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों का निर्धारण
- अल्प वित्त संस्था निकायों का पंजीकरण
- अल्प वित्त संस्था निकायों का पर्यवेक्षण
- अल्प वित्त संस्था निकायों को मान्यता / रेटिंग प्रदान करना
- वित्तीयन की उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य-पद्धतियों का निर्धारण, ताकि अति ऋणग्रस्तता से बचा जा सके और ग्राहक संरक्षण के उचित सिद्धान्त व वसूली पद्धतियां सुनिश्चित की जा सकें.
- अल्प उद्यमों को अंतिम बिन्दु पर ऋण प्रदायगी के अभिशासन के लिए मानक सिद्धान्तों का विकास
- अंतिम बिन्दु के लिए सटीक प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देना
- सूक्ष्म उद्यमों को उपलब्ध कराए जा रहे ऋण संविभागों को गारंटी प्रदान करने के लिए ऋण योजना बनाना और चलना.
- क्षेत्र में विकास एवं संवर्द्धनपरक गतिविधियों को सहायता प्रदान करना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म व्यवसायों को अंतिम बिन्दु पर ऋण प्रदायगी के उद्देश्य से अच्छी व्यवस्था निर्मित करना.
- अल्प वित्त आर्थिक विकास का साधन है, जिसका उद्देश्य पिरामिड के निचले स्तर पर अवस्थित लोगों के लिए आय में कई प्रकार की सेवाएँ समाहित अर्जन के अवसर उपलब्ध कराना है, जिनमें ऋण के प्रावधान के साथ-साथ, ऋण से बढ़कर कई अन्य सेवाएँ जैसे बचत, बीमा, धन-अन्तरण, परामर्श, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सहायता की अन्य सेवाएँ आदि भी समाविष्ट हैं.
- अल्प वित्त क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को मुख्यत: 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: स्व-सहायता समूह- बैंक लिंकेज मॉडल, वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग के माध्यम से,

उद्यम का प्रकार	यूनियन बैंक द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में ऋण	
	30 सितंबर, 2020 तक (₹)	30 मार्च, 2021 (₹)
सूक्ष्म	44786 करोड़	45347.40 करोड़
लघु	54050 करोड़	49136.46 करोड़
मध्यम	29818 करोड़	27789.70 करोड़

यूनियन बैंक ने एमएसएमई के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है एसएमई के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम कारोबार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान दे रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 में यूनियन बैंक द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में 31 मार्च, 2021 तक कुल रुपये 123730.60 करोड़ के ऋण वितरण किये गए हैं.

एसएमई क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं?

सफलता और चुनौती ये दो ऐसे शब्द हैं जो हर व्यवसाय में समान रुप से चलते रहते हैं. कामयाब वह होता है जो चुनौतियों का सामना करता है और बेहतर रणनीति के तहत चुनौती को मात देते हुए सफलता प्राप्त करता है. कहा भी गया है-

'लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती.
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. . '

अगर बात करें एसएमई सेक्टर की चुनौतियों की यह सेक्टर तमाम चुनौतियों से जूझते हुए भी निरंतर आगे बढ़ रहा है. एसएमई सेक्टर में मुख्य चुनौतियां कुछ इस तरह की आती हैं:

- परस्पर ट्रेनिंग की कमी या पर्याप्त साधन और संसाधन उपलब्ध न होना
- सीमित धन की उपलब्धता
- व्यापक नेटवर्किंग न होना या सीमित नेटवर्किंग होना
- मार्केट रिसर्च की सही और सटीक जानकारी न होना
- नवीनतम टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त धन न होना

इत्यादि ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना करते हुए भी लघु और मध्यम कारोबार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हुए अच्छी संख्या में रोजगार प्रदान कर रहे हैं. एसएमई के भविष्य की बात करें तो केंद्र सरकार के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन की होने की उम्मीद है! जिसमे SME सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान होगा. इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है.

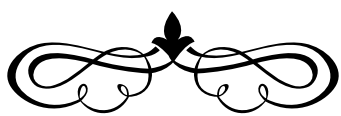

भारत में विमुद्रीकरण का एमएसएमई पर प्रभाव

गुना नन्द गामी
उप अंचल प्रमुख, क्षे.म.प्र.का., विशाखापटनम

दिनांक 8 नवंबर, 2016 की रात तत्कालीन सरकार द्वारा ₹500/- एवं ₹1000/- के मूल्यवर्ग के मुद्रा नोटों पर प्रतिबंध लगाने के कबिनेट के फैसले की घोषणा की गई तथा ₹500/- एवं ₹1000/- के मूल्यवर्ग के मुद्रा नोटों को तत्काल प्रभाव से प्रचलन से बाहर करने के निर्णय ने विमुद्रीकरण शब्द से हम सभी का सामना करवाया. जब सरकार द्वारा निविदा के रूप में उपयोग की जाने वाली मुद्रा को अवैध करार किया जाता है, तो वह मुद्रा बाज़ार में अपनी कीमत खो देती है और मुद्रा की वैल्यू एक रद्दी कागज के अलावा कुछ और नहीं रह जाती है, ऐसी स्थिति में बाज़ार में पनपने वाली समस्याओं से निपटने के लिए तथा मुद्रा को प्रचलन से बाहर करने से पहले, सरकार पुरानी मुद्रा को बाज़ार से बाहर निकालकर एक नई मुद्रा जारी करती है. अर्थशास्त्रियों द्वारा ऐसा माना जाता है कि सरकार का विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य काले धन की कर चोरी और प्रचलन के साथ-साथ जाली या नकली मुद्रा का मुकाबला करना है. सरकार द्वारा विमुद्रीकरण के इस फैसले ने देश के प्रत्येक वर्ग पर अपना कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ा, कुछ पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा तो कुछ पर नकारात्मक प्रभाव रहा. जीएसटी की मार झेल रहा एमएसएमई उद्योग पर इसका प्रभाव कैसा रहा, इसे समझने के लिए हमें यहाँ कुछ पहलुओं पर इसकी विवेचना करनी होगी.

वित्तीय क्षेत्र के औपचारिक क्षेत्रों के साथ अनौपचारिक क्षेत्रों विशेषतः ग्रामीण जनता एमएसएमई, एनबीएफ़सी, एमएफ़एस आदि पर विमुद्रीकरण का विशेष प्रभाव पड़ा. एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है. रोजगार निर्माण की दृष्टि से कृषि के बाद निश्चित रूप से यह भारत का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है. भारत के जीडीपी में लगभग 36.1 मिलियन यूनिट के साथ एमएसएमई विनिर्माण जीडीपी का लगभग 6.11% और सेवा गतिविधियों से सकल घरेलू उत्पाद में 24.63% योगदान करता है. देश के कुल निर्यात का लगभग 45% निर्यात इसी क्षेत्र से किया जाता है.

वर्तमान में, भारत के अधिकांश एमएसएमई इकाई माइक्रो एवं लघु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तथा इन सभी माइक्रो उद्योगों में रत्न, आभूषण, कालीन, कपड़ा, चमड़ा, हथकरघा

और हस्तशिल्प वस्तुओं आदि का उत्पादन किया जाता है तथा इन उद्योगों का कार्यान्वयन असंगठित मजदूरों द्वारा या फिर परंपरागत विधियों से परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता रहा है. इन सभी उद्योगों में कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं और अनुबंधित मजदूरों को भुगतान तथा कार्यान्वयन केवल नगद भुगतान द्वारा किया जाता था तथा नगद के माध्यम से ही कोई भी क्रय-विक्रय किया जाता था. ये सभी उद्योग विमुद्रीकरण के दौर में आए डिजिटल ट्रांजैक्स्न के रूप को झेल नहीं पाए क्योंकि इन उद्योगों में काम करने वाले असंगठित मजदूर डिजिटल युग से परिचित नहीं थे. उनके पास कोई भी बैंक खाता मौजूद नहीं था और न ही इन्हें खाते का संचालन करना आता था. ये सभी उद्योग बैंकिंग के औपचारिक तरीकों से या ये कहें की नगद रहित डिजिटल ट्रांजैक्स्न से भली-भांति परिचित नहीं थे तथा देश में विमुद्रीकरण लागू होने से ये सभी उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए.

एमएसएमई उद्योग पूर्णतः वित्त संचालन पर निर्भर था, परंतु विमुद्रीकरण के दौरान बाज़ार में न तो उद्योग मालिकों के पास कच्चे माल के खरीद के लिए पर्याप्त वित्त मौजूद था और न ही देशवासियों के पास तैयार उत्पाद को खरीदने के लिए पर्याप्त नगदी की व्यवस्था थी, फलतः वित्तीय आपदा के अभाव को ये उद्योग झेल नहीं पाए, जिससे कि ये अधिकांश उद्योग घाटे में आ गए एवं बदलाव के इस बड़े दौर में उद्योग बंद होने लगे. विमुद्रीकरण के बाद आम जनमानस की उपभोग क्षमता भी प्रभावित हुई, जो कालांतर में एमएसएमई क्षेत्र के क्षमता को भी प्रभावित की. आम जनता के पास नगद की कमी होने की वजह से वे अधिकतर खर्च करने से बचते रहे.

अनौपचारिक चैनलों पर निर्भरता, इन उद्योगों के पिछड़ने की बहुत अहम वजह रही, क्योंकि अनौपचारिक चैनलों द्वारा ऋण बिना किसी आवश्यक दस्तावेजों के, गिरवी के द्वारा प्रदान किया जाता था तथा ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर नगद के रूप में वसूल की जाती थी. ये सभी उद्योग नगद रूप में ऋण चुकाने में असमर्थ रहे, जिससे इन सभी उद्योगों पर बिचौलियों का कब्जा हो गया और ये उद्योग बंद पड़ने लगे.

जहां तक छोटे एवं मध्यम उद्योगों की बात है तो इन उद्योगों में काम करने वाले अधिकांश मजदूर अशिक्षित एवं अप्रवासी मजदूर थे. ये मजदूर अपने घर से दूर जाकर इन उद्योगों में काम करते हैं, इनके पास न तो बैंक में खाता था और न ही वर्तमान स्थान पर निवास का पता, जिससे कि इनका बैंक खाता भी खुलवाया जा सके, फलतः ये मजदूर अपने गृह स्थान की ओर पलायन करने लगे, मजदूरों के पलायन से इन उद्योगों में श्रमिकों की कमी हो गई, और धीरे-धीरे ये उद्योग बंद पड़ने लगे.

एसआईएमओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.ई रघुनाथन ने अपने टीवी साक्षात्कार में कहा कि विमुद्रीकरण का सबसे अधिक असर माइक्रो एवं लघु क्षेत्र के उत्पादन इकाइयों पर पड़ा. इस

क्षेत्र में करीब 35% नौकरियाँ खत्म हुईं. इसका सबसे अधिक प्रभाव बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र मुख्य रूप से निर्माण के क्षेत्र में काम कर रही इकाइयों पर पड़ा. इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारियों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा.

विमुद्रीकरण से बैंकिंग क्षेत्र भी प्रभावित हुआ, विमुद्रीकरण के बाद एमएसएमई क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋण की रफ्तार काफी धीमी हो गई तथा ये इकाइयाँ बैंक से लिए गए ऋण चुकाने में असमर्थ हो गईं. इस दौरान बहुत से छोटे-छोटे एमएसएमई इकाइयाँ या तो स्ट्रेस में आ गईं या फिर एनपीए में परिवर्तित हो गए. तदुपरान्त भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई यूनिट को दिए जाने वाले ऋण के पुनर्गठन पर विचार किया, इसके बावजूद भी इन इकाइयों में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिले.

जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही विमुद्रीकरण का एमएसएमई पर कुछ नकारात्मक प्रभाव रहा तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहा. विमुद्रीकरण से पूर्व व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में बदलने की मंशा रखने वाले कई एमएसएमई इकाइयों के मालिक अपने बही खाते में इकाई की उचित क्रय-विक्रय को नहीं दर्शाते थे तथा विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप उन्हें अपने इकाइयों का सही बही खाता रखने को बाध्य होना पड़ा. जिससे सरकार के कर संग्रह में भी अपेक्षित सुधार हुआ. इकाइयों के तुलन पत्र पर इसका सकारात्मक असर पड़ा तथा अधिकांश कंपनी अपने तुलनपत्र में इकाइयों की पूंजी बढ़ाने को बाध्य हुए जो कालांतर में बैंक से ऋण प्राप्त करने में कारगर साबित हुए. विमुद्रीकरण के उपरांत इन इकाइयों के लेखा बही का अनुश्रवण भी नए तरीकों से होने लगा, जिससे इन इकाइयों के तुलनपत्र की विश्वसनीयता भी बहाल हुई.

अतः कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण से एमएसएमई क्षेत्र पर तत्काल रूप से भले ही कोई सकारात्मक प्रभाव न पड़ा हो अपितु आने वाले दिनों में भी विमुद्रीकरण का इन इकाइयों पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया अचानक से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाती है, बल्कि धीरे-धीरे आने वाले समय में इस क्षेत्र की तथा इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की दैनिक क्रियाओं में बस जाती है तथा धीरे-धीरे इस क्षेत्र से जुड़े लोग उन प्रक्रियाओं के उद्दीपन के रूप में न लेकर अपने आपको उन नियम प्रक्रियाओं के अनुरूप ढालने लगते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सुधार दर्ज किए जाते हैं, जो देश की तरक्की में कारगर साबित होती है. यह कहना न होगा कि जिस प्रकार से विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, एमएसएमई उद्योग पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

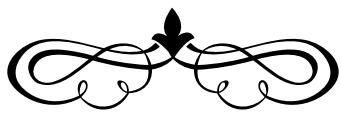

भारत में महिला, पिछड़े वर्ग एवं ग्रामीण विकास में एमएसएमई का योगदान

सौरभ आनंद
प्रबंधक, क्षे.का. पटना

हम सब जानते हैं कि भारत गांवों का देश है तथा यहां की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है. देश के विकास तथा अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र, महिलाएं तथा पिछड़े वर्ग का अति महत्वपूर्ण स्थान है. लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले उद्योग धंधों में महिलाओं, पिछड़े वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक वृहद स्तर पर लगे हुए हैं.

वर्तमान में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार एमएसएमई के क्षेत्र में लगातार प्रोत्साहन प्रदान कर देश के विकास में आर्थिक स्वावलंबन हेतु हर व्यक्ति को मदद करने के लिए तैयार हैं. इस क्षेत्र में खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले देशवासियों, महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग हेतु विशेष अभियान चलाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु तत्परता दिखाई जा रही है, वहीं इस क्षेत्र के नागरिक भी सरकारी नीतियों, योजनाओं तथा मदद को प्राप्त कर हर स्तर पर उद्यमी बनकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने हेतु प्रयासरत हैं.

एमएसएमई परिचय:

वर्ष 2006 के प्रावधानों के अनुरुप पूरे देश में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को लागू करते हुए इन्हें मुख्य रुप से कुल 02 श्रेणी में बांटा गया है.

1. विनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र)
2. सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को ही एमएसएमई कहा जाता है. वर्ष 2006 में बने एमएसएमई अधिनियम के अनुसार एमएसएमई के कई प्रकार बनाए गए हैं. किसी भी अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की अहम भूमिका होती है. विशेषकर

विकासशील देश एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मामले में इनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है. दुनिया भर में एमएसएमई को उन्नति का वाहक माना गया है. दुनिया भर में एमएसएमई का सार्थक रुप से रोजगार सृजन, राष्ट्रीय आय का समान वितरण, स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास एवं साथ ही निजी क्षेत्र के लिए पूंजी जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान है. एमएसएमई बड़े पैमाने पर उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा है एवं यह सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्र को अत्यावश्यक उत्पादन के पश्चात एवं उत्पादनपूर्व संबद्धताएं प्रदान करता है.

एमएसएमई के तहत मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग में नई चीजों को बनाने, यानी निर्माण करने का कार्य किया जाता है. सेवा क्षेत्र में मुख्य रुप से सेवा प्रदान करने का कार्य किया जाता है. इसे सेवा क्षेत्र के रुप में भी जाना जाता है. सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत वैसे उद्योग आते हैं जिसके अंतर्गत ₹1.00 करोड़ तक मशीनरी में निवेश होता है तथा टर्नओवर ₹5.00 करोड़ से अधिक नहीं है. लघु उद्योग के अंतर्गत जिन उद्योग में ₹10.00 करोड़ तक की मशीनरी लगी होती है तथा टर्नओवर ₹50.00 करोड़ से अधिक नहीं है. इसी तरह मध्यम उद्योग के अंतर्गत लागत ₹50.00 करोड़ तथा टर्नओवर ₹250.00 करोड़ होती है.

इसके साथ ही समय-समय पर इन परिभाषाओं का मूल्यांकन किया जाता है एवं उद्योग के आकार के आधार पर उद्यमी द्वारा संचालित टर्न ओवर के उपर भी निर्भर करता है.

एमएसएमई में महिलाओं का योगदान:-

हमारे देश की आबादी की लगभग 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है. एमएसएमई के अंतर्गत विभिन्न उद्यमों में महिलाओं की अहम भागीदारी होती है. कोई भी उद्यम महिलाओं के सहयोग से और अधिक बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है. ऐसा भी देखा जाता है कि उद्यमों में महिलाओं का प्रबंधन भी काफी बेहतर होता है.

भारत सरकार तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा एम.एस.एम.ई के लिए विशेष अभियान चलाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है. एसोचैम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसे विभिन्न संस्थानों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को पहचाना जा रहा है. इन संस्थानों द्वारा सरकार तथा वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के माध्यम से महिलाओं के योगदान को सुनिश्चित किया जा रहा है. हम यह भी जानते हैं कि देश के जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी 8% के लगभग है. मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का कुल योगदान लगभग 45% है जिसमें महिलाओं का विशेष योगदान है. वर्ष 2007 में एमएसएमई में महिला उद्यमी हेतु संभावनाओं के बारे में जानकारी के लिए एक सर्वेक्षण कराया गया था जिसके पश्चात यह रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी कि यह क्षेत्र महिलाओं को बहुत बड़ा संबल देने वाला हो सकता है तथा रोजगार प्रदान करने के क्षेत्र में यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा.

अभी हाल में एकल स्वामित्व वाली विभिन्न उद्यमों के सर्वेक्षण में भी यह पाया गया है

कि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा महिलाओं के द्वारा संचालित एमएसएमई उपक्रम का कार्य काफी सराहनीय रहा है. ऐसे भी एमएसएमई उपक्रम जिनमें पुरुषों के साथ महिलाएं संयुक्त रुप से सहभागी हैं उन उपक्रमों में भी महिलाओं की भूमिका तथा योगदान काफी प्रशंसनीय रहा है. आज के बदलते हुए माहौल में देश की आधी आबादी की हिस्सेदार महिला वर्ग को एमएसएमई के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका को भी देश के तस्वीर में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

नाबार्ड के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न योजनाओं में सफल महिला उद्यमियों द्वारा भी अपनी पहचान बनाई गयी है. प्रत्येक राज्यों में आयोजित एमएसएमई एक्सपो में भी महिलाओं की उपस्थिति, प्रस्तुति एवं परिणाम काफी सकारात्मक प्रतीत हो रहे हैं. भारत सरकार की नीतियों में यह भी सुनिश्चित किया जाना कि केंद्रीय मंत्रालयों तथा सीपीएसयू की कुल खरीद में से 03% खरीद को महिला उद्यमियों से खरीदने को अनिवार्य किया गया है जो इन उद्यमियों को आगे बढ़ाने एवं उन्हें सफल अवसर प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है.

कुल मिलाकर हम देखें तो एमएसएमई के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान तथा भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. महिलाएं आगे आकर सरकार की सभी नीतियों एवं निर्देशों के आलोक में बेहतर प्रबंधन तथा कार्यनिष्पादन कर रही हैं. आज महिलाएं घरों की चहारदीवारी से बाहर आकर उद्यम के क्षेत्र में लघु, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्योग के माध्यम से उद्यमी बनकर राज्य तथा देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं.

मैं यहां एक उदाहरण के रुप में पटना क्षेत्र के अंतर्गत भागलपुर मुख्य शाखा की ग्राहक श्रीमती प्रियंका देवी का नाम उल्लिखित करना चाहता हूं. श्रीमती प्रियंका देवी मसाला पीसकर बेचने हेतु यूनियन बैंक से एमएसएमई ऋण प्राप्त कर अपने आपको तथा पूरे परिवार को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान कर रही हैं. पिछले वर्ष उनके उद्यम में निराशाजनक घटना हुई और शॉर्टसर्किट के कारण पूरा उद्यम, मशीनरी तथा कच्चा माल नष्ट हो गया था. परंतु यूनियन बैंक के सहयोग से उनके उद्यम का बीमा न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लि. से हुआ था. इस घटना के बाबत आज उन्हें अपने उद्यम के लिए बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा कर दिया गया है. श्रीमती प्रियंका देवी अपने आत्मबल के साथ नष्ट उद्यम को पुनः सुचारु ढंग से चालू कर दी हैं तथा उनके मनोबल, समर्पण तथा आगे बढ़ने की ललक सभी महिला उद्यमियों के लिए तथा पूरे देश के लिए अनुकरणीय है.

पुरुष प्रधान भारतीय समाज में यह क्षेत्र महिलाओं को विशेष रुप से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमिता हेतु प्रेरित करते हुए आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहा है.

एमएसएमई में ग्रामीण क्षेत्र का योगदानः-

हम जानते हैं कि भारत एक गांवों का देश है. हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानंदन पंत ने भी अपनी रचना "भारत माता ग्रामवासिनी" में कहा है कि भारत की आत्मा गांवों में ही बसती है. इसका मतलब हुआ कि जब तक गांवों का विकास न हो तब तक भारत का

विकास संभव नहीं है. इन संकल्पनाओं के साथ भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारें अपनी नीतियों में ग्रामीण विकास हेतु एक रोडमैप तैयार कर गांवों में एमएसएमई उपक्रमों की स्थापना तथा ग्रामीण बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान कर उन्हें देश की मुख्य धारा में लाकर आर्थिक विकास में भूमिका तय करने का निर्णय सुनिश्चित किया जा रहा है. वर्तमान में गांवों में बिजली, सड़क जैसी बुनियादी ढांचों में आए सुधार के कारण यह संकल्पना काफी हद तक सफल भी हो रही है.

कृषि उत्पादन से संबंधित एमएसएमई उद्यम की स्थापना:

सरकार की नीतियों की ही देन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई की स्थापना कर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास एवं उन्नति में गतिशीलता आई है. आज ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन पर आधारित विभिन्न मशीनों को स्थापित कर इस दिशा में दिनोंदिन प्रगति देखी जा रही है. पिछले कुछ वर्षों में सरकार पोषित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई के विकास हेतु हर संभव प्रयास जारी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य धारक के रुप में प्रोत्साहित किया जा रहा है. देश में ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई की स्थापना के साथ ही स्थानीय प्रतिस्पर्धा के साथ उद्यमियों द्वारा उत्पादित सामानों को बाजार मुहैया कराया जाना तथा सरकारी खरीद में भी उन्हें प्रमुखता से स्थान देना प्रमुख है.

किसानों की आय दुगुना करने के लिहाज से उन्हें कृषि आधारित संयत्रों तथा कृषि आधारित एमएसएमई उपकरण के संचालन में हर प्रकार की अनुदान तथा सहायता प्रदान की जा रही है. आज हमारे किसान जो कि ग्राहक आंत्र्योप्रेनर भी हैं, कृषि के साथ ही साथ एमएसएमई उद्यमों का संचालन कर रहे हैं.

एमएसएमई में पिछड़े वर्ग का योगदान:-

हम जानते हैं कि हमारे देश में सामाजिक संरचना के हिसाब से कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें पिछड़ा वर्ग कहा गया है. सरकार की यह नीति है कि समाज के हर वर्ग को अवसर एवं लाभ प्रदान किया जाए. इसके लिए पूरे देश में पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों, किसानों तथा महिलाओं को भी एमएसएमई उद्यमों से जोड़कर देश के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जाना है. आज इसका परिणाम भी सामने आने लगा है. देश के पिछड़े वर्गों के युवाओं,बेरोजगारों हेतु कृषि के पश्चात एमएसएमई क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जो इन्हें स्वावलंबन तथा देश के विकास हेतु अवसर प्रदान करता है. भारत के सामाजिक, आर्थिक रुप से पिछड़े युवा आज एमएसएमई क्षेत्र के मुख्य वाहक बन गए हैं.

प्रधानमंत्री द्वारा संचालित कौशल विकास मिशन के माध्यम से पिछड़े वर्ग को प्रशिक्षित कर उन्हें एमएसएमई उद्यम के लिए सक्षम बनाया जा रहा है. यह अपने महत्व को स्थापित कर रहे हैं एवं आगे बढ़कर देश का इतिहास लिख रहे हैं. वैश्वीकरण, निजीकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति के साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में पिछड़े वर्ग ने अपनी नई पहचान बनाई है तथा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका स्थापित किया है.

पिछड़े वर्गों के बेरोजगारों के लिए पशुपालन आधारित, कृषि आधारित तथा अन्य वर्तमान सम्यक मांग के हिसाब से उद्यमों की स्थापना करते हुए अपने आय को बढ़ाने का प्रयास जारी है. इस क्षेत्र में भी नाबार्ड, खादी ग्रामोद्योग विभाग तथा अन्य आवश्यक उत्पाद जैसे पेपर प्लेट, खिलौना आदि हेतु उद्यम की स्थापना करते हुए समग्र वर्ग अपनी भूमिका को रेखांकित कर रहा है. प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विपणन प्रोत्साहन जैसी योजनाएं बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने में सहायक हो रही हैं. क्लस्टर विकास कार्यक्रम, सौर चरखा मिशन, डिजिटल एमएसएमई योजनाएं एवं उद्यम सखी आदि पोर्टल पर भी इनकी भूमिकाएं काफी सार्थक एवं सराहनीय हैं.

यदि विगत 05 वर्षों की बात करें तो एमएसएमई उद्योग में पिछड़े वर्ग की भूमिका निरंतर प्रगति के साथ आगे बढ़ी है. सतत् प्रयास तथा आगे बढ़ने की ललक ने इन्हें साधारण व्यक्ति से आगे ले जाकर एक उद्यमी की श्रेणी में खड़ा कर दिया है. स्वरोजगार, उद्यमिता के माध्यम से अब पिछड़े वर्गों में भुखमरी, गरीबी तथा आर्थिक असमानता को मात दी जा रही है तो दूसरी तरफ देश के विकास में भी नया अध्याय लिखा जा रहा है.

वित्तीय संस्थानों द्वारा पिछड़े वर्गों के युवाओं, बेरोजगारों तथा महिलाओं के लिए वित्त पोषण हेतु कई योजनाएं चलाई गईं जिसके आशातीत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं. पिछड़े वर्ग के युवा आगे बढ़कर इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर संचालित कर रहे हैं. इनके द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाया जा रहा है.

इन सबके बावजूद भी हम एमएसएमई क्षेत्र को इतना आसानी से नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में संचालन के दौरान आने वाली बाधाएं, कठिनाइयां, अवरोध तथा समस्याएँ भी हमारे लिए चुनौती प्रस्तुत करती हैं. इन चुनौतियों से पार पाना भी हमारे लिए एक संकल्प है. अतः यह भी नितांत आवश्यक है कि एमएसएमई संचालकों के वित्तीय पोषण के तहत विशिष्ट ऋण उत्पाद/क्लस्टर योजनाओं को प्रत्येक क्षेत्र में लागू कर इसे एमएसएमई उद्यमियों के लिए सहायक बनाया जाए. हमें इन चुनौतियों के बावजूद इनका सामना कर एमएसएमई उद्यम को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में प्रमुखता से चलाया जाए.

हम यह भी जानते हैं कि किसी भी देश के समग्र विकास में वहां के निवासियों को अवसर मिलना चाहिए. आज हम देखते हैं कि चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे महिला हो या फिर चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सभी वर्ग एमएसएमई के क्षेत्र में अपने योगदान को सुनिश्चित कर रहे हैं. हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय भारत का होगा पूरे देश की जनता आर्थिक विकास में अपनी भूमिका स्थापित करेगी एवं अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनकर देश के विकास को धार प्रदान करेगी.

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनौतियाँ एवं मुद्दे

धनजय गन्धे
सहायक महाप्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

किसी भी राष्ट्र के विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (सूलमउ) का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है. सूलमउ देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 28.90% और जीवीए में 31.83% का योगदान देते हैं. कृषि के बाद यही एकमात्र ऐसे उद्योग हैं जो देश में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं. सूलमउ क्षेत्र देश भर में फैले 633.88 लाख उद्यमों के माध्यम से खास तौर पर कमजोर तबके के लोगों के साथ देश के करीब 1109.89 लाख लोगों को संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं. (स्त्रोत-MSME annual report 2019-20 RBI Report of the expert committee on MSME).

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र, उद्यमों एवं नव प्रवर्तनों के विकास केंद्र हैं. ये स्थानीय बाज़ारों के अलावा वैश्विक बाज़ारों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाओं व उत्पादों की वृहद श्रृंखला उपलब्ध कराते हैं. देश के मूलभूत ढांचे के विकास में भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता. इतिहास गवाह है कि जिन राष्ट्रों ने सूलमउ के विकास को प्राथमिकता देते हुए योजनाएँ बनाई एवं लागू की हैं, उन राष्ट्रों की विकास दर बाकी राष्ट्रों की विकास दर के मुक़ाबले तेजी से बढ़ी हैं.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ साथ नए रोजगारों का सृजन करते हैं, ये उद्योग निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही देश के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा का अर्जन और बचत में भी योगदान देते हैं. वास्तव में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था का विकास इंजन कहा जाता है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है.

देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के बावजूद इस क्षेत्र की अपनी चुनौतियाँ व मुद्दे हैं, जो विकास की अपार संभावनाओं से युक्त होने के बाद भी इस

क्षेत्र के विकास दर को संकुचित कर देते हैं. वर्तमान परिदृश्य में जब राष्ट्र अगले पाँच वर्षों में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है, परंतु वर्तमान में आर्थिक मोर्चे पर कुछ पिछड़ता दिखाई देता है, तो ये मुद्दे और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं. तेजी से बदलते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ गया है अतः इस क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं मुद्दे सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं सामाजिक, राजनीतिक और देश की ढांचागत व्यवस्था से भी संबंधित हैं. आइए इन मुद्दों की विस्तार से चर्चा करते हैं.

वर्तमान परिदृश्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ एवं मुद्दे

1. **संस्थागत ऋण** - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की सर्व व्यापक चुनौती संस्थागत ऋण की अनुपलब्धता, समय पर उपलब्धता एवं साख की कमी से संबंधित है. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है. आम तौर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग एकल स्वामित्व या भागीदारी फ़र्म के रूप में कार्य करते हैं और सामान्यतया नए उद्यमी होते हैं अतः बैंकों या अन्य संस्थाओं से ऋण लेने के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करवा पाते, जिससे ऋण सुविधा समय पर एवं उचित मात्रा में मंजूर नहीं हो पाती. इन उद्यमियों के पास उद्योग से संबंधित जानकारी तो होती है, परंतु ऋण मंजूरी के लिए आवश्यक वित्तीय दस्तावेज़ एवं जानकारी की कमी ऋण की उचित मात्रा एवं समय पर मंजूरी में बाधक सिद्ध होती है.

   इस परिस्थिति में ये व्यवसायी अन्य स्त्रोतों से ऋण प्राप्त कर व्यवसाय की आवश्यकता को पूरा करते हैं, हालांकि ये ऋण ज्यादा ब्याज दर पर उपलब्ध होते हैं परंतु आसान शर्तों एवं कम पेपर वर्क एवं समय पर मिल जाने से व्यवसायियों के लिए सुविधाजनक साबित होते हैं. लंबी अवधि में इस तरह के ऋण उद्योगों की लाभप्रदता एवं पूंजी के निर्माण के लिए हानिकारक होते हैं, जिससे ये उद्योग ऋण चुकाने की क्षमता (सॉल्वेंसी) को पूरी तरह विकसित नहीं कर पाते और इस कारण से पुनः संस्थागत ऋणों के लिए पात्रता हासिल नहीं कर पाते एवं उसी कुचक्र में फंसे रह जाते हैं.

   ये उद्यमी आमतौर पर पहली पीढ़ी के उद्यमी होने से पूंजी एवं संपार्श्विक प्रतिभूति की अपर्याप्तता के कारण संस्थागत ऋणों से वंचित रह जाते हैं. हालांकि इन मुद्दों को सरकारी प्रयत्नों के द्वारा विविध उपायों जैसे cgtmse गारंटी, Treds पटल ने काफी हद तक सुलझाने का प्रयास किया है, परंतु अभी भी इस दिशा में बहुत फासला तय करना बाकी है. यही कारण है कि फिनटेक कंपनियाँ एवं peer to peer finance आज भी इस क्षेत्र को वित्त पोषण में सबसे आगे हैं.

2. **पूंजी की कमी एवं बाहरी वित्त पर निर्भरता -** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रवर्तक सामान्यतया नए व्यवसायी होते हैं या ये कहें कि परंपरागत व्यवसायी नहीं होते, अतः व्यवसाय हेतु आवश्यक पूंजी उपलब्ध ना होने से पूंजी जुटाने के लिए असुरक्षित ऋण एवं बाहरी वित्त पर ही निर्भर होते हैं. इसी कारण से ये संस्थागत ऋण के लिए जरूरी वित्तीय मापदंड पूरे नहीं कर पाते व बाहरी वित्त पर निर्भर करते हैं. यह बाहरी वित्त पर निर्भरता ही इन्हें ज्यादा ब्याज दरों पर वैकल्पिक स्त्रोतों से ऋण लेने हेतु प्रदत्त करती है. यह प्रणाली एक कुचक्र के समान काम करती है जिससे सूक्ष्म व लघु उद्यमों को उनके छोटे आकार एवं संचालन के निचले स्तर पर होने से उबरना मुश्किल होता है. इन उद्यमों को संस्थागत ऋण मुहैया कराने के प्रयासों में एसएमई सेक्टर को प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर के अधीन लक्ष्य निर्धारण के अलावा मुद्रा योजना, स्टार्ट अप लोन, स्टैंड अप लोन, एमएसएमई आउट रीच कार्यक्रम, पीएसबी 59 ऋण सरीखी अनेक स्कीम लागू की गई हैं.

3. **तकनीक एवं अनुसंधान -** भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी आज भी उत्पादों के निर्माण में पुरानी तकनीक ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो श्रम प्रधान तकनीक होने के साथ-साथ उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है. उन्नत तकनीक का प्रयोग ना केवल उत्पादों को प्रतियोगी बनाता है वरन लागत भी कम करता है, जिससे ये उत्पाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अन्य उत्पादों के समकक्ष होने से प्रभावी रूप से विपणन योग्य होते हैं. उन्नत तकनीक के प्रयोग हेतु आवश्यक पूंजी एवं ऋण का अभाव इस क्षेत्र के उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पनपने के रास्ते में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है. इस दिशा में भी सूलमउ मंत्रालय के द्वारा कदम उठाए गए हैं. कॉमन फेसिलिटी सेंटर्स एवं उद्योगों के क्लस्टर का विकास इस दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है. क्लस्टर में उद्यमिता एक जैसे उद्योगों के लिए मंत्रालय एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान द्वारा कॉमन फेसिलिटी सेंटर्स का संचालन किया जाता है, जहां उच्च तकनीक से युक्त मशीनों का इस्तेमाल इन उद्यमियों द्वारा अत्यंत कम दर पर किया जा सकता है. यह कदम उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही साथ गुणवत्ता भी बनाए रखने में भी सहायक होता है, जिससे उद्यमों की लाभप्रदता भी बढ़ाई जा सकती है.

इन प्रयासों को पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू किए जाने की जरूरत है, जिससे हमारे सूक्ष्म व लघु उद्योग गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर सकें. उत्पादन एवं सेवाओं की अभिनव तकनीक अनुसंधान को बढ़ावा देने से विकसित की जा सकती है. पूंजी की कमी अनुसंधान में बाधक है. सूक्ष्म व लघु उद्योग पूंजी की कमी के कारण अनुसंधान पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे नई -नई तकनीकों के लिए विदेशों पर निर्भर होते हैं एवं ये देश उनके यहाँ अप्रचलित (obsolete) तकनीक एवं

मशीन हमारे यहाँ अंतरित कर देते हैं. अत्याधुनिक तकनीक अत्यंत महंगी होने से ये उद्योग कम मानकों वाली तकनीक उत्पादन हेतु इस्तेमाल करते हैं.

4. **कुशलता विकास एवं प्रशिक्षण -** देश में लाखों की संख्या में अकुशल या अर्ध कुशल श्रम सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में उद्यमित हैं, जिसे उचित प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास एवं कुशलता विकास कार्यक्रमों के द्वारा विकसित किया जा सकता है. इन प्रशिक्षणों से न केवल मौजूदा उद्योगों को कुशल श्रम उपलब्ध होगा, वरन नए उद्यमी भी विकसित किए जा सकते हैं, जो खुद रोजगार अर्जन करने के साथ अपने जैसे अनेक लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, जरूरत है तो केवल इस युवा शक्ति को उचित मार्ग दिखाने की, जो इस तरह के कुशलता विकास एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से हासिल किया जा सकता है. ये कुशल उद्यमी नई-नई तकनीक को भी प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर उत्पादों की गुणवत्ता व उद्यम की उत्पादकता बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे.

5. **उच्च इनपुट लागत एवं विपणन -** वर्तमान परिदृश्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग उच्च इनपुट लागत के कारण उत्पादों का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण नहीं कर पाते जो उनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इन उद्योगों को अपने उत्पादों का विपणन करने में कठिनाई पैदा करता है. कच्चा माल सही लागत पर उपलब्ध होने से ये उद्योग दीर्घकालीन नीति निर्धारण कर सकते हैं, परंतु स्थानीय स्तर पर कच्चा माल प्रतिस्पर्धी दर पर उपलब्ध ना होने से इन इनपुट्स का आयात करना पड़ता है, जो उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए प्रतिकूल होने के साथ ही विपणन की समस्या उत्पन्न करता है. इस परिस्थिति में इन उत्पादों के लिए बड़ी संख्या में खरीदार नहीं मिल पाते एवं उत्पादों को सीमित ख़रीदारों को कम कीमत पर बेचना एकमात्र उपाय रह जाता है.

   बहुत सारे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी केवल कुछ खास तरह के ही उत्पादों का उत्पादन करते हैं, जिसके लिए सीमित संख्या में खरीदार उपलब्ध होते हैं, जो सामान्यतया बड़े उद्योग होते हैं, जिनके लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों द्वारा प्रदान किए गए उत्पाद कच्चे माल का काम करते हैं. चूंकि ये सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अपने माल के विपणन के लिए पूरी तरह इन बड़े उद्योगों पर ही निर्भर होते हैं, अतः अनेक बार ये बड़े उद्योग भुगतान में देरी कर देते हैं, जिससे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी की समस्या पैदा हो जाती है. इनपुट लागत कम होने एवं विपणन के ज्यादा स्रोत उपलब्ध होने से इन उद्योगों की लाभप्रदता एवं स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है.

6. **विमुद्रीकरण एवं कर सुधार(जीएसटी) -** सूक्ष्म एवं लघु उद्योग परंपरागत रूप से अपने व्यवसाय के लिए नकद लेन देन पर निर्भर करते हैं. विमुद्रीकरण के बाद सबसे

ज्यादा दिक्कतों का सामना यदि किन्हीं उद्योगों को करना पड़ा है तो वे यही उद्योग हैं. विमुद्रीकरण के साथ ही साथ देश में जीएसटी लागू होने से इन उद्योगों को नई - नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इन चुनौतियों में उधारों की वसूली व नए कर प्रणाली के अनुसार रिटर्न फाइल करके इनपुट क्रेडिट प्राप्त करना शामिल है. इन नई प्रणालियों में काम करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ना तो आर्थिक रूप से ना ही तकनीकी रूप से समर्थ हैं, अत: दोनों ही स्तरों पर आ रही कठिनाई, इन उद्योगों के लिए अस्तित्व बनाए रखने के स्तर तक पहुँच चुकी है. इस समस्या को आर्थिक स्तर पर सुलझाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयास किए गए हैं, जिसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को एनपीए मानदंडों में छूट के साथ-साथ इन खातों का पुनर्गठन (रीस्ट्रक्चरिंग) शामिल है. विविध बैंकों द्वारा भी नई प्रणाली में सुचारु रूप से कार्य करने के लिए सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए नए उत्पाद व स्कीम शुरू की गई हैं. इन सभी प्रयासों से सूक्ष्म व लघु उद्योगों को नया आधार मिलने की उम्मीद है.

उपसंहार - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राष्ट्र में रोजगार निर्माण के साथ-साथ आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं, अत: ये उद्यम किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्वतन्त्रता में महती भूमिका का निर्वहन करते हैं. सूलमउ बड़े उद्यमों को पनपने के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करते हैं. आर्थिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र ही सामाजिक व नैतिक रूप से सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सकता है. अत: सुदृढ़ समाज की परिकल्पना में आर्थिक स्वतन्त्रता अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास से ही संभव है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनौतियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने से ही एक आर्थिक व सामाजिक रूप से सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण की कल्पना की जा सकती है.

एमएसएमई
- महत्व, वृद्धि, संभावनाएं एवं पहल

हिमांशु कुमार सारंगी
मुख्य प्रबंधक, सरल, क्षे. का., रांची

एमएसएमई का मतलब माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम है. सामान्य भाषा में इसे छोटे एवं मध्यम कारोबार भी कहा जाता है. भारत के वित्तीय विकास में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. विगत 5 दशकों से सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्योग अपनी निरंतर प्रगति से भारत के सतत आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ समवेशी सामाजिक विकास को भी मजबूत बना रही है.

एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 हमारे देश में दिनांक 02 अक्टूबर, 2016 से लागू हो गया है.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 बन जाने के बाद इसके स्वरूप में व्यापक बदलाव आया.

एसएमई-एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एमएसएमई उद्योग की परिभाषा "संयंत्र और मशीनरी में निवेश" एवं "उपकरण में निवेश" के आधार पर तय की गयी है जो इस प्रकार थी :

विनिर्माण क्षेत्र "संयंत्र और मशीनरी में निवेश"		**सेवा क्षेत्र "उपकरण में निवेश"**	
सूक्ष्म उद्यम	25 लाख रूपए से अधिक नहीं	सूक्ष्म उद्यम	10 लाख रूपए से अधिक नहीं
लघु उद्यम	25 लाख रुपए से अधिक और 5 करोड़ रूपए से कम	लघु उद्यम	10 लाख रूपए से अधिक और 2 करोड़ रूपए से कम
मध्यम उद्यम	5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रूपए से कम	मध्यम उद्यम	2 करोड़ रूपए से अधिक और 5 करोड़ रूपए से कम

एसएमई-एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत Gazette अधिसूचना एसओ 1702(ई) दिनांक 01.06.2020 एवं Gazette अधिसूचना एस ओ 2019 (ई) दिनांक 26.06.2020 के अनुसार एमएसएमई उद्योग की नयी परिभाषा ''संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में निवेश एवं कारोबार'' के आधार पर तय की गयी है, जो इस प्रकार है:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नयी प्रस्तावित परिभाषा	
सूक्ष्म उद्यम	सूक्ष्म उद्यम वह है, संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रूपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पाँच करोड़ तक वार्षिक विक्रय कारोबार से अधिक नहीं होता है.
लघु उद्यम	लघु उद्यम वह है, संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रूपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रूपए तक वार्षिक विक्रय कारोबार से अधिक नहीं होता है.
मध्यम उद्यम	मध्यम उद्यम वह है, संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रूपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार दो सौ पचास करोड़ रूपए तक वार्षिक विक्रय कारोबार से अधिक नहीं होता है.

Gazette अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 के आधार पर आरबीआई ने अधिसूचना FIDDIMSME&NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21 दिनांक 02.07.2020 को निर्गत किया.

एमएसएमई उद्योग की नयी परिभाषा 01.07.2020 से लागू है.

एसएसएमई की नयी परिभाषा के तहत नए उद्योग जो इसके दायरे से बाहर थे, वे भी एमएसएमई के तहत आएंगे जिससे इन उद्योगों को लाभ होगा साथ ही साथ हमारी एकोनॉमी को बढ़ावा देने में सहायक होगी.

महत्व, वृद्धि, संभावनाएं एवं पहल :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को विश्व भर में विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है. भारत सरकार, वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के करीब 63 मिलियन यूनिट हैं, जिसमें तकरीबन 111 मिलियन लोग कार्यरत हैं. दुनिया के अधिकतर देशों में 90% से अधिक उद्योग एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं.

भारत में एमएसएमई सेक्टर को दो भागों में बांटा जा सकता है : 1. असंगठित क्षेत्र (जहां 10 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं) 2. संगठित क्षेत्र. असंगठित क्षेत्र में तकरीबन 45% लोग कार्यरत हैं. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट में दी गयी जानकारी के

अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8%, उत्पादन में 45% तथा निर्यात में 40% का योगदान देते हैं.

यदि एमएसएमई को देश के विकास का इंजन कहा जाए, तो यह गलत नहीं होगा. कृषि के बाद यह रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है. भारत में यह करोड़ों लोगों को विनिर्माण क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार और व्यवसाय का अवसर प्रदान करता है.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है. इस क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी के समय मंदी में फंसने से बचाया.

एमएसएमई क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान (स्रोत - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण)

क्रम	देश में कुल अनुमानित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या	633.80 लाख
1.	पारंपरिक से उच्च तकनीकी उत्पादों की संख्या	6000 से अधिक
2.	रोजगार प्रदान करना	लगभग 6.9 करोड़
3.	औद्योगिक उत्पादन में योगदान	लगभग 45%
4.	कुल निर्यात में योगदान	लगभग 40%
5.	समाज के वंचित वर्ग द्वारा स्वामित्व	लगभग 50%

एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने बजट 2019-20 में कुछ पहल किए हैं, जो निम्नानुसार हैं :

1. पीएसबी 59 ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 59 मिनट में ₹ 1 करोड़ तक के लोन ऑनलाइन स्वीकृत करना.

2. एमएसएमई 'Interest subvention scheme' के लिए ₹ 350 करोड़ आबंटन किया गया है.

3. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जीईएम) का दायरा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ (सीपीएसई) तक ताकि एमएसएमई को अपना सामान बेचने में सुविधा हो.

4. पेंशन योजना "प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना" में ₹ 1.50 करोड़ तक के टर्नओवर करने वाले खुदरा व्यापारी एवं स्मॉल शॉपकीपर भी शामिल किए गए.

5. स्टार्ट-अप, जो भी फ़ंड लाकर अपने बिज़नेस की शुरुआत करेंगे, उनके आयकर की जांच जरूरी नहीं होगी.

महत्व, वृद्धि, संभावनाएं :-

1. **रोजगार सृजन**

   एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस क्षेत्र में व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए कम लागत की आवश्यकता होती है. इसी कारण एमएसएमई सेक्टर रोजगार के अवसर मुहैया कराने में बहुत सक्षम होता है.

2. **देश के विकास में योगदान**

   लघु और मध्यम उद्यम देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% योगदान प्रदान करता है, जो कि किसी भी देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. अगर कुछ क्षेत्रों में पहल की जाए तो यह संख्या और भी अधिक हो सकती है.

3. **निर्यात**

   किसी देश का विकास या उसकी प्रमुखता उसकी मुद्रा की शक्ति की कीमत पर टिका होता है. यदि उस देश में रुपए की कीमत अच्छी है, तो वह देश विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है. एमएसएमई सेक्टर निर्यात की असीम संभावनाओं का क्षेत्र है, जो देश में विदेशी मुद्रा भंडार सृजित करता है और व्यापार संतुलन कायम करता है.

4. **मंदी के समय का साथी**

   जब भी विश्वपटल या देश पर मंदी के बादल मंडराते हैं, एमएसएमई सेक्टर ऊर्जा की नयी किरण के साथ मंदी के सामने खड़ा रहता है. इसके अलावा, यह क्षेत्र घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में आने वाली दिक्कतों के समय काफी कारगर साबित होता है.

5. **समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना**

   एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है, जिसे काफी कम पैसे से शुरू किया जा सकता है. इसका मतलब इसे छोटे बड़े सभी शुरू कर सकते हैं, जिसके कारण यह समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है.

6. **सस्ता श्रमिक प्रदान करना**

   एमएसएमई सेक्टर भारत में संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र दोनों ही रूप में कार्यरत है, जिसके कारण इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अधिक तकनीकी ज्ञान आवश्यक नहीं है, जिसके कारण भारत में काफी सस्ते दर पर श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, जो किसी भी उद्यमी के लिए कोई व्यापार शुरू करने का एक प्रोत्साहन होता है.

7. **वित्तीय समावेशन में योगदान प्रदान करना**

भारत में अभी भी वित्तीय समावेशन जारी है. एमएसएमई सेक्टर वित्तीय समावेशन में बड़ा योगदान देता है.

8. **इनोवेशन को बढ़ावा देना**

किसी भी देश को विकसित होने के लिए निरंतर इनोवेशन करना जरूरी है. एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है, जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है.

9. **सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना**

एमएसएमई उद्यम काफी कम पैसे से शुरू किया जा सकता है, जिसके कारण समाज के छोटे से छोटे तबके के लोग इसमे शामिल हो सकते हैं, जो किसी न किसी कारण बेरोजगार हैं. यह क्षेत्र घर में भी शुरू किया जा सकता है जैसे पापड़ उद्योग.

समाज के विभिन्न वर्गों जैसे वंचित पिछड़े एवं दिव्यांगजनों को रोजगार, उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर कर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सामाजिक आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देता है.

पहल :-

भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने अनेक पहल किए हैं. इनमें से सबसे प्रमुख पहल संयंत्र एवं मशीनरी / उपकरण में निवेश से बदलकर वार्षिक कारोबार में बदलने का प्रस्ताव है.

भारत में अभी भी आधारभूत संरचनाओं में सुधार की काफी गुंजाइश है, इसके बाद भी भारत ने एमएसएमई क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि देखी है. सकल घरेलू उत्पाद में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से छोटी कंपनियों का समग्र योगदान और मध्य तथा उच्च आय वाले समूह देशों में रोजगार का स्तर निम्न रहता है. जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वैसे-वैसे अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा कम होने लगता है और इससे औपचारिक एसएमई क्षेत्र में वृद्धि होती है. बांग्लादेश में सभी औद्योगिक इकाइयां 90 फीसदी से अधिक रोजगार उपलब्ध कराती हैं. एसएमई का वास्तविक महत्व चीन में देखा जा सकता है, जहां एसएमई निर्यात में 68 फीसदी का योगदान देता है.

भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं. यदि हम एमएसएमई सेक्टर को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो यह देश के विकास की धुरी बन सकता है.

1. **असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र बनाना**

एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमें असंगठित क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों जैसे पेपर बैग बनाना, मोमबत्ती बनाना, बेकरी, डेयरी, सैलून, खिलौना बनाना पैक किया गया पेयजल आदि को संगठित करना जरूरी है और अधिक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना जरूरी है. तभी एमएसएमई के विकास को नयी गति मिलेगी और अधिक से अधिक यूनिट जुड़ सकेंगे.

2. **उचित एवं समय पर ऋण उपलब्ध कराना**

किसी भी व्यवसाय के सम्पूर्ण विकास के लिए पूंजी की जरूरत होती है. एमएसएमई उद्योग सामान्यतः आंतरिक वित्तीय संसाधनों के कारण इतनी अधिक रकम जुटाने में असमर्थ रहते हैं. पूंजी की उपलब्धता उद्यमी के पास सीमित होती है, अतः यदि व्यवसाय को सही ढंग से शुरू करना है, तो उद्यमी को सही समय पर समुचित ऋण उपलब्ध होना अत्यावश्यक है. बिना ऋण या लंबित / कम ऋण प्राप्त होने पर व्यवसाय शुरू से ही तनाव में होगा और उसका विकास नहीं हो पाएगा. अतः हमें समय पर एवं पर्याप्त ऋण आसानी से उपलब्ध कराना जरूरी है.

3. **बाजार उपलब्ध कराना**

एमएसएमई सेक्टर के सामने सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि जो उत्पाद बना है, उसका सही मूल्य एवं बाजार उद्यमी को उपलब्ध हो. यदि सही बाजार उपलब्ध नहीं होगा, तो उद्यमी का बना हुआ माल बेकार पड़ा रह जाएगा और उस पर पूंजी की कमी के कारण बोझ बढ़ जाएगा, जिससे उसका व्यापार थम जाएगा और उसकी यूनिट बंद होने के कगार पर आ जाएगी.

4. **नयी तकनीक उपलब्ध कराना**

आज के दौर में हर दिन नयी-नयी तकनीक बाजार में आ रही हैं. यदि हम अपने एमएसएमई सेक्टर को नयी तकनीक उपलब्ध नहीं करा पाए, तो उनका बाजार सीमित हो जाएगा और वो नयी तकनीक से बने उत्पाद के आगे अपने आप को खड़ा नहीं रख पाएंगे. चीन इसका उदाहरण है भारत के हर कोने में आज चीन में निर्मित सामान उपलब्ध हैं और वह भारत के एमएसएमई उद्योगों को खुली चुनौती दे रहा है. एक अध्ययन के अनुसार, जो उद्योग इंटरनेट से जुड़े हैं उनका दोगुना विकास हो रहा है और जो नहीं जुड़े हैं उन्हें तकनीक उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है.

5. **सही तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कराना**

नयी तकनीक तेजी से बाजार का रुख बदल देती है तो एमएसएमई उद्योग में शामिल सभी कामगारों को उसका प्रशिक्षण देना निहायत जरूरी हो जाता है. बदलाव के साथ

बदलना एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे अधिक जरूरी है. स्किल इंडिया कार्यक्रम तमाम उद्योगों को तकनीकी, वित्तीय, डिजिटल और उद्योग अनुकूल सैद्धांतिक शिक्षा में सहायता प्रदान कर रहा है.

6. **क्रेडिट काउन्सलर उपलब्ध कराना**

सही समय पर पर्याप्त ऋण मिलना एमएसएमई उद्योग के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. भारत में अभी भी एमएसएमई उद्योग में काम कर रहे उद्यमी सही जानकारी के अभाव में आसान शर्तों पर एवं कम ब्याज दर पर ऋण नहीं ले पाते. अतः क्रेडिट काउन्सलर की नियुक्ति बैंक के साथ-साथ सरकारी विभागों में भी जरूरी है.

7. **मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना**

किसी भी व्यवसाय के विकास के लिए बुनियादी सुविधा जैसे जमीन, सड़क, बिजली व पानी आसान शर्तों पर उपलब्ध करना जरूरी है. भारत सरकार ने इसके लिए बहुत से क्लस्टर बनाए हैं, परंतु अभी भी इन क्लस्टरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. कहीं बिजली की समस्या है, तो कहीं सड़क की, तो कहीं लीज की. अतः हमें एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए इन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना ही होगा.

8. **समय पर कच्चा माल उपलब्ध कराना**

एमएसएमई के अधिकतर उद्योग फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज पर चलते हैं, इसीलिए समय पर कच्चा माल अगर उपलब्ध नहीं होगा, तो इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है तथा इनकी साख भी धूमिल होगी. आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में समय पर डिलीवरी सबसे महत्वपूर्ण है. इसीलिए एमएसएमई उद्योग को निर्बाधित कच्चा माल उपलब्ध कराना जरूरी है.

9. **बड़े उद्यमी की प्रतिद्वंदिता से संरक्षण प्रदान करना**

भारत में छोटे एमएसएमई उद्योगों या उद्यमियों की संख्या अधिक है, जो बड़े उद्योग के प्रतिस्पर्धा के आगे काफी बेबस हो जाते हैं एवं बड़े उद्योगों के शर्त पर काम करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसके कारण न सिर्फ उनको उचित मूल्य मिल पाता है बल्कि उनका अस्तित्व भी हमेशा खतरे में रहता है. भारत सरकार को एमएसएमई उद्योग में कार्यरत उद्यमी को प्रतिद्वंदिता से संरक्षण प्रदान करना एमएसएमई उद्योग के विकास के लिए जरूरी है.

10. **आर्थिक मंदी के समय उचित अनुदान प्रदान करना**

भारत एवं विश्व पटल पर जब मंदी आती है, तो एमएसएमई उद्योग भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाता है. अतः भारत सरकार को मंदी के समय संरक्षण देना जरूरी हो जाता

है, क्योंकि एमएसएमई उद्योग, मंदी से उबारने में सबसे अधिक कारगर साबित होती है.

11. **सही मायने में "ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस" प्रदान करना**

भारत सरकार ने देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की शुरुआत की है, जिसके काफी अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं. परन्तु अभी भी इस क्षेत्र में सुधार की काफी आवश्यकता है. ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के माध्यम से एमएसएमई उद्योग को नयी ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है.

12. **एमएसएमई क्षेत्र के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए पहल**

भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिए एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहल की है, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं पीएमईजीपी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट योजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना, बाजार संवर्धन एवं विकास योजना, विपणन प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम, पीएसबी 59, खादी स्टोर लोकेटर एप, डिजिटल एमएसएमई योजना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम इत्यादि.

अंत में हम यह कह सकते हैं कि उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन के लिए देश की अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई रीढ़ की हड्डी के समान है. एमएसएमई विकास में बैंक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और हम एमएसएमई के विकास के लिए सार्थक विकास के लिए कटिबद्ध हैं.

एमएसएमई के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न डिजिटल पहल (उद्योग आधार मेमोरेंडम, एमएसएमई समाधान पोर्टल, एमएसएमई संपर्क पोर्टल)

सुनील प्रकाश पाल
वरिष्ठ प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु (पूर्व)

विश्व की समस्त सरकारों ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को अर्थव्यवस्था की रीड़ की हड्डी माना है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व के 90% उद्यम इन्हीं श्रेणियों में आते हैं जो विश्व जीडीपी में तकरीबन 50% योगदान देते हैं. भारत में कृषि के बाद यह सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है. ये देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 29 फीसदी का योगदान करते हैं. एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है. करीब 12 करोड़ लोगों की आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर करती है. 2024 तक सरकार के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के मिशन को साकार करने के लिए, इस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ाकर 50% तक करने की जरूरत है. यही वजह है कि सरकार का फोकस इस सेक्टर की तरफ बढ़ा है. एमएसएमई कारोबारियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं.

एमएसएमई की परिभाषा :

एमएसएमई दो प्रकार के होते हैं. मैन्यूफैक्चरिंग उद्यम यानी उत्पादन करने वाली इकाई. दूसरा है सर्विस एमएसएमई इकाई. यह मुख्य रुप से सेवा देने का काम करती है. हाल ही में सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बदली है. नए बदलाव के निम्न श्रेणी के उद्यम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में आएंगे.

सूक्ष्म उद्योग: सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत अब वह उद्यम आते हैं जिनमें एक करोड़ रुपये का निवेश (मशीनरी वगैरह में) और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक हो. यहां निवेश से मतलब यह

है कि कंपनी ने मशीनरी वगैरह में कितना निवेश किया है. यह मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होता है.

लघु उद्योग: उन उद्योगों को लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ रुपये और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक है. यह निवेश और टर्नओवर की सीमा मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर में लागू होती है.

मध्यम उद्योग: मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिनमें 50 करोड़ रुपये का निवेश और 250 करोड़ रुपये टर्नओवर है वह मध्यम उद्योग में आएंगे. इससे पहले वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान करते हुए एमएसएमई की परिभाषा बदली थी. वित्त मंत्री ने 20 करोड़ रुपये का निवेश और 100 करोड़ रुपये का टर्नओवर वाले उद्यमों को मध्यम उद्योग में रखा था. लेकिन उद्यमी सरकार के इस नए बदलाव से भी खुश नहीं था. इसके बाद 1 जून, 2020 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने उद्यमियों की मांग को पूरा करते हुए यह बदलाव किया है. अब मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिनमें 50 करोड़ रुपये का निवेश (मशीन और यूनिट लगाने का खर्च आदि) और 250 करोड़ रुपये टर्नओवर है वह मध्यम उद्योग में आएंगे .

इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान और इनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ डिजिटल पहल किए गए हैं. इनमें उद्योग आधार, एमएसएमई समाधान और एमएसएमई संपर्क पोर्टल प्रमुख हैं.

उद्योग आधार

सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री के रेडियो शो ''मन की बात'' से सबक लेते हुए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्योग आधार को अधिसूचित किया था. इसमें प्रधानमंत्री ने केवल एक पेज के एमएसएमई पंजीकरण फार्म के साथ व्यवसाय शुरू करने हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की बात कही थी. भारत में उद्यमियों का एक बड़ा हिस्सा इस प्रक्रिया में शामिल बोझिल कागजी कार्रवाई के कारण पंजीकृत नहीं है और इसलिए, ऐसे उद्यमी उनके लिए बनी सरकारी योजनाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं. एमएसएमई क्षेत्र के

वित्तपोषण पर के.वी. कामत पैनल ने सिफारिश की थी कि पंजीकरण को सार्वभौमिक बनाया जाना चाहिए. इस प्रकार उद्योग आधार की अवधारणा, पंजीकरण में आसानी और केंद्र/राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु, एमएसएमई का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए की गयी है. उद्योग आधार एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी 12 अंकों की पंजीकरण संख्या है.

उद्योग आधार पंजीकरण प्रक्रिया

आवेदक को भारत सरकार की वैबसाइट https://udyogaadhaar.gov.in पर जाकर अपना आधार नंबर व नाम अंकित करना होता है. यहां पर वही नाम अंकित करना होगा जो कारोबार के मालिक हैं, अर्थात यदि सोल प्रोप्राइटरशिप है तो कारोबार के प्रोप्राइटर का नाम, कंपनी है तो डायरेक्टर का नाम व पार्टनरशिप है तो पार्टनर का नाम अंकित करना होगा. सूचनाएँ अंकित करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर द्वारा ओ.टी.पी सत्यापन होगा, तदनंतर, अन्य सूचनाएँ दर्ज कर फार्म प्रस्तुत करना होगा. इस प्रकार उद्योग आधार सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है.

फॉर्म भरते समय आवेदक को अपना सामाजिक वर्ग, लिंग, विकलांगता की स्थिति एवं उद्यम का नाम, संगठन का प्रकार यथा सोल प्रोप्राइटरशिप अथवा पार्टनरशिप, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाते की जानकारी आदि दर्ज करना होता है. इसके अतिरिक्त संयंत्र के स्थान का सम्पूर्ण ब्यौरा, दस्तावेजों के अनुसार व्यापार के शुरुआत की तिथि दर्ज की जाती है. यदि पूर्व में कभी भी उद्योग आधार पर किसी भी प्रकार का पंजीकरण किया गया था तो इसकी जानकारी भी देनी पड़ती है. एक व्यक्ति एक या उससे अधिक कारोबार कर सकता है, अतः एक से अधिक उद्योग आधार पंजीकरण संख्या हो सकती है. आवेदन की प्रक्रिया में सबसे जटिल भाग एमएसएमई के श्रेणियों के अनुसार आवेदक के उद्यम की मुख्य गतिविधि अर्थात विनिर्माण अथवा सेवा चयन होता है. निम्न उदाहरण से इसे समझना सरल होगा. मान लिया जाए कि आवेदक सेवा क्षेत्र का उद्यमी है. सेवा क्षेत्र अंकित करने के पश्चात सेवा का प्रकार अंकित करना होगा, जैसे कि शिक्षा. इसके पश्चात शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार की शिक्षा अर्थात उपश्रेणी यथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, सांस्कृतिक, खेल-कूद शिक्षा आदि. अंतिम उपश्रेणी में शिक्षा का प्रकार यथा यदि उच्च शिक्षा है तो खेल, प्रबंधन, वाणिज्य अथवा विज्ञान का क्षेत्र आदि. कारोबार में कितने व्यक्ति नियोजित हैं, संयंत्र व मशीनरी में निवेश राशि, कारोबार का नियंत्रक जिला उद्योग कार्यालय आदि सूचनाएँ अंकित करने के पश्चात मोबाइल पर ओटीपी द्वारा सत्यापन किया जाएगा और उद्योग आधार पंजीकरण सर्टिफिकेट निम्न रूप में प्राप्त हो जाएगा:

भारत सरकार
Govt. of India
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

उद्योग आधार Udyog Aadhaar

E

Type of Enterprise	Micro	Small	Medium
Manufacturing	A	B	C
Services	D	E	F
UAM No.	TN11E1111111		

Udyog Aadhaar Registration Certificate

Udyog Aadhaar Number TN11E1111111
Name of Enterprise TEST METALS
Location of Plant Details

SN	Flat/Door/Block No.	Name of Premises/Building Village	Road/Street/ Lane	Area/Locality	City	Pin	State	District
1	S.F.NO.11/1,11/1A,	TEST METALS	VILLAGE ROAD	TEST	TAMIL NADU	111111	TAMIL NADU	TIRUVANNAMALAI

Official Address of Enterprise 111/1, TEST FLATS, THIRUMANGALAM, TAMIL NADU, CHENNAI
District CHENNAI State TAMIL NADU PIN 111111
Mobile No: 1111111111 Email: [illegible]

Date of commencement 01/01/2011
Major Activity SERVICES
Enterprise Type Small
Previous Registration details-if any
National Industry Classification Code

SN	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit Code	Activity Type
1	81 - Services to buildings and landscape activities	8130 - Landscape care and maintenance service activities	81300 - Landscape care and maintenance service activities	Services
2	23 - Manufacture of other non-metallic mineral products	2395 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	23954 - Manufacture of R.C.C. bricks and blocks	Manufacturing

Acknowledgement Date of Filing 01/10/2011 Date of Printing 11/10/2011

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required.
Printed from udyogaadhaar.gov.in
MyMsme Mobile App (Beta Version) is available now for download. https://play.google.com/store/apps/details?id=msme.mymsme

एमएसएमई समाधान पोर्टल

एमएसएमई क्षेत्र के अधिकांश उद्यमियों को वस्तु/सेवा वितरण के पश्चात भुगतान हेतु अनुचित विलंब का सामना करना पड़ता है. इस प्रकार का विलंब सरकारी विभागों में कुछ अधिक ही होता है. ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहाँ देर से भुगतान के कारण उद्यमियों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है. परिणामस्वरूप, बैंक से लिया कर्ज भी एनपीए हो जाता है. इस प्रकार की देरी उद्यम से जुड़े अनेक परिवारों के लिए घातक भी साबित होता है. अब तक ऐसा कोई भी तंत्र नहीं था जो इस समस्या को पटल पर लाकर उसका निपटारा कर सके. इस समस्या का बोध होने पर एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई अधिनियम, 2006 (विलंबित भुगतान से निपटने) में कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए. अब, सरकार एमएसएमई पंजीकृत संस्थाओं को वस्तु/सेवा राशि का भुगतान न होने पर मामला दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है. यदि उद्यम एमएसएमई पंजीकृत हैं, तो वह ब्याज के साथ उचित राशि के भुगतान हेतु कार्रवाई कर सकते हैं. विलंबित भुगतान के विवादों के निपटारे हेतु इस अधिनियम की धारा 20 और 21 के अंतर्गत सूक्ष्म व लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) की स्थापना की गयी है. अधिनियम की धारा 16 के अनुसार यदि वस्तु/सेवा की आपूर्ति के 45 दिनों के अंदर भुगतान नहीं होता है तो खरीददार, आरबीआई द्वारा अधिसूचित बैंक दर से तीन गुना अधिक राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

इस योजना का लाभ लेने हेतु उद्यमी को एक फॉर्म भेजना होता था. यह प्रक्रिया कारगर होने के साथ- साथ जटिल और लंबी भी थी. इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 30 अक्तूबर, 2017 को ऑनलाइन समाधान पोर्टल लॉंच किया गया. वैध उद्योग आधार (यूएएम) वाला कोई भी सूक्ष्म या लघु उद्यमी इस पर आवेदन कर सकता है. एमएसईएफसी के पास किसी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होता है. स्वीकार होने के बाद आवेदन को केस में बदला जाता है. आवेदक के ईमेल पर भेजे जाने वाले पावती पर संबंधित एमएसईएफसी के संपर्क पते का उल्लेख होता है. इसके बाद आवेदक यूएएम नं/केस नंबर द्वारा आवेदन को ऑनलाइन देख सकता है. पोर्टल पर आवेदक को खरीददार से मिले वर्क ऑर्डर को भी अपलोड करना होता है. यदि मौखिक खरीद आदेश है तो एक हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है. कई चालान एकल पीडीएफ में संयुक्त किए जा सकते हैं और अपलोड किए जा सकते हैं. मौखिक खरीद आदेश के शपथ पत्र को सिंगल पीडीएफ के रूप में अपलोड किया जाता है. एक बार दायर किए गए आवेदन को एमएसएमईडी-अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार राज्य/केंद्र प्रदेश द्वारा स्थापित संबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) को स्वचालित रूप से ऑनलाइन भेज दिया जाता है. विलंबित भुगतान से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई संबंधित एमएसईएफसी द्वारा ही की जाती है. एमएसईएफसी को दिए गए प्रत्येक संदर्भ का निर्णय अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ऐसा संदर्भ बनाने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाता है. अधिनियम के अनुसार केवल एमएसईएफसी को

उनके साथ किए गए संदर्भ के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है. एमएसएमई कार्यालय एमएसईएफसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है. एमएसएमई इकाई द्वारा दायर मामले की जांच के बाद राज्य का एमएसईएफसी प्रावधानों के अनुसार ब्याज के साथ देय राशि के भुगतान के लिए खरीदार इकाई को निर्देश जारी करता है. प्राइवेट कंपनी यदि किसी एमएसएमई इकाई से वस्तु / सेवा लेते हैं और जिनके भुगतान 45 दिनों से अधिक लंबित हैं, वे बकाया राशि और देरी के कारण बताते हुए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को छमाही रिटर्न जमा करने के लिए बाध्य होंगे. एमएसईएफसी द्वारा दिये गए निर्णय से असहमत होने की स्थिति में खरीदार डिक्री की 75% धनराशि जमा करने के पश्चात ही डिक्री के विरुद्ध अपील कर सकता है.

सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है, इसके द्वारा लंबित मामलों का निपटारा कम समय में तेजी से होना संभव हो पाया है. सार्वजनिक पोर्टल होने के कारण अब किस राज्य/विभाग के पास कितने मामले दर्ज हुए व कितने बकाया हैं, आदि जानकारियाँ भी नि:शुल्क सर्व सुलभ हैं. आकड़ों के अनुसार 30 अक्तूबर, 2017 से अब तक कुल 27,735 मामले दर्ज हुए और उनमें से 9,585 मामलों का निपटारा करते हुए एमएसएमई उद्यमियों को ₹ 2089.33 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है.

एमएसएमई संपर्क पोर्टल

आज देश के समक्ष कौशल विकास एक चुनौती है, परंतु कौशल विकास चुनौती का केवल आधा हिस्सा है. कुशल युवाओं हेतु रोजगार के सही अवसर प्रदान करना बाकी का आधा हिस्सा है. प्रमुख कार्पोरेट्स के पास राष्ट्रव्यापी स्तर की परिभाषित भर्ती प्रक्रिया है. अनुभव प्राप्त कुशल व्यक्तियों की खोज आज भी छोटे उद्यमियों के लिए एक बड़ी चुनौती व समस्या है. इस समस्या के समाधान के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने 27 जून, 2018 (विश्व

एमएसएमई दिवस) को देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एमएसएमई संपर्क पोर्टल लॉन्च किया. यह पोर्टल प्रशिक्षित युवाओं व उद्यमियों के मध्य सेतु का काम करेगा. यह एक ऐसा डिजिटल प्लैटफ़ार्म है, जहां प्रशिक्षित युवा अपने तकनीकी कौशल के अनुरूप रोजगार हेतु ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं को उपयुक्त श्रमशक्ति हेतु पंजीकरण करने का भी अवसर मिलता है.

उम्मीदवार न्यूनतम जानकारी देकर पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है. पंजीकरण के बाद अपने प्रोफ़ाइल को अपडेट किया जा सकता है. गलत सूचना देने वाले उम्मीदवारों को पोर्टल पर आगे खुद को पंजीकृत करने की अनुमति नहीं मिलती है और वे पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. कोई भी उम्मीदवार बिना पंजीकरण के भी नौकरी खोज सकता है, परंतु, पोर्टल पर पंजीकरण के बिना नियोक्ता से संपर्क नहीं कर सकता है.

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया :-

सर्वप्रथम आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट http://sampark.msme.gov.in/ पर ''जॉबसीकर'' लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन मेनू पर क्लिक करना होगा. इसके पश्चात एमएसएमई जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन फार्म मिलेगा. रजिस्ट्रेशन फार्म में सारी सूचनाएँ भरने के बाद 'रजिस्ट्रेशन' मेनू पर क्लिक करना होगा. पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर गोपनीय ओटीपी की मदद से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी. उसके बाद, नौकरी चाहने वाले जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन लिंक द्वारा लॉगिन कर पासवर्ड बना सकते हैं. देश में पंजीकृत 18 एमएसएमई तकनीकी केन्द्रों के प्रशिक्षित आवेदक अपने स्टूडेंट आईडी की मदद से भी लॉगिन कर सकते हैं. सूचनाओं की पुष्टि के बाद आवेदक पोर्टल का उपयोग कर उपयुक्त कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

उम्मीदवार की तरह ही कंपनियों को भी न्यूनतम जानकारी के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है. पंजीकरण के उपरांत कंपनी को अपना प्रोफाइल अपडेट करना होता है. जिससे उन्हें नौकरी चाहने वालों प्रशिक्षुओं तक बेहतर पहुंच बनाने में मदद मिलती है. पंजीकरण में तेजी लाने के लिए कंपनी पंजीकरण केंद्र से संपर्क भी कर सकती है. कंपनियां पंजीकरण के बिना भी उम्मीदवार खोज सकते हैं, परंतु उम्मीदवार से संपर्क करने के लिए पंजीकरण आवश्यक होता है. आकड़ों के अनुसार इस पोर्टल से अब तक 4,69,135 उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया व 5,970 कंपनियों ने 28126 उम्मीदवारों का चयन किया.

मेक इन इंडिया संभावनाएं एवं चुनौतियाँ - एमएसएमई के परिप्रेक्ष्य में

डॉ. विजय कुमार पाण्डेय
प्रबंधक (राभा)
क्षे.का. पटना

सोनम कुमारी
सहायक प्रबंधक (सू.प्रौ.)
क्षे.का. पटना

हम सब जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है. भारत में कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग सदैव अपने रोजगार हेतु संघर्षरत रहता है. देश की विकास दर को गति देने हेतु हमारे युवाओं तथा कामकाजी वर्ग को रोजगार प्रदान करने हेतु कई योजनाओं की शुरुआत की गयी है. देश के नवयुवक अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबी बनें यह हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है. हम यह भी जानते हैं कि भारत में लघु, सूक्ष्म, मध्यम तथा कुटीर उद्योग की बहुत ही उपयोगिता है तथा यह गांव-गांव में संचालित की जाती है. ऐसे में यदि इन उद्योगों को पोषण प्रदान कर युवाओं एवं बेरोजगारों को आर्थिक मदद प्रदान किया जाए तो न केवल वह देश के आर्थिक विकास में भागीदार बनेंगे बल्कि देश की सकल घरेलू आय में भी अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे.

देश की तरक्की तब ही संभव हो सकेगी जब प्रत्येक नागरिक एवं नौजवान अपनी क्षमता के हिसाब से योगदान सुनिश्चित करें. भारत के आर्थिक विकास दर को गतिशील बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम स्तर पर काम करने वाले युवकों तथा बेरोजगारों को आवश्यक मदद मुहैया कराया जाए. सरकार की ओर से भी इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र का देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. हमारी सरकार आज के समय में रोजगार सृजन के लिए एवं उसके माध्यम से बहुत सारे

लोगों को रोजगार एवं नौकरी देने के लिए पूरे देशवासियों को प्रोत्साहित कर रही है चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों या अनपढ़. हम यह भी रेखांकित करना चाहते हैं कि इस विकास क्रम में सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्योग बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है. अलग-अलग नयी योजनाओं की सहायता से हमारे देश के हर तबक़े के लोग कम पूंजी में भी नए काम चालू कर रहे हैं और उसको सही तरीके से आगे बढ़ाकर अपना और अपने परिवार का जीवनयापन कर रहे हैं. यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि इस मामले में सरकार ही नहीं हमारे सरकारी बैंक के साथ-साथ एनबीएफ़सी भी कम दर पर ब्याज देकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं.

एमएसएमई में 2 प्रकार के कार्य होते हैं-

1. मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग जिसमें नयी चीजों को बनाने का काम किया जाता है,
2. सर्विस सेक्टर जिसका मुख्य कार्य सेवा प्रदान करने का होता है,

मेक इन इंडिया के तहत इन दोनों विभागों में अनेक नए कार्य की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें कुछ सफल हुई हैं और कुछ में चुनौतियाँ भी आई हैं परंतु उन चुनौतियों को दूर कर पुनः इसके सफलता हेतु हर प्रयास जारी है.

मेक इन इंडिया यानी भारत में निर्माण हेतु प्रयास किए जाएं. भारत सरकार के इस नीति के तहत यह योजना दिनांक 25 सितंबर, 2014 को पूरे देश में शुरु की गयी जिसके अंतर्गत अपने देश की कंपनियों एवं विदेशी कंपनियों के माध्यम से अपने देश में वस्तुओं/सामग्रियों को बनाने पर बल दिया जा रहा है.

मेक इन इंडिया के तहत निम्नलिखित क्षेत्र में मुख्य रुप से ध्यान केन्द्रित किया गया है-

1. वाहन निर्माण के क्षेत्र में
2. इलेक्ट्रिकल मशीनरी,
3. रेलवे से संबंधित उपकरण
4. इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ एवं उपकरण

5. खाद्य प्रसंस्करण,
6. वस्त्र और परिधान,
7. कल्याण हेतु अन्य उपकरण एवं सामग्रियां आदि

मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है भारत में आयात से ज्यादा निर्यात को बढ़ाना. निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ मेक इन इंडिया का एक उद्देश्य यह भी है कि भारत व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस) में भारत की रैंकिंग को सुधारे ताकि विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करने में दिलचस्पी लें.

जहां तक बात की जाए "मेक इन इंडिया" से होने वाली सफलता एवं चुनौतियों की तो हर नए कार्य में ये दोनों बातें चुनौती के रुप में आती ही हैं. एक तरफ देखा जाए तो भारत के लोग काफी मेहनती हैं, वहीं हमारे देश में नयी चुनौतियों को स्वीकार करने में समय लगता है और लोग खतरा लेने से डरते हैं. इसके साथ-साथ हमारे देश में युवा हों या बुजुर्ग, शिक्षित हों या अनपढ़, हर किसी को सबसे ज्यादा यह चिंता रहती है कि अगर सफलता न मिली तो लोग क्या कहेंगे और इस सोच के कारण कुछ नया शुरू करने में हिचकिचाते हैं, किन्तु इसके बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में "मेक इन इंडिया" योजना को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया है. "मेक इन इंडिया" के अंतर्गत आज के समय में एम. एस.एम.ई. के माध्यम से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान दिया जा रहा है, जबकि कुल विनिर्माण उत्पादन का 40% और भारत के निर्यात का 40% है.

संभावनाएं :-

"मेक इन इंडिया" कार्यक्रम में एम.एस.एम.ई. ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मुद्रा योजना, एमएसएमई, एलसीबी, पीएसबी-59 आदि कुछ ऐसी योजनाएँ हमारी सरकार लेकर आई, जिससे छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक के लोगों को रोजगार करने का मौका मिला एवं मिल रहा है. इस क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है बैंक ने, चाहे वह किसी भी सरकारी योजना की बात क्यों न की जाए, बैंक का मुख्य योगदान रहा है. हमारा भारत जिसे हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहां के लोगों को मेहनती एवं श्रमी माना जाता है वहाँ एमएसएमई के माध्यम से भारत में बनाई गई चीजों को आगे बढ़ाना बहुत कठिन नहीं है और हमारे यहां बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं.

भारत में एमएसएमई की विविधिता -

हमारे देश में एमएसएमई ने काफी समय से अच्छी रफ्तार बनाए रखी है चाहे वह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के क्षेत्र में हो या निर्माण एवं अन्य कार्य के क्षेत्र में हो या उपयुक्त बाजार के क्षेत्र में हो, ऐसे में जब "मेक इन इंडिया" एमएसएमई के मदद से कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है कि "मेक इन इंडिया" मिशन के पीछे के इरादे पूरे होंगे और विकसित होंगे.

1. भारतीय रक्षा क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" के माध्यम से एमएसएमई का योगदान-

भारत सरकार का भारतीय रक्षा क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" का इस्तेमाल करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है, एमएसएमई की मदद से अपने देश में इस्तेमाल होने वाले रक्षा उपकरण अपने देश में ही बनाना ताकि कम लागत पर अधिक से अधिक फायदा हो और साथ ही साथ हम अपने देश के उपकरण विदेश में भी निर्यात कर सकें, जिससे हमारा आर्थिक विकास हो. हालांकि हमारे देश में अभी भी ये पद्धति बहुत विकसित नहीं हुई है, इसलिए सरकार नयी खोज पर बल दे रही है. भारत के वैसे क्षेत्र जहां रक्षा क्षेत्र के काम नहीं होते न ही लोग जागरूक हैं "मेक इन इंडिया" की मदद से वहां पर नये कारखाने खोले जा रहे हैं. हमारे देश में श्रम कानून भी सुधारात्मक प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसके पश्चात आने वाले समय में मेक इन इंडिया की तरह और अधिक बेहतर सफलता की आवश्यकता है.

2. भारत सरकार की मदद एवं मेक इन इंडिया के लिए उत्साह

देश के विकास को देखते हुए भारत सरकार ने अलग-अलग विभागों की मदद लेकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के माध्यम से "मेक इन इंडिया" मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है जिससे ना सिर्फ नये इनोवेशन हो रहे हैं बल्कि पहले की तकनीक को और भी मजबूत किया जा रहा है. हर इकाई के लिए अलग-अलग कर्मी दल एवं इंटर मिनिस्टिरियल कमेटी बनाई जा रही हैं. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - समूह विकास एवं प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार नयी योजनाएं बना रही है, जिसे अलग-अलग इंटर मिनिस्टिरियल कमेटी देख रही हैं.

3. एमएसएमई के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर एवं सर्विस सेक्टर में मेक इन इंडिया का योगदान-

एमएसएमई की 2 मुख्य इकाई हैं- नयी चीजें बनाना (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर) एवं पहले बनी चीजों का रखरखाव करना (मेंटेनेंस सेक्टर) और जब चीजें अपने देश में बनी हों तो उस पर होने वाले खर्च कम हो जाते हैं और लाभ बढ़ जाते हैं, जैसे कि अपने भारत में कपड़े का निर्यात काफी बड़ी मात्रा में होता है तो अगर अपने देश में कपड़ा बनाया जाए, उससे न केवल कपड़े की कीमत कम होगी बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा जिससे हमारा आर्थिक विकास होगा.

4. बैंक एवं सिडबी की मदद -

मेक इन इंडिया योजना को रफ्तार देने के लिए स्माल इंडस्ट्रीज़ डेव्लपमेंट बैंक ऑफ इंडिया(सिडबी) ने एमएसएमई के लिए रूपये 1000 करोड़ का 'मेक इन इंडिया' फ़ंड

बनाया है, मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की विश्वस्तरीय मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने हेतु इस फ़ंड की स्थापना की गयी है. इसके तहत चिन्हित एमएसएमई को रियायती दरों पर लोन उपल्बध कराया जा रहा है. यह फ़ंड सिर्फ ऋण के लिए है एवं आधा-एक फीसदी कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा, इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक यूनिट लगाना एवं एमएसएमई सेक्टर में लोगों का स्किल डेवलपमेंट करना. बैंक अपने स्तर पर हर संभव कोशिश में लगा है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमन्द लोगों को ऋण मिल सके ताकि देश को आर्थिक लाभ ज्यादा से ज्यादा हो.

5. एमएसएमई की मदद से स्टार्ट-अप में सहायता -

नये- नये स्टार्ट-अप को आगे बढ़ाने के लिए ऋण मिलना, चाहे वो व्यवसाय छोटा हो या बड़ा बैंक की मदद लगती है और इसमें सरकार ने बहुत मदद की है जिसके कारण नये-नये उपकरण बन पाये हैं, जो ना कि आम ज़िंदगी में मदद कर रहे हैं बल्कि कृषि विभाग में भी बहुत काम आ रहे हैं.

लोगों को 59 मिनट में रुपये 1 करोड़ से अधिक का लोन प्रदान किया जा रहा है जिससे ना सिर्फ कम समय में काम शुरु हो रहा है बल्कि ग्राहकों को कम परेशानी एवं मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है. कृषि के क्षेत्र में नए तरीके को लाना एवं उसको आगे बढ़ाना, जिससे अधिक से अधिक पैदावार हो और किसानों की आय भी बढ़ सके, ये बहुत जरूरी है. सरकार ने 18 मार्च, 2015 को एक योजना बनाई थी जिसे ASPIRE के नाम से जाना जाता है, इसका मूल कार्य था, कृषि के क्षेत्र में नये-नये तरीकों को निकालना एवं उसको किसानों तक पहुंचाना तथा किसानों को उसके लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने को प्राथमिकता दी जा रही है.

चुनौतियां :-

भारत में एमएसएमई की प्रगति एवं उससे होने वाले लाभ हर क्षेत्र में सामान्य नहीं हैं, क्योंकि हर राज्य में उपयुक्त वस्तु तथा उत्पादन नहीं है, रोजगार से संबंधित जानकारी नहीं है, उस क्षेत्र, राज्य एवं जिले के अधिकारियों से सही रूप से आर्थिक एवं तकनीकी जानकारी नहीं मिल रही या तो ऋण मिल नहीं रहा है या फिर सही समय में नहीं मिल रहा या फिर बहुत ही ज्यादा ब्याज दर पर मिल रहा है आदि.

1. **बैंक से कम ऋण मिलना -** मेक इन इंडिया में एमएसएमई के माध्यम से होने वाले विकास में ऋण मिलने में आ रही कठिनाई के कारण यह काफी धीमी गति में है. ऋण देने की प्रक्रिया बहुत जटिल एवं लंबी है एवं औपचारिक भी है. ऋण लेने वालों को अनेक तरह के कागज देने होते हैं, जिनको बनवाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और व्यापारी हार मान लेता है, इतना ही नहीं अगर इसके बावजूद भी लोन मिल भी जाता है तो उसमें भी जरूरत का केवल 50% तक ही ऋण मिल पाता है और उसकी ब्याज दर भी बहुत ज्यादा होती है.

2. **विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा -** आज के वैश्वीकरण के दौर में हमारे देश में बनाई हुई चीजों को विदेशी कंपनी से तुलना की जाती है जिसके कारण विदेशी कंपनी जो वर्षों से काम करती आ रही है, कम मूल्य पर वस्तुएं बनाती है एवं बेचती भी है, जिसके कारण खुद हमारे ही देश के लोग हमारे देश की बनी वस्तु को महंगा कहकर खरीद नहीं रहे हैं, और हमारे मेक इन इंडिया वाली कंपनी पीछे हो जा रही है.

3. **आधारभूत संरचना की कमी -** जबकि एमएसएमई आज के समय में काफी तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन अभी भी हमारे देश में आधारभूत संरचना की कमी है जिसके कारण से यह वस्तुएं कम बन रही हैं और उनका बनाने का खर्च बहुत भी ज्यादा है.

4. **प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में कमी -** एमएसएमई के संबंध में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की बहुत कमी है, जिसके कारण जानकार कर्मचारी नहीं हैं. योजना के मालिक तो नयी पद्धति जानते हैं मगर उसे सही रूप से कैसे चालू किया जाए ये नहीं जानते. सरकार के माध्यम से दिये गए कौशल विकास प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं हैं.

5. **प्रचार-प्रसार की कमी -** एमएसएमई की योजनाएं एवं मेक इन इंडिया के माध्यम से बनाई गयी चीजों का सही तरीके से प्रचार एवं प्रसार जरूरी है, हमारी देशी कंपनी आज की विदेशी कंपनी से काफी पीछे हैं. प्रचार-प्रसार के मामले में भी, सोशल मीडिया एवं मार्केटिंग आज एक दूसरे के पूरक हैं और अगर हमारी देशी कंपनी उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं करेगी तो अपने ही देश में होते हुए भी विदेशी कंपनी हमारे देश पर राज करेगी और हमारे मेक इन इंडिया को सही से अवसर नहीं मिल पाएगा.

इन सबके बावजूद भी एमएसएमई योजनाओं के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए भारत सरकार द्वारा ऋण दिए जा रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान किया जा सके. हम आश्वस्त हैं कि आने वाला समय भारत का ही होगा तथा इन योजनाओं के माध्यम से भारत अपनी छाप पूरे विश्व के मानचित्र पर छोड़ने में सफल हो पाएगा.

विपणन सहायता एवं तकनीकी उन्नयन

दीपक गुप्ता
वरिष्ठ प्रबन्धक

दीपक कुमार
सहायक प्रबन्धक (विपणन)
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

प्रस्तावना :-

विपणन किसी भी उद्यम की सफलता की कुंजी है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के संबंध में यह बिल्कुल सटीक है. यह क्षेत्र बड़े उद्यमों से भिन्न बाजार में मजबूत ब्रांड उपस्थिति के अभाव और बड़े पैमाने पर असंगठित विपणन नेटवर्क को भी चिन्हित करता है. सीमित संसाधनों के कारण, विदेशी बाजार तक की पहुंच उनकी क्षमताओं के अनुरूप नहीं है. सूचनाओं की कमी का अभाव, संसाधनों की कमी एवं विपणन के लिए असंगठित तरीके एमएसएमई सेक्टर की वृद्धि तथा नवीन बाजार न उपलब्ध होने के लिए उत्तरदायी है फलस्वरूप एमएसएमई सेक्टर की वृद्धि, उत्तरजीविता प्रभावी रूप से नहीं हो रही है एमएसएमई सेक्टर में समुचित संसाधन का न होना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों द्वारा सहायता कर उत्पादों का विपणन बढ़ाना अत्यावश्यक हो गया है .

योजना का उद्देश्य :-

बाजार में एमएसएमई क्षेत्र के उत्पादों को बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करना है. विपणन सहायता के उद्देश्य का सार मुख्यत: निम्नानुसार है:

(i) विनिर्माण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को घरेलू/विदेशी बाजारों का लाभ उठाने और विकसित करने के उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना.

(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की विपणन को बढ़ाने के लिए उत्पादों पर बार कोडिंग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना.

(iii) विशेषकर एमएसई सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 को ध्यान में रखकर विपणन लिंक को सुविधाजनक बनाना.

(iv) विपणन में पैकेजिंग के महत्व, नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नवीनतम घटनाक्रम इत्यादि के बारे में एमएसएमई

क्षेत्र से संबंधित विषयों/पैकेजिंग/विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कार्यशाला/ संगोष्ठी आयोजित कर एमएसएमई में जागरूकता सृजित करना और उन्हें शिक्षित करना.

मापदंड या पात्रता :-

आवेदक का सूक्ष्म /लघु उद्यमी हेतु उद्योग ईएम पार्ट II/ आधार मेमोरेंडम (यूएएम) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है .

योजना के घटक :- योजना के घटक निम्नानुसार है -

1. घरेलू व्यापार मेले/प्रदर्शनी
2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले एवं प्रदर्शनी
3. विपणन/ सरकारी खरीद/ पैकेजिंग पर अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यशाला
4. वेंडर विकास कार्यक्रम
5. बारकोड प्राप्त करने पर अदायगी

1. घरेलू व्यापार मेले/प्रदर्शनी :-

a) **उद्देश्य** :- घरेलू बाजार में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को टेपिंग एवं विकास के प्रयास के लिए उत्साहित करना .

b) **कार्यरत एजेंसी :-** एमएसएमई विकास संस्थान

c) **घरेलू व्यापार मेले/प्रदर्शनी का चुनाव :-** घरेलू व्यापार मेले/प्रदर्शनी का चुनाव करने के लिए समिति बनायी गयी है जो निम्नानुसार होगी

1	एमएसएमई निदेशक -	अध्यक्ष
2	महाप्रबंधक, क्षेत्रीय जिला उद्योग केंद्र अथवा उसके प्रतिनिधि	सदस्य
3	उद्योग संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त समिति के द्वारा घरेलू व्यापार मेले/प्रदर्शनी की सूची को चयनित कर डीसी, एमएसएमई को अनुमोदन हेतु भेजा जाता है

d) **MSEs हेतु घरेलू व्यापार मेले/प्रदर्शनी का चुनाव :-** एमएसएमई- डीआई के द्वारा मेले की उपयोगिता, **MSEs सेक्टर की थीम** के आधार पर इकाई का चुनाव, मेला /प्रदर्शनी चुनाव समिति की अनुशंसा पर किया जाता है एक

एमएसएमई -डीआई 10 सूक्ष्म लघु **उद्यमियों** को मेला/प्रदर्शनी में प्रतिभागिता हेतु अनुशंसा कर सकता है . यह प्रतिवेदन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर होगा.

एमएसएमई उद्यमी एक से अधिक एमएसएमई - डीआई के द्वारा आयोजित व्यापार मेले प्रदर्शनी में प्रतिभागिता कर सकता है लेकिन इसके लिए अंतिम अनुमोदन डीसी एमएसएमई द्वारा किया जाता है तथा अधिकतम प्रतिभागियों की संख्या मेले या प्रदर्शनी के आकार एवं उपयोगिता पर निर्भर करता है

e) **MSEs हेतु वितीय सहायता**: प्रतिभागिता के लिए आवश्यक मद एवं सहायता का स्तर निम्नानुसार है -

क्रं संख्या	आवश्यक मद	सहायता का स्तर
1	स्थल किराया प्रभार	सामान्य वर्ग से संबंधित इकाई हेतु 80%, एससी/एसटी/महिला/उत्तर पूर्व राज्य/दिव्यांग से संबंधित इकाई हेतु 100% अधिकतम ₹ 20000/- अथवा वास्तविक में से जो न्यूनतम हो. स्थल का किराया अधिकतम 6 वर्ग मीटर या आयोजकों द्वारा प्रदान किए गए बूथ स्टाल में से जो न्यूनतम हो का दिया जाएगा (तकनीकी व्यापार मेले या प्रदर्शनी के लिए अधिकतम सीमा ₹ 20000/- के स्थान ₹ 50000/- होगी)
2	फुटकर व्यय (यात्रा, किराया, भाड़ा, प्रचार इत्यादि)	सभी इकाइयों के लिए फुटकर व्यय की सीमा 100% अधिकतम ₹ 10000/- या वास्तविक इसमें से जो भी कम हो (इकाई की प्रत्येक प्रतिभागिता के लिए एक प्रतिनिधि का यात्रा खर्च भी होगा)

उद्यमी को एक वर्ष में योजना के अंतर्गत अधिकतम दो बार अदायगी मंजूर होगी .

प्रत्येक कार्यक्रम हेतु अधिकतम वित्तीय सहायता रु 10 लाख तक ही दी जा सकती है.

प्रतिभागिता के पश्चात अनुशंसित MSEs द्वारा व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी में हुये खर्चे की अदायगी के लिए दावा ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप में मेला या प्रदर्शनी के समाप्ति

के दो माह के अंदर किया जाना आवश्यक है अन्यथा अदायगी के संबंध में यह मान लिया जाएगा कि इकाई अदायगी में इच्छुक नहीं है .

f) **एमएसएमई विकास संस्थानों हेतु प्रावधान :-** यदि एमएसएमई - डीआई के द्वारा मेले या प्रदर्शनी में मंत्रालय की क्रियाकलापों के अंतर्गत स्टाल लिया जाता तब स्टाल प्रभार तथा अधिकारी हेतु टीए /डीए का नियमानुसार अधिकतम ₹ 25000/- तक दावा निदेशक एमएसएमई के द्वारा लिया जा सकता है इसके लिए एमएसएमई - डीआई को डीसीएमएसएमई से पूर्व में अनुमोदन लेना आवश्यक है.

2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले एवं प्रदर्शनी :-

a. **उद्देश्य** :- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को टेपिंग एवं विकास के प्रयास के लिए उत्साहित करना .

b. **कार्यरत एजेंसी :-** एमएसएमई विकास संस्थान

c. **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनी का चुनाव :-** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी हेतु चुनाव प्रचलित व्यवहार एवं वेब पोर्टल पर मास्टर सूची में उपलब्धता के आधार पर डीसी- एमएसएमई कार्यालय के अंतिम निर्णय द्वारा होगा वेब पोर्टल पर मास्टर सूची में उपलब्ध नहीं होने पर एमएसएमई - डीआई द्वारा सूची में उपलब्ध कराने हेतु मेला / प्रदर्शनी चुनाव समिति की अनुशंसा एवं स्पष्टीकरण के साथ अनुरोध कर सकते हैं. इस तरह का अनुरोध प्रत्येक कार्यक्रम हेतु कम से कम 10 होना चाहिए.

d. **MSEs हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनी का चुनाव :-** मास्टर सूची मे उपलब्ध इकाई से संबंधित प्रतिभागिता के लिए निर्धारित आवेदन प्रारूप में कम से कम दो माह पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. यह प्रतिवेदन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर होगा.अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले एवं प्रदर्शनी में प्रतिभागिता हेतु उत्पादों की गुणवत्ता प्रमुख होगी यथार्थ प्रतिभागिता हेतु इकाई का ISO 9000/14000 का प्रमाणीकरण प्राथमिक होगा. अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनी का चुनाव करने के लिए प्रत्येक एमएसएमई-DI सदस्यों की समिति बनायी गयी है जो निम्नानुसार होगी

1	एमएसएमई निदेशक -	अध्यक्ष
2	महाप्रबंधक, क्षेत्रीय जिला उद्योग केंद्र अथवा उसके प्रतिनिधि	सदस्य
3	Fair Product Specific Association का प्रतिनिधि	सदस्य

e. MSEs हेतु वितीय सहायता : प्रतिभागिता के लिए आवश्यक मद एवं सहायता का स्तर निम्नानुसार है -

क्रं संख्या	आवश्यक मद	सहायता का स्तर
1	स्थल किराया प्रभार	सामान्य वर्ग से संबंधित इकाई हेतु 80% ,एससी/एसटी/महिला/उत्तर पूर्व राज्य/दिव्यांग से संबंधित इकाई हेतु 100% अधिकतम ₹ 100000/- अथवा वास्तविक में से जो न्यूनतम हो. स्थल का किराया अधिकतम 6 वर्ग मीटर या आयोजकों (e.g. ITPO, FIEO etc.) द्वारा प्रदान किए गए बूथ स्टाल में से जो न्यूनतम हो का दिया जाएगा
2	फुटकर व्यय (यात्रा, किराया, भाड़ा, प्रचार इत्यादि)	सभी इकाइयों के लिए फुटकर व्यय की सीमा 100% अधिकतम ₹ 125000/- या वास्तविक इसमें से जो भी कम हो (इकाई की प्रत्येक प्रतिभागिता के लिए एक प्रतिनिधि का हवाई यात्रा खर्च (economy class) भी होगा

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी को एक वर्ष में योजना के अंतर्गत अधिकतम एक बार प्रतिभागिता एवं अदायगी मंजूर होगी. तथा एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है.

प्रत्येक कार्यक्रम हेतु अधिकतम वित्तीय सहायता ₹ 25 लाख तक ही दी जा सकती है. यदि किसी कार्यक्रम हेतु ₹ 25 लाख से अधिक खर्च अनुमानित है तब प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी.

प्रतिभागी इकाई के एक स्थायी कर्मचारी / निदेशक / पार्टनर / प्रोप्राइटर की यात्रा हेतु सहायता उपलब्ध होगी.

प्रतिभागिता के पश्चात अनुशंसित MSEs द्वारा व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी में हुये खर्चे की अदायगी के लिए दावा ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप में मेला या प्रदर्शनी के समाप्ति के दो माह के अंदर किया जाना आवश्यक है अन्यथा अदायगी के संबंध में यह मान लिया जाएगा कि इकाई अदायगी में इच्छुक नहीं है .

संबन्धित भारतीय व्यापार संस्थान, मेला आयोजकों से आमंत्रण पत्र का प्रबंध कर प्रतिभागी MSEs के प्रतिनिधि का VISA प्राप्ति में सहयोग करेगा हालांकि इकाई को VISA जारी करने का अधिकार भारत में संबन्धित एम्बेसी के अधिकार क्षेत्र में होगा.

उद्यमी द्वारा स्थल बुकिंग का प्रभार भारतीय व्यापार संघटन को सीधे दिया जाएगा जिसका दावा मेला या प्रदर्शनी के समाप्ति के खर्चे की अदायगी के समय किया जाएगा.

अधिकारी की प्रतिभागिता हेतु प्रावधान :- 10 MSEs से अधिक प्रतिभागिता होने पर DC MSME या MSME DI या राज्य सरकार / राज्य की स्वायत्त संस्था के ऑफिस के एक प्रतिनिधि का नामांकन AS& DC MSME द्वारा प्रायोजित MSE प्रतिभागिता को मेनेज करने हेतु किया जा सकता है.

राज्य से 6 MSEs से अधिक प्रतिभागिता (3 NER के संबंध में), राज्य सरकार / राज्य की स्वायत्त संस्था की आधिकारिक प्रतिभागिता होगी.

खर्चे नियमानुसार पात्रता के आधार पर समन्वयित होंगे तथा अधिकारी ड्यूटी भत्ते की प्रतिपूर्ति सीधे या तो DC MSME या संबन्धित एम्बेसी (जो लागू हो) से कर सकता है

3 विपणन/ सरकारी खरीद/ पैकेजिंग पर अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यशाला :-

a) **उद्देश्य :-** विपणन/ सरकारी खरीद/ पैकेजिंग पर अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यशाला नई विपणन तकनीकों को प्रोत्साहित करने, उभरते वैश्विक बाजार / उत्पाद में नई उत्पत्ति की कई सेवाओं तथा उत्पादों के लिए, पैकेजिंग में नवीनता, केंद्रीय मंत्रालयों, विभाग, CPSUs द्वारा MSEs आदेश 2012 एवं MSME सैक्टर से संबन्धित सरकारी खरीद मे निरंतर रिव्यू हेतु आयोजित की जाएंगी.

b) **कार्यरत एजेंसी :-** एमएसएमई विकास संस्थान या कार्यक्रम की आवश्यकता के आधार पर DC MSME ऑफिस द्वारा कोई अनुमोदित एजेंसी

c) **वित्तीय सहायता :-** वित्तीय सहायता की राशि निम्नानुसार होगी

क्रं संख्या	मद	सहायत का स्तर
1	राष्ट्रीय कार्यशाला / सेमिनार	देश में कहीं भी ₹ 2.5 लाख प्रति कार्यशाला/ सेमिनार या वास्तविक व्यय जो न्यूनतम हो .
2	अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला / सेमिनार	₹ 2.5 लाख प्रति कार्यशाला/सेमिनार, साथ ही अतरिक्त ₹ 2.5 लाख (अधिकतम) अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स हवाई यात्रा व्यय, बोर्डिंग एवं लोजिंग हेतु या वास्तविक व्यय जो न्यूनतम हो लेकिन यह आवश्यक है कि उक्त कार्यशाला/सेमिनार किसी 5 सितारा होटल में आयोजित नहीं की गयी हो .

4. वेंडर विकास कार्यक्रम :-

a) **उद्देश्य:-** वेंडर विकास कार्यक्रम खरीददार एवं विक्रेताओं के लिए एमएसएमई की सेवाओं एवं उत्पादों के प्रदर्शन के लिए बड़े स्तर पर क्रेता संगठन की आवश्यता हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है MSEs और आदेश 2012 सार्वजनिक खरीद नीति के दिशा -निर्देश में वेंडर विकास कार्यक्रम को निर्धारित करता है

b) **कार्यरत एजेंसी :-** वेंडर विकास कार्यक्रम का आयोजन एमएसएमई विकास संस्थानों द्वारा होगा

c) **वित्तीय सहायता :-**

- **राज्य स्तरीय वेंडर विकास कार्यक्रम :-** इस तरह के कार्यक्रम मुख्यत: वेंडर - वेंडी के आधार पर MSME एवं राज्य में स्थित CPSUs तथा अन्य प्रोक्युरिंग एजेंसी के द्वारा होंगे तथा सार्वजनिक खरीद नीति पर विचार विमर्श MSEs आदेश 2012 के अंतर्गत इस तरह के कार्यक्रम के भाग होंगे .

  इस तरह के कार्यक्रम की अवधि एक दिन होगी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रति कार्यक्रम राशि ₹ 30000/- तक होगी

- **राष्ट्र स्तरीय वेंडर विकास कार्यक्रम** :- इस तरह के कार्यक्रम मुख्यत: उद्योग प्रदर्शनी तथा क्रेता- विक्रेता मीटिंग पर आधारित होंगे जिसका उद्देश्य एमएसएमई में अवसर प्रदान करने के लिए उत्पादों एवं उत्पादों की प्रदर्शनी एवं सेवाओं की आवश्यकताओं के लिए होगा यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता के लिए होगा.

सार्वजनिक खरीद नीति पर कार्यशाला MSEs आदेश 2012 के अंतर्गत इस तरह के कार्यक्रम के भाग होंगे तथा एमएसएमई योजनाओं पर सेमिनार /विचार विमर्श / कार्यशाला भी इस कार्यक्रम के भाग होंगे .

इस तरह के कार्यक्रम की अवधि दो-तीन दिन होगी.

इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रति कार्यक्रम राशि इस प्रकार होगी .

'ए' क्लास शहर		अन्य सभी शहर		उत्तर पूर्व राज्य /J&K/ हिमाचल प्रदेश	
प्रति कार्यक्रम अधिकतम स्वीकृति	न्यूनतम रिकवरी	प्रति कार्यक्रम अधिकतम स्वीकृति	न्यूनतम रिकवरी	प्रति कार्यक्रम अधिकतम स्वीकृति	न्यूनतम रिकवरी
₹ 8.00 लाख	60%	रु 6.00 लाख	50%	₹ 5.00 लाख	20%

5. बारकोड प्राप्त करने पर अदायगी :-

a **उद्देश्य** :- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को विपणन प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु जीएस-1 के बार कोड पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

b **कार्यरत एजेंसी** :- एमएसएमई विकास संस्थान

c **MSEs के लिए वित्तीय सहायता :-** एक बार पंजीकरण हेतु शुल्क का 75% तथा वार्षिक नवीनीकरण फीस (प्रथम तीन वर्ष हेतु) MSEs द्वारा जीएस-1 भारत को दिया जाएगा जिसका दावा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर किया जाएगा

d **बारकोड के उपयोग के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया :-** जीएस-1 इंडिया (पूर्व में ईएएन इंडिया) भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्था है जो बार कोड के उपयोग हेतु पंजीकरण के लिए प्राधिकृत है. बार कोड से संबन्धित अधिक जानकारी वेब साइट **www.gs1india.org** पर उपलब्ध है. इच्छुक MSEs GS1 इंडिया पर बार कोड के उपयोग का पंजीकरण प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकते हैं .

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के तहत कार्यप्रयोजन

कालीचरन दास
वरिष्ठ प्रबंधक, (संकाय)
स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल

वित्तीय संकट की शुरुआत के बाद से, वैश्विक अर्थव्यवस्था स्वयं को पुनर्जीवित करने और एक स्वस्थ विकास दर प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है. वैश्विक विकास दर 2019 में 3.20% और 2020 में 3.50% अनुमानित है. लेकिन इसकी तुलना में, भारत की जीडीपी मुख्य विश्व अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़कर, तेज़ी से आगे बढ़ रही है. आईएमएफ (IMF) के अनुसार भारत के वित्त वर्ष 2019 के लिए 6.10% की दर से वृद्धि का अनुमान है.

निःसंदेह एसएमई इस विकास की कहानी के पीछे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है. यह क्षेत्र जिसमें विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, सेवा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, रसायन और आईटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं. विगत कुछ दशकों में एसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का सबसे जीवंत और गतिशील घटक बन गया है. एसएमई न केवल रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि औद्योगीकरण को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ले जाकर क्षेत्रीय संतुलन एवं विकास सुनिश्चित करते हैं. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अनुसार लगभग 20% एमएसएमई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से बाहर काम करते हैं.

(**स्रोत:** इकोनॉमिक टाइम्स, 16.10.2019)

एसएमई के महत्व को निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता है :-

- भारत में एसएमई की संख्या 42.50 मिलियन होने का अनुमान है. (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत एक साथ) देश में कुल औद्योगिक इकाइयों का एक चौंका देने वाला आंकड़ा 95% एमएसएमई क्षेत्र से है.
- एसएमई में भारत के कर्मचारियों की संख्या का लगभग 106 मिलियन, जो कि भारत के कुल कर्मचारियों का 40% है.

- उत्पाद : 6000 से अधिक उत्पादों का उत्पादन करता है.
- जीडीपी योगदान: वर्तमान में विनिर्माण जीडीपी का लगभग 6.11% और सेवा क्षेत्र जीडीपी का 24.63% है.
- एसएमई आउटपुट: कुल भारतीय विनिर्माण उत्पादन का 45%
- एसएमई निर्यात: कुल निर्यात का 40%
- बैंक ऋण : बैंक ऋण के 16% एसएमई के लिए दिए गए हैं.
- अचल/संपत्ति : आईएनआर 1,471,912.94 करोड़ की वर्तमान अचल संपत्ति.
- एसएमई विकास दर : 10% से अधिक की औसत वृद्धि दर बनाए रखी है.

स्रोत: msme.gov.in/KPMG/CRISIL/CII

लेकिन एसएमई के सामने काफी चुनौतियाँ हैं. एमएसई के पास संसाधनों की कमी के साथ-साथ तकनीकी प्रगति की भी कमी है. औपचारिक संस्थागत उधारदाताओं को अपने कठिन समय में एसएमई को संभालने के लिए दूरदराज तक पहुंचना बाकी है. उत्पादन के अन्य कारकों की कमी के अलावा, एसएमई के प्रगति पथ में कुशल श्रम की अनुपलब्धता एक बड़ी बाधा रही है. योग्य और प्रशिक्षित श्रमिक गैर-एमएसई क्षेत्रों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत में एमएसई मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में सक्रिय है. 'द वायर' (The Wire) के अनुसार, भारत में लगभग 81% नियोजित व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम करके अपना जीवन व्यापन करते हैं, औपचारिक क्षेत्र में केवल 6.5% और घरेलू कार्यों में 0.80% कार्यरत हैं.

कुशल श्रमिकों की महत्ता स्वयं सिद्ध है. अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी उत्पादक हैं और उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करते हैं. किसी भी संगठन में कुशल श्रमशक्ति होने के कई लाभ हैं. जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं : -

- यह उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है.
- यह नवप्रवर्तन और रचनात्मकता में सुधार करता है.
- यह मित्तव्ययी है और लागत कम करता है.
- कुशल कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर लाभप्रदता और सुदृढ़ विकास प्रदान करता है.
- कार्यस्थल में स्वास्थ्य गुणवत्ता और कार्मिकों के कल्याण में सुधार करता है.

जैसा कि एसएमई साधारणत: छोटे स्तर पर काम करते हैं, वे बेहतर कार्य वातावरण, उन्नत प्रशिक्षण सुविधा और इसके श्रम शक्ति के लिए आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने में असमर्थ हैं. हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर एमएसई क्षेत्र के प्रभाव को देखते हुए और भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था तक पहुँचाने के

लिए एक कुशल और प्रेरित श्रम शक्ति की स्पष्ट आवश्यकता है. इसके साथ ही, भारत की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, देश के पास आज एक बेहतर कल के लिए नए और अज्ञात का पता लगाने के लिए पारंपरिक बंधनों को तोड़ने के लिए युवा आबादी का एक बड़ा प्रतिशत है. एक हताश बाजार (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर) का समाधान कुशल जनशक्ति की मांग और प्रगति के लिए मार्ग तलाशने वाले भारतीय युवाओं की आकांक्षा हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि में अंतर्निहित है, भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के लिए. इस दृष्टि को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के माध्यम से एक वास्तविक स्वरूप में बदला गया है.

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है. इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेंगे. पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी आकलन और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के तहत प्रमाणित किया जाएगा. इस योजना के तहत, प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाता है. दिनांक 15 जुलाई, 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर ₹ 12,000 करोड़ के परिव्यय के साथ देश के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए इस योजना को प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ किया गया. इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से देश भर में लागू किया जा रहा है.

पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षु को मुख्य लाभ (2016 - 2020) निम्नानुसार हैं : -

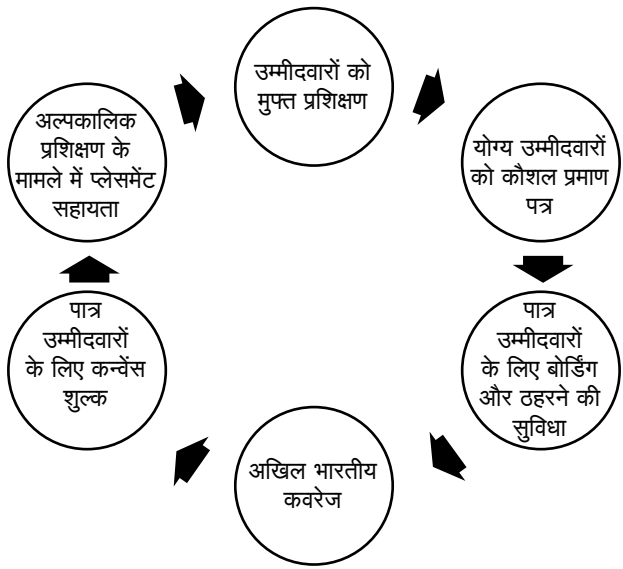

पीएमकेवीवाई योजना के प्रमुख घटक हैं :

- लघु अवधि प्रशिक्षण
- विशेष परियोजनाएं
- पहले के सीख की मान्यता
- कौशल और रोज़गार मेला
- प्लेसमेंट सहायता
- निरंतर निगरानी
- मानक ब्रांडिंग और संचार

लघु अवधि प्रशिक्षण

पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) में दिए गए अल्पावधि प्रशिक्षण से उन भारतीय नागरिकों को लाभ मिलने की आशा है, जो या तो स्कूल / कॉलेज छोड़ने वाले या बेरोजगार हैं. नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ़) के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, प्रशिक्षण केंद्र सॉफ्ट कौशल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा. प्रशिक्षण की अवधि प्रत्येक कार्य भूमिका में भिन्न होती है, जो कि 150 से 300 घंटे के बीच होती है. उनके मूल्यांकन के सफल समापन पर, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण भागीदारों (टीपी) द्वारा प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाएगी. पीएमकेवीवाई के तहत संपूर्ण प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है. साधारण मानदंडों के साथ संरेखण में टीपी को पेआउट प्रदान किए जाएंगे. योजना के लघु अवधि प्रशिक्षण घटक के तहत प्रदान की जाने वाली प्रशिक्षण एनएसक्यूएफ स्तर 5 और उससे नीचे होगी.

विशेष परियोजनाएं :-

पीएमकेवीवाई के विशेष परियोजना घटक एक ऐसे मंच के निर्माण की परिकल्पना करते हैं जो सरकारी क्षेत्रों, कॉर्पोरेटों या उद्योग निकायों के विशेष क्षेत्रों और / या परिसरों में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा, और उपलब्ध योग्यता पैक (क्यूपी) / राष्ट्रीय के तहत परिभाषित विशेष कार्य भूमिकाओं में प्रशिक्षण नहीं देगा. व्यावसायिक मानक (एनओएस) विशेष परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं हैं, जिन्हें किसी भी हितधारक के लिए पीएमकेवीवाई के तहत लघु अवधि प्रशिक्षण के नियमों और शर्तों से कुछ विचलन की आवश्यकता होती है. एक प्रस्तावित हितधारक या तो केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी संस्थान (एस) / स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय या कोई अन्य समकक्ष निकाय या कॉर्पोरेट हो सकते हैं जो उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहते हैं.

पहले के सीख की मान्यता

पूर्व के सीखने के अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का आकलन और योजना के पूर्व शिक्षण (आरपीएल) घटक की मान्यता के तहत प्रमाणित किया जाएगा. आरपीएल का उद्देश्य देश के असंगठित श्रम शक्ति की दक्षताओं को एनएसक्यूएफ़ में संरेखित करना है. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईए), जैसे कि सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) या एमएसडीई / एनएसडीसी द्वारा नामित कोई अन्य एजेंसियां, किसी भी तीन प्रकार के प्रोजेक्ट्स (आरपीएल कैंप, आरपीएल, नियोक्ता परिसर और आरपीएल केंद्र) में आरपीएल परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित की जाएंगी) ज्ञान अंतराल को कम करने के लिए पीआईए आरपीएल उम्मीदवारों को ब्रिज कोर्स की पेशकश कर सकते हैं.

कौशल और रोज़गार मेला :-

पीएमकेवीवाई की सफलता के लिए सामाजिक और सामुदायिक गतिशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है. समुदाय की सक्रिय भागीदारी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है और बेहतर कामकाज के लिए समुदाय के संचयी ज्ञान का लाभ उठाने में मदद करती है. इसके अनुरूप, पीएमकेवीवाई एक निर्धारित गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से लक्षित लाभार्थियों की भागीदारी के लिए विशेष महत्व प्रदान करता है. टीपी प्रेस / मीडिया कवरेज के साथ हर छः महीने में कौशल और रोज़गार मेले का आयोजन करेगा, उन्हें राष्ट्रीय कैरियर सेवा मेलाओं और ऑन-ग्राउंड गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता होती है.

प्लेसमेंट सहायता :-

पीएमकेवीवाई बाजार में रोजगार के अवसरों और मांग के साथ उत्पन्न होने वाले कुशल कर्मचारियों की योग्यता, आकांक्षा और ज्ञान को जोड़ने की परिकल्पना करता है. योजना के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों को नियुक्ति के अवसर प्रदान करने के लिए पीएमकेवीवाई टीसी द्वारा हर संभव प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. टीपी उद्यमिता विकास को भी सहायता प्रदान करेगा.

निगरानी दिशानिर्देश :-

यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुणवत्ता के उच्च मानकों को पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा बनाए रखा जाता है, एनएसडीसी और निर्धारित निरीक्षण एजेंसियों की विभिन्न कार्यप्रणालियों, जैसे कि स्वयं-ऑडिट रिपोर्टिंग, कॉल सत्यापन, औचक निरीक्षण और कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (SDMS) के माध्यम से निगरानी का उपयोग करेंगी. इन तकनीकों को नवीनतम तकनीकों के जुड़ाव के साथ बढ़ाया जाएगा.

मानक ब्रांडिंग और संचार :-

ब्रांडिंग योजना को सही ढंग से संप्रेषित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है. सभी प्रशिक्षण केंद्रों को इन दिशानिर्देशों के अनुसार अपने केंद्रों और प्रचार गतिविधियों की ब्रांडिंग करने की आवश्यकता है. प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने केंद्रों में संचालित गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगे. योजना के ब्रांडिंग और संचार दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे.

पीएमकेवीवाई के तहत समूह व्यक्तिगत दुर्घटना नीति : -

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016-2020) के तहत समूह व्यक्तिगत दुर्घटना नीति राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रतिभागी के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना नीति है. यह दिनांक 31.03.2018 से प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए नीति निर्माण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए आकस्मिक मृत्यु / स्थायी विकलांगता के लिए ₹ 2 लाख की बीमित राशि के लिए पीएमकेवीवाई के तहत एनएसडीसी के माध्यम से कुशल उम्मीदवारों को कवरेज प्रदान करता है.

पीएमकेवीवाई (PMKVY) डैशबोर्ड - 17.11.2020:-

दिनांक 17.11.2020 तक भारत में 2509 प्रशिक्षण भागीदारों के साथ 8804 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हुए हैं. 3843 चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अब तक 3417641 प्रतिभागी नामांकित हैं. कुल 2836509 प्रशिक्षित प्रतिभागी, जिनमें से 1632334 पहले से ही 57.55% प्लेसमेंट प्रतिशत के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हैं.

(**स्रोत:** www.pmkvyofficial.org)

हालांकि सफलता की कहानी के साथ पीएमकेवीवाई कई चुनौतियों से भी भरा है. कुछ चुनौतियों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है :

- पूर्व में लोगों को किसी पृथक काम हेतु चिह्नित किया गया और बाद में पूरी तरह से अलग काम में नियुक्त किया गया.
- प्रशिक्षण मांग से जुड़ा नहीं है, जिसका अभिप्राय यह है कि हम कुछ लोगों को कुछ ऐसे क्षेत्र में प्रशिक्षित करते हैं, जिनकी कोई मांग नहीं है.
- बहुत से लोग प्रशिक्षित होते हैं और वे काम पर लगाए भी जाते हैं, किंतु अल्पावधि में ही वे काम छोड़ देते हैं, क्योंकि तैनाती स्थल पर रहना बहुत महंगा होता है.
- प्रशिक्षण प्रदाता उप-मानक प्रशिक्षण के लिए अग्रणी नियंत्रणों के बिना संपूर्ण प्रशिक्षण पर एकाधिकार कर सकते हैं.

पीएमकेवीवाई की सफलता की कुंजी यह है कि एसएससी को लक्ष्य कैसे आबंटित किए जाएं और एसएससी कैसे बदले में प्रशिक्षण सहभागियों को आबंटित करेंगे और प्रशिक्षण की निगरानी के लिए कौन से सिस्टम लगाए जाएं. यह प्रशिक्षण सहभागियों की समर्पित भागीदारी पर भी निर्भर करता है, जो केवल तभी होगा जब कोटा आवंटन पारदर्शी हो और भुगतान समय पर हो. पीएमकेवीवाई एक कुशल देश के सपने को साकार करेगा. कौशल जो युवा लोगों को बनाते हैं, जो कला प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति में या घर पर या एक शिल्पकार के साथ कुशल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार या राष्ट्रीय उद्योग के लिए या ग्रामीण जरूरतों के लिए तैयार हैं.

यह भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने की दिशा में पहला कदम है. यह भारत में एसएमई क्षेत्र को अतिरिक्त लागत के बिना कुशल श्रम प्राप्त करने में भी सहायक होगा. अतः कुशल श्रम शक्ति के साथ मिलकर एसएससी की प्रगतिशील यात्रा निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कई गुना योगदान देगी.

एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित नियोजनात्मक योजनाएँ / अपने बैंक द्वारा अपनायी गयी योजनाएँ

विनय जायसवाल
प्रबंधक (ऋण)
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की अहम भूमिका है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 8%, विनिर्माण निर्गम में करीब 45% तथा निर्यात में करीब 40% का योगदान करते हैं. रोजगार के मामले में ये कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र देश भर में फैले 360 लाख उद्यमों के माध्यम से खास तौर पर कमजोर तबकों के लोगों और अल्पसंख्यकों के साथ करीब 800 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं. ये उद्यमिता तथा नवाचारों के लिए नर्सरियों के समान है. ये देश भर में विस्तृत क्षेत्र पर फैले हैं तथा वैविध्यपूर्ण उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं, जिससे स्थानीय बाज़ार की आवश्यकताओं के साथ ही विश्व बाज़ार और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके.

उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को सहायता एवं मदद मुहैया कराने के लिए मंत्रालय के पास विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं. यदि व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास आयुक्त के कार्यालय से संपर्क कर उनके कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है. यदि आप मौजूदा उद्यमी हैं और अपनी प्रतिस्पर्धा में बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं, तो उद्यम विकास आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं, जो आपको कई तरह से सहायता कर सकते हैं. यदि आप ग्रामोद्योग शुरू करना चाहते हैं तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) से संपर्क कर सकते हैं.

एमएसएमई का वर्गीकरण संयंत्र एवं मशीनरी उपकरणों में किए जाने वाले निवेश के आधार पर किया जाता है, जो निम्नानुसार है:

संवर्ग	वर्गीकरण का आधार
सूक्ष्म उद्योग	यह ऐसे उद्योग हैं, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में वास्तविक निवेश ₹ 1.00 करोड़ से अधिक न हो और कुल कारोबार ₹ 5.00 करोड़ से अधिक न हो.
लघु उद्योग	यह ऐसे उद्योग हैं, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में वास्तविक निवेश ₹ 10.00 करोड़ से अधिक न हो और कुल कारोबार ₹ 50.00 करोड़ से अधिक न हो.
मध्यम उद्योग	यह ऐसे उद्योग हैं, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में वास्तविक निवेश ₹ 50.00 करोड़ से अधिक न हो और कुल कारोबार ₹ 250.00 करोड़ से अधिक न हो.

एमएसएमई उद्यमों के संवर्धन और विकास, उद्यमों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं सहायक उद्योगों के लाभ के दायरे को बढ़ाने के लिए एमएसएमई अधिनियम 2006 पारित किया गया, जिसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

	खंड	विशेषता	प्रभाव
1.	राष्ट्रीय लघु एवं मध्यम मण्डल की स्थापना, अधिकतम सदस्यों की संख्या 47	अनिवार्य रूप से तिमाही बैठकों में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट प्रतिनिधित्व	स्वायत्त दर्जा, सुगठित मण्डल तथा तिमाही बैठकों में सूलम उद्योगों की समस्याओं का प्रकटीकरण, जिससे तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही हो.
2.	उद्यमों की संकल्पना	विनिर्माण/उत्पादन तथा सेवा आपूर्ति का स्पष्ट सीमांकन	सेवा उद्योगों में आक्रामक प्रवेश के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुविधाएं
3.	उद्यमों की परिभाषा	मध्यम उद्यमों के लिए विनिर्माण /उत्पादन की विशिष्ट मर्यादा का सीमांकन तथा सेवा उद्योगों की परिभाषा	मौजूदा लघु उद्यम, मध्यम उद्यम के रूप में उन्नत हो सकते हैं और अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं.
4.	विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को तथा सेवा क्षेत्र में मध्यम उद्योगों को ज्ञापन दाखिल करना ऐच्छिक, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्यमों को अनिवार्य.	ज्ञापन के साथ पंजीकरण का परिवर्तन	सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को सीमा निर्धारण के तुरंत बाद अधिनियम के लाभ उठाने की सुविधाएं

	खंड	विशेषता	प्रभाव
5.	अधिप्राप्ति नीतियाँ	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की ओर से मुहैया की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की ओर से वरीयता नीतियों की अधिसूचना	वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए अवसरों की सुविधाएं
6.	विलंबित भुगतान, जुर्माना एवं विवाद निपटारा	अधिप्राप्ति संगठनों को भुगतान के लिए अवधि 45 दिन, जुर्माना ब्याज पी एल आर के 200%	सूक्ष्म, मध्यम उद्यम अपने नकद प्रवाह/ आर्थिक जरूरतों का नियोजन कर सकते हैं
7.	विवाद समाधान	सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद की स्थापना, विवाद समाधान के लिए 90 दिन का फ्रेमवर्क	सुलभ वित्तीय नियोजन और पीछा करने/ फालोअप के लिए मानव संसाधन का अपव्यय नहीं
8.	आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विलंबित भुगतान-कटौती अनुमति	एमएसएमई अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती अस्वीकार्य कर लेखा का खंड 17 ए	इससे अधिप्राप्ति संगठनों को सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों के भुगतान समय पर करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा
9.	व्यापार समाप्ति	समाप्ति के लिए योजना अपेक्षित अधिसूचना	तरलीकरण सुविधा का विस्तार
10.	सूक्ष्म, लघु उद्यमों के प्रोत्साहन के लिए दिशा-निर्देशों या निर्देशों की अधिसूचना	अपेक्षित	तेज विकास सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों के सभी सुविधात्मक विकास के लिए अनिवार्य
11.	साख सुविधात्मक	अपेक्षित	मुहैया की जाने वाली सभी साख प्रकारों के लिए अनिवार्य साख के लिए वार्षिक वृद्धि पर 20 प्रतिशत के लिए दिशानिर्देश

भारत सरकार के गजट संख्या S.O.2119(E) दिनांक 26.06.2020 के अनुसार पहले से चल रहे एवं प्रस्तावित सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भारत सरकार के उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है.

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा शुरू की गयी योजनाएँ:

1. एम0 एस0 एम0 ई0 एक्ट का पारित किया जाना
2. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1961
3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
4. सूलम उद्यमों के लिए अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नीति
5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम टास्क फोर्स
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय गणना
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के लिए साख प्रवाह में वृद्धि
8. साख गारंटी योजना
9. राष्ट्रीय विनिर्माण स्पर्धात्मकता कार्यक्रम
10. सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम
11. एमएसई- सीडीपी क्लस्टर विकास के तहत प्रगति
12. तकनीकी केंद्र सिस्टम्स कार्यक्रम
13. ऋण आधारित पूंजी रियायत योजना
14. उद्यमीकरण और निपुणता विकास
15. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना
16. कार्य प्रदर्शन एवं क्रेडिट रेटिंग योजना
17. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
18. खादी सुधार विकास कार्यक्रम
19. बाज़ार विकास सहायता योजना
20. खादी के कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना
21. खादी उद्योग और कारीगरों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना
22. कॉयर उद्योग के पुनरुत्थान, आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए योजना

23. परंपरागत उद्योगों के पुनरुत्थान हेतु निधि योजना
24. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
25. सूलम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड
26. ऊष्मायन केंद्र (एंक्यूबेशन सेंटर) की प्रणाली
27. एमएसएमई वर्चुअल सेंटर

यूनियन बैंक में, एमएसएमई ऋण से संबंधित नीति/ कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए ऋण नीति एवं एमएसएमई विभाग, केंद्रीय कार्यालय उत्तरदायी है एवं यह विभाग बैंक के एमएसएमई अग्रिमों की संवृद्धि भी सुनिश्चित करता है.

एमएसएमई नीति में विभाग की भूमिका एवं उद्देश्य का उल्लेख किया गया है. जिसका समय-समय पर अद्यतन किया जाता है. हमारे बैंक की एमएसएमई नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

1. इस नीति का उद्देश्य आक्रामक ऋण विपणन के माध्यम से ग्राहकों की संख्या बढ़ाना है.
2. यह नीति मौजूदा एमएसएमई ग्राहकों हेतु ऋण की जरूरतों के विवेकपूर्ण एवं त्वरित निर्णय से संबंधित कार्य है.
3. यह नीति एक तरफ ऋण मूल्यांकन, कौशल और रणनीति के प्रति हमारे बैंक के दृष्टिकोण को दर्शाता है, वहीं साथ ही साथ लचीलेपन और नवीनता का वर्णन करता है
4. यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि बैंक के सभी सामाजिक और आर्थिक दायित्व पूरे हों.
5. इस नीति का प्रयास है कि परिसंपत्तियों को मानक (standard) रखते हुए उनकी सतत वृद्धि सुनिश्चित की जाय.
6. इस नीति का उद्देश्य एक विश्वसनीय डाटा बेस पर आधारित एक व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली देना और ऋण से जुड़े जोखिम को कम करना है.
7. यह नीति भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य एमएसएमई विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा जारी किए गए एमएसएमई ऋण से संबंधित निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है.
8. इस नीति का मूलभूत उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की जरूरतों और जारी किए गए दिशा निर्देशों के प्रति शाखा स्तर के अधिकारियों में जागरूकता पैदा करना है.

हमारे बैंक ने एमएसएमई ऋण की वृद्धि के लिए बहुत से पहल किए हैं, जो निम्नलिखित हैं :

1. केन्द्रीय कार्यालय में अलग विभाग की स्थापना
2. व्यवसाय बैंकिंग शाखाओं और एमएसएमई केन्द्रित शाखाओं का चयन
3. केंद्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना- SARALs
4. ऋण अधिकारी कैडर का विकास करना
5. क्लस्टर्स
6. एमएसई केयर सेंटर की स्थापना
7. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना
8. स्टैंड अप इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया
9. प्रबंधन और कौशल विकास संस्थान
10. एमएसएमई के लिए सरलीकृत सामान्य ऋण आवेदन फार्म
11. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
12. जोखिम रेटिंग और मूल्य निर्धारण
13. फिन टेक एवं अन्य एजेंसियों के साथ टाई-उप, MOU एवं सहायता समझौता
14. चैनल वित्तपोषण की पहल
15. विभिन्न एमएसएमई उत्पादों की शुरुआत

वर्तमान में चल रहे एमएसएमई उत्पादों के विवरण निम्नलिखित हैं:

1. यूनियन प्रोग्रैस-
2. यूनियन लिक्वी प्रॉपर्टी
3. यूनियन नारी शक्ति
4. यूनियन ट्रेड
5. यूनियन ट्रेड प्लस
6. यूनियन रेंट
7. यूनियन हाइ प्राइड
8. यूनियन प्रोक्योर
9. यूनियन जनरल क्रेडिट कार्ड

10. यूनियन एंटरप्राइज़
11. यूनियन मुद्रा
12. यूनियन जीएसटी
13. यूनियन परिवहन
14. यूनियन एसएमई सुविधा
15. यूनियन आयुष्मान
16. यूनियन स्टार्ट अप
17. यूनियन प्रोफेशनल
18. यूनियन अलंकार
19. क्लस्टर स्कीम (हैंडलूम वर्कर के लिए)
20. यूनियन जीएसटी गेन

एमएसएमई नीति, बैंक के एमएसएमई ऋण से संबंधित सभी पहलुओं को कवर करती है एवं सभी क्षेत्र कर्मियों को इस नीति के दिशानिर्देशों की पूरी जानकारी होनी चाहिए. इसके अलावा, बैंक के विभिन्न एमएसएमई उत्पादों के संदर्भ में एमएसएमई ऋण वितरण की व्यापक रूपरेखा भी उक्त नीति में प्रदान की गयी है. बैंक के विशेष अनुदेश परिपत्रों के माध्यम से एमएसएमई उत्पादों के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं.

उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता योजना

पी. सी. पाणिग्राही
महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त)
वित्तीय समावेशन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य नए उद्यमों को स्थापित करने एवं उन्हें निर्बाध गति से पूर्ण क्षमता के साथ चलाते रहने के लिए उद्यमियों को उनके कौशल एवं आर्थिक विकास हेतु निरन्तर प्रशिक्षित करते रहना है. क्षमता निर्माण एवं दृढ़ इच्छाशक्ति उद्यमिता विकास के प्रमुख घटक हैं. सफल उद्यमियों की श्रेणी में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है जो व्यापार में लाभ के सृजन के लिए कारोबार का बेहतर प्रबंधन कर सकता हो एवं सदैव जोखिम लेने को तैयार रहता हो.

किसी भी कारोबार को प्रारम्भ करने में जोखिम की संभावनाएं बनी रहती हैं. इसलिए यदि उद्यमी द्वारा प्रारंभिक समय में बेहतर प्रबंधन न किया जाए, तो कारोबार चलाने में लिए गए निर्णय कभी-कभी गलत साबित हो जाते हैं, जिससे निधियों की कमी हो सकती है और उत्पाद की बाजार मांग भी गिर सकती है, तथापि उद्यमिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- कारोबारी योजना तैयार करना
- मानव संसाधन पदस्थ करना
- वित्तीय एवं सामग्री संसाधन प्राप्त करना
- नेतृत्व प्रदान करना
- सफलता एवं असफलता दोनों का दायित्व स्वयं पर लेना
- जोखिम उठाने की क्षमता रखना

उद्यमिता के अन्तर्गत प्रायः छोटे एवं मध्यम आकार के नए उद्यमों को शामिल किया जाता है, जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभार्जन करना होता है. तथापि कुछ गैर-लाभ आधारित/

स्वैच्छिक उद्यम भी होते हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक हित करना होता है. उद्यमियों के प्रशिक्षण हेतु निम्न संस्थाएं कार्यरत हैं :

- सरकारी कार्यक्रम एवं सेवाएं, जो उद्यमिता को बढ़ाने में सहयोग करते हैं एवं उद्यमियों को अपना स्टार्ट-अप एवं स्टैंड-अप प्रारम्भ करने में सहायता करते हैं.
- गैर-सरकारी संगठन जैसे लघु उद्योग संघ एवं संगठन जो उद्यमियों को परामर्श प्रदान करते हैं.
- उद्यमिता संसाधन एवं सुविधाएं प्रदान करना, जैसे अंडे सेने की मशीन एवं बीज गतिवर्धक यंत्र आदि.
- स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उद्यमिता शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम.
- वित्त जैसे बैंक ऋण, उपक्रम पूँजी वित्तीयन, निवेश ऋण, सरकारी एवं निजी वित्तीय सहायता संस्थान आदि.

जोखिम, महत्वाकांक्षा, अनिश्चितता - इन तीन तत्वों के निहित होने के कारण उद्यमिता के अन्तर्गत कौशल विकास के साथ मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी आवश्यक होता है. अतः उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रमों में उद्यमियों को उद्यम के सभी क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार रणनीति अपनायी जाती है :

- उपलब्ध संसाधनों एवं अवसरों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए.
- नए उत्पादों, सेवाओं अथवा प्रसंस्करणों के नवोन्मेष पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है.
- उद्यमी, जिस भी प्रक्रिया में लगा हो, उसमें सुधार के लिए निरन्तर प्रयासरत रहना चाहिए.
- नए कारोबार मॉडल की संभावनाओं को लगातार तलाशने पर जोर दिया जाता है.
- उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए.
- भविष्य के लिए आवश्यक उत्पादों एवं सेवाओं के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

शिक्षण एवं सफलता का आपस में गहन संबंध होता है. जितनी अधिक कार्यकुशलता होगी, आय का स्तर भी बढ़ेगा. इसलिए प्रशिक्षण का कोई विकल्प नहीं होता है. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अपना नियोजन प्रारम्भ करने के इच्छुक लाभार्थियों के सहायतार्थ उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां निम्नानुसार चलायी जाती हैं :

- **कृषि कार्यक्रम :** कृषि एवं सहायक गतिविधियां जैसे डेयरी, पॉल्ट्री, कृषि, बागवानी, रेशम के कीड़ों का पालन, मशरुम उत्पादन, फूलों की खेती, मत्स्य पालन आदि ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्र के ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र के लाभार्थी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं एवं स्वतंत्रतापूर्वक अपना उद्यम प्रारम्भ कर सकते हैं.

- **उत्पाद कार्यक्रम :** इसके अन्तर्गत महिला एवं पुरुष दोनों ही के लाभार्थ कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं जैसे पुरुषों एवं महिलाओं के कपड़े सिलना एवं डिजाईन करना, रेक्जीन की सहायता से विभिन्न उपयोगी वस्तुएं तैयार करना, अगरबत्ती बनाना, फुटबाल बनाना, बैग, बेकरी उत्पाद, पेड़ के पत्तों से दोना और पत्तल बनाना, कागज की लुगदी से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण आदि कार्यक्रम शामिल हैं.

- **सेवा क्षेत्र हेतु कार्यक्रम :** दुपहिया वाहन मरम्मत, रेडियो/टीवी मरम्मत, मोटर रिवाइंड करना, सिंचाई पंप सेट, ट्रैक्टर तथा पावर ट्रिलर की मरम्मत, मोबाइल मरम्मत, ब्यूटीशियन कोर्स, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटो लेमिनेशन, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं प्रिंटर की मरम्मत आदि जैसी गतिविधियों पर कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है.

- **अन्य कार्यक्रम :** चमड़े से बनने वाले उत्पाद, निर्माण क्षेत्र होटल एवं आतिथ्य सत्कार तथा स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित अन्य गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाता है.

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लाभार्थियों को कौशल विकास के अतिरिक्त उनके मनोबल एवं व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के लिए भी सहायता की जाती है जैसे : -

- लक्ष्य निर्धारण एवं उसकी प्राप्ति हेतु प्रयास करने को प्रेरित करते हैं.

- भावी चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाना एवं उन्हें स्वयं के लिए एक अवसर के रुप में बदलने की क्षमता का विकास करना तथा उसे कारोबार के पक्ष में कर लाभ अर्जित करना.
- बाजार में अपने उत्पादों की मांग एवं पूर्ति के आधार पर उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करना.

उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त उन्हें स्वयं उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है. जैसे -

- ऋण के आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें बैंकों में संदर्भित करना.
- आवश्यक तकनीक प्राप्त करने में सहयोग करना.
- उत्पादों के विपणन के लिए बाजार सुलभ कराना.
- उद्यम एवं उसके उत्पाद के प्रचार-प्रसार में सहयोग करना.

तथापि उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों को बैंक द्वारा उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं, जिनमें psbloansin59minutes.com, मुद्रा ऋण, स्टैंड-अप इंडिया इत्यादि प्रमुख हैं, के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋणों के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों के बारे में किसानों, स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्यमियों, स्कूल के विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को साक्षरता प्रदान करना चाहिए ताकि वे आवश्यक ऋण प्राप्त कर अपना स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकें, जिससे बेरोजगारी एवं काम की कमी दूर हो सके एवं लाभप्रदतापूर्ण रोजगार के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके.

आर्थिक लार्भाजन वाली उद्यमिताओं के अतिरिक्त वर्तमान में सामाजिक उत्थान से संबंधित उद्यम भी विद्यमान हैं, जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है. स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन एवं सामुदायिक विकास आदि इसके उदाहरण हैं.

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के सृजन में उद्यमिता की भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होती है. यह न केवल स्वरोजगार ही प्रदान करता है बल्कि अपने साथ कई और लोगों को रोजगार प्रदान करने में सहायक होता है और बेरोजगारी को दूर करने में देश को अपना योगदान देता है और इन उद्यमों को सफल बनाने में उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका अत्यन्त ही व्यापक एवं महत्वपूर्ण होती है.

खादी ग्राम उद्योग क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम एवं उसका विकास

दलजीत सिंह
प्रबंधक
सरल, क्षेत्रीय कार्यालय,पुणे

भारत एक बहुआयामी देश है, जहाँ लगभग 65 फीसदी लोग गांव में रहते हैं और इनमें से ज्यादातार लोग कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं. यदि इतनी बड़ी जनसंख्या कार्यशील हो और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे पाए तो भारत के उन्नति के पथ पर कोई अवरोधक नहीं होगा.

भारत के इतिहास में खादी की विशेष भूमिका रही है और आज भी यह असीमित संभावनाओं के साथ मौजूद है. मूल रूप से हाथ से बनने वाले वस्त्रों को खादी कहते हैं. इसमें ऊनी, सूती, रेशमी वस्त्र शामिल हैं. स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही खादी की भूमिका अविस्मरणीय रही है. गाँधी जी ने गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी का चयन किया और गांवों की उन्नति के लिए इसका प्रचार-प्रसार जोर-शोर से किया. स्वदेशी आंदोलन में भी खादी के माध्यम से लोगों को एकजुट किया गया और उनमें आत्मविश्वास की लौ पुनः प्रज्वलित की गयी.

आइए अब जानते हैं कि ग्राम उद्योग क्या है? कोई भी उद्योग, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्थित हो एवं जहाँ प्रति कारीगर निवेश रुपए एक लाख से अधिक न हो, उसे ग्राम उद्योग कहते हैं. खादी एवं ग्राम उद्योग दोनों में ही अत्यधिक श्रम अर्थात श्रमिकों की आवश्यकता होती है.

इसीलिए भारत जैसे देश में जहाँ श्रमिकों की संख्या अधिक है, खादी एवं ग्राम उद्योग रोज़गार के स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है.

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी खादी को सरकार ने देश की उन्नति के लिए प्रभावी माना और इसीलिए खादी विकास एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1953 में की गई. यह एक शीर्ष संस्था है, जो भारत में खादी और ग्राम उद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

मंत्रालय (भारत सरकार) के अंतर्गत कार्य करती है. इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है - ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना करना एवं विकास के लिए योजना बनाना, प्रचार-प्रसार करना, सुविधाएँ और सहायता प्रदान करना. इस संस्था ने वर्ष 1957 में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड का कार्यभार भी संभाल लिया.

खादी विकास एवं ग्राम उद्योग आयोग के उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध कराना, बिक्री योग्य सामग्री प्रदान करना एवं लोगों में आत्मनिर्भरता और सामाजिक भावना पैदा करना. इस संस्था को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निधि की प्राप्ति होती है, जिससे ये खादी एवं ग्राम उद्योग से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करता है.

रोजगार एवं ग्राम उद्योग को बढ़ाने के लिए समय समय पर कई योजनाएं बनाई गईं, जिनमें वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (पीएमआरवाई) एवं वर्ष 1995 में ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) शामिल हैं. इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य देश में रोज़गार के अवसर बढ़ाना था. अत: इन दोनों योजनाओं को मिलाकर दिनांक 10 अक्तूबर, 2008 को खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) बनाया गया.

राष्ट्रीय स्तर पर यह योजना खादी विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित की जाती है. राज्य स्तर पर यह योजना राज्य केवीआईसी निदेशालय, राज्य खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से लागू की जाती है.

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के उद्देश्य - नए स्वरोज़गार उद्यमों/परियोजनाओं/लघु उद्यमों की स्थापना के जरिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के लिए प्रेरित करना, उन लोगों की मदद करना, जो धन के अभाव में प्रतिभा होते हुए भी अपना व्यवसाय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, गावों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर लोगों को अपने गावों में ही रहकर अपना उद्योग लगाने में मदद करना ताकि गावों से शहरों की ओर हो रहे पलायन में कमी आए और कारीगरों की उपार्जन क्षमता में वृद्धि लाना, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोज़गार की दर बढ़ सके.

योजना में निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था पात्र हैं :

1. 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति
2. आय की कोई सीमा नहीं है.
3. निर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) क्षेत्र में ₹ 10 लाख से अधिक की परियोजना एवं सेवा/व्यवसाय (सर्विस/बिज़नेस) क्षेत्र में ₹ 5 लाख से अधिक की परियोजना स्थापित

करने हेतु व्यक्ति को कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

4. सिर्फ नयी परियोजनाओं को ही प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है.

5. स्वयं सहायता समूह, जो किसी और योजना के लाभार्थी न हों.

6. सोसाइटीज़ एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएं.

7. चैरिटेबल ट्रस्ट.

8. इस योजना में लाभ लेने के लिए एक परिवार में एक ही व्यक्ति पात्र है.

योजना में ऋण हेतु पात्रता : निर्माण क्षेत्र की परियोजना लगाने हेतु ₹ 25 लाख तक का कर्ज मिल सकता है एवं सेवा इकाई हेतु ₹ 10 लाख तक का कर्ज मिल सकता है.

क्या इस योजना में मार्जिन मनी की सहायता मिलती है? प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के अंतर्गत खादी विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मार्जिन मनी की सहायता भी लाभार्थियों को दी जाती है. इसके लिए लाभार्थियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है. सामान्य एवं विशेष. विशेष लाभार्थियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति, अल्पसंख्यक, महिलाएं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, उत्तर पूर्वी राज्यों के व्यक्ति और पहाड़ी एवं सीमा से सटे हुए प्रांतों के व्यक्ति आते हैं. सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25% मार्जिन मनी सहायता के रूप में मिल सकती है और विशेष वर्ग के लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% मार्जिन मनी सहायता के रूप में मिल सकती है. मार्जिन मनी सब्सिडी का लॉक इन पीरियड 3 वर्ष का होता है. इसके अलावा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना की लागत का 10% स्वयं के मार्जिन के रूप में लाना होता है और विशेष वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना की लागत का 5% लाना होता है. इस योजना में ₹ 10 लाख तक की लागत वाली परियोजना में कोई भी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है. ₹ 10 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं में क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) द्वारा गारंटी दी जाती है.

लाभार्थियों का चयन एक टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है, जो कि जिला स्तर पर खादी विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग के प्रतिनिधि, राज्य के प्रतिनिधि, राज्य जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि एवं बैंक के प्रतिनिधि होते हैं. इस टास्क फोर्स के चेयरमैन जिलाधीश होते हैं. बैंक लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया से ही इस योजना में शामिल होते हैं. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया भी एक राष्ट्रीकृत बैंक है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से इस योजना का लाभ स्वरोज़गार हेतु लोगों तक पहुँचाने में अग्रसर है.

जुलाई 2016 से पूर्व प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम का पूरा कार्य ऑफलाइन होता था. इस योजना के अंतर्गत अर्जियों का शीघ्र निष्पादन एवं पारदर्शिता को बढ़ाने हेतु केवीआईसी ने 01.07.2016 से e-PMEGP पोर्टल को स्थापित किया. e-PMEGP पोर्टल के द्वारा लाभार्थी प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस पोर्टल के माध्यम से इस योजना में कोई भी पात्र व्यक्ति ऑनलाइन अर्जी कर सकता है. इसके अलावा एप्लिकेशन ट्रैकिंग, अपग्रडेशन की अर्जी, प्रतिपुष्टि आदि भी इस पोर्टल के जरिए किया जा सकता है. अर्जी में पात्र व्यक्ति अपने बैंक का विवरण देता है, जिसके माध्यम से एप्लिकेशन को ऐच्छिक बैंक को प्रसंस्करण हेतु भेजा जाता है. एप्लिकेशन सबमिट करते ही अर्जी देने वाले को ई-ट्रैकिंग संख्या मिल जाती है, जिसके माध्यम से वह घर बैठे अपनी अर्जी की स्थिति जान सकता है.

बैंक के प्रोसेसिंग और इसकी जानकारी e-PMEGP पोर्टल में अपडेट होने के उपरांत, बैंक कर्ज का वितरण कर देती है और उद्यमी अपनी इकाई लगा लेता है. मार्जिन मनी सहायता क्लेम हेतु लाभार्थी को 6 से 10 दिनों की उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होता है. इस योजना में मार्जिन मनी का लॉक-इन पीरियड 3 साल का होता है.

एप्लिकेशन एवं मार्जिन मनी सहायता के पारदर्शी निष्पादन हेतु पीएमईजीपी एमआईएस वेब पोर्टल की भी स्थापना की गयी है. इसके माध्यम से बैक ऑफिस का समस्त कार्य, एप्लिकेशन से लेकर मार्जिन मनी के वितरण तक समयबद्ध तरीके से होना संभव हो पाता है.

आप सहमत होंगे कि गावों का पूर्ण विकास तभी मुमकिन है जब ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जाए. ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण लोग अपना योगदान देश के आर्थिक विकास में दे पाते हैं. इस दिशा में प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए गए. खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को पूरी तरह इस योजना का लाभ पहुँचाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है:

जागरूकता कैंप : डिजिटलाइजेशन के कारण काफी हद तक प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम की जानकारी शहरों में पहुँच गयी है, किन्तु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जानकारी पूरी तरह नहीं पहुँच पायी है. बैंकों को समय-समय पर कैम्पों के माध्यम से इस योजना के बारे में लोगों को अवगत कराना चाहिए. इस कदम से योजना के अंतर्गत अर्जियों की संख्या जरूर बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो पाएगा. विज्ञापनों के माध्यम से भी इस स्कीम की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है.

विपणन : चूंकि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की कमी होती है, उद्यमी अपने उत्पादों का सही तरह से विपणन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उत्पादों को उचित बाज़ार नहीं मिल पाता और उद्यमी के मुनाफे में वृद्धि नहीं हो पाती. इस सन्दर्भ में उद्यमी विकास कार्यक्रम के दौरान

उद्यमियों को विपणन के प्रशिक्षण हेतु देश के प्रख्यात मार्केट गुरुओं से चर्चा करनी चाहिए. इससे उद्यमी अपने उत्पाद का बेहतर विपणन कर पाएंगे. बड़ी संस्थाओं के साथ टाई-अप के जरिए भी उद्यमी अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ा सकते हैं.

विलेज नॉलेज सेंटर : वीकेसी (वीकेसी) की मदद से ग्रामीणों को इस योजना के लाभों के बारे में बताया जा सकता है और उनकी अर्जियों का भी अवलोकन इसी सेंटर पर किया जा सकता है और समयबद्ध तरीके से अर्जियों का निष्पादन किया जा सकता है.

गुणवत्ता : ग्रामोद्योग के उत्पाद तभी बाज़ार में बिक पाएंगे, जब उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी. इसलिए उद्यमियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच करवानी चाहिए. इस सन्दर्भ में सरकार/केवीआईसी उद्यमियों को आईएसओ प्रमाणीकरण जैसे प्रमाणीकरण लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाज़ार मिल सकता है.

बैंकों द्वारा समय पर अर्जियों का निष्पादन : किसी भी उद्योग को लगाने में सबसे बड़ी जरुरत समय पर वित्तीय सहायता मिलना होती है. प्रायः ऐसा देखा गया है कि उद्यमियों को निर्धारित समय सीमा में कर्ज वितरित नहीं हो पाता, जिसके कारण उद्योग लगाने में देरी होती है. अतः बैंकों को प्रतिबद्धता से निर्धारित समय सीमा में पीएमईजीपी प्रकरणों का निष्पादन करना चाहिए.

प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा एवं बजट के दौरान देश को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दिया है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था का सामूहिक विकास अनिवार्य है. इस सन्दर्भ में देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या, जो ग्रामीण इलाकों में रहती है, उन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते, इसीलिए खादी एवं ग्रामोद्योगों का विकास देश की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से ही यह संभव है.

बैंक ऋण, एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी समस्या - एक मिथ

संजीव कुमार
क्षेत्र प्रमुख, कानपुर

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई इकाइयों का योगदान, इसका महत्व एवं उपयोगिता अवर्णनीय है. चाहे इन इकाइयों का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, रोजगार सृजन में, देश के कुल निर्यात में हो या फिर बड़े उद्योगों की सहायक इकाई के रूप में हो, इनको कम करके आका नहीं जा सकता है. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राष्ट्रीय महत्व में इतना योगदान देने वालों के प्रति हमारी सरकारें भी सदैव अग्रणी रही हैं और कालांतर में इन्हें बढ़ावा देने के लिए हरसंभव मदद दी गई है. पिछले दो से तीन दशकों के इतिहास को खगांलने से यह मालूम होता है कि एमएसएमई को मजबूती देने के लिए अनेक साहसिक कदम उठाए गए हैं, जिसमें इनके वर्गीकरण, नीति निर्धारण, विभिन्न तरह के संस्थागत बदलाव, वित्त प्रदान करने को सरल एवं सुगम बनाना इत्यादि महत्वपूर्ण हैं. समय-समय पर इस जगत को बढ़ावा देने के लिए उसकी समस्याओं को समझने और उससे निपटने के लिए कई समितियों का गठन किया गया और उनके द्वारा सुझाई गई समस्याओं एवं उसके निदान पर विचार विमर्श के पश्चात उसे लागू भी किया गया.

बावजूद इसके एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी कई समस्याएं आज भी हैं, जो इसके विकास को अवरुद्ध कर रही हैं. यद्यपि एमएसएमई क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होता रहा है और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है लेकिन यह उम्मीद से काफी परे रहा है. यही कारण है कि आज भी हम इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं क्योंकि इसमें हम अपार संभावना देखते हैं और उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए.

अक्सर यह पढ़ा और सुना जाता रहा है कि एमएसएमई के विकास में सबसे बड़ी समस्या अपर्याप्त एवं असामयिक ऋण की उपलब्धता है. यह एक सच्चाई है और इसे पूर्णत: नकारा नहीं जा सकता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है लेकिन इस क्षेत्र से जुड़ी कई और ऐसी समस्याएँ हैं, जो इससे भी बड़ी बाधा साबित हो रही हैं और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन्हीं कारणों से इन इकाइयों की ऋण उपलब्धता भी

प्रभावित हो रही है. विगत कई वर्षों से एमएसएमई के लिए ऋण उपलब्धता कराने एवं उससे जुड़ी समस्याओं से मिला अनुभव भी इस ओर इंगित करता है.

अभी हाल में यू. के. सिन्हा की अध्यक्षता में एमएसएमई पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंप दी है. इस रिपोर्ट में इस क्षेत्र से जुड़ी तमाम समस्याओं एवं उससे निपटने के उपायों पर चर्चा की गयी है. इस रिपोर्ट के आधार पर हम भी उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, जिससे इस मिथ को दूर किया जा सकता है कि वित्त उपलब्धता के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो एमएसएमई इकाइयों के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं. इसके अलावा भी कई ऐसे कारक हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करते हुए मैंने पाये हैं, जो निम्नवत हैं:

1. **सही समय पर वैधानिक अनुमोदन का नहीं मिलना:** किसी भी इकाई को लगाने की सबसे अहम प्रक्रिया उससे संबंधित वैधानिक अनुमोदन का होना है. एमएसएमई इकाई सामान्यतः एकल स्वामित्व की होती है, जिसके कारण इनको पर्याप्त जानकारी एवं साधन का अभाव होता है. चूंकि यह राज्य सरकार के विशेषाधिकार में आता है अतः इससे जुड़े मुद्दे देश भर में समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य की अलग औद्योगिक नीति होती है. अक्सर यह देखा जाता है कि नई इकाई लगाने के लिए सभी तरह का अनुमोदन लेना एक चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में एकल खिड़की अनुमोदन का प्रावधान नहीं होता है, जिससे कि अलग अलग विभागों से अनुमोदन लेने के लिए काफी समय एवं पूंजी की भी जरूरत होती है. प्रक्रिया भी काफी जटिल होती है, जिसे आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है. परिणामस्वरूप बिचौलिये / दलालों के माध्यम से ये सारे काम करवाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है.

2. **इकाई स्थापित करने के लिए जमीन की उपलब्धता नहीं कराना:** किसी भी इकाई को स्थापित करने के लिए जमीन की उपलब्धता अनिवार्य है जो कि उचित दर पर उपलब्ध नहीं हो पाती है. इससे जुड़ी मुख्य समस्याओं में पर्याप्त जमीन की अनुपलब्धता, सस्ते दर पर उपलब्धता, उसके उपयोग के प्रकार में बदलाव की प्रक्रिया और फिर उस जमीन के लिए संबंधित समस्त वैधानिक अनुमोदन. अगर औद्योगिक क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो जमीन खरीदना फिर उससे संबंधित अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करना एक जटिल कार्य है. प्रत्येक राज्य सरकारों की इससे संबंधित स्पष्ट एवं लचीली नीति होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी एमएसएमई इकाई को स्थापित करने में विलंब न हो.

3. **सस्ती एवं निरंतर बिजली की उपलब्धता:** बिजली की उपलब्धता मुख्यतः दो स्त्रोतों से होती है. पहला संबंधित राज्य के राज्य विद्युत निगम से और दूसरी निजी

क्षेत्र के वितरण कंपनी से. अक्सर ये देखा गया है कि दोनों की दरों में काफी अंतर होता है और निरंतरता में भी कमी पायी जाती है. निरंतर बिजली उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जेनेरटर का प्रावधान करना पड़ता है जिसमें अतिरिक्त पूंजी लगानी होती है.

4. **भारत सरकार द्वारा एमएसएमई इकाई के लिए बनाए गए प्रावधानों की अवहेलना करना:** एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के क्रम में भारत सरकार ने 2006 में एमएसएमई कानून पारित किया, जिसमें इन क्षेत्रों से जुड़ी तमाम समस्याओं के समाधान एवं इसे प्रोत्साहित करने के उपायों को लाया गया है. इसमें प्रमुख है, सरकारी एवं अर्धसरकारी उपक्रमों का अपने उपभोग का 25 प्रतिशत ख़रीदारी एसएमई इकाई से ही करना, उसमें से 4 प्रतिशत एससी / एसटी स्वामित्व वाली इकाई से तथा 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाली इकाई से करना, उसके बिल का भुगतान 45 दिनों के अंदर करना एवं विलंब होने पर ब्याज का भुगतान करना इत्यादि. आज एमएसएमई इकाइयों के लिए एक बड़ी समस्या है, समय पर बिल का भुगतान नहीं होने के कारण इनके लाभप्रदता पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि बैंक को ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, बल्कि चालू पूंजी की अपर्याप्तता के चलते इसके परिचालन पर भी बुरा असर पड़ता है. भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने इसके समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल समाधान की सुविधा भी दी है, बावजूद इसके कि जुर्माने का प्रावधान है और इससे जुड़े मुद्दों का निपटारा करने के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की गयी है, एमएसएमई इकाई अपने रोजगार के मौके खोने के डर से इसकी शिकायत नहीं कर पाते हैं. सामान्यत: ये छोटी इकाई किसी बड़े उद्योग के सहयोगी इकाई के रूप में कार्य करती है, जिसका उत्पाद बड़ी इकाई की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही किया जाता है. इससे निपटने के लिए यद्यपि ई-ट्रेड्स प्लेटफ़ार्म गठित किया गया है, जो कि काफी प्रभावी है और इन इकाइयों को बिल के एवज में तुरंत एवं बहुत ही सस्ते दर पर फ़ंड उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन अभी यह काफी नूतन दौर में है और बहुत कम ही ऐसी इकाई हैं, जिन्हें इसका लाभ मिल रहा है.

5. **कच्चे माल की उपलब्धता एवं उचित बाजार का अभाव:** किसी भी इकाई के सफलतापूर्वक चलाने के विभिन्न पहलुओं में प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता एवं उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए समुचित बाजार का होना महत्वपूर्ण है. आज हम खुले बाज़ार नीति के दौर में हैं और इसमें अपने उत्पाद को बेचने के लिए उसके दाम को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना ही होगा, जिसके लिए लागत को कम करने की जरूरत होगी. अत: सस्ता एवं अच्छा कच्चा माल एक महत्वपूर्ण कारक है, जो कि मूल्य को प्रभावित करता है. अक्सर यह माना जाता है कि इनकी स्थानीय उपलब्धता नहीं होने के कारण इसे दूर दराज के क्षेत्रों से मंगाया जाता है, जिससे कि ढुलाई लागत काफी बढ़ जाती है और अंतिम उत्पाद के मूल्यों को प्रभावित करता है. एमएसएमई इकाइयों

को इससे निपटने के लिए समुचित व्यवस्था करने की जरूरत है जैसे कि पर्याप्त बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड इंटिग्रेशन को बढ़ावा देना, कच्चे माल का उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उससे जुड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना इत्यादि.

6. **आधुनिक तकनीक का अभाव:** जैसा की ऊपर वर्णित है कि अंतिम उत्पाद को बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर बेचने के लिए जरूरी है कि उसके उत्पादन से जुड़ी तमाम लागतों को कम किया जाए एवं उसमें गुणात्मक सुधार किया जाए और इस प्रक्रिया को निरंतर बरकरार रखा जाए. बदलते परिप्रेक्ष्य में तकनीकी उपयोग बढ़ता जा रहा है और मानव प्रधान इकाई धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ती जा रही है. तकनीकी इस्तेमाल से प्रति इकाई लागत कम होने के साथ-साथ उत्पाद में गुणात्मक उन्नयन भी होता है, जबकि मानव चालित उत्पाद इसके विपरीत महंगा एवं गुणवत्ता में भी निम्न होता है. अत: यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि समय-समय पर इकाई का तकनीकी उन्नयन होता रहे, जिससे कि उसके उत्पाद की गुणवत्ता बाज़ार के उम्मीद के अनुरुप हो एवं उसे सही दाम पर बेचा जा सके. लेकिन अक्सर ऐसा पाया जाता रहा है कि अपर्याप्त पूंजी के कारण तकनीकी उन्नयन नहीं हो पाता है और नवीनतम तकनीकी के अभाव में इसका उत्पाद बाज़ार में अपनी प्रतिस्पर्धा खो देता है और धीरे-धीरे इकाई रुग्ण हो जाती है. यद्यपि भारत सरकार सिडबी के माध्यम से पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराती है, लेकिन वह सभी तरह के उद्योगों के लिए उपलब्ध नहीं है.

7. **शोध एवं अनुसंधान का पहुँच से बाहर होना:** जैसा कि ऊपर विस्तार से चर्चा की गयी है, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा होने की वजह से हमेशा इस बात की आशंका होती है कि यदि उत्पाद मूल्य और गुणवत्ता में अग्रणी नहीं रहा तो वह बाज़ार में अपना अस्तित्व खो देगा. इसी क्रम में लगातार अनुसंधान होते रहते हैं और प्रयास होता है कि कम से कम लागत में अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराया जाए. पूंजीगत अनुपलब्धता की वजह से छोटे उद्यमी इससे वंचित रह जाते हैं, जिसका विपरीत असर उनके उत्पाद पर पड़ता है और वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं. यद्यपि भारत सरकार ने टूल रूम की स्थापना की है, लेकिन वह सीमित क्षेत्र में ही प्रभावी कार्य कर रहा है.

8. **कुशल कारीगर की अनुपलब्धता:** कुशल एवं सस्ते कारीगर का अभाव भी इन इकाइयों के लिए एक बड़ी समस्या है. किसी भी नई मशीनरी को संचालित करने के लिए कुशल एवं अर्धकुशल मजदूर की जरूरत होती है. सामान्यत: ऐसा देखा गया है कि अपर्याप्त उपलब्धता के कारण इस तरह के कुशल एवं अनुभवी कारीगर जल्दी जल्दी अपना काम बदलते हैं एवं अधिक पैसे के लालच में दूसरी इकाइयों में काम करने लगते हैं. नि:संदेह कारीगरों को कुशलता प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या

पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है. सरकार ने ऐसे तकनीकी संस्थानों को बढ़ावा देने की कोशिश की है, परंतु अभी भी उस स्तर तक सफलता हासिल नहीं हुई है. वर्तमान सरकार ने कौशल विकास पर काफी ध्यान दिया है और इसे मजबूती देने के लिए बजट में भी इसका प्रावधान किया है. स्वरोजगार बढ़ाने एवं कुशल कारीगरों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित संस्थानों से इससे निजात मिलने की उम्मीद है.

9. **वित्तीय अनुशासनहीनता:** इसे वित्तीय अनुशासनहीनता कहें या वित्तीय अनियमितता लेकिन बैंक ऋण का मनमाने ढंग से उपयोग या कहें कि दुरुपयोग एक अत्यंत ही चिंतनीय विषय है, विशेषकर कार्यशील पूंजी का. एकल स्वामित्व के खाते में बिना समझे समस्त खर्चे इसी खाते से किये जाते हैं, जिसे निजी खाते से होना चाहिए. टैक्स का जटिल कानून भी एक बहुत बड़ी समस्या है. इसकी जटिलता के कारण छोटी इकाई के मालिक सी. ए. पर पूर्णतः निर्भर होते हैं ताकि टैक्स से बचा जा सके. आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार बैंक द्वारा दिये गए ऋण का किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल धोखाधड़ी कहलाता है, लेकिन छोटे उद्यमी इसके परिणाम को समझे बिना मनमाने ढंग से इस्तेमाल करते हैं और खाता खराब होने की स्थिति में परेशानी बढ़ जाती है. खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंक में एक डर की स्थिति बन जाती है. अतः वित्तीय अनुशासन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो ऋण की उपलब्धता में बाधक है.

ऊपर वर्णित सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह बात स्पष्ट है कि बावजूद इसके कि बैंक ऋण की पर्याप्त एवं सामयिक उपलब्धता एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसके कारण अनेक हैं. चूकि बैंक ऋण मुहैया कराने से पहले इन तमाम अनुमोदनों एवं इकाई की व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है और इसके अभाव में ऋण उपलब्ध नहीं करा पाता है.

अपने व्यवसाय को दीजिए तरक्की की आज़ादी

यूनियन जीएसटी गेन

- जीएसटी रिटर्न भरने वाले उद्यमियों हेतु सहायता
- अधिकतम ऋण सीमा – ₹ **500** लाख

- जीएसटी रिटर्न आधारित ऋण प्रोसेसिंग
- वित्तीय मानदंडों में लचीलापन
- आकर्षक ब्याज दर

शर्तें लागू

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra

कार्पोरेशन Corporation

हेल्पलाइन नं.: **1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555** | **www.unionbankofindia.co.in**

@unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube @unionbankofindia

आपके व्यवसाय की जरूरतों का रखे ख्याल.
आपके व्यवसाय की उन्नति को दे रफ़्तार.

यूनियन एमएसएमई सुविधा

- व्यापार/निर्माण/सेवा गतिविधियों से जुड़ी एमएसएमई के लिए ऋण सुविधाएँ
- अधिकतम सीमा - ₹ 50 करोड़ • आंतरिक रेटिंग और प्रतिभूति कवरेज से संबद्ध ब्याज दर
- अंतर्निहित टॉप-अप ऋण का प्रावधान • वित्तीय मानदंडों में शिथिलता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra

कार्पोरेशन Corporation

हेल्पलाइन नं.: **1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555** | **www.unionbankofindia.co.in**

@unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube @unionbankofindia

शर्तें लागू.